रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/88

Registered No. D—(DN)—128/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1988 (पौष 10, 1910)
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1988 (PAUSA 10, 1910)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

लोक ऋण कार्यालय

हैदराबाद, दिनांक दिसम्बर 1988

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बाण्ड

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के जो बाण्ड खो आदि गए हैं और जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास करने के लिए प्रत्यक्षतः आधार हैं कि वे प्रतिभूतियां खो गई हैं और उनके आवेदकों का दावा न्यायपूर्ण है, उनकी निम्नलिखित 30 जून 1988 को समाप्त हुई छमाही की सूची का विज्ञापन, एग्रिकल्चरल रीफाइनेन्स कार्पोरेशन डेवलमेंट बाड रेग्यूलेशन 1969 (इण्यू एण्ड मनेजमेंट आफ बॉड्स रेग्यूलेशन्स 1969) के विनियम 10 के अनुसार इसके द्वारा दिया जाता है। नीचे जिन संबंधित दावेदारों के नाम दिए गए है उनको छोड कर अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनका इन प्रतिभूतियों पर कोई दावा हो, को चाहिए कि वे प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, हैदराबाद को तुरन्त सूचित करें ।

2. सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन अभी पहली बार किया जा रहा है और भाग "ख" उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है।

सूची "क"

—कुछ नहीं—

सूची "ख"

प्रतिभूती की सं०	मूल्य रु०	किसके नाम पर जारी की गई	किस दिनांक से ब्याज देय है	अनुलिपि जारी करने/ भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावा करने वाले का/वालों के नाम	जारी किए गए आदेश की सं० और दिनांक	गजट में प्रथम प्रकाशन की तारीख
एचडी 000028	रु० 10,00,000/-	आन्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव सेन्ट्रल अग्रिकल्चरल डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड	18-9-1984	53/4% अग्रिकल्चरल मेट कार्पोरेशन बाण्ड	रीफाइनेन्स डेवेलप- 1985 (V) सीरीज	12 अप्रैल 1986
				आन्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव सेन्ट्रल अग्रिकल्चरल डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड	उप प्रबन्धक के दिनांक 27-12-1985 का आदेश सं० सीओ 183/एल एन/ 702	

भारतीय रिजर्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय
हैदराबाद

एस० ए० हुसैन,
प्रबन्धक

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)
प्रधान कार्यालय : त्रिवेन्द्रम

त्रिवेन्द्रम, दिनांक 13 दिसम्बर 1988

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शेयरधारियों का रजिस्टर शेयरों के अंतरण के लिए शनिवार दिनांक 28 जनवरी से शनिवार दिनांक 11 फरवरी 1989 तक (दोनों दिनों शामिल करके) बन्द रहेगा।

जे. सी. मीरस,
प्रबन्ध निदेशक

सिण्डिकेट बैंक

औद्योगिक संबंध प्रभाग

कार्मिक विभाग

मणिपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 1988

सं० जी० एस० आर० —केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का पांचवीं) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिण्डिकेट बैंक का निदेशक मंडल सिण्डिकेट बैंक अधिकारी

कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियमों का प्रतिपादन करता है।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों को सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम—1988 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

(3) संशोधन के ब्यौरे :—

सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 के विनियम में निम्नलिखित उपबन्ध सम्मिलित किया जाए। "बशर्ते कि कोई आदेश जारी करने के पहले लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड पर अभिवेदन करने का अवसर अधिकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है।"

के० सी०पै,
महा प्रबंधक (का०प्र०)

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय

कार्मिक विभाग

बेंगलूर-560 001, दिनांक 5 दिसम्बर 1988

सं० 9361—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण अधिनियम) 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विजया बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करके विजया बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 का निम्नांकित रूप में एतद्द्वारा पुनः संशोधन करता है।

2. संक्षिप्त शीर्षक और लागू होने की तारीख

(1) इन विनियमों को विजया बैंक (अधिकारी सेवा) (तृतीय संशोधन) विनियम 1982 कहा जाये।

(2) ये 30 अक्तूबर 1987 से प्रभावी होंगे।

विनियम 42 (4)

विनियम 42 (4) का परन्तुक तारीख 30-10-1987 को व से वे निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा :

"यदि बैंक किसी अधिकारी को उसकी तैनाती के नए स्थान में आवास उपलब्ध न कराए और यदि वह अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के सिलसिले में मजबूर होकर अतिरिक्त खर्च का वहन करे तो सक्षम प्राधिकारी मामले की सच्चाई के आधार पर अधिकतम-अधिक 15 दिनों की अवधि के लिए अथवा आवास (क्वार्टर) मिलने तक दोनों में से जो भी पहले हो विराम भत्ता प्रदान करने पर विचार कर सकता है।"

सी० एच० श्रीधरन,
महा प्रबंधक प्रशासन

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1988

सं०का० एन० आ० आर० के०/एडम/95/एक्स—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 61 की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड, रुड़की की सूचना (सं० आर० के०/एडम/95/30 तारीख 7 जून, 1988) के साथ सफाई कर की दरों के परिवर्तन के लिए प्रारम्भ अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिन के उससे प्रभावित होने की सम्भावना है उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप/सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त सूचना छावनी बोर्ड के सूचना पट्ट पर 4 सितम्बर, 1987 को चिपका दी गई थी;

और सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जनता से कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, छावनी बोर्ड, रुड़की छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, गवर्नमेंट आफ यूनाइटेड, प्राविन्सेस की अधिसूचना सं० 2606/II/XI/—20—1931, तारीख 25 सितम्बर, 1933 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि भारत सरकार के भूतपूर्व रक्षा विभाग की अधिसूचना सं० 134/2/जी/एल एंड सी/144, तारीख 18 मार्च, 1944, द्वारा सिविल क्षेत्र के रूप में, जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा क्षेत्र भी है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 43 क के अधीन या छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन सिविल क्षेत्र के रूप में इसके पश्चात् घोषित किए जाएं, घोषित क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भवनों और भूमियों पर सफाई कर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर के बजाए सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा। कर छावनी सम्पत्ति के सिवाय, जिसके सम्बन्ध में कर अधिभोगी द्वारा संदेय था, स्वामियों से चार समान किस्तों में संग्रहीत किया जाएगा।

ह० अपठनीय
अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, रुड़की।

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1988

का० नि० आ० जेसी/बी/23/603/856/सी,—चुंगी कर के लिए उपविधियों के कतिपय संशोधनों का प्रारूप, जिसे छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 255 की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड की सूचना सं० जे० सी० बी० 5415/सी०, तारीख 6 जनवरी, 1988 के साथ 4 फरवरी, 1988 तक आक्षेप और सुझाव मांगने के लिए, प्रकाशित किया गया था, और उक्त सूचना 6 जनवरी, 1988 को छावनी सूचना पटल पर लगा दी गई थी;

और उक्त तारीख से पूर्व, जालन्धर छावनी बोर्ड को जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं :

और केन्द्रीय सरकार ने छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 62 की उपधारा (3) की उपेक्षानुसार उपविधियों के उक्त प्रारूप को सम्यक रूप से अनुमोदित और पुष्टि कर दिया है, अतः, अब, छावनी बोर्ड, जालन्धर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार के गृह विभाग की सैनिक अधिसूचना सं० 7261, तारीख 1 मार्च, 1932 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

(क) उपविधि 1 को उपविधि 1क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और यथा पुनः संख्यांकित उपविधि 1 क के पूर्व निम्नलिखित उपविधि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 1. "संक्षिप्त नाम :—इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम जालन्धर छावनी चुंगी-कर उपविधि, 1932 है :"

(ख) उपविधि 13 में, खंड (1क) में "दो आने" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :—"दो रुपए"।

ह० अप० नीय
असिस्टैन्ट एक्जीक्यूटिव आफीसर, जालन्धर कैन्ट।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर, 1988

सं० आर० 12/19/9/84 बीमा–1—कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संकल्प दिनांक 14 दिसम्बर, 1980 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 75 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 54 तथा 54–क के प्रयोजन के लिए दूसरे चिकित्सा बोर्ड का निम्न प्रकार से गठन किया है :—

1. चिकित्सा निदेशी, मद्रास — अध्यक्ष

2. [illegible] सर्जन विशेषज्ञ, सर्जिकल कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अयनावरम, मद्रास — सदस्य

3. सिविल सर्जन विशेषज्ञ, विकलांग कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अयनावरम, मद्रास–23 — सदस्य

यह चिकित्सा बोर्ड पहले स्थापित चिकित्सा बोर्डों के अतिरिक्त कार्य करेगा।

अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है कि वे जांच किए जाने वाले बीमाकृत व्यक्ति के पीड़ित होने की बीमारी के आधार पर आवश्यक होने पर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मद्रास से विकलांग तथा सर्जिकल विशेषज्ञ के बदले में या के साथ-साथ किसी अन्य विशेषज्ञों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते हैं।

अधिकारिता: बोर्ड की अधिकारिता सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य क्षेत्र पर होगी।

गौतम ऋषि नैयर, बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1988

संख्या : एन. 15/13/14/15/87–यो० एवं वि०— (2) —कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1–9–88 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात्

"जिला उत्तरी आरकोट में तालुक वैलोर के राजस्व ग्राम कोनावथम, इदायानसाथू, साथूवाचेरी, रंगापुरम और सरगाधीपुरम और तालुक गुडीआथम, के राजस्व ग्राम कटपड़ी, के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

संख्या : एन: 15/13/14/2/87–यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम) 1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1–8–88 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा

हितलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात्

"जिला मदुराय के तालुक वाटीपट्टी के राजस्व ग्राम नागरी, तीरूवालायानालूर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"

संख्या : एन: 15/13/7/6/88 यो एवं वि (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनिमय) 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-8-1988 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात

"जिला गुलबर्ग के होबली और तालुक सेडम के अधीन राजस्व ग्राम कुरूकुंटा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

संख्या : एन: 15/13/75/88-यो० एवं वि०—(2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम) 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-8-88 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात्

राजस्व गांव या नगरपालिका की सीमा	होबली	तालुक	जिला
सैडम नगरपालिका की सीमा	सैडम	सैडम	गुलबर्ग
बाटेगेरे क० ग्राम	आदकी	सैडम	गुलबर्ग

संख्या: एन: 15/13/14/8/82-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम) 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-10-88 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 90-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात्

"जिला और तालुक तीरूचीरापल्ली के राजस्व ग्राम 31/1 के० साथानूर (उत्तर) 31/2 के० साथानूर (दक्षिण) (साथानूर) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

एस० घोष,
निदेशक योजना एवं विकास

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 दिसम्बर 1988

सूचना

सं० 25-38/87 एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई डाक निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्ताओं के नाम दूहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्रम सं०	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रूपये)
1.	507051-सी ई० ए०/55	8-3-84	श्री हनुमान सिंह	15,000

दिनांक 15 दिसम्बर 1988

सूचना

सं० 25-25/88-एल० आई०:—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दूहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्रम संख्या	पालिसि संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रूपये)
1.	22909 आर ई ए/5-11-87 55		श्री के० एस० विश्वनाथन	3,000

सं० 25-1/88-एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दूहरी पालिसियां जारी करने के लिये प्राधिकृत कर

दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रु०)
1.	एम० एच० 493 टी	5-12-85	श्री एन० एल० उपाध्याय	30,000
2.	422014-पी	3-10-80	श्रीमती जी० एच० हरिसिंघानी	10,000

सं० 25-13/88-एल० आई०:—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता के नाम दुहरी पालिसियों जारी करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रुपये)
1.	20367-पी० ई० ए/55	1-10-77	श्री एम० जे० पटेल	4,000/-

ज्योत्सना घोष
निदेशक
(पी०एल०आई०)

भारतीय उपचर्या परिषद

नई दिल्ली, दिनांक

सं० 11-1/88-आई० एन० सी०:—भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 10 के अधीन भारतीय उपचर्या परिषद की दिनांक 22 अप्रैल, 1988 को हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणा को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, नामतः—

देवी आहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा 26 जनवरी, 1983 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई कालेज आफ नर्सिंग, इन्दौर की बी०एस० सी० (नर्सिंग) की डिग्री को मान्यता।	यतः देवी आहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर ने जो कि नर्सिंग में बी० एस० सी० की डिग्री प्रदान करने के प्रयोजन के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकरण है भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 (1947 का 48) के अधीन गठित भारतीय उपचर्या परिषद से आवेदन किया है कि उनके द्वारा बी० एस० सी० (नर्सिंग) में प्रदत्त डिग्री को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की जाये;
	अब इस परिषद ने 22 अप्रैल, 1988 को उक्त प्रयोजन के लिये हुई अपनी बैठक में यह पारित किया है कि निम्नलिखित अर्हता यदि 26 जनवरी 1983 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई है तो वह उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त अर्हता होगी, नामतः
	"देवी आहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर द्वारा 26 जनवरी, 1983 को अथवा उसके पश्चात् प्रदान की गई बी० एस० सी० (नर्सिंग) की डिग्री"।

श्रीमती स्वर्ण कान्ता करकरा,
सचिव

वस्त्र उद्योग समिति

वस्त्र मंत्रालय

बम्बई-40009, दिनांक

सं० 33(5)/79-प्रशासनः—वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम 1963 (1963 का 41वां) के खण्ड 23 के उपखण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से वस्त्र उद्योग समिति कर्मचारी (वैद्यकीय सेवायें) अधिनियम, 1968 के संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाती है, यथा—

1. ये विनियम वस्त्र उद्योग समिति कर्मचारी (वैद्यकीय सेवायें) संशोधन विनियम, 1988 कहलायेंगे।

2. ये इनके भारतीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

(2) कम्पनी उद्योग समिति (वैद्यकीय सेवाएं) विनियम, 1968 के प्रस्तर 4 के स्थान पर निम्न प्रस्तर को प्रतिस्थापित किया जाये:—

"4. नीचे प्रस्तर 6 में दी गई सीमाओं के अधीन, कर्मचारी एवं उसका परिवार पंजीकृत वैद्यकीय चिकित्सक (औषधि विज्ञान के पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र में अर्हता प्राप्त अथवा किसी अन्य चिकित्सा शास्त्र में अर्हता प्राप्त जैसे आयुर्वेदीय, यूनानी, सिद्ध अथवा होमियोपैथी) से उपचार तथा उसकी सेवाएं उनके आवास अथवा आवासों अथवा चिकित्सक के परामर्श गृह में प्राप्त कर सकता है। आयुर्वेदीय, यूनानी एवं सिद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में अर्हता से तात्पर्य है, भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48वां) के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ अनुसूची में सम्मिलित कोई भी वैद्यकीय अर्हता प्राप्त होना तथा होमियोपैथी के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जिसने होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59वां) के द्वितीय अथवा तृतीय अनुसूची में सम्मिलित होमियोपैथी चिकित्सा में कोई भी वैद्यकीय अर्हता प्राप्त की हो।"

यदि मुख्चिय कर रहे चिकित्सक के अनुसार विशेषज्ञों की सलाह तथा अस्पताल अथवा नर्सिंगगृह चिकित्सा की आवश्यकता है तो वह भी ग्राह्य होगी।

पाद टिप्पणी:

मूल विनियम जो कि भारत के राजपत्र खण्ड III भाग 4 में दिनांक 31-5-1969 द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।

निम्नानुसार संशोधन किये गये भारत के राजपत्र में खण्ड III भाग 4 में दिनांक 28-6-1980 को प्रकाशित किये गये थे।

आर० के० कपूर
सचिव

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत निगमित)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 1988

एफ० नं० सी० ए० 44/88—इस अधिसूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 29 की उपधारा 111 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वास्तुकला परिषद ने नीचे लिखे वास्तुविदों के नामों को मृत्यु के कारण नीचे उनके नामों के सामने किसी तारीख से परिषद के वास्तुविद रजिस्टर से काट दिया है:—

क्रम सं०	रजिस्ट्रेशन सं०	नाम व पता	नाम काटने की तारीख
1	2	3	4
1.	सी० ए०/76/2421	श्री पी० एम० पथारे रुकमणी सदन, गजानन्द राउते रोड, दहीसार, बम्बई-400068	28-10-88
2.	सी० ए०/76/3458	श्री के० आर० पटेल, 17, 2 सरी मंजिल, 395-397 कुलबादेवी रोड, रूईया बिल्डिंग बम्बई-3	वही
3.	सी० ए०/75-2482	श्री टी० बी० वीरानी, जहांगीर बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 133, एम० जी० रोड, फोर्ट, बम्बई-1	वही
4.	सी० ए०/75/1762	श्री एम वी० रांगनेकर, धर्मा निवास, 93, हिन्दू कालोनी, नौसरी लेन, दादर, बम्बई-400014	वही
5.	सी० ए०/75/780	श्री बी० टी० एम० खाडकी, वाला, 141/98, डब्ल्यू ई० ए० करोलबाग, नई दिल्ली-5	वही
6.	सी० ए/76/2870	श्री के० ए० कीरनीकर, मैसर्स कुंजबिहारी एण्ड सन्स, 22, बराबजुरने रोड, कलकत्ता-1	वही

1	2	3	4
7.	सी० ए०/75/122	श्री वी०जी० महातरे, श्री गणपति निवास, 335, वीर सावरकर मार्ग, दादर, बम्बई–400028	28-10-88
8.	सी० ए०/78/2025	श्री एम० एन० चटर्जी, एम०224, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048	वही
9.	सी० ए०/75/1493	श्री एन० एम० बराई, ए/201–202, सुपर बिल्डिंग काम्पलैक्स, 324 डा० डलवी रोड, कान्डीवली (वेस्ट) बम्बई–67	वही
10.	सी० ए०/76/476	श्री एम० आर० मवलांकर उतकर्ण, खारे टाउन, नागपुर–440010	वही
11.	सी० ए०/75/298	श्री राम किशन, ई–31, ग्रीनपार्क, नई दिल्ली–16	वही
12.	सी० ए०/75/1046	श्री एम० एम० किनी, श्रीनिवास किनी एण्ड कम्पनी, 134, नगीनदास मास्टर रोड, फोर्ट, बम्बई–400023	वही
13.	सी० ए०/77/3444	श्री जे० एम० देथे, 751, सेक्टर 8-बी, चण्डीगढ़–8	वही
14	सी० ए०/78/4598	श्री एम० एल० शर्मा, हाउस न० 2008, 15-सी, चण्डीगढ़	वही

इन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के जो मूल प्रमाण पत्र दिये गये हैं, उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 के खण्ड दो में परिभाषित उनके कानूनी प्रतिनिधि के द्वारा परिषद् के रजिस्ट्रार को तत्काल लौटा दिये जायें।

एफ.न० सी० ए०/46/88—इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद नियमावली, 1973 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वास्तुविदों को उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों के उनके द्वारा नष्ट कर दिये जाने पर उनके बदले में उनके नामों के आगे लिखी तारीखों को प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि जारी कर दी गई है :—

क्रम सं०	वास्तुविद का नाम व व्यवसायिक पता	रजिस्ट्रेशन नं०	जारी करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री एम० वी० तुंगारे, 4/27 ग्राट्स बिल्डिंग, आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा, बम्बई–5	सी० ए०/76/2590	18–6–87
2.	श्री एम० वी० मोहिते, 1200/बी, गुरु मन्दरपेठ जनगांव दवाडे, जय मावल, जिला पुणे	सी० ए०/85/9349	30–6–87
3.	श्री जे० सी० पाण्डे, 80/50-बी, मालविया नगर, नई दिल्ली–110017	सी० ए० 82/7159	7–8–87
4	श्री एच० ए० फर्नांसावाला पी० ओ० बाक्स, 5032, अब्बू धाबी, यू० ए० ई०	सी० ए०/79/5203	25–9–87
5.	श्री एम० आर० तमशकर 6, सादा बिल्डिंग सुपेला, भिलाई–490023	सी० ए०/75/809	4–2–88
6.	श्री एच० वी० बोरा, आफिस नं० 802, बिल्डिंग नं० 3, नवजीवन सोसाईटी लेमिंगटन रोड, बम्बई–8	सी० ए०/79/5342	22–8–88
7.	श्री एस० वाई० पाटिल, 23, नागिनदास शापिंग सेन्टर, राणा प्रताप चौक, धूले	सी० ए०/84/8597	11–4–88

1	2	3	4
8.	श्री के० जेगीम 90, मॉडल हाउस स्ट्रीट, बंगलौर– 560004	सी० /ए०/75/1790	19–4–88
9.	श्री हरलीन सिंह, ए/ई-24, टैगोर गार्डन नई दिल्ली–110027	सी० ए०/83/7733	22–4–88
10.	श्री एस० डी० सरकार, 157/1/18, आचार्या प्रोफुल्ला चन्द्रा रोड, कलकत्ता–700006	सी० ए०/85/9021	7–6–88
11.	श्री के० जी० खोडसे, 1-जी खाडसे एण्ड एसोसियेटस, 10/राजहंस बिल्डिंग, सामने होटल एवन रुबी नयेगांव क्रास रोड, दादर (पूर्वी), बम्बई–400014।	सी०/ए० 75/624	2–6–88
12.	श्री डी० एल० नवारे, लक्ष्मी भवन, दूसरी मंजिल, धर्मपीठ, नागपुर–440010	सी० ए०/75/1256	27–9–88
13.	श्री ए० पी० आवेरी, सामने, रणमुक्तेश्वर, महादेवजहंससील, अहमदाबाद–382475	सी०/ए०/80/5996	7–11–88

एफ० सं० सि०ए०/47/88:—इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद नियमावली 1973 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वास्तुविदों को उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों को उनके द्वारा खो देने पर उनके बदले में उनके द्वारा नामों के आगे लिखी तारीखों को प्रमाण पत्रों की प्रति लिपि जारी कर दी गई है:—

क्र० सं०	वास्तुविद का नाम व व्यावसायिक पता	रजिस्ट्रेशन नम्बर	जारी करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री बी० एन० बिन्दू माधवा स्वामी 18/2, आन्दरी रोड बंगलौर–27	सीए/79/4372	10–6–87
2.	श्रीमती सुब्बा एस० पुरोहित, निनाद, 87, शिवाजीपार्क, रनाडे, रोड, दादर, बम्बई–400028	सी० ए/84/8244	15–6–87
3.	श्री बी० ए० देशपुजारी टाउन प्लानिंग एण्ड आर्च, डिपार्टमेंट, न्यू ओखला इण्डस्ट्रीयल, एरिया डिवलमेंट, अथारिटी नोयडा, जिला गाजियाबाद	सी ए/79/4867	15–6–87
4.	श्री ए० के० सी० शाह, अनिल साह एण्ड एसोसियटस, 7, भारत हाउस, 104, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई–400001	सी० ए/75/2138	17–6–87
5.	श्रीमती मिनाक्षी राव एल–11/145–ए, कालका- जी, डी० डी० ए० फ्लैटस, नई दिल्ली–19	सी०ए/83/7390	18–6–87
6.	श्री प्रदीप बी नायक, एच० ई० –133, बान्दिर वार्ड, एस० टी० कुज, टीसवाड़ी, गोआ–5।	जी ए/77/3946	2–7–87
7.	श्री थौमस ए राजन, 32, सर सी० वी० रमन रोड, मद्रास–600018	सी ए/86/808	3–7–87
8.	श्री एन० बी० मिस्त्री, चौकसी बिल्डिंग चौथी बिल्डिंग, नजदीक गाम देवी, टेलीफोन एक्सचेंज, गांव देवी रोड, बम्बई–400007।	सी ए/86/10099	27–5–87
9.	श्री एस० एन० माथुर आरकीटैक्चुरल एसोसिएटस 8–1–383, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद	सी ए/78/2897	6–7–87
10.	श्री आनन्द सागर आरकीटैक्चुरल एसोसियेटस 8–1–383, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद	सी ए 76/2398	6–7–87

1	2	3	4
11.	श्री एम० एल० वर्मा बी–21, शक्तिनगर, एक्सटेंशन, दिल्ली–32	सी०ए०/77/ 3713	7–7–87
12.	श्री बी० पी० नारंग, डायरेक्टोरेट् आरकीटैक्चुरल एण्ड बिल्डिंग सर्विसिस, प्राईवेट बिल्डिंग0028 गायारोने, बुटसथाना,	सी०ए०/75/ 2192	21–7–87
13.	श्री बी० बी० मेहता, 548, डा० बी० ए० रोड, गौतम निवास, पहली मंजिल, भटूंगा, बम्बई–400019	सी०ए०/75/ 2459	21–7–87
14.	श्री सी० बी० बांडेकर, 40, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, बम्बई–23	सी०ए०/77/ 4091	21–7–87
15.	श्री ए० वी० स्वासरा– भंजारे "जैप", 71, शंकर नगर, नागपुर–10	सी०ए०/78/ 4617	6–7–87
16.	श्री एच० के० अग्रवाल, ई–21-ए, शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–1	सी०ए०/78/ 4602	23–7–87
17.	श्री पी० समबामूर्ति 1–1–29814, पहली मंजिल, अशोक नगर, हैदराबाद	सी०ए०/80/ 5581	23–7–87
18.	श्री आर०पी० चर्नीवाला, रावलपिण्डी वाला बिल्डिंग "बी" ब्लाक फ्लैट नं० 5, पहली मंजिल, त्रिभुवन रोड, बम्बई	सी० ए०/80/ 5516	30–7–87
19.	श्री बी०बी० भट्टाचार्य, 3ए, देशप्रिय पार्क रोड, कलकत्ता–700026	सी०ए०/75/ 1520	30–7–87
20.	श्री परमजीत सिंह 3087, सैक्टर 35-डी, चण्डीगढ़	सी०ए०/80/ 5671	31–7–87
21.	श्रीएस०वी० चैम्बूरकर मार्फत एस०जे० जुकार 58–60–ए, 109, मधुवन सोसाइटी, एस०वी० रोड, गोरेगांव पश्चिम, बम्बई–62	सी०ए०/77/ 4139	3–8–87
22.	श्री बी०एस० कस्तुरिया, 80, शेख सराय, नई दिल्ली–67	सी०ए०/77/ 3969	4–8–87
23.	श्री प्रवीन अरोड़ा, 276, बसन्त सेंटर, नई दिल्ली	सी०ए०/82/ 7047	6–8–87
24.	श्री एम० बी० गोगटे, 7 राजवैभव परांजपे "बी" स्कीम, रोड नं०–1, विलेपारले (पूर्वी), बम्बई–400057	सी०ए०/75/ 1948	17–8–87
25.	श्री महेश कुमार, डी ई–6, आई०टी०पी०एल० सोसाईटी इंजीनियर्स एन्क्लेव, प्रीतमपुरा, दिल्ली–34	सी०ए०/76/ 2931	17–8–87
26.	श्री ए०एस० देवपुजारी, 32, एल०आई०सी० कालोनी, अमरावती (महाराष्ट्रा स्टेट)	सी०ए०/76/ 3170	17–8–87
27.	श्री के० के० मजूमदार, बी०बी०–49, साल्ट लेक, कलकत्ता	सी०ए०/76/ 3196	19–8–87
28.	श्री एस० जी० कनाडे 272, लक्ष्मी भवन, रूम नं० 38, एन०सी० केलकर रोड, बम्बई–28	सी०ए०/84/ 8678	19–8–87

1	2	3	4
29.	श्री जे० एम० फरोज, 104, सिनेहालय, चुलाना रोड, मानिकपुर, पोस्ट-आफिस वराई रोड, जिला थाना	सी०ए०/77/ 3961	4-8-87
30.	श्री ए०आर० देशमुख, 415 (24एम० आई०जी०) हाउसिंग कालोनी, ईस्ट हाई कोर्ट रोड, रामदासपेट, नागपुर-440010	सी०ए०/81/ 6561	2-9-87
31.	श्री आर०आर० मिस्त्री, "शिल्पायतन" 20ए, योगेर आश्रम सोसाइटी, अहमदाबाद-380015	सी०ए०/75/ 1626	8-9-87
32.	श्री बी०एच० राठी नं० 16/16, बिन्नी केसेंट, बेनसेन टाउन, बंगलौर-46	सी०ए०/76/ 2579	15-9-87
33.	श्री ए०के० कटारिया, एच०आई०जी०-4, त्रिवेणी काम्पलैक्स, भोपाल	सी०ए०/83/ 7605	16-9-87
34.	श्री दिनेश खेमानी ई-I/167, अरेरा कालोनी, भोपाल	सी०ए०/84/ 7606	16-9-87
35.	श्री आर० ससांक, नं० 13, तीसरी मैन रोड, गांधी नगर, अडियार, मद्रास-600020	सी०ए०/84/ 8426	14-9-87
36.	श्री दर्शन सिंह, डी-82, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-15	सी०ए०/77/ 3785	18-9-87
37.	श्री प्रकाश एस० जुब्बे 14, जुब्बे पार्क, शिवाजीनगर, पुने-411005	सी०ए०/86/ 9686	1-10-87
38.	श्री एस० एम० मराठे, 8/60, सी०पी० डब्ल्यू० डी० क्वाटर, इन्दिरा नगर, मद्रास -20	सी०ए०/78/ 4850	6-10-87
39.	श्री एम०के० घोष, 6/3, इकडालिया रोड, कलकत्ता-700019	सी०ए०/77/ 3664	25-9-87
40.	श्री ए०के० कुन्डु, 18010, वैलय विस्ता बिव्ड इनसाईना, कैलीफार्निया-91316 यू०एस०ए०	सी०ए०/75/ 2087	20-10-87
41.	श्री सी०आर० कदम, वियास बिल्डिंग, काल कोपरगांव, जिला-अहमद नगर, 423601 ।	सी०ए० 80 6035	28-9-87
42.	श्रीमती लिल्ली राय (नी लिल्ली सेहगल), 1, सिकन्दरा रोड, मण्डी हाउस, नई दिल्ली	सी०ए०/83/ 7714	29-10-87
43.	श्री पी०के० आहूजा, डी-61, हौज खास, नई दिल्ली	सी०ए०/85/ 9033	26-10-87
44.	श्री आर० एन० कुलकरणी, नजदीक पटवारी कालोनी, एट एण्ड पोस्ट अमलनेर जिला जलगांव (महाराष्ट्रा)	सी०ए०/75/ 556	6-11-87
45.	श्री सुरेश सी० गोयल, एस०-83, पंचशिला पार्क, नई दिल्ली-17	सी०ए०/75/ 205	20-11-87
46.	श्रीमती उमा अग्रवाल 10, न्यू राजधानी एन्क्लेव, दिल्ली-92	सी०ए०/85/ 9142	24-11-87

1	2	3	4
47.	श्री एम० आई० शेख डिप्टी चीफ आर्कीटैक्ट एल० आई० सी० आफ इण्डिया सेन्ट्रल आफिस, जीवन बीमा मार्ग, बम्बई	सी०ए०/77/ 3666	25-11-87
48.	श्रीमति नमिता डे एफ 53/2, करुणामयी हाउसिंग इस्टेट, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700009	सी०ए०/82 7025	26-11-87
49.	श्री प्रदीप कुलकरणी 82-ए, 23 क्रास राजाजी नगर, बंगलौर	सी०ए०/83/ 7539	26-11-87
50.	श्री गुरदेव सिंह 807, सेक्टर 16डी, चण्डीगढ़	सी०ए०/86/ 10119	26-11-87
51.	श्री सी०वी० जोशी सामने, हमामस पोल बजवाड़ा बड़ोदा-390001	सी०ए०/80/ 5590	15-12-87
52.	श्री जी०सी०मित्रा आर०-53, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-48	सी०ए०/78/ 4591	22-12-87
53.	श्री डी०बी० सैन, 28, सत्या लक्ष्मी काप रेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, 29, पार्टेन सागर चेम्बूर बम्बई-400059	सी०ए०/81/ 6514	22-12-87
54.	श्री विनोद के० अग्रवाल 187, अब्बू लेन, मेरठ कैन्ट	सी०ए०/75/ 2108	23-12-87
55	श्री एस०ज० पॉल 204, मंदाकिनी एन्क्लेव, नई दिल्ली-19	सी०ए०/89 5756	23-12-87
56.	श्रीमति शकुन्तला चौधरी 108 ई, धर्मपुर देहरादून (यू०पी०)	सी०ए०/81/ 6631	28-12-87
57.	श्री आर०डी० गडकारी 11/11, शिवपुरी, कालोनी, सियोन-ट्रोम्बे रोड, चेम्बूर बम्बई-400071	सी०ए०/80/ 5981	29-12-87
58.	श्री एच०एस० शिव-शंकरा शारदा 1410 पौंच क्रास बनासंकारी 1 स्टेज बंगलौर-560050	सी०ए०/75/ 543	30-12-87
59.	श्री गोतम मजूमदार सी०बी०-57 सी०आर० पार्क, नई दिल्ली-19	सी०ए०/81 6166	5-1-88
60.	श्री एम० जी० रींगे 211-212, पांडव नगर, पटपट गज, सामने मदर डेरी दिल्ली	सी०ए०/75/ 4673	6-1-88
61.	श्री आर० एच० वाडेकर सावित्री निवास, नियर दाता मन्दिर, चान्वानी थाने-1	सी०ए०/75/ 1947	8-1-88
62.	श्री पी०एन० गुप्ता 107, नई राजधानी एंकलेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092	सी०ए०/76/ 2880	13-1-87
63.	श्री एम०के० सक्सेना आरकीटैक्ट पी०डब्ल्यू डी० रायल गवरनमेंट आफ भूटान थिम्पुर, भूटान	सी०ए०/76/ 2557	30-7-87

1	2	3	4
64.	श्री एम०एस० शानी 30-बी, 33, तक्षशीला महाकाली कावेस रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-93	सी०ए०/82/ 7314	28-1-87
65.	श्री डी०पी० आसार 12/191, रिव हेवन दूसरी मंजिल, गुल मोहर क्रास रोड, जुहू, बम्बई	सी०ए०/75/ 2130	31-12-87
66.	श्री आर० जी० रायते 32, सुखसागर बिल्डिंग गोतम रोड, विरव (पश्चिम) नाल, वासाई, जिला थाने ।	सी०ए०/81/ 6510	25-1-87
67.	श्री प्रवेश घई मार्फत, घई एण्ड एसोसिएट्स, बी०-5/4, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली- ।	सी०ए०/86/ 9977	28-1-87
68.	श्री एम०एम० राजवाडे 264, शाहकार नगर नं० 2, पूने-9	सी०ए०/83/ 7843	2-2-87
69.	श्रीमति छब्बी पोवी 576, शाहीनगर, भुवनेश्वर, डिस्टीक-पुरी ।	सी०ए०/83/ 7418	2-2-88
70.	श्री आर० वी० भिड्डे भोडके बिल्डिंग, अहिल्याबाई चौले, कल्याण ।	सी०ए०/78/4855	5-2-88
71.	श्री एन०ए० डी० वेसाई मेराज अपार्टमेन्ट , रेस कोर्स, सर्कल पश्चिम, बड़ोदरा-7	सी०ए०/77/3493	17-2-88
72.	श्री शंकर नगन चिपलुंकर, 7, वृन्दावन, ताम्बे नगर, सरोजनी नायडू, रोड, मुलुन्ड (वेस्ट), पश्चिम-400080	सी०ए०/81/6157	17-2-88
73.	श्री बी०डी० सुजा एम-181, ग्रेटर कैलाश-II नई दिल्ली-110048	सी०ए०/83/7456	18-2-88
74.	श्री ए० पी० एस० भगत मकान नं० 530, सुदार डब्ल्यू-ए०, चण्डीगढ़ ।	सी०ए०/85/5454	22-2-88
75.	श्री के० के० गुलाटी सी-2-सी/2/9, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 ।	सी०ए०/75/1982	29-2-88
76.	श्री एम० जी० भट्ट; 8/121, गवर्नमेंट फ्लैट्स, जाम तेमर रोड, राजकोट ।	सी०ए०/84/7967	10-3-88
77.	श्री राजेश भगत होटल एशियन इन्टर- नेशनल, जन पथ लेन, नई दिल्ली ।	सी० ए०/80/6000	11-3-88
78.	श्रीमती उर्मिला गुहा एच/1517, सी० आर० पार्क, नई दिल्ली ।	सी०ए०/82/6796	15-3-88
79.	श्री जे० पी० खिलानानी 103, निर्माण कुटीर, यारी रोड, वरसोवा, अंधेरी पश्चिमी, बम्बई ।	सी०ए०/76/3057	29-3-88

1	2	3	4
80.	श्रीमती पी० त्रिवेदी एम० एस० एस० होस्टल बजाज, नगर, नागपुर-1	सी०ए०/86/10055	25-3-88
81.	श्री वी० एस० परब 51/सी-10, परिमाल नगर, एस० वी० रोड, गोरेगांव, बम्बई-62	सी०ए०/75/2455	31-3-88
82.	श्री जे० एस० नायरी "परथामेश", फ्लैट नं० बी/2, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नं० 1, 1216, (आई), आफ वीर सावरकर मार्ग, परभादेवी, बम्बई-400028।	सी०ए०/78/4646	31-3-88
83.	श्री वी० आर० ओगले, ई-68,लकोमिया नगर, टी० एच० कटारिया, मार्ग, बम्बई।	सी०ए०/83/7835	21-3-88
84.	श्री तेजवीर सिंह 20, एशियन गेम्स विलज, नई दिल्ली-110049।	सी०ए०/86/10163	21-3-88
85.	श्री सी० पुलहिया वास्तुशिल्पी, आर- कीटक्स एण्ड इंजीनियर आगरा रोड, खमाम- 507001	सी०ए०/77/3543	22-4-88
86.	श्री आर० जे० वाटवे, 9, मधुबन महान्त, को-आपरेटिव सोसायटी प्लाट नं० 31, महन्त रोड, विले पारले (ईस्ट), बम्बई-400057।	सी०ए०/78/4393	4-5-88
87.	श्री सी० जे० विरानी 573, जगदीप विरानी रोड, भावनगर।	सी०ए०/86/10249	30-3-88
88.	श्री पी० एस० म० तलाटी 104, मन्डी अपार्टमेन्ट, मजूरागेट, सूरत (गुजरात)	सी०ए०/75/831	4-5-88
89.	श्री प्रभात गुप्ता, प्रभात गुप्ता एण्ड एसोसि० 1-ता-31, जवाहर नगर, जयपुर	सी०ए०/84/7942	5-5-88
90.	श्री पालाबराम पालामजूमदार 45/4, कालेज घाट रोड, हावड़ा-3।	सी०ए०/82/6784	20-5-88
91.	श्री बी० एल० पंजवानी मकान नं० 343, 29, सिविल लाइन्स, रूड़की।	सी०ए०/83/7336	25-5-88
92.	श्री अलाप रमेश कामदोर, 8/बी, सुदामा सोसायटा, सेन्ट जेवियर्स स्कूल रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद।	सी०ए०/83/7938	26-5-88
93.	श्री आर०यू० डांगे 102/बी, पादरिम, अपार्टमेंट के० धारूरोड, प्रभादेवी, बम्बई-28।	सी०ए०/75/238	7-6-88
94.	श्री वी० यू० मताई, 27, चारोतार सोसायटी, ओल्ड पादरा रोड, बड़ौदा।	सी०ए०/75/6821	4-7-88
95.	श्री एस० वी० वारटक 40/1117, आदर्श नगर, प्रभादेवी, बम्बई-25।	सी०ए०/76/2352	12-7-88

1	2	3	4
96.	श्री ए० के० गायकवाड प्लाट नं० 26, यशवन्त नगर, गेंदामल, सुतारा-415001	सी०ए०/84/8631	12-7-88
97.	श्री जी० एस० एन० गोयल, अजमेरी गेट, दिल्ली ।	सी०ए०/76/2418	25-7-88
98.	श्रीडी० वी० सावंत गुरूदत्ता, आत्माराम मातरे रोड, दहो-सार-पश्चिम, बम्बई-400068	सी०ए०/77/3636	24-5-88
99.	श्री बी० डी० यादव, 249/ए/1/12, नगाला पार्क, कोल्हापुर-416003	सी०ए०/86/10053	3-8-88
100.	श्री आर० जे० बाटलीबाय,,मार्फत वाडिया, बाटीबा एंड एसोशिएट्स 404, ओम चेम्बर्स, कैम्पसकोरनर, बम्बई-400036 ।	सी०ए०/85/9458	2-6-88
101.	श्रीमती ए० बी० यादव 249/ए/1/12, नागाला पार्क, कोलाहापुर-416003 ।	सी०ए०/86/10054	3-8-88
102.	श्री के० के० ग्रोवर 'मेघदूत' आर० सी० दत्त रोड, अल्कापुरी, बडौदा-390085	सी०ए०/76/2637	9-8-88
103.	श्रीमती सुजाता ए० केलकर, एफ-53, कोनकन नगर, लैफ० प्रकाश कोटनिश रोड, महीम, बम्बई	सी०ए०/88/11558	23-8-88
104.	श्री एस० के० ठक्कर 9/बी, शरद अपार्टस, गुलभई टेकरा, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 ।	सी०ए०/84/8059	29-8-88
105.	श्री आर० आर० कुलकर्णी, 101/1, वेनस-1 बिल्डिंग, फौर बंगलोस, अंधेरी प०, बम्बई-400058 ।	सी०ए०/80/5443	7-9-88
106.	श्री एम० एम० पटेल 30, अशोक नगर शेखेज रोड, अहमदाबाद ।	सी०ए०/81/6664	9-9-88
107.	श्री ए० एम० रोशकार दूसरी मंजिल, रघकुलदीप व्यापार केन्द्रा, भोजी प्रभु चौक, फाडके रोड, डोमबीबिली (ई०)	सी०ए०/75/2211	9-9-88
108.	श्री बी० एन० विजयाकार, 121, एम० जी० रोड, बम्बई-21	सी०ए०/78/4732	9-9-88
109.	श्री माल्या बोस, एम० बोस एण्ड एसोशिएट्स, 6/2, मदन स्ट्रीट, कलकत्ता-700072	सी०ए०/78/4649	18-8-88
110.	श्री प्रमोश जैन सी/6, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015	सी०ए०/80/5681	19-9-88
111.	श्री एस० वी० जोशी, ए-12, कामदार पार्क, एम० एम० काले मार्ग, दादर, बम्बई-400028	सी०ए०/76/2588	1-9-88

1	2	3	4
112.	श्री दीपक के० वाला 301/302, "वसन्त विला", हरिशंकर जोशी मार्ग, वहीसार (पश्चिम), बम्बई-400068	सी०ए०/85/9447	28-9-88
113.	श्री एस० एल० कुला- हातकर, 1925, सदाशिव पेठ, पुणे-411030	सी०ए०/75/855	29-9-88
114.	श्री एम० बी० सिर- खेदकर, 114, "लक्ष्मी-वैभव" लक्ष्मी नगर, स्कवायर, नागपुर ।	सी०ए०/78/4328	3-10-88
115.	श्रीमती इन्दिरामी घोष 171/2बी, राश बिहारी ऐवन्यू, कलकत्ता-700019	सी०ए०/81/6268	3-10-88
116.	श्री एम० के० देशाई, 22/172, सत्या नगर, उधना-394210	सी०ए०/81/6562	3-10-88
117.	श्री सी० बी० गोंकले 10, "गुलमोहर", विले पारले काला पटरा को-आपरेटिव सोसायटी, एस०बी० रोड० विले पारले (पश्चिम) बम्बई-56	सी०ए०/77/3678	7-1-88
118.	श्री बी० आर० गणेश्वर 16/11, विल्सी क्रिसन्ट रोड़, बेनसन टाऊन, बैंगलोर ।	सी०ए०/79/5133	22-9-88
119.	श्री पी०एस० कलेर पटियाला पी०एस०ई०बी० पटियाला ।	सी०ए०/83/- 7441	10-10-88
120.	श्री एम०सी० दलवी 5/नवरतन, 14, रोड, टी० पी० एस० तीसरा बान्दरा (पश्चिमी) बम्बई-50	सी०ए०/85/ 9288	11-10-88
121.	श्री ए० डी० पारकायस्था ओकलैण्ड, सिलोंग, मेघालय	सी०ए०/82/6942	11-10-88
122.	श्री जे०सी० डिगेह कीर्ति मन्दिर राम बाग लेन नं० 2 कल्याण-421301 ।	सी०ए०/85/9503	12-1-88
123.	श्री एस०पी० ताईवाडे ओ/एस० अशो अटोमोबाईल्स एम० जी रोड सांगली, पिन-416416, (महाराष्ट्रा स्टेट)	सी०ए०/76/3065	17-10-88
124.	श्रीमती कीर्तिडा पी० पटेल 5/1, आजाद नगर सोसायटी, एन० एस० रोड नं० 1 पुष्प वाटिक, विले पारले (पश्चिम) बम्बई-400056 ।	सी०ए०/80/5906	31-10-88
125.	श्री आर०पी० कीरि ई-304, ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली-110005	सी०ए०/76/2633	17-11-88

के० वि० नारायणा आयंगार,
रजिस्ट्रार ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

40 वीं वार्षिक रिपोर्ट 1987–88

निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अनुसार

अध्याय 1

परिचालन वातावरण और परिप्रेक्ष्य

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा० औ० वि० नि०) का निदेशक बोर्ड 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा विवरण सहित भा० औ० वि०नि० के परिचालनों पर 40वीं रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1.02 यह प्रासंगिक ही है कि 1987–88 में भा० औ० वि० नि० की परिचालन गतिविधियों, कार्य प्रगति और कार्य परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में परिचालनात्मक आर्थिक और औद्योगिक वातावरण, नीति सूत्रपातों और संस्थानात्मक परिदृश्य में गतिविधियों और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा की जाए।

(क) आर्थिक परिदृश्य

1.03 वर्ष 1987–88 के दौरान भारतीय अर्थ-व्यवस्था का कार्य निष्पादन व्यापक सूखे के प्रभाव से ग्रस्त रहा, जो कि लगातार तीन कमजोर मानसून वर्षों के उपरान्त था। सूखे की विकरालता, जो कि अब तक पड़े सूखों में से सबसे भीषण मानी जाती है, इस तथ्य से भी जानी जा सकती है, कि देश में मौसम 35 विज्ञान अंचलों में से 21 में बहुत कम या कोई वर्षा नहीं हुई, जबकि पहले 1965–66 और 1979–80 के सूखे के वर्षों में ऐसे अंचलों की संख्या 19 और 16 थी। तथापि सूखे से पहले वर्षों की तुलना में, इस वर्ष सिवाय कृषि के, आर्थिक व्यवधान बहुत ही सीमित रहा।

1.04 प्राकृतिक आपदाओं की पृष्ठभूमि में जिन ठोस पहलुओं से 1987–88 में आर्थिक निष्पादन में उल्लेखनीय राहत मिली, वे हैं कि (क) कृषि अर्थ व्यवस्था की अन्तर्निहित शक्ति, (ख) राष्ट्रीय आय में कृषि और समवर्गीय उद्योगों के स्थान पर प्रमुख भाग गैर-कृषि, विशेषकर उद्योग और सेवाओं द्वारा जुटाया जाना, (ग) कृषि में व्यवधान होने पर भी औद्योगिक और अन्य गैर-कृषि क्षेत्रों में बढ़ती हुई लचक, (घ) अवस्थापना विकास दर को बनाये रखने की क्षमता (ङ) वर्षों के दौरान हुए संगठनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में विशाखन की जड़ें मजबूत होना। (क) विदेशी व्यापार में स्वस्थ प्रवृत्तियों का उदय, तथा (छ) आर्थिक पर्यावरण में भावी तथा अप्रत्याशित परिवर्तनों के देखते हुए क्रियात्मक आर्थिक प्रबन्ध व्यवस्था की क्षमता।

1.05 कृषि उत्पादन में कमी होने के बावजूद 1987–88 में औद्योगिक उत्पादन सातवीं योजना के दौरान लक्ष्य किए गए 8 प्रतिशत के वार्षिक उत्पादन के काफी समीप रहा। महत्वपूर्ण अवस्थापना क्षेत्र जैसे कोयला खनन, रेलवे, ऊर्जा जनन, सीमेंट, इस्पात, आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण अवस्थापना क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई। 1987–88 में संतोषजनक विदेशी व्यापार कार्य निष्पादन सूखे से आवृत वर्ष के होते हुए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। व्यापार घाटा जिसका 1985–86 में चिन्ताजनक अनुपात था और जिसमें 1986–87 में उल्लेखनीय कमी हुई थी, मुख्यतया पुनरुत्थानशील निर्यात के कारण से 893 करोड़ रुपये से घट गया। सारणी 1, 1986–87 से 1987–88 में प्रतिशत परिवर्तन सहित 1986–87 और 1987–88 दोनों वर्षों के लिए भारतीय अर्थ व्यवस्था के कुछ चुने हुए संकेतक प्रस्तुत करती है।

1.06 एक त्वरित मूल्यांकन के अनुसार भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 1979–80 (1970–71 के मूल्यों पर) के पिछले प्रमुख सूखा वर्ष में 4.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 1987–88 (1980–81 के मूल्यों पर) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि-युक्त अनुमानित विकास दर परिलक्षित हुई।

सारणी 1 : भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सूचक

आधारभूत आर्थिक सूचक	इकाई	1986-87 (अप्रैल-मार्च)	1987-88 (अप्रैल-मार्च)	(1986 की तुलना में) 1987-88 में प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनसंख्या	मिलियन	770.0	785.6(E)	2.0
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (सराउ) (1980–81 मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	1,61,298	1,64,524(E)	2.0
निवल राष्ट्रीय उत्पाद (निराउ) (1980–81 मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	1,43,935	1,46,828(E)	2.0
सराउ प्रति व्यक्ति (1980–81 मूल्यों के आधार पर)	रु०	2,094	2,094(E)	

(E–अनुमानित)

1	2	3	4	5
निराउ प्रति व्यक्ति (1980-81 मूल्यों के आधार पर)	रु०	1,869	1,869(E)	
कृषि उत्पादन सूचक	1969-70=100	152 6	144.2	(--)5.5
खाद्यान्न उत्पादन	मिलि० टन	144.1	138.0	(--)4.2
उर्वरक उत्पादन (पोषकों के आधार पर नाइट्रोजन पोटाश खाद)	मिलि० टन	7.07	7.13	0.8
बिजली उत्पादन	बिलियन किलोवाट	187.6	201.8	7.5
कोयला उत्पादन	मिलि० टन	165.8	179.8	8.4
तेल उत्पादन	मिलि० टन	30.5	30.4	(—)0.4
प्राकृतिक गैस का उत्पादन	बिलियन क्यूब० मीटर	7.0	11.3	61.4
सीमेंट उत्पादन	मिलि० टन	36.6	39.3	7.4
तैयार इस्पात उत्पादन	मिलि० टन	9.7	13.0	34.0
रेलवे द्वारा राजस्व-अर्जक माल यातायात	मिलि० टन	277.8	289.0	4.0
प्रमुख बन्दरगाहों पर माल का लदान-उतार	मिलि० टन	124.2	133.7	7.6
औद्योगिक उत्पादन (सामान्य सूचकांक)	1980-81=100	155.1	167.0	7.7
निर्यात	रु० करोड़	12,567	15,719(E)	25.1
आयात	रु० करोड़	20,084	22,343(E)	11.2
व्यापार सन्तुलन	रु० करोड़	(—)7,517	(—)6,624	(+)11.9
विदेशी मुद्रा रिजर्व (स्वर्ण एवं विशिष्ट आहरण अधिकारों को छोड़कर)	रु० करोड़	7,645	7,287	(--)4.7
विदेशी सहायता (संवितरण वर्ष की समाप्ति पर)	रु० करोड़	3,596	4,489	24.8
ऋण शोधन	रु० करोड़	2,029	2,085	2.8
मुद्रा पूर्ति (मुद्रा3)	रु० करोड़	1,40,633	1,61,503	14.8
बैंक प्रदत्त उधार	रु० करोड़	63,308	70,089	10.7
वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा	रु० करोड़	1,02,724	1,17,574	14.5
थोक मूल्य सूचक (औसत)	1970-71=100	376.8	405.1	7.5
औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचक (औसत)	1960=100	674	736	9.2
मुद्रा स्फीति दर (उ०मू० सूच-कामगार पर आधारित) (बिन्दु से बिन्दु आधार पर)	(प्रतिशत)	7.5	9.8	

(ख) निवेश वातावरण

1.07 सारणी 2 में 1986 और 1987 में औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिंदा सूचकों के सम्बन्ध में आंकड़े दिए गए हैं :

सारणी 2 : औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिंदा सूचक

सूचक	इकाई	1986 (जनवरी-दिसम्बर)	1987 (जनवरी-दिसम्बर)	1986 की तुलना में 1987 में प्रतिशत अन्तर
1	2	3	4	5
-विदेशी सहयोगी	संख्या	957	853	(-)10.9
-अनुमोदित विदेशी निवेश	रु० करोड़	106.95	107.71	0.7
-जारी किये गये आशय पत्र	संख्या	1,130	989	(-)12.5
-प्रदान किये गये औद्योगिक लाइसेंस	संख्या	618	472	(-)23.6
-तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण	संख्या	1,162	1,201	3.4
-लाइसेंस-मुक्त उद्योगों के लिए औद्योगिक विकास सचिवालय द्वारा अनुमोदन	संख्या	2,387	1,869	(-)21.7
-पूंजी माल निर्यातों	रु० करोड़	1,111	980	(-)11.8
पूंजी निर्गमों के लिए अनुमति (बोनस निर्गम छोड़)	रु० करोड़	6,167	4,825	(-)21.8
-*पूंजी निर्गम (क) शेयर	रु० करोड़	905*	1,370*	51.4
(ख) डिबेंचर	रु० करोड़	3,692*	2,537*	(-)31.3

*उक्त आंकड़े जुलाई-जून आधार पर हैं।

1.08 निस्सन्देह 1987 में निगमित निवेश कार्यवाही के अधिकांश सूचकों में अर्थ व्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रों में कृषि के प्रतिकूल प्रभाव के कारण कमी परिलक्षित हुई लेकिन यह प्रवृत्ति पिछले चार वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अंकित वृद्धि को रिकार्ड करने के बाद देखने में आई। कुल मिलाकर 1987–88 वर्ष भारतीय निवेश बाजार के लिए परीक्षणों और समायोजनों का वर्ष सिद्ध हुआ। लेकिन सन्तोषजनक पहलू यह रहा, कि सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों अर्थात् भा० औ० वि बैंक, भाऔविनि, भाऔसानिनि, भाऔ पु० बैंक, जीबीनि, भा. यू ट्रस्ट, सा बि नि, रा वि नि तथा राऔवनि द्वारा मंजूर की गई सहायता 1987–88 में 12.7 प्रतिशत बढ़ गई और इसी प्रकार उपर्युक्त वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए संवितरणों में भी पिछले वर्षों के संवितरणों से 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.09 1987–88 में भारत में स्टाक बाजार की स्थिति कुल मिलाकर आन्तरिक सावधिक और भारी सट्टा बिक्री दबावों और पूरे विश्व में शेयर बाजार में अभूत पूर्व महापरिवर्तन के बावजूद उचित रूप से स्थिर कही जा सकती है। इक्विटी और अधिमान शेयरों के रूप में पूंजी निर्गम, जो कि मुख्यतया बी। पूंजी का काम करते हैं, 1986 87 में 905 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर वर्ष 1987–88 के दौरान 1,370 करोड़ रुपये हो गए, और वर्ष के दौरान जारी किए गए कुल पूंजी निर्गम के लगभग 35 प्रतिशत रहे जब कि यह वर्ष 1986–87 के दौरान 20 प्रतिशत थे। कम जान-पहचान और अपरीक्षित प्रबन्धक वर्ग वाली नई कम्पनियों में, निवेशक प्रतिभूति निवेशों के बारे में दिन-ब-दिन चुनिंदा होते चले गए, लेकिन विख्यात कम्पनियों के पूंजी निर्गम, निरन्तर अति अभिलं होते रहे। दिलचस्प बात यह है कि केवल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी निर्गम करने वाली तथा कथित "रातों-रात धनाढ्य" बनने वाली कम्पनियों की संख्या तेजी से घट गई। कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए पूंजी जारी करने वाली ऐसी कम्पनियों की संख्या 1987–88 में केवल 23 रह गई, जबकि 1986–87 में यह 96 थी, और 1985–86 में 279 थी।

1.10 अन्य उल्लेखनीय पहलू यह था कि 13 प्रतिशत ब्याज और 9 प्रतिशत ब्याज (कर मुक्त) दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पब्लिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी किए गए बान्ड शक्ति, रेलवे और दूर संचार जैसे अवस्थापना क्षेत्रों में संसाधन जुटाने के लिए एक बड़े और सफल उपकरण के रूप में उभरे।

1.11 शेयर मूल्यों में वर्ष के दौरान काफी उतार-चढ़ाव आया, विशेषकर 1987 की दूसरी छमाही में और 1988 की पहली तिमाही में दि इकनामिक टाइम्स साधारण शेयर सूचकांक (आधार 1984–85–100) 25 मार्च, 1988 को कम होकर 216 रह गया जो कि 8 जनवरी, 1988 को 265 था। लेकिन शेयर मूल्यों में गिरावट 27 अप्रैल, 1988 को राजकोषीय रियायतों की घोषणा से रुक गई। इस प्रकार इकनामिक टाइम्स साधारण शेयर मूल्य सूचकांक 8 जून, 1988 को बढ़कर 272 हो गया। 28 जून, 1988 को इकनामिक टाइम्स साधारण शेयर मूल्य सूचकांक 23 जून, 1987 के 213.7 के स्तर की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक अर्थात 256.6 था।

(ग) औद्योगिक प्रगति

1.12 औद्योगिक उत्पादन का औसत सूचकांक (आधार 1980–81=100) जो 1984–85 में 130.7, 1985–86 में 142.1 और 1986–87 में 1551 था, 1987–88 में बढ़कर अनुमानतः 167.0 हो गया, जिसमें 7.7 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर परिलक्षित हुई, जो कि सातवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत पर लक्ष्य की गई वार्षिक वृद्धि के बहुत समीप थी। अर्थ-व्यवस्था की समग्र हालत को देखते हुए यह विकास दर भयंकर सूखे के वर्ष में और 1984–85 से अत्युत्तम दर के तीन लगातार वर्षों में सबसे ऊपर होने के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धि समझी जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि विकास दर 1984–85 में 8.6 प्रतिशत, 1985–86 में 8.7 प्रतिशत और 1986–87 में 9.1 प्रतिशत रही थी।

1.13 1986–87 और 1987–88 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्रवार प्रवृत्तियां (क्रमशः वास्तविक और अनुमानित) सारणी 3 में दी गई है।

सारणी 3 : औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति

		1980–81=100	
		पिछले वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
भार	क्षेत्र	1986–87 (अप्रैल–मार्च)	1987–88 (अप्रैल–मार्च)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.46	खान एवं खदान	6.2	3.5
77.11	विनिर्माण	9.3	8.5
11.43	बिजली	10.3ज	7.6
100.00	समस्त उद्योग	9.1	7.7

1.14 उत्पादन क्षेत्र ने 1987-88 में पुनः पर्याप्त लचक दिखाई। इस क्षेत्र में विकास दर 8.5 प्रतिशत रही, जो कि पिछले वर्ष की 9.3 प्रतिशत की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम थी। खनन और खदान क्षेत्र में विकास दर में कमी मूलतः 80 के दशक के प्रारम्भ में उल्लेखनीय तरक्की करने के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में ठहराव के कारण हुई थी।

1.15 ऊर्जा के क्षेत्र में 1986–87 की तुलना में 1987–88 में, समग्र कम विकास दर, वर्ष के दौरान देश में पड़े सूखे के कारण जल शक्ति जनन में 11.9 प्रतिशत की तेजी से गिरावट के कारण हुई। अन्यथा अणुशक्ति जनन क्षेत्र सहित थर्मल

क्षेत्र में वर्ष के दौरान 15.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। देश में थर्मल पावर स्टेशन का संयंत्र भार गुणक 1986-87 के 53.2 प्रतिशत के स्थान पर 1987-88 में 56.4 प्रतिशत रहा। यह भी उल्लेखनीय है, कि नवम्बर 1987 से थर्मल संयंत्रों का मासिक औसत संयंत्र भार गुणक 58 प्रतिशत पावर की राजाध्यक्ष समिति द्वारा सुझाए गये मापदण्ड से निरन्तर ऊपर रहा है। 1987-88 में पावर क्षेत्र में एक अन्य उत्साहजनक पहलू यह रहा, कि वर्ष के दौरान नई संस्थापित क्षमता में वृद्धि करने में कोई चूकें नहीं हुई। 4,916 मेगावाट के लक्ष्य के स्थान पर वृद्धि की गई 4,981 मेगावाट की नई क्षमता सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी एक वर्ष में सबसे अधिक है।

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति

1.16 विनिर्माण के क्षेत्र में रसायन, बिजली मशीनरी, स्वचालित वाहनों तथा अन्य विनिर्माण करने वाले उद्योगों ने 1987-88 के दौरान महत्वपूर्ण उच्चतर विकास दर प्राप्त की। अपेक्षाकृत इलैक्ट्रॉनिक्स सहित बिजली मशीनरी में विकास की उच्च दर का श्रेय शक्ति जनन उपकरण पावर कपेसिटर्स, रेडियो, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटरों और सूखी तथा गीली बैटरियों के उत्पादन को जाता है। इसके विपरीत मादक पेय, जूट सामान, काष्ठ उत्पाद एवं प्लास्टिक में 1987-88 में गिरावट आई। वस्त्र उत्पादन समूह को छोड़कर और अन्य उप-समूहों अर्थात गैर बिजली मशीनरी, धातु उत्पाद, मूल धातु, अधातु खनिज उत्पाद, चमड़ा कागज, खाद्य उत्पादों ने 1987-88 में 1 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की विकास दरें देखी गई।

1.17 चीनी वर्ष 1987-88 के दौरान चीनी उत्पादन 1986-87 के 8.5 मिलियन टन के स्थान पर 9.1 मिलियन टन या इससे अधिक की नई ऊंचाई छूने की आशा है 1987-88 में सीमेन्ट उत्पादन के 39.3 मिलियन टन होने की आशा है, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। तैयार इस्पात के क्षेत्र में 1986-87 के 9.7 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1987-88 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि उत्पादन 1987-88 में 13 मिलियन टन रहा।

1.18 सूती वस्त्र उद्योग में स्थिति निरन्तर ज्यूं की त्यों बनी रही, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग के समग्र स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। 1987-88 में वस्त्र मिलों द्वारा धागे (सूती तथा ब्लैंडिड किस्में) का उत्पादन 1,554.9 मिलियन कि० ग्रा० हुआ क्योंकि 1986-87 में 1,526.5 मिलियन कि० ग्रा० था, जिससे कि 1.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। 1987-88 में मिल कपड़े का उत्पादन 3,027 मिलियन मीटर हुआ, जब कि 1986-87 में यह 3,317 मिलियन मीटर था और इस प्रकार इसके उत्पादन में 8.7 प्रतिशत कमी हुई। लेकिन शक्ति चालित करघा और हथकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 1986-87 के 9,671 मिलियन मीटर के स्थान पर 1987-88 में 10,079 मिलियन मीटर प्रत्याशित था।

1.19 1987-88 के दौरान जूट उद्योग की स्थिति मंद परिचालनों, वित्तीय कठिनाइयों और घरेलू बाजारों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग के कम होने के कारण निराशाजनक रही। 1987-88 में जूट सामान का उत्पादन 11.92 लाख टन था, जब कि 1986-87 में यह 13.92 लाख टन था।

1.20 उद्योग स्रोतों के अनुसार बिजली की कमी एक प्रमुख बाधा बनी रही। यद्यपि बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र राज्यों में बिजली आपूर्ति स्थिति में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ सुधार हुआ, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को बिजली की सर्वाधिक कमी का सामना करना पड़ा।

1.21 इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में वर्ष 1987-88 के लिए चुनिंदा उद्योगों की संस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रतिशत तथा उनके सन्दर्भ में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 650 वित्त पोषित संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर समकक्षी आंकड़े दिए गए हैं।

उद्योगों की वित्तीय प्रगति

1.22 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लघु इस्पात, संयुक्त वस्त्र मिलों, वस्त्र मशीनरी, हल्के वाणिज्यिक वाहन, कीटनाशक, सीमेन्ट, कागज, पटसन, कांच तथा कांच उत्पाद के क्षेत्र में निजी क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय प्रगति बिना किसी लाभ के या सीमांत लाभ दर पर पूर्ववत: काफी धीमी रही। विशेषकर, नियंत्रित मूल्य ढांचे के कारण अपनी लागतों और अन्य ऊपरी व्यय को कम करने की अपनी तत्काल अक्षमता के कारण अच्छा निष्पादन नहीं कर सके। लेकिन मूल औद्योगिक रसायनों, गैसों, गैर-बिजली मशीनरी, टायरों, और ट्यूबों, इलैक्ट्रॉनिक्स सहित बिजली मशीनरी, औषधि और फार्मास्युटिकलस्, मोटर साइकिल और स्कूटर, धातु उत्पाद, बाइसिकल और पुर्जे, परिवहन उपकरण, चीनी तथा वनस्पति सहित अन्य उत्पाद करने वाली औद्योगिक इकाइयों की प्रगति कुल मिलाकर सन्तोषजनक रही।

(घ) सरकारी नीतियां

लाइसेंसिंग नीतियां

1.23 औद्योगिक नीति और कार्य विधियों के उदारीकरण की प्रक्रिया 1987-88 में भी जारी रही। दिसम्बर, 1987 की समाप्ति पर कम्प्यूटर सापटवेयर और वायर राड्स के शामिल हो जाने से उद्योगों की 30 विस्तृत श्रेणियां (82 योक औषधि और तत्सम्बन्धी सूत्रीकरण सहित), लघु क्षेत्र या पब्लिक क्षेत्र के लिए आरक्षण, पर्यावरणीय अनुमोदन, शहरी केन्द्रों के समीप स्थल आदि जैसे कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन गैर एम० आर० टी० पी० और गैर-फेरा कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त हो गई। एम० आर० टी० पी० और

फेरा कम्पनियों के सम्बन्ध में लाइसेंस मुक्त करने की योजना को, जो कि केन्द्रीकृत रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित, 20 उद्योगों या उपक्रमों पर लागू थी, को अक्तूबर, 1987 से 27 उद्योगों को जो परिशिष्ट-1 से सम्बन्धित हैं, और 24 उद्योगों को जो परिशिष्ट-1 से सम्बन्धित नहीं हैं, लागू किया गया। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची IV और V में निर्धारित किए गए अनुसार निवेश की मात्रा का ध्यान किए बिना, लाइसेंस की अपेक्षा करने वाले उद्योगों की सूची 56 से घट कर 27 आ गई।

1.24 पहली अप्रैल, 1988 से सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की शेष अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करने के दृष्टिकोण से क्षमता के पुनर्पुष्ठांकन की एक नई योजना घोषित की। नई योजना के अधीन लाइसेंसीकृत पंजीकृत क्षमता का पुनर्पुष्ठांकन अप्रैल, 1988 और मार्च, 1990 के बीच किसी भी वित्तीय वर्ष में हुए पिछले उत्पादन के आधार पर स्वतः किया जाएगा।

1.25 पहली अप्रैल, 1988 से आशय-पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई। तकनीकी विकास निधि को इसके अधीन निम्नलिखित के आयात की अनुमति देकर उदार बनाया गया (क) सभी तरह के बड़े उपकरण (ख) तकनीकी जानकारी, (ग) तकनीकी सहायता, (घ) तकनीकी ड्राइंग्स और डिजाइन और (ङ) प्रति वित्तीय वर्ष प्रति इकाई 2 करोड़ रुपये के परिसीमन के भीतर तकनीकी सलाहकारी सेवाएं। नए और अधिक परिष्कृत किस्म के उत्पादों के प्रारम्भ किए जाने से उत्पादन विशाखन उत्पादन मिश्र यौक्तिकरण के लिए भी यह सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बशर्ते कि इकाई के औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण में ये मदें सम्मिलित हों।

1.26 3 जून, 1988 को सरकार ने एक तरफ औद्योगिक विकास को गतिमान करने और दूसरी तरफ देश के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण में सशक्त प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से डिलाइसेंसिंग और प्रोत्साहनों के एक बड़े पैकेज की घोषणा की। नई नीति के अधीन, सिवाय उन मामलों के, जहां (क) स्थल शहरी केन्द्रों के समीप हों, (ख) जहां औद्योगिक लाइसेंस का प्राप्त करना आवश्यक हो, या उद्योग विशेष सूची के अन्तर्गत आते हों, (ग) परियोजनाएं आयातित कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा और वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष से एक्स-फैक्ट्री उत्पादन के मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक संघटकों की अपेक्षा करते हों, और (घ) उत्पादन की मदें लघु क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के लिए आपेक्षित न हों, केन्द्रीकृत रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली प्रत्येक इकाई और अन्य क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपये तक की लागत वाली इकाईयों को स्थापित करने के लिए गैर एम० आर० टी० पी०/गैर फेरा कम्पनियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

1.27 पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए 'विकास केन्द्रों' के विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए चुम्बकीय उत्प्रेरकों के रूप में यह कार्य कर सकें। प्रारम्भ में अगले पांच वर्षों में सारे देश में कम से कम 100 विकास केन्द्रों को निरूपित किया जाएगा। प्रत्येक विकास केन्द्र को अवस्थापना विकास के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये तक की निधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।

1.28 पुनः आरम्भ की गई निवेश भत्ता योजना सहित 10 वर्ष की अवधि के लिए लाभ की 20 प्रतिशत की कटौती के रूप में आयकर की धारा 80 ज के अधीन और 8 वर्ष की अवधि के लिए लाभ की 25 प्रतिशत की कटौती के रूप में आयकर की धारा 80झ के भी अधीन उपलब्ध लाभ 'विकास केन्द्रों' में स्थापित और साथ ही अन्य केन्द्रीकृत रूप से घोषित किए गए पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों, दोनों के लिए उपलब्ध होगा। विकास केन्द्रों की स्थापना, वर्तमान पिछड़े क्षेत्रों की विकास योजना, जो कि 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ा दी गई है, के अतिरिक्त है, न कि इसके प्रतिस्थापना में है। पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने के प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी निधियों में अधिक उधार संव्यवहार प्रदान किए जाने का भी प्रस्ताव है।

1.29 3 जून, 1988 को घोषित प्रोत्साहनों के बड़े पैकेज के बाद ही सरकार ने 30 जून, 1988 को घोषणा की कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली डामीनेन्ट कम्पनियां औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति प्रतिबन्धों से मुक्त होंगी। इस प्रमुख नीति निर्णय से डामीनेन्ट, कम्पनियों, जो कि एक उत्पाद क्षेत्र या सेवाओं में 25 प्रतिशत या अधिक से बाजार भाग के आधार पर प्रमुख उपक्रम कही जाती हैं और उनके पास एक करोड़ रुपये या अधिक की परिसम्पत्तियां है। (अन्य ऐसे अंतरसम्बद्ध प्रमुख उपक्रमों की परिसम्पत्तियों सहित), गैर-एम० आर० टी० पी० और गैर फेरा कम्पनियों के लिए पहले घोषित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में छूपों लाभ ले सकेंगी। इस निर्णय से लगभग 69 एम० आर० टी० पी० कम्पनियां लाइसेंसिंग जाल से बाहर निकल जाएंगी।

राजकोषीय नीति

1.30 वर्ष 1987-88 के दौरान राजकोषीय नीति भीषण सूखे के कारण उत्पन्न कठिन चुनौतियों के होते हुए भी विकास की गति को बनाए रखने के लिए संघर्ष शील रही। गरीबी दूर करने और एक सशक्त आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने के मूलभूत उद्देश्यों के अनुरूप 1987-88 के बजट का जोर बचत और निवेश का संवर्द्धन करने वाले पब्लिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने और अर्थ व्यवस्था में उत्पादक शक्तियों को सशक्त करने पर रहा। प्रत्यक्ष कर नियमों से सम्बन्धित बहुत से उपबन्ध प्रत्यक्ष कर विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अधिनियमन से सरलीकृत किए गए। व्यय कर अधिनियम का अधिनियमन किया गया जो कि पहली नवम्बर, 1987 से लागू हुआ। निवल बचतों पर आधारित एक राष्ट्रीय बचत योजना प्रारम्भ की गई। कुछ अपवादों को छोड़कर माडवेक शेष सभी उद्योगों पर लागू किया गया। बहुत से उत्पादों पर उत्पादन शुल्क

और सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया, और चुने हुए उद्योगों में विकास, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण को गतिमान करने के विशिष्ट उद्देश्य से कुछ मामलों में श्रेणीकृत सीमा शुल्क ढांचे का प्रारम्भ किया गया। सितम्बर, 1987 में, सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वित्त जुटाने हेतु विशेष उपाय किए गए। इसके अतिरिक्त सूखे के कारण आवश्यक हो गई आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त अतिरिक्त आयात के वित्तपोषण की सहायता के लिए सरकार ने बाहरी पूंजी जुटाने और संवितरण को गतिमान करने के लिए बहुत से बाह्य सहायता प्रयास किए।

1.31 सरकारी वित्त पर अल्पावधि दबावों के बावजूद राजकीय नीति विकास के लिए अग्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करती रही। 1987–88 के लिए केन्द्रीय योजना की राशि 12.3 प्रतिशत बढ़ा दी गई। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया कि योजना व्यय वचनबद्धताओं में कोई फेरबदल न हो।

साख नीति

1.32 सूखे के आगमन के बाद और कुल मांग व्यवस्था के समग्र उपाय के रूप में 17 अक्तूबर, 1987 को घोषित साख नीति के अनुसार नकद आरक्षित अनुपात 24 अक्तूबर, 1987 में 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। सांविधिक तरलता अनुपात भी 2 जनवरी, 1988 से 37.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया। चयनित साख नियंत्रण संवेदनशील वस्तुओं पर मुद्रास्फीति दबावों का सामना करने के लिए तिलहनों, वनस्पति तिलों, धान/चावल गेहूं को छोड़कर खाद्यान्न और कपास के मामले में जुलाई, से अक्तूबर, 1987 के बीच पुनः लागू कड़े किए गए।

1.33 साख प्राधिकरण योजना उन ऋणियों के विषय में जिन्होंने साख प्राधिकरण योजना के अधीन निर्धारित नियमों का व्यापकरूप से पालन किया हो, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त सीमाओं की समग्र राशि की अनुमति दिए जाने के उद्देश्य से जुलाई, 1987 में उदार की गई। उन मामलों में, जहां जुलाई, ऋणियों ने साख प्राधिकरण योजना के अधीन नियमों का पालन किया था लेकिन पूरी तरह से नहीं, बैंकों को बढ़ाई गई साख सीमाओं के पूर्व अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को हवाला भेजे बिना प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अधीन 20 प्रतिशत तक मापदण्डों में छूट देने का विवेकाधिकार दिया गया। 3 माह तक बैंकों द्वारा अस्थायी प्रबन्ध करने की वर्तमान सीमा भी 4 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के अधीन वर्तमान पैकिंग साख सीमाओं की अधिकतम 25 प्रतिशत तक और वर्तमान कार्यशील पूंजी (पैकिंग साख से भिन्न) सीमाओं की अधिकतम 10% तक की राशि तक बढ़ाई गई। को बैंकों भी 2 करोड़ रुपय की सीमा के अधीन वर्तमान बिल सीमा के 10% तक की समकक्ष राशि तक अधिकतम 3 माह की अवधि के लिये एक पृथक अतिरिक्त आन्तरिक बिल मंजूर करने की उदारीकृत योजना के अधीन अनुमति दी गई। बैंकों द्वारा सावधि ऋणों की मंजूरी के सम्बन्ध में ऋणियों को निर्धारित सीमा 30 जून, 1988 से एक करोड़ रुपय से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई। बैंकों को भी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व प्राधिकरण के बिना उपकरण की एक या अधिक मदों (जो कि परियोजना का भाग न हों) के अभिग्रहण के लिए प्रत्येक 25 लाख रुपये तक की राशियों के आवधिक ऋणों/आस्थगित अदायगी मंजूरियों/आस्थगित शर्तों पर स्वीकार्यता सीमाओं की मंजूरी के लिए अनुरोधों पर विचार करने की अनुमति दी गई।

1.34 कृषि और उद्योग दोनों को पर्याप्त साख उपलब्ध करवाने तथा साथ ही अर्थव्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 1988 को अप्रैल से सितम्बर, 1988 की अवधि के लिये साख नीति की घोषणा की गई। नीति के अन्तर्गत नकद शेष की 744 करोड़ रुपये की समग्र राशि, जो वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात के अधीन जब्त पड़ी थी, 23 अप्रैल, 1988 को जारी कर दी गई, ताकि बैंक खाद्य-साख में मौसमी वृद्धि का वित्तपोषण कर सकें। नकद आरक्षित अनुपात विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी भारतीय जमाराशियों को छोड़े बिना कुल मांग और समय देयताओं को पहले 2 जलाई, 1988 से 105 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5%, तथा 30 जुलाई 1988 से 10.5% से बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत कर दिया गया। अल्पावधि फालतू निधियों पर बेहतर प्रतिफल दर उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से 91 दिन और अधिक लेकिन छः माह से कम के लिए सावधि जमा दर 4 अप्रैल, 1988 से 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई। बैंकों को भी 4 अप्रैल, 1988 से सरकार में गैर-बैंक ग्राहकों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के साथ वापसी खरीद व्यवस्था करने से रोका गया। 27 अगस्त, 1988 से बैंकों को इससे पूर्व 1984 के मासिक औसत स्तर के स्थान पर 1986 के मासिक औसत स्तर पर साख में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की सीमा तक निर्यात पुनर्वित्त उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

निर्यात आयात नीति।

1.35 निर्यात संवर्द्धन को नया प्रोत्साहन देने, योजनाओं की बहुतायत को कम करने और उदारीकरण की समयावधि को जारी रखने के मूल उद्देश्यों से 30 मार्च, 1988 को 1988–91 एक नई निर्यात-आयात नीति की घोषणा की गई। नई नीति की शर्तों के अनुसार जीवन-रक्षक उपकरण की 209 मदों, औषधि की 108 मदों और मशीनरी की 99 मदों सहित खुला सामान्य लाइसेंस योजना में 740 मदों को सूचीबद्ध किया गया है। आयात आपूरण योजना के क्षेत्र को विस्तृत किया गया है, और उत्पादन के संशोधित पृष्ठांकन लाइसेंसों को मूल्य आवर्धन के 10 प्रतिशत की निहित लोच की अनुमति दी गई है। 26 मदों का आयात विशाखित कर दिया गया है, और निर्यात और व्यापार घराना योजना को नया रूप दिया गया है। सीमित अनुमत्य और सारणीबद्ध मदों के आयात को लोच को निर्यात घरानों के लिए 10 प्रतिशत तक की और व्यापार घरानों के लिए 15 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। निर्यात लाइसेंसिग नीति को भी नया रूप दिया गया है और प्रतिष्ठित निर्माता निर्यातकों को स्वदेशी पूंजीगत

माल की उपलब्धता के होते हुए भी पूंजीगत माल के आयात की सुविधा दी गई है । आदेश पर बनाई गई मदों का निर्माण करने वाले पूंजीगत माल उद्योग के लिए पूरक लाइसेंसों के शीघ्रता से अनुमोदन पर विचार करने का प्रावधान है । कच्चे माल और संघटकों का पचास प्रतिशत आवेदन की प्राप्ति पर अब तुरन्त अनुमोदन किया जा सकता है, और पासबुक योजना 15 करोड़ रुपये का औसत लेन-देन करने वाले देशी निर्माताओं को सम्मिलित करने के लिए बढ़ा दी गई है । पासबुक धारकों को मूल्य आवर्धन के 10 प्रतिशत की दर पर अग्रिम उत्पादन के संशोधित पृष्ठांकन लाइसेंसों की विशेष सुविधा दी गई है । और अतिरिक्त लाइसेन्सों को हस्तान्तरणीय बनाया गया है ।

निवेश नीतियां

1.36 डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा के लिए, नियंत्रक पूंजी निर्गम द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए गये । ताकि समय पर डिबेंचर धारकों को सेवा देने और उनकी पुनर्अदायगी को समय पर करने हेतु सुविधाजनक बनाया जा सके । यह प्रोत्साहित करने के लिए समीप रूप से धारित कम्पनियां जनता के पास जाएं 1:1 से उच्चतर बोनस निर्गम की सुविधा 3 वर्ष के लिए , अर्थात मार्च, 1990 तक और बढ़ा दी गई है । आयकर अधिनियम की धारा 80गग के अधीन छूट तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई । इन शेयरों के लिए छूट प्राप्त करने की धारणा अवधि भी संशोधित करके 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई । असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और सरकारी क्षेत्र बांडों के ब्याज की दर एक प्रतिशतता बिन्दु कम कर दी गयी । इसी प्रकार अधिमान शेयरों पर लाभांश की दर एक प्रतिशत बिन्दु कम कर दी गई ।

1.37 विदेशी निवेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । लेकिन एक करोड़ रुपये तक की लागत वाले विदेशी सहयोग प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को, अन्य बातों के साथ-साथ शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं बशर्ते कि प्रस्ताव में कोई विदेशी इक्विटी भागीदारी न हो, आवेदक वर्तमान विदेशी इक्विटी वाली कोई कम्पनी न हो, प्रस्ताव में पहले अनुमोदित सहयोग की अवधि का विस्तार न हो और बाहर जाने वाली कुल अदायगी फैक्ट्री उत्पादन मूल्य के 8 प्रतिशत से अधिक न हो ।

1.38 वर्ष के दौरान पूंजी बाजार के स्वस्थ विकास के लिए लाभों को समेकित करने और पिछले अनुभवों के आधार पर ठोस आधार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष उपाय किए गए । शेयर मूल्यों के प्रदर्शन और प्रचार के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकीय विकास उस समय हुआ, जबकि प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक्स से जोड़ने की योजना को 11 अगस्त, 1987 को प्रारम्भ किया गया । स्टाक बाजार के उचित नियमन और विकास के लिए स्टाक एक्सचेंजों को बहुत से मार्ग-निर्देश ,निर्देश जारी किए गए । अन्य बातों के साथ-साथ ,ये प्रतिभूतियों में उचित व्यापार प्रथा, सूचीकरण मार्ग निर्देशों में संशोधन, सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा गैर लेखा परिक्षित छमाही वित्तीय परिणामों के प्रकाशन आदि को सुनिश्चित करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों में निगरानी दस्तों के सृजन से सम्बन्धित है । प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 जुलाई, 1987 में संशोधित किए गए, ताकि कम्पनियों की स्टाक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके । संशोधित नियमों से मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले या प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने वाले या इसी प्रकार के अन्य कार्य करने वाले सरकारी वित्तीय संस्थानों, उनके सहयोगी संस्थानों और भारतीय स्टेट बैंक का कोई सहयोगी बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य बनने की सुविधा उपलब्ध हुई ।

(ङ) संस्थानात्मक परिदृश्य में गतिविधियां

1.39 संस्थानात्मक परिदृश्य में गतिविधियों के दृष्टिकोण से वर्ष 1987-88 अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा । वित्तीय क्षेत्र में निम्नानुसार बहुत से संस्थानों की स्थापना की गई या स्थापना किए जाने के लिए घोषणा की गई ।

— नौवहन विकास निधि समिति के कार्यों को अपने हाथ में लेने और नौवहन एवं मत्स्य ग्रहण उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से भारतीय नौवहन साख एवं निवेश क० लि० ।

— ऋणी कम्पनियों के मूल्य निर्धारण के माध्यम से निवेशकों को मार्ग दर्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय साख मूल्य निर्धारण सूचना सेवाएं लि० ।

— अनुदानों और सशर्त ऋणों के माध्यम से वाणिज्यिक अनुसंधान और विकास योजनाओं का वित्तपोषण करने और प्रौद्योगिकीय सूचना सेवा को पंजीकृत करने के दृष्टिकोण से भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं सूचना लि० ।

— प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी विकास के लिए जोखिम पूंजी सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० ।

— स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक शोषण के लिए और व्यापक घरेलू उपयोगों के लिए पहले आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित की जाने वाली उद्यम पूंजी निधि । यह निधि प्रौद्योगिकी के आयात के लिए की गई सभी अदायगियों पर लगाए जाने वाले 5 प्रतिशत कर भाग के द्वारा निधिकृत की जाएगी जिसके लिए अनुसंधान एवं विकास कर अधिनियम पहली दिसम्बर, 1987 से लागू किया गया ।

— व्यापार पश्चात् कार्यों को देखने के लिए और शेयर पर्चियों को सुरक्षित अभिरक्षा, शेयरों के परिदान और बिक्री से प्राप्त राशि को एकत्र करने, आदि से सम्बन्धित कार्य को देखने के लिए एक विशेषीकृत एजेन्सी के रूप में भारतीय स्टाक धारण निगम लि० ।

-- मुद्रा बाजार में अल्पकालिक तरलता असंतुलनों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से बट्टा, पुनर्बट्टा के कारोबार को करने के लिए, बाजार ग्राहक प्रतिभूतियों एवं खजाना बिलों, व्यापार बिलों, विनिमय बिलों, प्रोनोटों, वाणिज्यिक बिलों, वाणिज्यिक कागज-पत्रों, सहित परक्राम्य लिखितों आदि को खरीदने, बेचने, उनकी हामीदारी करने, अधिग्रहण करने के लिए डिस्काउंट एण्ड फाइनेन्स हाउस आफ इंडिया लि० ।

-- प्रतिभूति बाजार के क्रमिक और स्वस्थ विकास के संवर्द्धन के दृष्टिकोण से और निवेशकों की हित-सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बोर्ड ।

-- क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विशेषीकृत आवास वित्त संस्थानों का प्रवर्तन और विकास करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की शर्तों के अनुसार एक सांविधिक निगम के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक, जो कि अतिरिक्त बचतों का बढ़ावा देगा और मकानों के अभिग्रहण के लिए वित्त उपलब्ध करवाएगा ।

-- मई, 1986 में स्थापित लघु उद्योग निधि और अतिलघु क्षेत्र में परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि के संचालन करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायक संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ।

-- ऊर्जा के वैकल्पिक एवं नवीकरणीय साधनों के उपयोग का प्रवर्तन करने, एवं उत्पादकों तथा प्रयोक्ताओं, दोनों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारत सरकार, गैर-परम्परागत ऊर्जा विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम के रूप में प्रवर्तित भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लि० ।

-- भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्रारम्भ पारस्परिक निधियां ।

-- विकासशील अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने और मकानों और फ्लैटों के निर्माण या खरीद के लिए और अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से भारतीय यूनिट ट्रस्ट और केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित अवस्थापना लीजिंग और वित्त सेवाएं लि० और कैन फिन होम्स लि० ।

उपर्युक्त से यह प्रतीत होगा, कि वर्ष 1987-88 में संस्थानात्मक अवस्थापन के परिदृश्य में दर्शनीय परिवर्तन हुए । इसके अतिरिक्त लगभग सभी सरकारी वित्तीय संस्थान एवं संस्थायें अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में कई नवोन्मेष योजनाएं लेकर आगे आए ।

1.40 वर्ष के दौरान, संस्थानात्मक परिदृश्य में कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां यह रहीं—(क) वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रता मापदण्ड की समीक्षा और संसाधनों के आबंटन के लिए मार्गनिर्देशों को अपनाना, (ख) परियोजना वित्तपोषण मार्गदर्शी योजना के प्रसार के माध्यम से विदेशी मुद्रा ऋणों का भी एकल-स्थल निपटान के अधीन लाना, और (ग) विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के तन्त्र के माध्यम से विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि के सृजन द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिमों से विदेशी मुद्रा ऋणों के उप-ऋणियों के संरक्षण के लिए योजना बनाना ।

(ख) सम्भावनाएं और परिप्रेक्ष्य

1.41 पूर्वोक्त सरकारी निर्णय और संस्थानात्मक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है, कि सामान्य आर्थिक पर्यावरण 1988-89 में बचतों और निवेश को बढ़ावा देने और समुचित रूप से उच्चतर औद्योगिक विकास दर, दोनों के लिए अत्यधिक प्रेरक बन गया है ।

1.42 सौभाग्यवश, इस वर्ष मानसून के समय पर आगमन के परिणामस्वरूप वर्षा अच्छी हुई है, और कृषि उत्पादन वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है । विनिर्माण उद्योग अधिकतर उन्नत अवस्थापना तथा सरकारी नीतियों के कारण 1987-88 के 7 7 प्रतिशत की तुलना में 9 प्रतिशत का उच्चतर विकास दर को प्राप्त हो सकते हैं । शक्ति जनन में जल शक्ति जनन में तेजी से सुधार होने के कारण और अधिक सुधार होने की सम्भावना है, और कुल मिलाकर सेवाएं क्षेत्र माल क्षेत्र के कार्य-निष्पादन और अवस्थापना सुधार मिलकर लगभग 6 प्रतिशत का उच्चतर सहायक विकास कर सकते हैं ।

1.43 इक्विटी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1988-89 के केन्द्रीय बजट ने लाभांशों के रूप में अर्जित रु० 3,000/- की सीमा तक विशिष्ट कर छूट प्रदान की है, जो लाभांश और अन्य विशिष्ट सम्पत्तियों के रूप में अर्जित रु० 7,000/- तक की आय के लिए धारा 80ठ के अन्तर्गत पहले ही उपलब्ध लाभ के अतिरिक्त है । आयकर अधिनियम की धारा 80 गग के अधीन लाभ सरकारी क्षेत्र बैंकों या वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित की गई पारस्परिक निधियों में किए गए निवेशों को भी दिए गए हैं । 1988-89 के लिए 28,715 करोड़ रुपये की विनियोजित राशि 1987-88 के अनुमोदित विनियोजन से 16.6 प्रतिशत अधिक है ।

1.44 मूल्यों की दिशा में स्थिति संतोषजनक मालूम पड़ती है । वर्ष 1988-89 की प्रथम तिमाही के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 2.7 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4.4 प्रतिशत थी । पूंजी बाजार स्थिति भी अधिक से अधिक आशावान हो रही है, और सार्वजनिक निर्गमों के प्रति समर्थन में सुधार प्रतीत हुआ है । 1988-89 की प्रथम तिमाही के दौरान विकास के प्रमुख संकेत अर्थ-व्यवस्था में एक सम्भावित लाभप्रद परिवर्तन के संकेत देते हैं ।

1.45 माल और सेवाओं दोनों के निर्यात की सतत और लगातार प्रगति, आयात प्रतिस्थापन पर अधिक बल देने और बेहतर तथा दक्ष संसाधन प्रबन्ध व्यवस्था से अदायगी सन्तुलन स्थिति नियंत्रण में रह सकती है । योजनेतर व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों और साथ ही यह सुनिश्चित करने से, कि योजना व्यय वचनबद्धताओं से पृथक कोई व्यय नहीं किया जाएगा, 1988–89 में मुद्रा-स्फीति दबावों के भी नियंत्रण में रहने की पूरी संभावना है ।

1.46 सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में कई दबावों के बावजूद यह वास्तव में प्रशंसनीय उपलब्धि है, कि देश ने वास्तविक रूप में 60 प्रतिशत से भी अधिक योजना लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं । यह एक ऐसी उपलब्धि है जो कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में कभी प्राप्त नहीं हो पाई। सरकार ने पहले ही अधिक प्रभावी स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के पर्यावरण का पोषण करने के लिए उपाय करने प्रारम्भ कर दिए हैं । उत्पादन के घटकों की गुणवत्ता में सुधार करने अर्थ-व्यवस्था के संसाधनों की कुशलतापूर्वक खोज और प्रभावी उपयोग, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों, उद्यमीयता की भावना के विकास, विभिन्न आय समूहों के बीच आय के उचित वितरण, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में और जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में शनैः शनैः परिवर्तन हो रहे हैं । इनका अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है, जिससे कि अर्थ-व्यवस्था की जीवन-शक्ति और ताकत बढ़ेगी ।

1.47 विश्व अर्थ-व्यवस्था में अप्रत्याशित परिस्थितियों और गतिविधियों को छोड़कर 1988–89 में अच्छी विकास दर की संभावना है । एक अनुमान के अनुसार 1988–89 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत या इससे भी उच्चतर वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

अध्याय 2

परिचालन, संसाधन एवं कार्य-परिणाम

(क) परिचालन

समग्र परिचालन

2.01 वर्ष 1987–88 (जुलाई-जून) के दौरान, भा० औ० वि० नि० की समग्र मंजूरियां, इसकी विभिन्न सहायता योजनाओं के अधीन, पिछले वर्ष पार किये 800 करोड़ रुपये के बिन्दु के स्थान पर 1,300 करोड़ रुपये के बिन्दु को पार कर गईं । ये मंजूरियां 780 परियोजनाओं के सम्बन्ध में 1,350.87 करोड़ रुपये रहीं, जो कि पिछले वर्ष 853.02 करोड़ रुपये की मंजूरियों की तुलना में 58.4 प्रतिशत अधिक थीं ।

2.02 वर्ष के दौरान, कुल संवितरण, पिछले वर्ष के 500 करोड़ रुपये के बिन्दु के स्थान पर 700 करोड़ रुपये को बिन्दु पार कर गये । 730.22 करोड़ रुपये के ये सकल संवितरण पिछले वर्ष के 506.85 करोड़ रुपये के कुल संवितरणों की तुलना में 44.1 प्रतिशत अधिक रहे ।

2.03 उद्योग की ढीली वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी, समग्र रूप से ऋण वसूली अनुपात में 2 प्रतिशतता बिन्दु, का सुधार हुआ । लेकिन, यह 1986–87 की 1 प्रतिशतता बिन्दुओं -वृद्धि और 1985–86 के 7 प्रतिशतता बिन्दुओं के उपरान्त था । वर्ष के दौरान स्थगन/पुनर्सूचीकरण को छोड़कर देय हुई राशियों के सम्बन्ध में औसत प्रतिशत वसूली 88 प्रतिशत रही, जब कि पिछले वर्ष यह 86.8 प्रतिशत रही थी ।

परिचालन गतिविधियां

2.04 औद्योगिक वित्त तथा वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भा० औ० वि० नि० ने 1986–87 में निम्नलिखित योजनाएं प्रारम्भ की :

— लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं की वित्तपोषण योजना

— उपस्कर लीजिंग योजना

— मशीनरी, उपस्कर तथा कम्प्यूटर निर्माता संस्थाओं को आस्थगित आधार पर वास्तविक प्रयोक्ता-खरीददार संस्थाओं को आस्थगित अदायगी आधार पर अपने उपस्कर बेचने के लिए गैर आवर्ती उधार योजना (पूर्तिकार उधार योजना)

— 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाइयों सहित निर्यात निष्पादन के आधार पर औद्योगिक इकाइयों तथा होटलों को छूट एवं प्रोत्साहन योजना

— ऊर्जा जांच उप-सहायता योजना

— ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए उपस्कर वित्त

2.05 उपर्युक्त नई योजनाओं के प्रारम्भ किए जाने के अतिरिक्त, भा० औ० वि० नि० के परिचालन विकास में जिन गतिविधियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया, वे थीं :—

— मध्यम आकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण में सम्यता, चाहे इनका वित्तपोषण अकेले अथवा अन्य संस्थानों (I) के साथ मिलकर किया हो ।

— सभी अन्य मध्यम-बड़े तथा बड़े आकार की औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में एकल-स्थल सेवा दृष्टिकोण से सामूहिक वित्तपोषण अवधारणा का गहन होना ।

— परियोजना वित्त भागीदारी योजना के क्षेत्र तथा आगत में विस्तार जिससे इसमें अब विदेशी मुद्रा ऋणों में समान प्रकार की वित्तीय सहायता भी समाहित है ।

— दस्तावेजीकरण सहित कार्यविधियों एवं प्रक्रियाओं को सुचारू एवं सरल बनाना ।

— परियोजना मूल्यांकन तकनीकों को और बेहतर बनाना तथा बड़ी सामूहिक वित्तपोषण परियोजनाओं के सम्बन्ध में लागत एवं लाभप्रदता प्रक्षेपणों के लिए 'मुद्रास्फीति लेखांक', अवधारणा का प्रारम्भ।

— विभिन्न बैठकों के लिए टिप्पणियां एवं ज्ञापन तैयार करने तथा ऋण दस्तावेजों आदि के निपटान हेतु शब्द संसाधक, लेसर प्रिन्टरों, आदि को अपनाने सहित कम्प्यूटरीकृत परियोजना सूचना तथा अनुवर्तन व्यवस्था का समावेश।

— विशेषकर अग्रणी मामलों में वित्तपोषण संस्थाओं के बैंकरों के साथ बेहतर समन्वय विकसित करना एवं बनाये रखना।

— सभी वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध में उनके स्वास्थ्य तथा स्थिति के अनुसार ए बी सी विश्लेषण अवधारणा के समावेश से अनुवर्तन, ताकि यथाअपेक्षित संस्थाओं के सम्बन्ध में गहन अनुवर्तन एवं अनुवर्ती कार्यवाही पर ध्यान दिया जा सके।

— कार्य के अधिकतम विकेन्द्रीकरण एवं प्राधिकार के प्रत्यायोजन द्वारा बेहतर ग्राहक सेवा पर जोर।

2.06 संस्थानों ने सरकारी मार्गनिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों के आवंटन के लिए वर्ष के दौरान अपने अग्रता मापदण्ड की समीक्षा की। भा० औ० वि० बैंक, भा० औ० वि० न० और भा० औ० सा० नि० नि० के वरिष्ठ कार्यपालकों का एक कार्यकारी समूह औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्यात-उन्मुखता, आयात-प्रतिस्थापना, रोजगार प्रभाव, आदि जैसे मामलों पर निर्णय हेतु मापदण्ड विकसित करने के लिए अथवा मार्गनिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत मापदण्डों को निश्चित रूप देने के लिए गठित किया गया।

उद्योग व्यावहार्यता/बाजार अध्ययन

2.07 वित्तीय संस्थानों से अपेक्षा की जाती है, कि वे उद्योगों में ऐसी नई इकाइयां लगाए जाने को प्रोत्साहित करें जिनमें, मांग और आपूर्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता सृजित किए जाने की गुंजाइश हो। इस सम्बन्ध में, सातवीं योजना की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों पर भी समुचित बल दिया जाना अपेक्षित है। वित्तीय संस्थानों से यह भी आशा है, कि वे कार्यकुशलता एवं उत्पादकता के मापदण्डों के अनुरूप आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों के विस्तार अथवा विशाखन को प्रोत्साहित करें। इसको ध्यान में रखते हुए, संस्थान समय-समय पर विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित उद्योग, व्यवहार्यता/बाजार अध्ययन करते रहे हैं, ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों में नई इकाइयां लगाने के लिए वित्तपोषण अथवा विद्यमान इकाइयों के विस्तार एवं विशाखन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते समय समुचित नीतियां निर्धारित की जा सकें।

2.08 वर्ष के दौरान, संस्थानों ने उद्योगों में विभिन्न उत्पादों जैसे, सूत कताई, तथा बुनाई, सिरेमिक टाइलें, सीमेंट, मिथाइल इथाइल केटोन, जस्तीकृत स.वी एव जस्तीकृत कोरुगेटिड शीटें, बायोक्सली आधारित पोलीप्रोपलिन फिल्म पोलीकोटेड एल्यूमीनियम फायल, कोल्ड रोल्ड इस्पात प्रोफाइल्स, पेनल उत्पाद, डिस्पोजेबल सीरीजिस, राक-वूल आदि में कई बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए। इनमें से कुछ अध्ययन विशेषकर सूत कताई तथा बुनाई, जस्तीकृत सादा और जस्तीकृत कोरुगेटिड शीटें, पोलीकोटिड एल्युमिनियम फायल्स, डिस्पोजेबल सीरीजिस, राक-वूल पेनल प्रोडक्टस, आदि, से सम्बन्धित अध्ययन भा० औ० वि० नि० की अग्रता में किए गए।

सरकार, आदि के साथ विचार-विनिमय

2.09 भा० औ० वि० नि०, सरकार के सभी सम्बन्धित विभागों, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक, भा० औ० वि० बैंक, आदि द्वारा समय-समय पर गठित सभी महत्वपूर्ण समितियों/कार्यकारी समूहों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करता है। यह चीनी, वस्त्र, जूट एवं होटल उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा विकास से सम्बन्धित मामलों से भी लगातार सम्बद्ध रहा है। यह जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के प्रयोजन के लिए केन्द्र-एजेन्सी, एवं चीनी विकास निधि योजना के अधीन चीनी उद्योग को आधुनिकीकरण सहायता का संवितरण करने के प्रयोजन के लिए सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान, भा० औ० वि० नि० ने कागज उद्योग के विभिन्न वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित समिति में भी प्रतिनिधित्व किया। सभी चीनी इकाइयों के लिए कार्य के कुशलता के मापदण्ड निर्धारित करने एवं नई चीनी परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना बनाने, छठी योजना अवधि के दौरान लाइसेंस दी गई परियोजनाओं के विस्तार के सम्बन्ध में मापदण्ड निर्धारित करने से भी सम्बद्ध रहा। चीनी मिलों के कार्य निष्पादन के अनुसार उनके वर्गीकरण से सम्बन्धित चीनी उद्योग के लिए संस्थानात्मक वित्त में समन्वय विषय पर गठित स्थायी समिति को भी वि औ वि नि ने उल्लेखनीय उपादेय प्रदान किए। भा औ वि नि ने विभिन्न उद्योगों में आर्थिक क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा गठित कुछ समितियों में भी प्रतिनिधित्व किया। भा औ वि नि का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय उद्यमीयता विकास बोर्ड में भी है।

आवेदनों की प्रगति

2.10 वर्ष 1987–88 के दौरान भा औ वि नि ने, अपने परियोजना वित्तपोषण कार्यों के ('वित्तीय सेवाओं' के अधीन प्राप्त हुए आवेदनों को छोड़कर) सम्बन्ध में स्वयं अपनी ओर से अथवा संयुक्त वित्तपोषण आधार पर 710 पात्र संस्थाओं से कुल 5,430.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए रिकार्ड संख्या में आवेदनों पर विचार किया 96.33 करोड़ रुपये की सहायता के लिए 19 संस्थाओं के आवेदनों को या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया, अथवा प्रगति के अभाव में या प्रस्तावित परियोजनाओं के व्यवहार्य

न होने के कारण बंद किया हुआ मान लिया गया। वर्ष की समाप्ति पर संयुक्त वित्तपोषण आधार पर कुल 197.07 करोड़ रुपये की सहायता के लिए भा औ वि नि के अग्रणी दायित्व में 42 संस्थाओं (35 संयुक्त वित्तपोषण आधार पर) के आवेदन विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान, बाकी 649 संस्थाओं के सभी आवेदनों पर वित्तीय सहायता मंजूर की गई, 96.8 प्रतिशत मामलों में निपटान पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से 4 माह से भी कम अवधि में किया गया।

2.11 भा औ वि नि के अग्रणी दायित्व में 42 संस्थाओं के आवेदनों के अतिरिक्त 2,796.90 करोड़ रुपये की समग्र सहायता के लिये 85 संस्थाओं के आवेदन (वित्तीय सेवाओं के अधीन आवेदनों को छोड़कर) भा औ वि बैंक और भा औ सा नि नि के अग्रणी दायित्व में, संयुक्त वित्तपोषण आधार पर, 30 जून, 1988 की स्थिति अनुसार विचाराधीन थे। इनमें भा औ वि नि को भी सम्मिलित किए जाने तथा आगामी समय में भागीदार बनाए जाने की पूरी सम्भावना थी।

2.12 जहां तक आवेदनों की आवती का सम्बन्ध है, भा औ वि नि को अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम एवं अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, तथा लक्षद्वीप के सिवाय, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हुए। वित्तीय सहायता के लिए सबसे अधिक आवेदन महाराष्ट्र से प्राप्त हुए, और इसके बाद क्रमवार आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात का स्थान रहा। उद्योगवार आधार पर, वस्त्र उद्योग से प्राप्त होने वाले आवेदनों का स्थान अग्रणी बना रहा, और उसके पश्चात् रसायन तथा रसायन-उत्पाद बिजली मशीनरी एवं उपकरण (जिनमें इलैक्ट्रोनिक्स शामिल है) लोहा व इस्पात, सीमेंट, चीनी, विविध खाद्य उत्पादों, परिवहन उपस्कर एवं पुर्जे, सिन्थेटिक रेसिन्स तथा प्लास्टिक का स्थान रहा।

मंजूरियां संवितरण और बकाया

2.13 भा औ वि नि की परियोजना वित्तपोषण योजनाओं के अंतर्गत कुल निवल मंजूरियां वर्ष के दौरान (रद्द की गई मंजूरियों के पश्चात) 649 संस्थाओं की 743 परियोजनाओं के लिए 1,267.34 करोड़ रुपये की रहीं, इनके अतिरिक्त 13 लीजिंग तथा किराया-खरीद संस्थाओं को 10.50 करोड़ रुपये पूंजीकार उधार योजना के अधीन 22 संस्थाओं को 57.96 करोड़ रुपये एवं उपस्कर लीजिंग योजना के अधीन 2 संस्थाओं को 15.07 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई।

2.14 1987–88 में, भा औ वि नि ने परियोजना वित्तपोषण के अधीन 712.05 करोड़ रुपये, पूंजीकार उधार योजना के अधीन 3.10 करोड़ रुपये एवं उपस्कर लीजिंग योजना के अधीन 15.07 करोड़ रुपये के संवितरण किए।

2.15 संचयी रूप से, जून, 1988 की समाप्ति तक भा औ वि नि द्वारा इसकी विभिन्न योजनाओं के अधीन 2,857 परियोजनाओं को कुल 5,305.63 करोड़ रुपये की मंजूरियां दी जा चुकी थीं। 30 जून, 1988 तक समग्र संवितरण 3,612.14 करोड़ रुपये के रहे थे, जिसमें से नकद संवितरण, अर्थात, परियोजना वित्तपोषण योजना के अधीन दी गई गारंटियों को छोड़कर, 3,540.97 करोड़ रुपये के रहे।

2.16 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार ऋणी संस्थाओं द्वारा निवल पुनर्भुगतान के पश्चात बकाया सहायता 2,867.73 करोड़ रुपये थी।

1987–88 में परियोजना वित्त के अधीन सहायता का उद्देश्यवार वर्गीकरण

नई परियोजनाओं को सहायता

2.17 1987–88 में भा औ वि नि द्वारा 1,267.34 करोड़ रुपये की कुल परियोजना वित्त सहायता में से, 47.4 प्रतिशत (600.76 करोड़ रुपये) 192 नई परियोजनाओं को मिले। पिछले वर्ष नई परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता से यह 16.8 प्रतिशत अधिक थी। इसमें से 15 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक थी, 47 परियोजनाएं अलग-अलग 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये की पूंजी लागत के बीच की थी, 57 परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच थी, 37 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच थी, और 36 परियोजनाएं ऐसी थीं जिनकी पूंजी लागत प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपये से अधिक थी।

(ख) विस्तार एवं विशाखन योजनाओं के लिए सहायता

2.18 1987–88 में विस्तार एवं विशाखन कार्यक्रमों के लिए 70 परियोजनाओं को 198.17 करोड़ रुपये (परियोजना वित्त के अधीन कुल मंजूर सहायता का 15.6 प्रतिशत) की सहायता प्राप्त हुई। यह सहायता, पिछले वर्ष इसी प्रयोजन के लिए मंजूर की गई सहायता से 184.83 प्रतिशत अधिक थी।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए सहायता

2.19 वर्ष के दौरान, आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए 218 परियोजनाओं को 246.68 करोड़ रुपये (परियोजना वित्त के अधीन कुल सहायता का 19.5 प्रतिशत) की सहायता मंजूर की गई, जबकि यह 1986–87 में 135 परियोजनाओं के लिए 128.71 करोड़ रुपये था। इसमें 91.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परियोजना संख्या वार आधार पर भी पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 61.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.20 1987–88 के वर्ष में उदार ऋण योजना के अधीन 88 परियोजनाओं को 127.50 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 61 परियोजनाओं के लिए 58.20 करोड़ रुपये रही। मात्रा वार आधार पर यह सहायता पिछले वर्ष की मंजूरियों से 119.1 प्रतिशत अधिक थी।

2.21 वर्ष के दौरान, उदार ऋण योजना के क्षेत्र को, विशेषकर योजना के अधीन उल्लिखित उपस्कर आयु मानद ड में उदारता प्रदान की गई। योजना के अधीन (क) 2,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता तक प्रासंगिक विस्तार करने के साथ आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली चीनी इकाइयों, (ख) मैम्बरेन सैल टैक्नालॉजी अपनाने वाली कास्टिक सोडा इकाइयों एवं (ग) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन वस्त्र इकाइयों के सम्बन्ध में रियायती शर्तों पर दी जाने वाली सहायता 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई। चीनी और वस्त्र के मामलों में धारणकारी कम्पनियों को तथा कई इकाइयों का परिचालन करने वाले राज्य निगमों को इकाई वार आधार पर 6 करोड़ रुपये तक की सीमा अनुमत्य की गई।

2.22 बाद में समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन पहली अगस्त, 1986 से 2 वर्ष के लिए प्रारम्भ की गई वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना ने वर्ष के दौरान काफी तेजी पकड़ी। योजना के अधीन भा औ वि नि द्वारा 84 इकाइयों को 59.60 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 49 इकाइयों को 33.36 करोड़ रुपये मंजूर की गई थी। इसमें वर्ष के दौरान 78 7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.23 1 नवम्बर, 1986 को प्रारम्भ की गई जूट आधुनिकीकरण निधि योजना ने भी वर्ष के दौरान काफी तेजी ग्रहण की। 1987–88 में जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन 8 इकाइयों को 16.10 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जबकि पिछले वर्ष केवल एक इकाई को 0.98 करोड़ रुपये मंजूर किए गये थे। योजना को इतना अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त होने का कारण संस्थागत तथा सरकारी स्तरों पर योजना की लगातार समीक्षा किया जाना है।

(घ) स्वतः ऋण-व्यवस्था, पुनःस्थापित सहायता, आदि सहित अधि-व्यय सहायता

2.24 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्वतः ऋण व्यवस्था योजना का उल्लेख किया गया था, जिसे उन औद्योगिक इकाइयों की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए एक निश्चित अवधि हेतु प्रारम्भ किया गया था, जिन्हें 1 मार्च, 1987 से पूर्व वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता मंजूर की गई थी और उस तारीख से पूर्व उनकी पूंजी लागत और/अथवा उपस्कर की सीमा शुल्क से व्यक्त नहीं किया गया था, तथा जिसके फलस्वरूप सीमा शुल्क दरों में वृद्धि होने के कारण परियोजना की पूंजी लागत में अधि-व्यय हो गया था। योजना के अधीन, अधि-व्यय की सहायता की अतिरिक्त संदेय सीमा-शुल्क के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा अधिकतम 5 करोड़ रुपये स्वतः आधार पर रुपया ऋणों के रूप में प्रदान किया जाता था। योजना 30 सितम्बर, 1987 को बंद हो गई, लेकिन उन मामलों में जिनमें स्वतः ऋण व्यवस्था मंजूर कर दी गई थी, परन्तु उपस्कर 30 सितम्बर, 1987 तक सुपुर्द नहीं हो पाए थे, ऐसी मंजूरियों को सक्रिय रखा गया। वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अधीन मंजूर सहायता एवं सामान्य अधि-व्यय सहायता तथा पुनःस्थापित सहायता आदि के रूप में 198 इकाइयों को 154.70 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जबकि पिछले वर्ष 133 इकाइयों को 111.08 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

(ङ) उपस्कर वित्त योजना के अधीन सहायता

2.25 उपस्कर वित्त योजना में उल्लेखनीय तेजी आई। योजना के अधीन, 1987–88 में 65 इकाइयों को 67.03 करोड़ रुपये की (परियोजना वित्त के अधीन मंजूर की गई कुल सहायता का 5.3 प्रतिशत) ऋण सहायता मंजूर की गई, जबकि पिछले वर्ष 45 इकाइयों को 29.02 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी। मात्रा-वार आधार पर उपस्कर वित्त योजना के अधीन 1987–88 में मंजूर सहायता पिछले वर्ष मंजूर की गई सहायता के दुगुने से भी अधिक थी, और इसमें 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

परियोजना वित्त के अधीन भा औ वि नि की सहायता के विशेष पहलू (1987–88)

(i) निगमित अस्पतालों तथा बहु-आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता

2.26 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में निगमित और सहकारी अस्पतालों/बहु-आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के वित्तपोषण की योजना का उल्लेख किया गया था, जिसे 27 फरवरी, 1987 से लागू कर दिया गया था। वर्ष के दौरान, इस योजना के अधीन प्राइवेट निगमित क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले 6 अस्पतालों को 13.38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

(ii) प्रथम पीढ़ी उद्यमियों/अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं को सहायता

2.27 वर्ष के दौरान वित्तपोषित 192 नई परियोजनाओं में से 28 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिन्हें प्रथम पीढ़ी तकनीकज्ञ उद्यमियों अथवा व्यवसायिकों द्वारा प्रवर्तित किया गया था। इन्हें 54.88 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। इन प्रथम पीढ़ी तकनीक उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं का उत्साहजनक लक्षण यह था कि अधिकतर परियोजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स दूर-संचार रसायन, अधातु खनिज उत्पाद, धातु उत्पाद, चमड़ा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपस्कर आदि सहित उपस्कर के आधुनिक/उच्च तकनीक आधारित उद्योगों से सम्बन्धित थीं। वर्ष के दौरान, वित्तपोषित नई परियोजनाओं में से सत्रह परियोजनाएं ऐसी थीं जिन्हें अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित किया गया था।

(iii) निर्यात उन्मुख परियोजनाओं की सहायता

2.28 किसी औद्योगिक परियोजना की संस्थात्मक वित्तपोषण की उपयुक्तता पर विचार करते समय, वर्ष के दौरान विद्यमान इकाइयों के निर्यात निष्पादन और नई इकाइयों की निर्यात क्षमता पर काफी ध्यान दिया गया। इसी भांति, जिन परियोजनाओं का लक्ष्य आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से विदेशी मुद्रा में बचत करना था, उन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष के दौरान काफी निर्यात दायित्व वाली निर्यात उन्मुख वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या 7 रही, जिन्हें 17.35 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त कई आयात प्रतिस्थापन परियोजनाओं को भी सहायता दी गई।

(iv) विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण से सम्बद्ध परियोजनाओं को सहायता

2.29 वर्ष के दौरान 780 परियोजनाओं में से 91 परियोजनाओं को 526.17 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। इन परियोजनाओं में या तो विदेशी सहयोग और/अथवा विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण किया जाना समाविष्ट था। इनमें से 22 परियोजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी तथा वित्तीय दोनों सहयोग अपेक्षित थे, जबकि 69 परियोजनाओं के सम्बन्ध में केवल तकनीकी सहयोग ही अपेक्षित था। जिन देशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई, उन परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार रही—जापान (17) जर्मन संघीय गणराज्य (12), यू० के० (11), इटली (11), संयुक्त राज्य अमरीका (9), स्विटजरलैण्ड (5), फ्रांस (4) नीदरलैण्ड (4), फिनलैण्ड (3), दक्षिणी कोरिया (3), सिंगापुर (2), ताइवान (2), स्वीडन (2), आस्ट्रेलिया (2), कनाडा (1), स्पेन (1), बेल्जियम (1) और नार्वे (1)। शेष परियोजनाएं देशी रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों तकनीकी प्रक्रियाओं आदि, अथवा देश में ही विकसित प्रौद्योगिकियों पर आधारित थीं, जिससे देश की प्रौद्योगिकी की शक्ति एवं क्षमताओं का पता चलता है।

(v) अन्य विशिष्टताएं

2.30 वर्ष के दौरान, भाआवित्रनि द्वारा पहली बार एक पोत मरम्मत कम्पलेक्स के लिए सहायता मंजूर की गई, जो मद्रास की बन्दरगाह में समुद्री पोतों को सूखे में तथा समुद्र में मरम्मत कार्य करने के लिए सुविधारत होगा। इस काम्पलेक्स में 14,000 टन के दो तैरने वाले ड्राई डाक और एक जैटी की व्यवस्था सहित 2,400 टन लिफ्ट क्षमता होगी जहां पर 6,000 डीडब्ल्यूटी तक के जहाजों की पानी में मरम्मत की जा सकेगी। इस परियोजना की स्थापना सिंगापुर की एक बड़ी जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कम्पनी के सहयोग से की जा रही है।

2.31 भाआवित्रनि ने वर्ष के दौरान पहली बार दो ऐसे प्रस्तावों को सहायता मंजूर की, जो निर्माण कार्य के लिए मशीनरी और उपस्कर अधिगृहीत करेंगे। एक प्रस्ताव में विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए विदेशों से कुछ भारी धरती धकेल मशीनरी और समवर्गीय उपस्करों का आयात किया जायेगा। सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना के अधीन 4,240 करोड़ रुपये की लागत पर 1,210 मीटर लम्बे और 125 मीटर ऊंचे बजरी बांध का निर्माण किया जायेगा, जो लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं देगा, तथा 60 प्रतिशत के भार गुणक पर 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, और इसके साथ ही यहां पर आंशिक बाढ़ नियंत्रण सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। अन्य वित्तपोषित निर्माण उपस्कर प्रस्ताव के अधीन विशाखापटनम् इस्पात संयंत्र, दामोदर घाटी थर्मल संयंत्र तथा खम्मम केमिकल रिफाइनरी (हेवी वाटर संयंत्र) में सिंसटर प्लांट और बायलरों को लगाये जाने से सम्बन्धित थे।

2.32 भाआवित्रनि ने वर्ष के दौरान, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल खोज कार्यक्रम के सम्बन्ध में तटीय और अतटीय गहरी ड्रिलिंग के लिए 3 इकाइयों को सहायता मंजूर की। वर्ष के दौरान, भाआवित्रनि द्वारा मंजूर की गई सहायता का अन्य विशेष लक्षण यह रहा, कि तैयार खाद्य सामग्री, फलों के रसों, आदि पर आधारित शीतल पेय, विभिन्न रूपों में फल अभिसंस्करण एवं उनके संरक्षण आदि सहित विविध खाद्य एवं पेय प्रौद्योगिक परियोजनाओं ने काफी महत्व अर्जित किया। वर्ष के दौरान, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार आदि के क्षेत्रों में उच्च तकनीक इलेक्ट्रानिक परियोजनाओं को भी वस्त्र आधुनिकीकरण मामलों के बाद भाआवित्रनि की सहायता में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान, वित्तपोषित इन परियोजनाओं में से कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि देश में पहली बार कुछ ऐसे उत्पादों का निर्माण करेंगी जो पहले यहां नहीं बनते थे, उदाहरणतया, फाइबर आप्टिक संचार उपस्कर, मैराइन फाइबर, तारे, मारगेराइन, राड बूल, पीवीसी के ठोस दरवाजे और खिड़कियां, जंग रहित वेक्यूम फ्लास्क, वायर-लाइन लागिंग, बेबी डायपर्स, क्रोम टेनिंग के व्यर्थ के उपयोग द्वारा चमड़े के बोर्ड आदि। वर्ष के दौरान, भाआवित्रनि द्वारा वित्तपोषित कई अन्य परियोजनाएं इंधन बचत, बिजली बचत प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के वैकल्पिक एवं नवीकरणीय संसाधनों, के उपयोग उप उत्पादों अथवा व्यर्थ माल के पूर्ण उपयोग, अथवा पहली बार देश में ही बेहतर तथा सुधरी हुई प्रौद्योगिकी विकसित करने से सम्बद्ध थीं।

भाआवित्रनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निधिकरण पद्धति (1987-88)।

2.33 1987-88 में भाआवित्रनि के कार्यों से सम्बन्धित, 607 परियोजनाओं (1987-88 के दौरान पूर्णतया परियोजनाओं की लागत, अधि-व्यय, आदि, के रूप में अतिरिक्त सहायता मंजूर 136 मामलों को छोड़कर) की निधिकरण पद्धति के सम्बन्ध में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पता चलता है, कि भाआवित्रनि की सहायता इन परियोजनाओं

के लिए 7,176.72 करोड़ रुपये के निवेश को उत्प्रेरित करने में समर्थ रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान (1987-88)

2.34 1987-88 में भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 262 नई, विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के एक अध्ययन से पता चलता है, कि भाऔविनि की सहायता, वर्ष के दौरान, विभिन्न उद्योगों में काफ़ी क्षमताएं सृजित करने में समर्थ रही है। इन परियोजनाओं से 54,970 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक उत्पादन का मूल्य 4,843.42 करोड़ रुपये आंका गया है। सकल मूल्यवृद्धि 2120.96 करोड़ रुपये होने की संभावना है जो इन परियोजनाओं द्वारा देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंशदान का द्योतक है। इस सम्बन्ध में, विस्तृत विवरण परिशिष्ट-III में दिया गया है।

सहायता का योजनावार वर्गीकरण

2.35 औद्योगिक वित्तपोषण के क्षेत्र में भाऔविनि अब कई योजनाएं चला रहा है। 1987-88 के दौरान मंजूर की गई प्रमुख सहायता का योजनावार वर्गीकरण एवं 30 जून, 1988 को संचयी स्थिति सारणी 4 में दी गई है।

सारणी 4 : मंजूर एवं संवितरित सहायता का मुख्य योजना-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण योजना	1987–88 (जुलाई–जून)			30 जून, 1988 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परियोजना वित्त	743	1,267,34	712.05	2,820	5,222.10	3,593.97
लीजिंग एवं किराया-खरीद संस्थाओं को सहायता	13	10.50	—	13	10.50	—
पूर्तिकार उधार योजना	22	57.96	3.10	22	57.96	3.10
उपस्कर लीजिंग	2	15.07	15.07	2	15.07	15.07
जोड़	780	1,350.87	730.22	2,857	5,305.63	3,612.14

सहायता का सुविधावार वर्गीकरण

2.36 1987-88 में मंजूरियों और संवितरणों का सुविधावार (अर्थात्, विभिन्न योजनाओं के अधीन समग्र सहायता को चार अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात्, रुपया वित्त, विदेशी मुद्रा वित्त, गारंटियां एवम् उपस्कर लीजिंग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है) वर्गीकरण एवम् 30 जून, 1988 तक संचयी तथा इसी तिथि के अनुसार बकाया राशियों का विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5 : मंजूरियां, संवितरणों तथा बकाया का सुविधा-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

सुविधा	1987 88 (जुलाई जून)		30 जून, 1988 तक संचयी		30 जून, 1988 को बकाया
	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रुपया वित्त					
—रुपया ऋण	1020.10 (75.5%)	577.27 (79.0%)	3,865.89 (72.9%)	2,853.09 (79.0%)	2,258.41 (78.8%)
—हामीदारी	58.95 (4.4%)	12.44 (1.7%)	321.78 (6.1%)	76.70 (2.1%)	52.26 (1.8%)
—प्रत्यक्ष अभिदान	15.16 (1.1%)	10.61 (1.5%)	39.36 (0.7%)	28.41 (0.8%)	44.27* (1.5%)
उप-जोड़	1,094.21 (81.0%)	600.32 (82.2%)	4,227.03 (79.7%)	2,957.70 (81.9%)	29) ,54.3 (82.6%4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदेशी मुद्रा ऋण	220.24 (16.3%)	110.42 (15.1%)	929.14 (17.5%)	568.20 (15.7%)	474.80 (16.6%)
उप-जोड़	220.24 (16.3%)	110.42 (15.1%)	929.14 (17.5%)	568.20 (15.7%)	474.80 (16.6%)
गारंटियां					
—आस्थगित अदायगियों हेतु	12.78 (1.0%)	— —	84.45 (1.6%)	38.86 (1.1%)	12.40 (0.4%)
—विदेशी ऋणों हेतु	8.57 (0.6%)	4.41 (0.6%)	49.94 (0.9%)	32.31 (0.9%)	10.52 (0.4%)
उप-जोड़	21.35 (1.6%)	4.41 (0.6%)	134.39 (2.5%)	71.17 (2.0%)	22.92 (0.8%)
उपस्कर लीजिंग	15.07 (1.1%)	15.07 (2.1%)	15.07 (0.3%)	15.07 (0.4%)	15.07 (0.5%)
उप जोड़	15.07 (1.1%)	15.07 (2.1%)	15.07 (0.3%)	15.07 (0.4%)	15.07 (0.5%)
जोड़	1,350.87 (100.0%)	730.22 (100.0%)	5,305.63 (100.0%)	3,612.14 (100.0%)	2,867.7 (100.0%

ऋणों/डिबेन्चरों के शेयरों तथा डिबेन्चरी के संपरिवर्तन से माध्यम के धारित शेयर/डिबेन्चर शामिल हैं।
टिप्पणी कोष्टकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के सूचक हैं।

2.37 पहले की भांति, 1987-88 में भी रुपया वित्त (ऋणों, हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में) 81.0 प्रतिशत भाग प्राप्त कर प्रमुख स्थान पर रहा। इसके बाद विदेशी मुद्रा ऋण (16.3 प्रतिशत) और गारंटियां (आस्थगित अदायगियों तथा विदेशी मुद्रा ऋण दोनों के लिए)—1.6 प्रतिशत एवम् उपस्कर वित्त (1.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। संचयी सहायता निवेश में भी कुल मिलाकर ऐसी ही स्थिति रही, अर्थात्, रुपया वित्त—79.7 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा ऋण—17.5 प्रतिशत, गारंटियां—2.5 प्रतिशत और उपस्कर लीजिंग—0.3 प्रतिशत।

2.38 पिछले वर्ष की तुलना में रुपया ऋण मंजूरियों में 66.5 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा ऋणों में 13.2 प्रतिशत और गारंटियों में 1608 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

2.39 केन्द्रीय निवेश उप-सहायता के अनुरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के तदनुरूप केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में लगने वाली परियोजनाओं के लिए संस्थानात्मक रियायती वित्त योजना को 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ा दिया गया। योजना को आगे बढ़ाया जाना सितम्बर, 1988 के लगभग भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर आधारित होगा।

2.40 1987-88 के वर्ष के दौरान केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 383 परियोजनाओं को आईडीबीआई से 698.47 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान, कुल मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का यह 51.7 प्रतिशत थी।

2.41 पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की श्रेणी "क", "ख" तथा "ग" में वर्गीकरण करने की विद्यमान योजना के अनुसार श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष खण्ड) जिलों की 79 परियोजनाओं को 189.46 करोड़ रुपये, श्रेणी "ख" जिलों/क्षेत्रों की 162 परियोजनाओं को 269.87 करोड़ रुपये और "ग" श्रेणी के जिलों/क्षेत्रों की 142 परियोजनाओं को 239.14 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई। केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर कुल सहायता में प्रतिशतता अनुसार अधिसूचित पिछड़े जिलों के वर्गीकरण, अर्थात्, श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष खण्ड जिले), "ख" तथा "ग" का भाग क्रमशः 27.1 प्रतिशत, 38.7 प्रतिशत और 34.2 प्रतिशत रहा।

2.42 पिछले वर्ष के रिकार्ड की तुलना में, 1987-88 में श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष खण्ड) जिलों की परियोजनाओं को मंजूर की गई वित्तीय सहायता में 49.1

प्रतिशत की वृद्धि हुई । श्रेणी "ख" तथा श्रेणी "ग" के अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं की 1986-87 की तुलना में 1987-88 में मंजूर की गई सहायता में क्रमशः 42.4 प्रतिशत तथा 117.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

2.43 संचयी-आधार पर, 30 जून, 1988 तक भाग्रौविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 1339 परियोजनाओं को 2761.86 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की थी, जो कुल मंजूरियों का 52.1 प्रतिशत थी ।

सहायता का सेक्टर-वार वर्गीकरण

2.44 सारणी 6 में परियोजनाओं का सेक्टर-वार वर्गीकरण एवम् वर्ष के दौरान उन्हें मंजूर सहायता तथा 30 जून, 1988 तक संचयी आंकड़ों का विवरण दिया गया है ।

सारणी 6 : मंजूर और संवितरित की गई सहायता का सेक्टर-वार वर्गीकरण (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1987-88 (जुलाई-जून)		30 जून, 1988 तक संचयी		
	मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां		संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	राशि रु०	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	राशि रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी	637	987.56 (73.1%)	547.26 (74.9%)	2043	3,596.36 (67.8%)	2,398.53 (66.4%)
संयुक्त	65	248.42 (18.4%)	102.18 (14.0%)	234	780.51 (14.7%)	466.79 (12.9%)
सरकारी	41	82.37 (6.1%)	53.44 (7.3%)	267	516.83 (9.7%)	378.34 (10.5%)
सहकारी	37	32.52 2.4	27.34 3.8%)	313	411.93 (7.8%)	368.48 (10.2%)
जोड़	780	1,350.87 (100%)	730.22	2,857 (100%)	5,305.63 (100%)	3,612.14 (100%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

(क) सहकारी क्षेत्र को सहायता

2.45 वर्ष के दौरान, भाग्रौविनि ने सहकारी क्षेत्र की 37 परियोजनाओं को 32.52 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की । इनमें से 17 चीनी सहकारिताओं को 17.62 करोड़ रुपये, 17 वस्त्र सहकारिताओं को 9.61 करोड़ रुपये, एक सिन्थेटिक फाइबर सहकारिता को 3 करोड़ रुपये और दो अन्य सहकारिताओं को 2.29 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई ।

2.46 संचयी आधार पर, 30 जून, 1988 तक भाग्रौविनि ने सहकारी क्षेत्र की 313 परियोजनाओं को 411.93 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, जिसमें से 368.48 करोड़ रुपये की सहायता पहले ही संवितरित की जा चुकी थी ।

(ख) निगमित क्षेत्र को सहायता

2.47 वर्ष के दौरान, निगमित क्षेत्र की 743 परियोजनाओं को 1318.35 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । निजी निगमित क्षेत्र, जो भाग्रौविनि की सहायता का सबसे बड़ा लाभभोगी रहा है, की 637 परियोजनाओं को 987.56 करोड़ रुपये की सहायता (कुल का 73.1 प्रतिशत) प्राप्त हुई, जो कि पिछले वर्ष 428 परियोजनाओं को मंजूर 620.65 करोड़ रुपये की सहायता से 59.1 प्रतिशत अधिक थी ।

2.48 1987-88 में संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई । यद्यपि पिछले वर्ष की 62 परियोजनाओं की तुलना में इस वर्ष संयुक्त क्षेत्र से वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या 65 ही रही, परन्तु इनको दी गई सहायता 1986-87 के 93.35 करोड़ रुपये की तुलना में 248.42 करोड़ रुपये रही, जो 166.1 प्रतिशत अधिक थी । सरकारी क्षेत्र की 40 परियोजनाओं को पिछले वर्ष 93.71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे । इस वर्ष 41 परियोजनाओं को 82.37 करोड़ रुपये (कुल सहायता का 6.1 प्रतिशत) मंजूर किए गए ।

2.49 30 जून, 1988 तक निगमित क्षेत्र की 2,544 परियोजनाओं को मंजूर संचयी सहायता 4,893.70 करोड़ रुपये हो गई थी, और 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार भाग्रौविनि के कुल निवेश में इनका भाग 92.2 प्रतिशत था, प्राइवेट, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग क्रमशः 67.8 प्रतिशत, 14.7

प्रतिशत तथा 9.7 प्रतिशत रहा। निर्गमित क्षेत्र की परियोजनाओं को संचयी संवितरण 3,243.66 करोड़ रुपये के रहे।

सहायता का उद्योग-वार प्रसार

2.50 वर्ष के दौरान सहायता का उद्योग-वार प्रसार एवं 30 जून, 1988 तक संचयी आंकड़े सारणी 7 में दिए गए हैं।

2.51 1987-88 के दौरान भाऔविनि की सहायता में से जिन उद्योगों को उल्लेखनीय भाग प्राप्त हुआ, वे थे—रसायन व रसायन उत्पाद (11.2 प्रतिशत), सीमेंट (10.3 प्रतिशत), सिन्थेटिक फाइबर (9.4 प्रतिशत), लोहा व इस्पात (9.1 प्रतिशत), वस्त्र (8.7 प्रतिशत), बिजली मशीनरी व उपकरण (इलेक्ट्रोनिक्स सहित) (7.6 प्रतिशत), अधातु खनिज उत्पाद (7.3 प्रतिशत), मशीनरी (6.4 प्रतिशत), परिवहन उपस्कर तथा कल-पुर्जे (4.2 प्रतिशत) एवम् सिन्थेटिक रेसिन्स तथा प्लास्टिक सामान (3.3 प्रतिशत)। कुल सहायता में से प्राथमिकता उद्योगों जैसे, चीनी, वस्त्र, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, सिन्थेटिक फाइबर्स, कागज, बिजली उपस्कर सहित बिजली मशीनरी, मशीनरी, परिवहन उपस्कर आदि को 72.6 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। प्रत्येक उद्योग को प्रतिशत भाग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि महत्वपूर्ण यह है, कि भाऔविनि की वित्तीय सहायता का प्रसार विभिन्न उद्योगों के विस्तृत समूह पर हुआ है। वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने एक पोत मरम्मत इकाई को, दो राष्ट्रीय सिंचाई/बिजली जनन परियोजनाओं का निर्माण करने वाली इकाइयों को, तीन तेल खोज के सम्बन्ध में तटीय एवं अपतटीय ड्रिलिंग में लगी इकाइयों को, दो बिजली तथा गैस के उत्पादन में लगी इकाइयों को, छः चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इकाइयों को, तेरह लीजिंग तथा किराया-खरीद, आदि, में लगी इकाइयों को, वित्तपोषित किया। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि संस्थानात्मक वित्त व्यवस्था के माध्यम से अब देश के औद्योगिक क्षितिज पर बड़ी अत्याधुनिक उच्च तकनीक के उद्योग उभरने लगे हैं।

सारणी 7 : सहायता का उद्योग-वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1987-88 (जुलाई-जून) परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	30 जून, 1988 तक संचयी परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी :						
-- सहकारिताएं	17	17.62	1.3	204	241.88	4.6
-- अन्य	17	30.23	2.2	80	100.73	1.9
वस्त्र	150	117.99	8.7	553	648.04	12.2
पटसन	11	16.58	1.2	36	38.26	0.7
रसायन :						
-- मूल रसायन	34	108.38	8.0	127	353.86	6.7
-- उर्वरक कीटनाशक	6	7.15	0.5	64	271.44	5.1
-- कृत्रिम रेशे	20	126.58	9.4	55	350.30	6.6
-- कृत्रिम रेसिन्स, प्लास्टिक सामान उत्पाद	29	44.68	3.3	81	117.36	2.2
-- अन्य रसायन व रसायन उत्पाद	32	43.75	3.2	134	165.59	3.1
सीमेंट	58	138.90	10.3	143	544.50	10.3
कागज व कागज उत्पाद	26	30.88	2.3	113	224.21	4.2
रबर उत्पाद	5	38.69	2.9	32	104.59	2.0
लोहा व इस्पात	54	123.21	9.1	188	372.59	7.0
मशीनरी	52	86.92	6.4	167	222.16	4.2
परिवहन उपस्कर व पुर्जे	35	56.34	4.2	134	271.56	5.1
बिजली मशीनरी व उपस्कर (इलेक्ट्रानिक्स सहित)	71	102.41	7.6	206	355.81	6.7
अलोह धातुएं	6	10.32	0.8	35	81.75	1.6
अधातु खनिज उत्पाद	31	98.47	7.3	107	233.14	4.4
होटल	21	18.71	1.4	71	96.27	1.8
विविध अन्य उद्योग	105	133.06	9.9	327	511.59	9.6
जोड़	780	1,350.87	100.0	2,857	5,305.63	100.0

2.52 संचयी आधार पर भाओविनि के कुल निवेश में से वस्त्र, सीमेंट, रसायन तथा रसायन-उत्पाद के उद्योग सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में उभर कर आये, जिन्हें इस निवेश सहायता का 32.3 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ, इसके बाद लोहा तथा इस्पात (7 प्रतिशत), इलेक्ट्रानिक्स सहित इलेक्ट्रीकल मशीनरी तथा पुर्जे (6.7 प्रतिशत), सिन्थेटिक फाइबर (6.6 प्रतिशत), चीनी (6.5 प्रतिशत), उर्वरक तथा कीटनाशक (5.1 प्रतिशत), परिवहन उपस्कर तथा कल-पुर्जे (5.1 प्रतिशत), आदि का स्थान रहा ।

2.53 उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान एवं 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार संचयी मंजूर सहायता का उद्योग-वार वितरण सारणी 8 में दिया गया है ।

सारणी 8 : उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग-वार वितरण (करोड़ रुपये)

उद्योग	1987-88 (जुलाई-जून)			30 जून, 1988 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूल उद्योग (अर्थात् मूल धातु उद्योग, मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	163 (122)	398.76 (249.30)	29.5 (29.2)	592 (555)	1,771.32 (1,406.77)	33.4 (34.8)
पूंजी माल उद्योग (अर्थात् मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर, आदि)	158 (108)	245.67 (219.29)	18.2 (25.7)	507 (423)	849.53 (609.65)	16.0 (15.1)
मध्यवर्ती माल उद्योग (अर्थात् रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु, खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब, आदि)	153 (108)	387.69 (175.09)	28.7 (20.5)	541 (479)	1,123.79 (770.37)	21.2 (19.0)
उपभोक्ता माल उद्योग (अर्थात् चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	264 (196)	268.43 (186.63)	19.9 (21.9)	1,120 (1,020)	1,428.18 (1,174.89)	26.9 (29.1)
सेवा उद्योग (अर्थात् होटल, चिकित्सा सेवाएं, जहाजरानी, आदि)	42 (22)	50.32 (22.71)	3.7 (2.7)	97 (64)	132.81 (80.90)	2.5 (2.0)
जोड़	780 (556)	1,350.87 (853.02)	100.0 (100.0)	2,857 (2,541)	5,305.63 (4,042.58)	100.0 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आकड़े पिछले वर्ष से सम्बन्धित हैं तथा 30 जून, 1987 की स्थिति अनुसार है ।

2.54 पिछले वर्ष की तुलना में, मूल उद्योगों, मध्यवर्ती माल उद्योगों, तथा सेवा उद्योगों ने 1987-88 में भाओविनि निवेश में अपनी स्थिति में बढ़ोतरी की । लेकिन, पिछले वर्ष की तुलना में, सेवा उद्योगों में 121.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके बाद मध्यवर्ती माल उद्योगों (121.4 प्रतिशत), मूल उद्योग (60 प्रतिशत), उपभोक्ता माल उद्योग (43.8 प्रतिशत) तथा पूंजी माल उद्योग (12 प्रतिशत) का क्रम रहा । वर्ष के दौरान, वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या सेवा उद्योगों में सबसे अधिक, अर्थात् 90.9 प्रतिशत रही । इसके बाद इनकी संख्या पूंजी माल उद्योगों में 46.3 प्रतिशत, मध्यवर्ती उद्योगों में 41.7 प्रतिशत, उपभोक्ता माल उद्योगों में 34.7 प्रतिशत

तथा मूल उद्योगों में 33.6 प्रतिशत रही । सेवा उद्योगों में इस सर्वाधिक वृद्धि का प्रमुख कारण पिछले दो वर्षों के दौरान दो योजनाएं, अर्थात् निगमित और सहकारी अस्पतालों एवम् बहु-आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के वित्तपोषण की योजना तथा लीजिंग एवं किराया, खरीद संस्थाओं के वित्तपोषण की योजना, का शुरू किया जाना है ।

सहायता का राज्य-वार प्रसार

2.55 1987-88 के दौरान मंजूर की गई भाग्रौविनि सहायता एवं 30 जून, 1988 तक संचयी सहायता का राज्य-वार प्रसार सारणी 9 में दिया गया है ।

2.56 वर्ष के दौरान, मात्रा-वार आधार पर भाग्रौविनि की सहायता में प्रथम पांच स्थितियां क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों को प्राप्त हुई । यद्यपि, संख्या-वार आधार पर प्रथम पांच स्थितियां, क्रमशः महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात की रहीं ।

2.57 पिछले वर्ष की तुलना में गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवम् दादरा एवं नगर हवेली, के संघ राज्य क्षेत्र वर्ष के दौरान भाग्रौविनि की निवेश सहायता में अपनी स्थिति सुधारने में समर्थ रहे ।

सारणी 9 : सहायता का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1987-88 (जुलाई-जून)			30 जून, 1988 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	91	143.04	10.6	265	568.35	10.5
अरुणाचल प्रदेश	--	--	--	1	0.16	--
असम	3	1.72	0.1	29	37.72	0.7
बिहार	15	22.89	1.7	71	103.34	2.0
गोवा	5	9.95	0.7	18	25.87	0.5
गुजरात	72	183.73	13.6	258	633.93	12.0
हरियाणा	32	51.68	3.8	130	174.81	3.3
हिमाचल प्रदेश	10	9.46	0.7	33	46.03	0.9
जम्मू व कश्मीर	1	0.03	--	18	21.70	0.4
कर्नाटक	55	85.53	6.3	200	319.51	6.0
केरल	15	10.39	0.8	75	108.67	2.1
मध्य प्रदेश	42	85.34	6.3	124	276.56	5.2
महाराष्ट्र	120	209.65	1.55	499	792.44	14.9
मणिपुर	1	1.51	0.1	1	1.51	--
मेघालय	1	0.65	0.1	5	5.90	0.1
नागालैण्ड	1	0.90	0.1	4	2.99	0.1
उड़ीसा	17	56.77	4.2	61	177.44	3.3
पंजाब	47	90.98	6.7	132	284.87	5.4
राजस्थान	36	43.55	3.2	119	261.98	4.9
सिक्किम	1	1.00	0.1	3	2.90	0.1
तमिलनाडु	77	102.32	7.6	249	405.79	7.7
त्रिपुरा	--	--	--	2	2.63	--
उत्तर प्रदेश	81	171.16	12.7	318	742.77	14.0
पश्चिम बंगाल	41	49.66	3.7	184	226.69	4.3
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	--	--	--	1	0.98	--
चण्डीगढ़	1	0.75	0.1	3	2.05	--
दादरा व नगर हवेली	3	4.25	0.3	6	6.39	0.1
दिल्ली	6	6.90	0.5	30	48.50	0.9
पांडिचेरी	6	7.06	0.5	18	23.15	0.4
जोड़	780	1,350.87	100.0	2,857	5,305.63	100.0

2.58 पहली बार मणिपुर राज्य को भी भाग्रौविनि की सहायता के दायरे में लाया गया, जिसके फलस्वरूप पिछले चालीस वर्षों के दौरान अब भाग्रौविनि ने मिजोरम तथा दमण और दीव और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों एवम् संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी सहायता का प्रसार कर लिया है। विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों के माध्यम से संस्थानों का यह सामूहिक प्रयास है, कि मिजोरम, दमण व दीव एव लक्षद्वीप समूह में भी औद्योगिक गतिविधि बढ़ सके। इन क्षेत्रों के लिए उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, ताकि यहां पर छोटे क्षेत्र के उद्योगों के विकास की शुरुआत उद्यमियों द्वारा की जा सके, जिन्हें कुछ काल उपरान्त मध्यम, और यहा तक कि, बड़े पैमाने के क्षेत्र में विकसित किया जा सके।

2.59 वर्ष के दौरान, पंजाब के सम्बन्ध में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बात यह रही, कि 1986-87 की 44.87 करोड़ रुपये की तुलना में 1987-88 में 90.98 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर हुई, और 1986-87 से 32 परियोजनाओं को दी गई सहायता की संख्या भी 1987-88 में बढ़कर 47 हो गई। वित्तीय सस्थानों ने पंजाब की इकाइयों को वरीयता प्रदान करने एव वहां पर लगने वाली नई इकाइयों को रियायती वित्त प्रदान करने की नीति जारी रखी, और इस सुविधा को 31 मार्च, 1990, अर्थात्, सातवी योजना की अवधि की समाप्ति, तक बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान की गई।

2.60 संचयी आधार पर, 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार भाग्रौविनि की कुल निवेश सहायता मे प्रथम पांच स्थान, क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों को प्राप्त हुए। इसके बाद कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल का क्रम रहा।

निवेश परिचालन

2.61 भाग्रौविनि ने वर्ष के दौरान, 103 संस्थाओं को साधारण शेयरों की हामीदारी के रूप में 58.78 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, और एक संस्था को एक अधिमान शेयर निर्गम के लिए 0.17 करोड़ रुपये की हामीदारी की मंजूरी दी गई। इस प्रकार, 1986-87 में मंजूर की गई कुल हामीदारी सहायता से 1987-88 में मंजूर की गई हामीदारी सहायता 8 प्रतिशत अधिक रही।

2.62 वर्ष के दौरान, प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में भी की गई मंजूरियों में उल्लेखनिय वृद्धि हुई। जबकि 1986-87 में शेयरों/डिबेंचरों के प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में 14 संस्थाओं को 2.06 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी, 1987-88 में शेयरों/डिबेंचरों के प्रत्यक्ष अभिदान के लिए 76 सस्थाओं को 15.16 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। कुल राशि अनुसार यह 635.9 प्रतिशत और संस्थाओं की संख्या अनुसार 442.9 प्रतिशत अधिक थी।

2.63 वर्ष के दौरान, भाग्रौविनि द्वारा शेयरों की हामीदारी के लिए 41 निर्गमों को बाजार में जारी किए जाने हेतु 28.20 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। हामीदारी दायित्व के अनुरूप जो शेयर भाग्रौविनि को लेने पड़े, उनकी राशि 11.23 करोड़ रुपये रही। इसके अतिरिक्त, भाग्रौविनि ने प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में की गई मंजूरियों के लिये 33 कम्पनियों के 10.61 करोड़ रुपये के शेयरों और डिबेंचरों में अभिदान किया जबकि 1986-87 से यह राशि 6.69 करोड़ रुपये थी।

गारंटियां

2.64 वर्ष के दौरान, मशीनरी एव उपस्कर के विदेशी संभरकों को आस्थगित अदायगी गारंटी सुविधा हेतु चार मामलों में 12.78 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। ये चार इकाइयां थीं—(i) उत्तर प्रदेश में एक्रिलोन इकाई, (ii) कर्नाटक में टायर इकाई, (iii) आंध्र प्रदेश में तैयार खाद्य सामान इकाई, एवं (iv) आंध्र प्रदेश में कागज इकाई।

2.65 आंध्र प्रदेश में एक पैट्रो-रसायन इकाई एवम् स्वीडन की स्वेन्सका द्वारा व्यवस्थित विदेशी उधार/ऋण के सम्बन्ध में उड़ीसा की चार्ज-क्रोम इकाई हेतु विदेशी उधारों से विदेशी ऋणों में जुटाई जाने वाली 8.57 करोड़ रुपये की गारंटियां मंजूर की गई। उपर्युक्त गारंटियों के चालू वर्ष अवधि के दौरान ही निष्पादित किए जाने की संभावना है।

जन-हित प्रदान की गई मंजूरियां

2.66 वर्ष के दौरान, ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 26 (2) की व्यवस्थाओं के अनुसार निदेशकों के हितबद्ध होने के कारण भाग्रौविनि को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ, कारोबार का सव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अनुसार जन-हित में सहायता मंजूर करनी पड़ी हो।

ऋणों की शर्तों, आदि में परिवर्तन

2.67 भाग्रौविनि की ऋण प्रदान करने की मूल शर्तों, अर्थात् वचनबद्धता प्रभार, चूक आदि किए जाने की स्थिति में निर्धारित क्षतिपूर्ति की दरों में वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

2.68 यद्यपि सरकार द्वारा संपरिवर्तनीयता मार्ग-निर्देशों के सम्बन्ध में कोई नए अनुदेश जारी नहीं किए गए, किन्तु वित्तीय संस्थानों ने वर्ष के दौरान सरकार से विचार-विमर्श कर निम्नलिखित परिवर्तन किये :—

(i) श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष खण्ड) जिलों/क्षेत्रों में स्थापित विद्यमान इकाइयों के विशाखन/

विस्तार के सम्बन्ध में चूक के सिवाय संपरिवर्तनीयता विकल्प लागू नहीं किया जाना ।

(ii) निगमित अस्पताल/बहु-आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों का संपरिवर्तनीयता खण्ड से विमुक्त रहना, जब तक कि वे कोई चूक न करें और/अथवा निर्यात उन्मुख इकाइयां अपने निर्यात दायित्व से छूट न मांगे ।

(iii) विदेशी मुद्रा ऋणों को भी केवल चूक के लिए जाने की स्थिति को छोड़कर, पहले की भांति संपरिवर्तनीयता खण्ड से मुक्त रहना ।

2.69 वर्ष के दौरान, मंजूर की गई सहायता के सम्बन्ध में विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 168 मामलों में संपरिवर्तनीयता विकल्प लागू किया गया । संपरिवर्तनीयता अधिकार का उपयोग 7 मामलों में किया गया और 45 मामलों में इसे छोड़ दिया गया । संचयी रूप से, संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के प्रारम्भ होने से अब तक भाऔवित्रि ने 1,283 मामलों में संपरिवर्तनीयता खण्ड की शर्त लगाई, और 121 मामलों में इसका उपयोग किया तथा 484 मामलों में सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प के उपयोग में छूट दे दी गई ।

ऊर्जा संरक्षण एवं
ऊर्जा जांच योजनाएं

2.70 भाऔविबैंक के अग्रणी दायित्व में वित्तीय संस्थानों ने दो योजनाएं जून, 1988 से प्रारम्भ की—

— ऊर्जा जांच उप-सहायता योजना, तथा

— ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए उपस्कर वित्त

ऊर्जा जांच उप-सहायता योजना के अधीन ऊर्जा जांच अपेक्षाओं का पालन करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रारम्भिक एवं विस्तृत ऊर्जा जांचों के लिए की गयी लागत का प्रारम्भिक जांच के लिए अधिकतम 10,000 रुपये और विस्तृत जांच के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा के अधीन 50 प्रतिशत तक उप-सहायता के रूप में दी जा सकती है, बशर्ते ऐसी जांच अनुमोदित ऊर्जा परामर्श दाताओं को सौंपी गयी हो । ऊर्जा संरक्षण योजना के लिए उपस्कर वित्त के अधीन सहायता ऊर्जा बचत उपस्कर अधिग्रहण करने एवं संस्थापन करने हेतु उपलब्ध है । योजना के अधीन उपस्कर वित्त पर ब्याज की दर पर मिलने वाली छूट निर्धारित मानक की तुलना में वास्तव में की गयी ऊर्जा बचत की मात्रा से सम्बद्ध की गई है, लेकिन ब्याज की न्यूनतम दर 10 प्रतिशत वार्षिक रहेगी । इस योजना के अधीन उपस्कर वित्त को कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे—वचनबद्धता प्रभार, संपरिवर्तनीयता के विकल्प से छूट एवं निम्न प्रवर्तक अंशदान ।

अनुवर्तन व्यवस्था

2.71 अनुवर्तन व्यवस्था की मूल विधाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिनमें निहित रहीं (क) ऋणी संस्थाओं से मासिक उत्पादन रिपोर्टें प्राप्त करना जो उनके द्वारा सम्बन्धित सांविधिक/प्रशासनिक/नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, (ख) संस्थाओं द्वारा उनके बैंकरों आदि को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक प्रगति रिपोर्टें एवं विवरणियां प्राप्त करना, (ग) लेखों, कार्यपरिणामों एवं वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अर्धवार्षिक/वार्षिक विवरणियां मंगवाना, (घ) सहायता के अन्तिम उपयोग की जांच करने एवं वित्तपोषित संस्थाओं की परिचालन योजना की तुलना में उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से स्थल पर जाकर सावधिक निरीक्षण करना, (ङ) फैक्ट्री-स्थल पर आकस्मिक निरीक्षण करना अथवा सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रवर्तकों/वरिष्ठ कार्य पालकों को बुलाना, (च) आवश्यकता आधारित प्रबन्ध सूचना प्रणाली के लिए आग्रह करना, और (छ) जहां कहीं नियुक्त किए गए हैं, नामित निदेशकों/संगामी लेखा परीक्षकों/परामर्श दाताओं से रिपोर्टें प्राप्त करना । वर्ष के दौरान, अग्रणी मामलों में अनुवर्तन उपायों को और जोरदार बनाया गया तथा समूहिक वित्तपोषण आधार पर वित्तपोषित संस्थाओं की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों के मंच का अधिकाधिक लाभ उठाया गया ।

2.72 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि ने 753 वित्तपोषित संस्थाओं के निदेशक बोर्डों में 357 नामित निदेशक नियुक्त किए हुए थे, जिनमें से 152 शासकीय तथा 205 गैर-शासकीय थे । सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में नियुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, यह ध्यान रखा गया कि नामित निदेशक कक्ष के अधिकारी एक समय में 10 से अधिक संस्थाओं में नामित नहीं किए जायें, और नामित निदेशकों तथा नामित नियुक्त करने वाले संस्थानों में प्रभावशाली दो तरफा विचार आदान-प्रदान व्यवस्था कायम रहे । वर्ष के दौरान, एक और व्यवस्था विकसित की गयी, जिसके अधीन वित्तीय संस्थानों के नामित निदेशक कक्षों के प्रधान सावधिक आधार पर नियमित रूप से आपस में मिलते हैं, नामित निदेशकों के मंच की व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपायों पर विचार करते हैं और यह देखते हैं कि इस सम्बन्ध में आवश्यकता आधारित उपाय अपनाये जा रहे हैं । बोर्ड स्तर पर भी इस व्यवस्था एवं इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अर्ध-वार्षिक समीक्षाएं की गयी । सरकारी उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति द्वारा दिए कुछ सुझावों के बारे में शीर्ष वित्तीय संस्थान के नाते भाऔविबैंक का सरकार से पहले से ही पत्र व्यवहार जारी था ।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समन्वय

2.73 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समन्वय को और गहरा करने की

दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक, भाऔविबैंक, भाऔसानिनि, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रतिनिधियों के कार्यकारी दल, जिसका गठन राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद् की 24 दिसम्बर, 1986 को हुई बैठक में किया गया था, की प्रथम रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 25 जून, 1987 को मार्ग-निर्देश जारी किए गए थे। वर्ष 1987-88 की समाप्ति के समय उक्त कार्यकारी दल ने अपनी दूसरी रिपोर्ट को भी अन्तिम रूप प्रदान कर दिया था, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय से सम्बन्धित बड़े मुद्दों पर विचार किया गया था। इन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जून, 1988 को और मार्गनिर्देश जारी किए, जिससे कि वित्तीय संस्थाओं के साथ समरूप आधार पर कुल दीर्घावधि ऋण के 25 प्रतिशत की सीमा तक नई औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण में वाणिज्यिक बैंकों की भागीदारी और वर्तमान औद्योगिक इकाइयों (रुग्ण या कमजोर समझी जाने वाली इकाइयों से भिन्न) के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण का क्षेत्र बढ़ गया। भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों ने समूह आधार पर बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित मुद्दों को भी स्पष्ट किया है। वर्तमान व्यवस्थाओं और कार्यविधियों को सरल बनाने के अतिरिक्त, सामान्य दस्तावेजीकरण और बैंक अन्तरराष्ट्रीय प्रभाग के मंच जैसा मंच बनाने के लिए परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना के अधीन बैंकों को शामिल करने की संभावनाएं कार्यकारी समूह की सिफारिशों के अनुसरण में विचाराधीन थी।

(ख) संसाधन

संसाधन जुटाना
एवं वित्तीय प्रबन्ध

2.74 वर्ष 1987-88 के दौरान, भाऔविनि द्वारा 914.48 करोड़ रुपये (137 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक नकद शेष को छोड़कर) के संसाधन जुटाए गये। यह पिछले वर्ष के 599.20 करोड़ रुपये (208.88 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक नकद शेष को छोड़कर) के जुटाये संसाधनों से 52.6 प्रतिशत अधिक है। इसके लिए भाऔविनि भारत सरकार का रुपया मुद्रा में बाजार उधारों के आबंटन एवं विदेशों से विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए दिए गए अनुमोदनों हेतु दिए गए सहयोग एवं अनुग्रह के लिए आभारी है। संसाधन जुटाने में ठोस आन्तरिक वसूली अभियान ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

2.75 वर्ष 1987-88 के दौरान संसाधनों के क्षेत्र में निम्नलिखित उल्लेखनीय बातें हुई :

— 26 अप्रैल, 1988 को 12.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी का निर्गम।

— आन्तरिक प्रोद्भूत, जिससे भाऔविनि की आरक्षित निधियां 43.45 करोड़ रुपये से बढ़ गयीं।

— तीन सार्वजनिक निर्गम बांडों (24 नवम्बर, 1987, 17 फरवरी, 1988, और 14 जून, 1988 को जारी की गई 48वीं, 49वीं एवं 50वीं सीरीज के द्वारा 385.28 करोड़ रुपये के रुपया संसाधन बढ़ाना।

— (क) ऋणों की पुनर्अदायगी, (ख) निवेशों की बिक्री/विमोचन के द्वारा 139.90 करोड़ रुपये की प्राप्ति, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.4 प्रतिशत अधिक रही।

— (क) जर्मन संघीय गणराज्य के क्रदितान्सतल्ल—फर—वाइटरफवऊ से 80 मिलियन जर्मन मार्क के 25वें ऋण (समझौते पर नई दिल्ली में 15 मार्च, 1988 को हस्ताक्षर हुए), और (ख) दिसम्बर, 1987 में 14 बिलियन जापानी-येन के यूरो-येन ऋण, जिसमें से आंशिक रूप से जापानी येन 9 बिलियन, अमरीकी डालर 70.098 मिलियन में था, और बाकी आंशिक रूप से जापानी येन में था, द्वारा विदेशी मुद्रा संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि।

2.76 वर्ष के दौरान, भाऔविबैंक अथवा केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं लिए गये, लेकिन वर्ष के दौरान, भाऔविबैंक और केन्द्रीय सरकार को क्रमशः 8.40 करोड़ रुपये तथा 0.68 करोड़ रुपये की राशि पुनर्अदा की गयी, जिससे 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार भाऔविबैंक से लिए गए ऋण की राशि 70.25 करोड़ रुपये से घटकर 61.85 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार से ली गई 2.08 करोड़ रुपये की राशि घटकर 1.40 करोड़ रुपये रह गयी।

2.77 जहां तक ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के ऋण भाग का सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से 0.95 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई, तथा 0.45 करोड़ रुपये की राशि पुनर्अदा की गयी। इस प्रकार, 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार को देय ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के ऋण भाग की कुल राशि 7.47 करोड़ रुपये रही, जबकि 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार यह देय राशि 6.97 करोड़ रुपये थी।

2.78 जून, 1980 की समाप्ति के समय भाऔविनि विदेशी मुद्रा संसाधनों को जुटाने के सम्बन्ध में (क) स्विस बैंक कार्पोरेशन इनवेस्टमेंट बैंकिंग लि० से अमरीकी डालर 100 मिलियन का ऋण लेने, जिसे प्रत्येक 50 मिलियन अमरीकी डालर के दो हिस्सों में लिया जाना था और जिसमें से 50 मिलियन अमरीकी डालर के दूसरे भाग को व्यवस्थापक, अर्थात् स्विस बैंक कार्पोरेशन इनवेस्टमेंट बैंकिंग लि० के विकल्प पर दो वर्षों के पश्चात् स्विस फ्रैन्क्स में संपरिवर्तित किया जा सकता था, (ख) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को-आपरेशन लि०, एफ० आई० एम० 30 मिलियन की ऋण व्यवस्था, (ग) जून, 1988 में जापान के निर्यात-

आयात बैंक से जून, 1988 में जापन के निर्यात-आयात बैंक से भाऔविबैंक द्वारा जुटाये गए 20 बिलियन येन क्षेत्र-विशेष ऋण में भागीदारी, जिसे ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के क्षेत्रों तथा इनकी सहायक इकाइयों को ऋण देने हेतु उपयोग किया जाना था : और (घ) एशियाई विकास बैंक से 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण, हेतु बातचीत चल रही थी ।

2.79 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के समग्र संसाधनों में निहित थे—(क) इसकी प्रदत्त पूंजी (70 करोड़ रुपये), (ख) आरक्षित निधियां (225.62 करोड़ रुपये), (ग) 30 जून, 1988 तक विमोच्य राशियों को छोड़कर बांडों के सार्वजनिक निर्गम के द्वारा रुपये उधार (2,083.80 करोड़ रुपये), (घ) जर्मन मार्क में पच्चीस ऋण व्यवस्थाओं के अधीन जर्मन संघीय गणराज्य के कृदितान्सतल्त-फर-वाइडरफबऊ से उधार (जर्मन मार्क 408 मिलियन), तथा (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से विदेशी मुद्राओं में जुटाये गये अमरीकी डालर 270 मिलियन, जापानी येन 20 बिलियन और जर्मन मार्क 15 मिलियन के संचयी वाणिज्यिक उधार ।

निधियों के स्रोत और उपयोग

2.80 1987–88 के दौरान भाऔविनि द्वारा जुटाए गए कुल संसाधन (137 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक नकद शेष को छोड़कर), 914.48 करोड़ रुपए रहे, इनमें सम्मिलित है (क) 12.50 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि, (ख) कर से पूर्व 68.88 करोड़ रुपए का लाभ जनन, (ग) ऋणियों से ऋणों की वसूली और निवेशों आदि की बिक्री से प्राप्त 139.90 करोड़ रुपए की राशि, (घ) बांडों के माध्यम से 385.28 करोड़ रुपए के बाजार उधार, (ङ) विदेशी मुद्राओं में 303.05 करोड़ रुपए के उधार तथा सरकार से ब्याज अन्तर-जन्य निधियों के रूप में 4.87 करोड़ रुपए की प्राप्त राशि । इन संसाधनों का उपयोग वित्तीय सहायता के संवितरण (725.81 करोड़ रुपए), बांडों का विमोचन (58.39 करोड़ रुपए), रुपया और विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्अदायगी (14.72 करोड़ रुपए) लाभांश की अदायगी (7.48 करोड़ रुपए), कराधान (16.22 करोड़ रुपए) और अन्य उपयोगों (35.48 करोड़ रुपए), हेतु किया गया ।

बकाया और अतिदेय

2.81 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार 1,767 संस्थाओं से 2733.21 करोड़ रुपए की ऋण सहायता बकाया थी । वित्तपोषित कम्पनियों के शेयरों अवेर डिबेन्चरों में भाऔविनि की धारिता 96.53 करोड़ रुपए थी, और 32.92 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए गारण्टियां दी गयी थीं ।

2.82 वर्ष की समाप्ति के समय बकाया ऋण सहायता में से, कुल अतिदेय राशि (मूलधन के रूप में 69.17 करोड़ रुपए और ब्याज के रूप में 28.93 करोड़ रुपए) 98.10 करोड़ रुपए थी । ये अतिदेय राशियां, 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के कुल बकाया ऋणों का लगभग 3.6% थी ।

2.83 वर्ष के दौरान, वसूली अनुपात भी दो प्रतिशतता बिन्दु ऊंचा रहा । वास्तव में यह 1986–87 के सुधरे हुए एक प्रतिशतता बिन्दु और 1985–86 में सात प्रतिशतता बिन्दुओं के उपरान्त था ।

2.84 दीर्घकाल से समस्याओं का सामना करती आ रही इकाइयों के मामले में, परियोजना के वित्तपोषण से सम्बन्धित सभी भागीदार संस्थानों की संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं, ताकि इनके पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार के लिए सम्भव एक मुश्त सुविधाओं को निर्धारित करने हेतु सहमति प्राप्त की जा सके । वसूली अभियान एवं वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय सक्रिय रूप से कार्यरत रहे । पिछले वर्ष प्रारम्भ की गयी एकल स्थल वसूली अवस्था को और गहन किया गया, और वित्तपोषित इकाइयों द्वारा सभी भागीदारी संस्थानों की देय राशियों को समय पर अदा करने को आश्वत करने के लिए ठोस अनुवर्तन किए गए, तथा प्राप्त हुई राशियों को समानुपात आधार पर आपस में बांटा गया ।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.85 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए भाऔविनि के प्रयास औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के, जो वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से परिचालन में आ गया, साथ सम्बद्ध रहे । रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों की व्यवस्था के अधीन भाऔविनि को एक परिचालन एजेन्सी के रूप विनिर्दिष्ट किया गया ।

2.86 1986–87 के दौरान, भाऔविनि के 36 अग्रणी मामलों के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की 65 सुनवाइयां हुईं । प्रत्येक मामले में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उल्लिखित विशिष्ट मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत व्यवहायता अध्ययन करने एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाने के लिए 16 मामलों (2 गैर-अग्रणी मामलों सहित) के सम्बन्ध में भाऔविनि को परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया । इनमें से, भाऔविनि को परिचालन एजेंसी के रूप में 9 मामलों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापन के मामले प्रस्तुत किए । इसके अतिरिक्त, औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड के तत्वाधान के अधीन भाऔविनि ने सात अग्रणी मामलों में व्यवहार्यता अध्ययन और/अथवा पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाने का दायित्व निभाया यद्यपि इन मामलों में यह परिचालन एजेंसी नहीं था । कुछ गैर-वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए योजनाओं की जांच करने/पुनः संरचित करने के लिए भी भाऔविनि की दक्षता बी० आई० एफ० आर० की उपलब्ध कराई गयी ।

2.87 बी० आई० एफ० आर० की परिधि में आने वाले मामलों के सम्बन्ध में सामान्य आधार पर पुनर्स्थापन एक मुश्त सुविधाएं प्रदान करने का क्रम जारी रखा । ऐसे 14 मामलों

में वर्ष के दौरान पुनर्स्थापन योजनाएं बनायी गयीं। सिफारिश किए गए/प्रत्याशित पुनर्स्थापन उपायों में जो विस्तृत पहलू निहित थे, उनमें रुग्ण इकाइयों के आधुनिकीकरण, विस्तार, विशाखन आदि भी सम्मिलित थे। चार मामलों में वर्ष के दौरान बकाया देय राशियों के निपटान की एक मुश्त व्यवस्था की गयी। भाऔविनि के 9 अग्रणी मामलों में, वर्ष के दौरान बकाया देय राशियों को वसूल करने के लिए ऋण वापस मांगे गए और/अथवा विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2.88 भाऔविनि लगातार मार्ग-निर्देशक समिति (रुग्ण/समस्याग्रस्त इकाइयों पर विचार करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित) का लाभ उठाता रहा; और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी मामलों में किए गए पुनर्स्थापन प्रयासों से भी नजदीकी रूप में सम्बद्ध रहा।

2.89 प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, अन्य संस्थानों के साथ विचार विमर्श करके पुनर्स्थापन के लिए रुग्ण इकाइयों को प्रदान की जाने वाली राहतों एवं रियायतों के मसौदा मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए। इन मार्ग निर्देशों का उद्देश्य संस्थानों द्वारा एक रूप दृष्टिकोण अपनाए जाने को आश्वस्त करना है, जिन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है। अच्छे कार्य सम्बन्ध बनाने एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा संस्थानों के बीच विचारों एवं अनुभव का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से दो उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया।

2.90 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के कार्यक्रम से उपचारित की गयी कुछ इकाइयों ने उल्लेखनीय प्रगति की। इसके अतिरिक्त, वर्ष की समाप्ति के समय समामेलन/अधिग्रहण के दो प्रस्ताव संस्थानों के विचाराधीन थे।

2.91 जून, 1988 की समाप्ति के समय रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में रुग्ण कम्पनियों की यथा उल्लिखित परिभाषा के अनुसार भाऔविनि की अग्रता वाली 88 इकाइयां "रुग्ण" थीं।

(ग) कार्य परिणाम

2.92 वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखों के लेखा-परीक्षित लेखों तथा 30 जून, 1988 के अनुसार तुलन-पत्र, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ लगाया गया है, से पता चलता है कि वर्ष के दौरान भाऔविनि का कर-पूर्व लाभ 68.88 करोड़ रुपए रहा, जब कि 1986-87 में यह 61.62 करोड़ रुपए था, इसमें 11.8% की वृद्धि हुई। 16.22 करोड़ रुपए की कराधान की व्यवस्था करने के पश्चात् वर्ष 1987-88 का निवल लाभ 52.66 करोड़ रुपए रहा, जब कि 1986-87 में यह 43.48 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष के निवल लाभ से यह 21.1% अधिक था।

239. भाऔविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किए गए समायोजनों का विवरण सारणी 10 में दिया गया है

सारणी 10 : निवल लाभ का विनियोजन (करोड़ रुपये)

	इस वर्ष (1987-88) (जुलाई-जून)		पिछला वर्ष (1986-87) (जुलाई-जून)	
1	2		3	
वर्ष के लिए निवल लाभ		52.66		43.48
विनियोजन				
निम्नलिखित को अन्तरित---				
(क) सामान्य आरक्षित निधि	17.92		10.82	
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	2.00		1.50	
(ग) विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन)	25.01	44.93	25.19	37.78
कर्मचारी कल्याण निधि को आबंटन		0.25		0.15
लाभांश की अदायगी (12% वार्षिक)		7.48		5.52
जोड़ :		52.66		43.48

2.94 सन्तोषजनक कार्य परिणाम को ध्यान में रखते हुए भाऔविनि के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर पिछले वर्ष घोषित 11% की तुलना में 12% वार्षिक का लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया है।

कार्य परिणामों की प्रवृत्ति

2.95 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष सहित भाऔविनि के पिछले तीन वर्ष के कार्य परिणामों का संक्षेप सारणी 11 में दिया गया है।

सारणी 11 : तीन वर्षों के दौरान भाऔविनि के कार्य-परिणाम (करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष 1986 रु०	1987 रु०	1988 रु०
1	2	3	4
दिए गए उधारों पर ब्याज	167.74	225.48	285.30
घटाइए : लिए गए उधारों की लागत	119.92	160.78	212.10
निवल ब्याज राजस्व	47.82	64.70	73.20
अन्य आय	9.40	8.00	9.36
निवल आय	57.22	72.70	82.56
व्यय :			
--कार्मिक व्यय	4.85	6.55	6.12
--निवेशों पर हानि	0.37	0.18	0.02

1	2	3	4
--निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0.02	0.03	0.03
--अन्य व्यय अनुदान	2.67	3.14	4.51
--मूल्य ह्रास	0.50	1.18	3.00
कर-पूर्व लाभ	48.81	61.62	68.88
कराधान	14.63	18.14	16.22
निवल लाभ	34.18	43.18	52.66
लाभांश (दर)	10.0%	11.0%	12.0%

2.96 उपर्युक्त से स्पष्ट है—

*1987-88 में ऋण परिचालनों से ब्याज आय में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

*1987-88 में "उधार लागत" में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

*"निवल आय" और "निवल लाभ" में क्रमशः 13.6 प्रतिशत और 21.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

*1976-77 में "ऋणों पर ब्याज आय" की तुलना में उधार लागत 71.3 प्रतिशत थी, यह 1987-88 में 74.3 प्रतिशत रही ।

*1987-88 में निवल आय के प्रतिशत के रूप में कर-पूर्व लाभ 83.4 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्ष 84.7 प्रतिशत था ।

*1987-88 में निवल आय के प्रतिशत के रूप में निवल-लाभ 6.38 प्रतिशत रहा, यह पिछले वर्ष 59.8 प्रतिशत था ।

वित्तीय स्थिति

2.97 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति, सहित पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति, जैसा कि तुलना-पत्र से स्पष्ट है, सारणी 12 में दी गयी है ।

सारणी 12 : तीन वर्षों के दौरान भाऔविनि की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति (करोड़ रुपये)

विवरण	1986 रु०	1987 रु०	1988 रु०
1	3	4	5
परिसम्पत्तियां			
नकद व बैंक शेष	208.88	137.00	193.38
निवेश			
--सहायता प्राप्त संस्थाओं में	58.68	72.83	96.53
--अन्य संस्थानों में	0.21	2.81	6.50
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	1,649.11	2,117.10	2,733.21
स्थिर था अन्य परिसम्पत्तियां	93.25	132.73	172.02
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	17.88	21.93	22.92
	2,028.01	2,464.40	3,224.56
देयताएं और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	45.00	57.50	70.00
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	144.88	182.17	225.62
उधार			
(क) बांड	1,452.88	1,729.40	2,083.80
(ख) सरकार तथा भा०औ० वि० बैंक से	87.13	79.30	70.73
(ग) विदेशी मुद्राओं में	163.25	285.78	611.15
चालू देयताएं और प्रावधान	110.74	120.29	130.44
निर्धारित निधियां	6.25	8.03	9.90
स्वीकृतियों पर देयता	17.88	21.93	22.92
	1,028.01	2,448.40	3,224.56
ऋण : इक्विटी	89.1	87.1	93.1
निवल मूल्य : निवल लाभ	56.1	55.1	56.1

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

2.98 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार भाऔविबैंक द्वारा 1987-88 के लिए मैसर्स एन० एम० रायजी एण्ड कं०, सनदी लेखापाल, बम्बई को सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया । भाऔविबैंक से भिन्न, भाऔविनि के शेयरधारियों ने मैसर्स टी० आर० चड्ढा एण्ड कं०, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली को उसी अवधि के लिए लेखा-परीक्षक चुना । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34(3) की व्यवस्थाओं के अनुसार वर्ष 1987-88 के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इस वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है । आय-कर अधिनियम, 1961 (वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 44 (खख) के अनुसार 30 जून, 1988 को समाप्त अवधि के लिए भाऔविनि की कर लेखा-परीक्षा करने के लिए मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं०, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली, कर लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त रहे ।

अध्याय 3

वित्तीय सेवाएं

मर्चेन्ट बैंकिंग

3.01 औद्योगिक वित्तपोषण के क्षेत्र में भाऔविनि के लम्बे अनुभव को देखते हुए एक प्रकार से, 1982 में भाऔविनि की संविधि में संशोधन किया जाना समुचित ही था, जिससे भाऔविनि मर्चेन्ट बैंकिंग कार्य को आरम्भ करने के लिए प्राधिकृत हो गया । पुनः औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में, 1986 में किए गए संशोधन

से भाऔविनि की मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाओं के कार्य-क्षेत्र को और विस्तार प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप भाऔविनि भारत अथवा भारत के बाहर मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाओं सहित परामर्शदायी सेवाओं को प्रदान कर सकता है ।

3.02 भाऔविनि की मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाओं का प्रयोजन, जिन्हें पहली जुलाई, 1986 से प्रारम्भ किया गया, न केवल ऐसी सेवायें उपलब्ध कराना है, जो कोई भी मर्चेन्ट बैंकर उपलब्ध करा सकता है, अपितु परियोजना परामर्श एवं एक-मुश्त सुविधाएं, विशेषकर निगमित क्षेत्र के मध्यम तथा बड़े उद्यमों को जिन्हें नई परियोजनाओं के निरूपण एवं कार्यान्वयन तथा उनकी विद्यमान परियोजनाओं के आधुनिकीकरण या विशाखन के लिए विशेष सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उपलब्ध कराना भी है ।

3.03 मर्चेन्ट बैंकिंग के क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा और 1987 के अधिकतर भाग तथा 1988 के प्रारम्भ में पूंजी बाजार में मन्दी परिस्थितियों के बावजूद भी भाऔविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग एवं समवर्गीय कारोबार विभाग ने, अपने बम्बई स्थित ब्यूरो सहित, अपनी गतिविधियों में बढ़ोतरी की और पिछले वर्ष के 12 निर्गमों की तुलना में इस वर्ष 22 सार्वजनिक निर्गमों की सफलतापूर्वक व्यवस्था की, जिससे इसके ग्राहक 271.08 करोड़ रुपये की राशि का संचय करने में समर्थ हो सके ।

3.04 1987-88 के दौरान, भाऔविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग एवं समवर्गीय कारोबार विभाग का मुख्य जोर फिर भी नए उद्यमियों को बेहतर परियोजना परामर्श सेवाएं प्रदान करने तथा नई निगमित संस्थाओं को उनकी परियोजनाएं बनाने एवं कार्यान्वित करने तथा उन्हें तत्परता से विभिन्न वित्तीय सुविधाएं प्राप्त कराने वाले संस्थानों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना ही रहा । विभाग ने न्यासधारिता दत्त-कार्यों के अतिरिक्त पुनर्स्थापन के लिए समुचित एक मुश्त सुविधाओं तथा पूंजी संरचना योजनाओं एवं समामेलन तथा एकीकरण प्रस्तावों को निर्मित करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई ।

उपस्कर लीजिंग

3.05 भाऔविनि के विशाखित कारोबार-मिश्रण में, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(ण) की शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा भाऔविनि को 26 मई, 1988 को लीजिंग कारोबार प्रारम्भ करने का प्राधिकार प्रदान किए जाने से, एक और नया आयाम जुड़ गया ।

3.06 उपस्कर लीजिंग योजना के अधीन जिसे पहली जून, 1988 से प्रभावी किया गया, भाऔविनि निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों की विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को पट्टे पर उपस्कर प्रदान करता है । योजना के अन्तर्गत, वित्तीय लीजिंग (मास्टर लीज सहित), सिंडीकेटिड लीजिंग, बिक्री एवं लीजिंग के पुनः लीज रूप को हाथ में लेने तथा आयातित उपस्कर लीजिंग की व्यवस्था है । लीज व्यवस्था के साक्ष्य के रूप में सरल दस्तावेजीकरण सहित, योजना के अधीन सुविधा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए एक संक्षिप्त एवं सरल कार्यविधि अपनाई जा रही है ।

3.07 यद्यपि उपस्कर लीजिंग योजना पहली जून, 1988 को ही आरम्भ की गई, तथापि इसे उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त हुआ, और एक महीने की अवधि के भीतर ही भाऔविनि 15.07 करोड़ रुपये की लागत के उपस्कर के दो मामलों को पट्टे पर प्रदान करने को अन्तिम रूप देने में समर्थ रहा । सामान्यतः उद्योग को लीजिंग से प्राप्त होने वाले अन्तर-निहित लाभों और विशेषतः भाऔविनि द्वारा तत्परता से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आशा है कि चालू तथा भावी वर्षों में इस मद के अन्तर्गत भाऔविनि काफी कारोबार कर सकेगा ।

लीजिंग तथा किराया-खरीद संस्थाओं के वित्तपोषण की योजना

3.08 निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों की विद्यमान लीजिंग एवं किराया-खरीद संस्थाओं के लिए, जो कम से कम पिछले तीन लेखांकन वर्षों से लीजिंग और/अथवा किराया-खरीद कारोबार में लगी हों, एवं जिनका कार्य-निष्पादन की सफलता का रिकार्ड सन्तोषजनक तथा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो, भाऔविनि ने पहली नवम्बर, 1987 से वित्त उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए लीजिंग तथा किराया-खरीद संस्थाओं के वित्तपोषण करने की एक योजना प्रारम्भ की । योजना के अधीन वित्तीय सहायता का, ऋण व्यवस्था के रूप में अथवा केवल ऋणों के रूप में, या लीज किराये में से आहरित किए गए नोटों के पुनर्बट्टे के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है ।

3.09 इस योजना को भी विद्यमान लीजिंग तथा किराया-खरीद संस्थाओं से अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ । अतः, पात्रता-मापदण्ड एवं प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुए, भाऔविनि ने 30 जून, 1988 को समाप्त हुए 8 मास की अवधि के दौरान, चयनात्मक आधार पर, 13 विद्यमान लीजिंग तथा किराया-खरीद संस्थाओं को 10.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की, और इस प्रकार इससे देश में उद्योगों की उन्नति तथा विकास के लिए भाऔविनि द्वारा प्रदान की जा रही उल्लेखनीय वित्तीय सेवाओं में एक और आयाम जोड़ा गया ।

पूर्तिकार उधार योजना

3.10 भाऔविनि द्वारा वर्ष 1987-88 के प्रारम्भ में शुरू की गई पूर्तिकार उधार योजना एक विलक्षण योजना है, जो उपस्कर निर्माताओं तथा उपस्कर प्रयोक्ताओं दोनों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है । इस योजना के अन्तर्गत मशीनरी, उपस्कर तथा कम्प्यूटर निर्माता संस्थाओं

के लिए आस्थगित अदायगी आधार पर उनकी उपस्कर वास्तविक-प्रयोक्ता-खरीदार संस्थाओं को बेचने हेतु एक गैर-आवर्ती ऋण व्यवस्था की संरचना की गई है। किन्तु योजना से लाभान्वित होने के लिए यह आवश्यक है कि उपस्कर-विक्रेता संस्थाएं एवं उपस्कर-क्रेता संस्थाएं, दोनों ही, या तो निगमित या सहकारी क्षेत्र की होनी चाहिएं।

3.11 योजना के अधीन, ऋण व्यवस्था निर्माता-विक्रेता संस्था एवं इसकी वास्तविक-प्रयोक्ता-क्रेता ग्राहक संस्था/संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराई जा सकती है। उपस्कर के प्रस्तावित क्रेता-प्रयोक्ता भी अपने उपस्कर को आस्थगित आधार पर बेचने के लिए सहमत हुई निर्माता-विक्रेता संस्थाओं के विवरणों सहित पहुंच कर सकते हैं। योजना के अधीन विक्रेता द्वारा आस्थगित आधार पर संदेय किस्तों पर ब्याज सहित प्रत्येक किस्त के लिए एक अलग बिल आहरित किया जाता है। मियादी बिल ऐसी संख्याओं में तैयार किए जाते हैं ताकि वे मूलधन तथा ब्याज की प्रत्येक किस्त को समाहित कर सकें। भाऔविवि द्वारा इन मियादी बिलों के एवज में मशीनरी संभरकों को अग्रिम प्रदान किया जाता है। विक्रेता को सुविधा का उपयोग निर्धारित अवधि के अन्दर करना होता है और उसे उसको मंजूर की गई समग्र ऋण व्यवस्था की सीमा के अधीन प्रत्येक प्रस्ताव के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होता है। भाऔविवि द्वारा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक बहुत ही सरल और तीव्र गति वाली कार्यविधि अपनाई गई है।

3.12 योजना को, इसकी सुगमता एवं, सरलता को देखते हुए, विस्तृत समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम वर्ष में ही योजना के अधीन 22 उपस्कर निर्माता संस्थाओं को 57.96 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जिसमें से 30 जून, 1988 तक 5 मामलों में 3.10 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित हो चुकी थी। योजना के अधीन जिन उपस्कर निर्माता संस्थाओं को सहायता प्रदान की गई, उनका उद्योगवार वर्गीकरण निम्नलिखित अनुसार था—चीनी मशीनरी (1), वस्त्र मशीनरी (5), धरती-धकेल मशीनरी (3), बिजली उपस्कर (5), डेरी मशीनरी (1), साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन संयंत्र (1), प्लेन पेपर कापियर (1), प्लास्टिक प्रोसेसिंग उपस्कर (1), एपीएबीएक्स सिस्टम (2), कम्प्यूटर पेरीफरल्स (1) तथा पेंट शाप उपस्कर (1)। 22 मामलों में से, महाराष्ट्र से 13, पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा प्रत्येक से 2, तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से एक-एक, सम्बन्धित थे।

अध्याय 4

प्रवर्तन कार्य

भाऔविवि की विकासात्मक भूमिका

4.01 चूंकि परियोजना वित्तपोषण के क्षेत्र में भाऔविवि का कार्य व्यापक रूप से निगमित और सहकारी क्षेत्रों की मध्यम और मध्यम-बड़े आकार की औद्योगिक इकाइयों, को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसके लिए मूलतः इसकी स्थापना की गई थी, भाऔविवि अपने विकासात्मक कार्यों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रयास और कार्य कर रहा है, जो अपने बहु-आयामी रूप में देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए इसके द्वारा उपयुक्त समझे जाते हैं।

4.02 अनुभव से यह सिद्ध हो गया है, कि केवल मात्र राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन या वित्त की सहज सुलभता से औद्योगिक प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, जब तक कि परियोजना के जीवन-क्रम के दौरान प्रत्येक स्थिति में साधनसम्पन्न उद्यमीयता, नवीनतम और सक्षम प्रौद्योगिकी/जानकारी, व्यवसायिक प्रबन्ध, सुप्रेरित मानवशक्ति, परियोजना परामर्श और विस्तार सेवाओं, जैसे अन्य उपादय उपलब्ध न हों। अपने विकासात्मक कार्यों में, भाऔविवि नियमित रूप से अपने संसाधनों और क्षमता के अनुरूप अधिकतम संभव सीमा तक इन गैर-वित्तीय उपादेयों की व्यवस्था या उत्प्रेरण करने का प्रयास कर रहा है। भाऔविवि के प्रवर्तन कार्यों में व्याप्त जो दर्शन है, उसका लक्ष्य ऐसे सहायक उपायों से लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को मदद और प्रोत्साहन प्रदान करना है, जो उन्हें 'स्थिरता सहित प्रगति' प्रदान कर सके।

प्रवर्तन गतिविधियां—समीक्षा

4.03 वर्ष 1987-88 में भाऔविवि की प्रवर्तन गतिविधियों का मुख्य बल, देश में उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता और गति प्रदान करने, अधिक उदार जोखिम पूंजी सहायता प्रदान करते हुए उद्यमीयता आधार को विस्तृत करने, प्रौद्योगिकी वित्त और विकास के क्षेत्रों में पदार्पण करने, तकनीकी सलाहकारी संगठनों को समर्थन देने, और देश में प्रबन्ध विकास के प्रयोजन हेतु सहायता प्रदान करने पर रहा।

4.04 भाऔविवि कुछ प्रवर्तन योजनाएं भी चला रहा है, जो ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों के उद्योगों की उन्नति और विकास के अन्तरालों को भरने का प्रयत्न कर रही हैं, और नए स्व-नियोजित युवकों, महिला उद्यमियों, देशी प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण का प्रयास करने वाली परियोजनाओं, गुणवत्ता नियंत्रण उपाय आदि को, ब्याज उप-सहायता के रूप में निश्चित प्रोत्साहन देती हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पशुधन विकास, डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मछली पकड़ने, कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन और मत्स्यपालन पर आधारित या उनसे सम्बन्धित उद्योगों को उप-सहायता प्रदत्त परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। योजनाओं के स्वरूप के अनुसार विद्यमान योजनाओं का पुनरीक्षण या नई योजनाएं बनाते समय राष्ट्रीय नीति के अनुरूप समाज के कमजोर वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों,

भूतपूर्व सैनिकों, श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों आदि को बहुतर संव्यवहार प्रदान किया गया ।

4.05 वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उपयोग की गई राशि 540.23 लाख रुपए रही, जो कि पिछले वर्ष उपयोग की गई 446.06 लाख रुपए की राशि से 21.1 प्रतिशत अधिक थी । सारणी 13 और 14 में भाऔविनि द्वारा इसकी प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उपयोग की गयी राशि का, तथा जिन स्रोतों से इसे जुटाया गया था, ब्यौरा दिया गया है ।

सारणी 13 : प्रवर्तन गतिविधियों पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई राशि (लाख रुपये)

भाऔविनि द्वारा सहायता प्रदान की गई गतिविधियों का स्वरूप	1987-88 (जुलाई-जून) राशि/ रुपये/		30 जून, 1988 तक संचयी राशि/ रुपये/	
(1)	(2)		(3)	
(i) प्रवर्तन योजनाएं				
—उप-सहायता	42.67		271.75	
—ऋण सहायता	—	42.67	23.50	295.25
(ii) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए		0.34		9.59
(iii) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए सहायता				
—तकनीकी सलाहकारी संगठन के लिए	6.48		62.53	
—औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका	—	6.48	0.43	62.96
(iv) उद्यमीयता विकास के लिए सहायता				
—उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी	19.98		46.99	
—भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता	11.75		84.25	
—उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता	3.75	35.48	12.25	143.49
(v) जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता के लिए मदद		267.00		1,249.92
(vi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता		15.91		15.91
(vii) प्रबन्ध विकास संस्थान की प्रबन्ध विकास गतिविधि के लिए मदद		166.46		796.99
(viii) अनुसंधान आदि का प्रवर्तन				
—भा औविनि पीठें	2.18		27.36	
—विशेष अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टें आदि	—		10.63	
—इण्डियन इकनामिक जर्नल को सहायता	—	2.18	0.10	38.09
(ix) अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनारों के लिए सहायता				
—ग्रामीण विकास पर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपादन	—			
—गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुसंधान और सूचना व्यवस्था	3.00		8.00	
—विश्व आर्थिक कांग्रेस	—		4.00	
—इण्डियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी	0.50	3.50	0.50	13.50
(x) गहरा कुंआ परियोजना के लिए मुनिगुडा, उड़ीसा के 'नई आशा ग्रामीण कुष्ठ रोग न्यास को सहायता		0.21		0.21
(xi) पुनर्भर्या कार्यक्रम और राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता		—		4.30
(xii) अन्य (परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिए प्रयुक्त			—	59.36
जोड़		540.23		2,669.57

सारणी 14 : भाऔविनि की प्रवर्तन गतिविधियों के लिए वित्तीय स्रोत

(लाख रुपये)

निधि	1987-88 (जुलाई-जून) राशि/रु०	30 जून 1988 तक संचयी राशि/रु०
(1)	(2)	(3)
हितकारी आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन भाऔविनि के लाभों में से बनाई गई)	184.98	669.07
ब्याज अन्तर-जन्य निधियां (भाऔविनि, कदितांस्सल्त फर वाइडरफबऊ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों के लिए भाऔविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त धन के द्योतक है)	355.25	2,020.50
जोड़	540.23	2,689.57

प्रवर्तन योजनाएं

4.06 वर्ष के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के उद्यमियों के लाभ के लिए भाऔविनि की विद्यमान प्रवर्तन योजनाओं को और भी उदार बनाया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों की विभिन्न योजनाओं के अधीन उन्हें उपलब्ध समान लाभों के लिए भूतपूर्व सैनिकों और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को भी वरीय श्रेणियां माना गया। दिसम्बर, 1987 में की गई समीक्षा के आधार पर कुछ योजनाओं को, जिन्हें बाद में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक) ने व्यापक पैमाने पर स्वयं चलाना आरम्भ कर दिया था, छोड़ दिया गया, और कुछ नई योजनाओं तथा कुछ विद्यमान योजनाओं को, संशोधित करने के बाद, कुछ अतिरिक्त विशेषताओं सहित आरम्भ किया गया।

4.07 वर्तमान स्थिति यह है कि भाऔविनि की इस समय निम्नलिखितानुसार आठ सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाएं एवम चार ब्याज उप-सहायता योजनाएं चल रही हैं :—

सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाएं

— व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के लघु उद्यमियों को उप-सहायता देना।

— पशुधन विकास, डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन और मछली पकड़ने से सम्बन्धित उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना।

— कृषि, बागबानी, रेशम उद्योग और मत्स्य पालन पर आधारित या उनसे सम्बन्धित उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना।

— सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना।

— बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण आदि की लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना।

— लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने के लिए उप-सहायता योजना।

— ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण उपायों के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग हेतु सलाहकारी उप-सहायता योजना।

— ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-सहायता योजना।

ब्याज उप-सहायता योजनाएं

— बेरोजगार युवा व्यक्तियों के लिए स्व-विकास और स्व-नियोजन योजना।

— महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।

— लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।

— देशी तकनीक को ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।

4.08 सलाहकारी शुल्क उप सहायता योजनाओं का उद्देश्य तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र में व्यापक रूप से औद्योगिक इकाइयों को कम दर पर सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। सलाहकारी सेवाओं में व्यवहार्यता अध्ययन करने, परियोजना रिपोर्ट बनाने, बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण, बाजार सहायता, ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग, ऊर्जा संरक्षण उपायों, प्रदूषण नियंत्रण और पशुधन विकास, डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मछली-पकड़ने, कृषि, बागबानी, रेशम उद्योग, मत्स्य-पालन आदि से सम्बन्धित या उन पर आधारित उद्योगों के सलाहकारी सेवाओं के पैकेज पर मुख्य बल दिया गया है।

4.09 ब्याज उप-सहायता योजनाओं का लक्ष्य बेरोजगार युवाओं तथा महिला उद्यमियों को स्व-विकास एवं स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को ग्रहण करना, उपलब्ध देशी प्रौद्योगिकी को काम में लाना, आदि है। वर्ष के अंत में, इन योजनाओं में, पहली जुलाई, 1988 से प्रभावी, एक प्रमुख विशेषता यह जोड़ी गई कि यदि बेरोजगार युवा और महिला उद्यमी अपने उद्यम के लिए बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, तो वे अपनी परियोजना पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंक ऋणों पर भाऔविनि ब्याज उप-सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह सुविधा राज्य वित्तीय निगमों

या राज्य वित्तीय निगमों का कार्य करने वाले राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा किए गए ऋणों के लिए ही उपलब्ध थीं।

प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप-सहायता तथा ऋण सहायता

4.10 1987-88 में, भाग्रौविनि ने अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन 42.67 लाख रुपये की उप-सहायता का संवितरण किया, जिससे 1372 परियोजनाओं को लाभ हुआ, और जो अधिकतर ग्रामीण और लघु उद्योग (सहायक उद्योगों सहित) क्षेत्र की थीं। सारणी 15 में वर्ष 1987-88 के दौरान और 30 जून, 1988 तक भाग्रौविनि द्वारा संचयी रूप से अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप-सहायता के विवरण दिए गए हैं।

सारणी 15 : भाग्रौविनि द्वारा इसकी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप-सहायता (लाख रुपये)

प्रवर्तन योजनाओं के नाम	1987-88 (जुलाई-जून) (रु०)	30 जून 1988 तक संचयी (रु०)
(1)	(2)	(3)
--व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को उप-सहायता	25.92	184.20
--सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना	0.99	16.81
--बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण की लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना	4.35	9.53
--लघु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उप-सहायता योजना	0.30	0.44
--अति लघु तथा लघु क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए उप-सहायता योजना	4.28	10.72
--अति लघु, लघु और सहायक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उपसहायता योजना	2.80	3.04
--बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-रोजगार के लिए उप-सहायता योजना	0.32	0.32
--महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना	1.31	1.34
--देसी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना	2.40	45.35
--इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलॉजी विकास के लिए उप-सहायता योजना	--	23.50
	42.67	295.25

उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिलों के औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षणों के लिए सहायता

4.11 उपयुक्त परियोजना अवसरों का अभिनिर्धारण सन्तुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भाग्रौविनि, इस कार्य के लिए अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की भागीदारी में कुछ पिछड़े हुए जिलों के विशेषतः उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिलों के औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों आदि की लागत के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

4.12 30 जून, 1988 तक सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से, भाग्रौविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने 14 तकनीकी सलाहकारी संगठनों को 48 उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिलों के औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण का कार्य सौंपा था, जिसके आधार पर 362.83 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 19,591 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना सहित 45 उद्योग रहित विशेष क्षेत्रों की 122 परियोजना विचारों को अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिया गया था। 30 जून, 1988 तक इस गतिविधि हेतु भागीदारी आधार पर भाग्रौविनि द्वारा लगभग 9.59 लाख रुपए की निधिक सहायता प्रदान की जा चुकी थी।

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए सहायता

4.13 वर्ष 1987-88 के आरम्भ में, 18 तकनीकी सलाहकारी संगठन—भाग्रौविबैंक के अग्रणी दायित्व में नौ, भाग्रौविनि के अग्रणी दायित्व में पांच और भाग्रौसानिनि के अग्रणी दायित्व में तीन और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित एक-विशेषकर ग्रामीण, अति लघु, लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों को विस्तार सेवाओं सहित विस्तृत परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा 1987-88 के दौरान कुल मिलाकर, 3604 दत्तकार्य, निष्पादित किए जा चुके थे, और संचयी रूप से 30 जून, 1988 तक 27,430 दत्तकार्य निष्पादित किए जा चुके थे, जिनका विवरण सारणी 16 में दिया गया है।

4.14 भाग्रौविनि का वर्ष के दौरान (क) तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करने, (ख) कारोबार विकास के लिए वरीयता क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने, (ग) उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और धारण, कहां कहीं उनके द्वारा आयोजित किए गए हों, के बीच सम्बन्ध स्थापित करने, (घ) विशेषतः ग्रामीण और लघु उद्योगों में क्षेत्रों उद्योगों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने पर लगातार जोर रहा। अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन भाग्रौविनि की सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाओं से भी उन क्षेत्रों के तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा अपेक्षित आयाम बनाए रखने और सृजित करने में सहायता मिली, जिनमें विशेषतः ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों में, परामर्श सेवाएं अत्यन्त आवश्यक समझी गई।

सारणी 16 सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

दस्तकारों की प्रकृति	पूरे किये गए दस्तकारों की संख्या	
	1987-88 (जुलाई-जून)	प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के प्रारम्भ से 30 जून, 1988 तक
(1)	(2)	(3)
I निवेश-पूर्व सलाहकारी दस्तकार्य		
—व्यावहार्यता, व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट, आदि	2,207	12,262
—औद्योगिक सम्भावना/क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	40	465
बाजार सर्वेक्षण	14	549
—परियोजना रूपरेखा	545	8,150
—प्रारम्भिक तथ्य निरूपण अध्ययन	3	95
—मूल्यांकन	1	1,006
—अन्य	261	1,887
उप-जोड़ (I)	3,188	24,414
II निवेश-पश्चात् सलाहकारी दस्तकार्य		
—निदानात्मक अध्ययन	149	846
—रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	37	442
—अन्य	53	904
उप-जोड़ (II)	239	2,192
III तकनीकी दस्तकार्य/कार्यात्मक औद्योगिक काम्पलेक्स, आदि	4	60
IV उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	173	764
कुल जोड़ (I+II+III+IV)	3,604	27,430

औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

4.15 भा० औ० वि० बैंक के अग्रणी दायित्व में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने औद्योगिक सलाहकारों की एक नामिका बनाए रखी, और इसे औद्योगिक परामर्शदाता निर्देशिका में सूचीबद्ध करते रहे। वर्ष के दौरान 68 नए परामर्शदाताओं को इस सूची में शामिल किया गया और पहले से सूचीबद्ध 15 परामर्शदाताओं को अतिरिक्त क्षेत्रों में शामिल किया गया। इससे 30 जून, 1988 तक संस्थानों द्वारा सूची में शामिल किए गए परामर्शदाताओं की कुल संख्या 737 हो गई।

उद्यमीयता विकास के लिए सहायता

4.16 उद्यमीयता विकास में संभावित उद्यमियों का अभिनिर्धारण, उद्यमीयता सफलता के लिए उनमें अपेक्षित विशेषताओं/सक्षमताओं का विकास और प्रशिक्षित उद्यमियों को वास्तविक उद्यम निर्माण की सम्पूर्ण परवर्ती अवस्थाओं में सहायता प्रदान करना शामिल है। उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में भा० औ० वि० नि० का योगदान (क) सम्पूर्ण देश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में भागीदारी करना (ख) भा० औ० वि० नि० सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित और प्रवर्तित शीर्ष स्तर के संगठन, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता प्रदान करना और (ग) यथा सहमत कार्यक्रम के अनुसार राज्य या क्षेत्रीय स्तर के उद्यमीयता विकास संस्थानों की स्थापना में सहायता करना, रहा है।

4.17 वर्ष के दौरान, भा० औ० वि० बैंक और भा० औ० सा० नि० नि० सहित भा० औ० वि० नि० ने 148 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों हेतु सहायता दी, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए 28 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम शामिल थे। उद्यमीयता विकास कार्यक्रम एजेंसियों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठन, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, राज्य स्तरीय उद्यमीयता विकास संस्थान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, प्रौद्योगिक संस्थान और विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकी उन्मुख एजेंसियां जैसी एजेंसियां शामिल थी। सम्प्रति जून, 1988 के अंत तक भा० औ० वि० नि० ने 894 उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता प्रदान की थी/करने की सहमति प्रदान की थी। जिससे 21,500 संभावित उद्यमियों के लाभान्वित होने की आशा थी

4.18 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में भागीदारी करते हुए 30 जून, 1988 तक भा० औ० वि० नि० ने 46.99 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें से 19.98 लाख रुपये की राशि, अब तक राशियों में अधिकतम, वर्ष 1987-88 से सम्बन्धित थी।

4.19 भा० औ० वि० नि० सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान (भा० उ० वि० सं०) ने 31 मार्च, 1988 को अपने परिचालनों का पांचवां वर्ष पूरा कर लिया। उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के लिए एक संसाधन संगठन के रूप में कार्य करने, उद्यमीयता विकास अनुभवों के सम्बन्ध में अनुसंधान और नवीन जानकारी के आधार पर विकास करने, प्रशिक्षण देने और परामर्श देने और राज्य स्तर के उद्यमीयता विकास संगठनों को सहायता देने के उद्देश्य से स्थापित इस शीर्ष संस्थान ने वर्ष के दौरान पांडिचेरी और मिजोरम में दो माडल उद्यमीयता विकास कार्यक्रम, नए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षकों के विकास के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षक कार्यक्रम

(शृंखला में पांचवां) क्रमशः शिमला, गुवाहाटी, हैदराबाद, गोवा और बंगलौर में पांच उद्यमीयता सम्मेलन, राष्ट्रीय प्रशिक्षक सम्मेलन (श्रंखला में दूसरा) उद्यमीयता विकास कार्यक्रम के संचालकों और सहायक एजेंसियों के मुख्य कार्यपालकों का पहला सम्मेलन, 11 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम मूल्यांकन, उन्मुखता विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में 24 संगठनों को व्यावसायिक सहायता प्रदान की । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने टोंगा (प्रशांत द्वीप) घाना, अबिदजन (आइवरी कोस्ट) फिलिपाइन्स प्रत्येक में एक-एक और एक अहमदाबाद (भारत) में अपने प्रांगण में प्रशिक्षण-प्रेरकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने वर्ष के दौरान 'नये उद्यमियों का विकास' नामक एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने वर्ष के दौरान स्कूल और कालेजों के विद्यार्थियों में उद्यमीय जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए, ताकि सही समय पर उद्यमीयता कार्यों के लिए उनकी क्षमता का उपयोग किया जा सके । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान के प्रयासों के आधार पर गुजरात सरकार ने, वर्ष के दौरान, उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के व्यावसायिक समूह के विषयों में एक घटक के रूप में उद्यमीयता को भी शामिल किया ।

4.20 जून, 1988 के अंत तक भा० औ० वि० नि० द्वारा भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को 84.25 लाख रुपये की संसाधन सहायता दी गई थी, जिसमें से 11.75 लाख रुपये की राशि 1987–88 में उपलब्ध कराई गई थी ।

4.21 भा० औ० वि० नि० सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्य स्तर के उद्यमीयता विकास संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता देने में भी सहमति है ।

4.22 फरवरी, 1986 में लखनऊ में स्थापित उद्यमीयता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश ने जून, 1988 के अंत तक 31 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम/अन्य कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 1,032 भागीदार शामिल हुए । 'पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग उद्यमीयता' विषय पर अनुसंधान और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुरादाबाद और मिर्जापुर जिलों में लघु उद्योगों के विकास पर एक अध्ययन किया गया । उद्यमीयता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश हितोपभोगी सहायता पद्धति और स्थानीय प्रशिक्षकों के अंतराल को पूरा करने के लिए नियमित रूप से एक द्विभाषिक सूचना पत्र 'उद्यमीयता' भी प्रकाशित कर रहा था । पहली बार इस संस्थान ने एक पुस्तक 'उद्यमीयता विकास का अवलंबन स्वरूप' प्रकाशित की है, और अनुभवहीन उद्यमियों को प्रशिक्षित और प्रेरित करने के लिए कुछ वीडियो फिल्में भी बनाई है ।

4.23 मार्च, 1987 में स्थापित उद्यमीयता विकास संस्थान, बिहार, ने वर्ष के दौरान अन्य एजेंसियों के सहयोग से पांच कार्यक्रम आयोजित किये । इनमें से दो कार्यक्रम परिचालन कार्यपालकों के लिए सेमिनार के रूप में थे, एक उद्यमीयता विकास कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए ही था, और अन्य दो कार्यक्रम विस्तार-अभिप्रेरणा कार्यक्रम और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयोजित औद्योगिक मार्गदर्शन कैम्प के रूप में थे । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, अहमदाबाद ने बिहार में उद्यमीयता विकास कार्यों के लिए एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की है । इसमें अगले दो वर्षों में प्रशिक्षणों का चयन कार्य-क्षेत्रों का अभिनिर्धारण और 20 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों और 20 उन्मुखता कार्यक्रमों का आयोजन निहित है ।

4.24 मार्च, 1987 में स्थापित उद्यमीयता विकास संस्थान, उड़ीसा ने मई, 1987 से कार्य करना आरम्भ कर दिया । 30 जून, 1988 को समाप्त अवधि के दौरान, उद्यमीयता विकास संस्थान, उड़ीसा ने 18 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम सम्पन्न किए थे, और एक सेमिनार आयोजित करने के अतिरिक्त दो प्रबन्ध विकास कार्यक्रम, एक कार्यशाला और और एक उत्पाद प्रदर्शनी भी आयोजित की थी । वर्ष के दौरान आयोजित 18 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में से 16 कार्यक्रम पूरे हो गए थे जिसमें 491 नवीन उद्यमी विकसित किये गये ।

4.25 जून, 1988 के अंत तक भा० औ० वि० नि० ने राज्य स्तर के उद्यमीयता विकास संस्थानों को 12.25 लाख रुपये की संसाधन सहायता प्रदान की थी । जिसमें से 3.75 लाख रुपये की राशि 1987–88 में दी गई ।

जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए सहायता

4.26 उद्यमीयता आधार के विस्तार के क्षेत्र में जोखिम पूंजी सहायता का अपना ही महत्व है । इसी उद्देश्य से भा० औ० वि० नि० ने 1975 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान प्रवर्तित किया था, जिसे 12 वर्ष की अवधि के बाद, 'जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड (जो पूं प्रौ नि)' के नाम से एक कम्पनी में परिवर्तित किया गया ।

4.27 जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड की, जो 12 जनवरी, 1988 को अस्तित्व में आया, अपने सम्पूर्ण आस्तियों, कार्ययोग्य दावों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, ऋणों और देयताओं सहित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा किए जा रहे सभी कारोबार और कार्यकलापों को नियमित रूप से करने का के लिए प्राधिकृत है । जोखिम पूंजी प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये है, और आगामी तीन वर्षों में इसकी प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है । अपनी प्रदत्त पूंजी के अतिरिक्त जोखिम पूंजी प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० को

भा० ग्रौ० वि० नि० नियमित रूप से ब्याज, अंतर-जन्य निधियों के अधीन उपलब्ध अनुदान और ऋणों के द्वारा सहायता देता रहेगा ।

4.28 सारणी 17 में, 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त समाप्त हुए वित्तीय वर्ष, इसके बाद 430 जन, 1988 को समाप्त हुए अर्ध वर्ष की अवधि के दौरान और जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान (अब जो० पूं० प्रौ० वि० नि०) के कार्य आरम्भ करने से लेकर 30 जून, 1988 तक मंजूरियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित संचयी आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

सारणी 17: जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० की मंजूरियां और संवितरण

जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त की जोखिम सहायता सम्बन्धित विवरण	1987 (जनवरी–दिसम्बर)	1988 (जनवरी–जून)	30 जून 1988 तक संचयी
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) मंजूर की गई परियोजनाएं (संख्या)	25	19	156
	(19)	(14)	(127)
(ii) उपर्युक्त (i) से सम्बन्धित उद्यमी (संख्या)	43	30	264
	(36)	(21)	(213)
(iii) निवल मंजूरियां (लाख रु०)	406.20	264.00	1,861.48
	(290.44)	(200 50)	(1,404.18)
(iv) संवितरण (लाख रु०)	350.94	78 30	1,322.48
	(267.77)	(81.25)	(974.497

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े समकक्ष पिछली अवधि के आंकड़ों के द्योतक है ।

4.29 वर्ष 1987 और 30 जन, 1988 को समाप्त अर्ध वर्ष के दौरान जिन परियोजनाओं के प्रवर्तकों को जोखिम पूंजी प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उनमें इलैक्ट्रानिक्स पुशबटन, टेलीफोन, डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक नीडल्स, मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकोग्निशन चेक और अन्य कम्प्यूटर लेखन सामग्री, निकल केडमियम बैटरीज, सीमलेस स्टील हाई प्रेशर ट्यूब्स मल्टीलेयर फलेक्सीबल लेमिनेट्स, रेड मड पी वी सी/कोरूगेटिड /प्लेन रूफिंग शीट्स, डाट मेट्रिक्स/ डेजी व्हील प्रिन्ट, इन्टेनेटर्स, पब्लिक पे फोन्स, रेड मड पी वी सी पाइप्स विनिर्माण जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्र भी शामिल हैं । उक्त अवधि के दौरान जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड के परिचालनों की अन्य मुख्य विशेषताएं यह रही कि 70 प्रतिशत परियोजनाएं, जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी अधिसूचित पिछड़े/कम विकसित क्षेत्रों में थी, और जो पूं प्र ग्रो नि के सहायता पुंज में 5 महिला उद्यमी शामिल थीं, जिससे इसके द्वारा वित्तपोषित महिला उद्यमियों की संख्या 8 हो गई थी ।

4.30 प्रवर्तकों के सम्बन्ध में, जिन्हें पिछले चार वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 1985 से अब तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० के बारे में किए गए हाल ही के अध्ययन से निम्नलिखित बातें पता चलती हैं :—

— टेक्नोक्रेट उद्यमियों को कुल सहायता की 57 प्रतिशत सहायता मंजूर की गई ।

— संख्यावार 55 प्रतिशत वित्त पोषित प्रवर्तक तकनीशियन उद्यमी थे ।

— संख्यावार 47 प्रतिशत प्रवर्तक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित थे और 41 प्रतिशत ऐसे उद्यमी थे जिन्होंने लघु पैमाने के क्षेत्र से शुरू कर मध्यम पैमाने के क्षेत्र में पदार्पण किया था ।

— आयु-वार 42 प्रतिशत प्रवर्तक 35 वर्ष के थे आयु समूह और 41 प्रतिशत प्रवर्तक 36–45 वर्ष के आयु समूह से सम्बन्धित थे ।

— जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित 30 प्रतिशत परियोजनाओं के वित्तपोषित प्रवर्तकों ने या तो नई प्रौद्योगिकी अपनाई थी, या नए उत्पादों का विनिर्माण आरम्भ किया था ।

4.31 अपने नवीन दायित्व में, जोखिम पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० प्रौद्योगिकी उन्नयन और विकास के लिए भी उच्च तकनीक वाली परियोजनाओं को उद्यम पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृत-संकल्प है ।

4.32 प्रौद्योगिकी वित्त में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए निधि प्रदान करने पर बल दिया जाएगा :—

(क) नव्वत, अभिनव प्रौद्योगिक, उत्पाद, प्रक्रियाएं, बाजार, सेवाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण, वाणिज्यिक स्थितियों में लाने के लिए घरेलू अनुसंधान और विकास प्रयासों द्वारा अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं उच्च अध्ययन केन्द्रों में विकसित, उन्नत और जटिल प्रौद्योगिकियों के लिए अवस्थापना सहायता, अपरिहार्य ग्राहक स्वीकृति और स्वीकार्य उत्पाद किफायतों की सार्थकता सिद्ध करना । इसमें पायलट प्लाट, डेमोन्स्ट्रेशन स्केल प्लांट और अध्ययन, अनुसंधान और विकास कार्य, विशेष प्रशिक्षण, प्राटोटाइप विनिर्माण और मूल्यांकन, गुणवत्ता और बाजार ग्राहकता की सार्थकता सिद्ध करना आदि शामिल है ।

(ख) अपरिहार्य उत्पाद, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी सुधार और नवीनता के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं और संस्थानों के खर्चे उठाना ।

(ग) वाणिज्यिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चलाना।

4.33 आरम्भ में, व्यवहार्य प्रस्तावों और परियोजनाओं को, जो कि अल्पावधि में पूरी हो सकेंगी और जो निगमित और सहकारी क्षेत्रों, औद्योगिक संगठनों और न्यासों की इकाइयों से उत्पन्न हों, प्रौद्योगिकी वित्त दिए जाने का प्रस्ताव है। नवीनतम अच्छी सिद्ध रिकार्ड और अपेक्षित प्रौद्योगिकी और प्रबन्धकीय शक्तियों वाली इकाइयों को वरीयता दिए जाने का प्रस्ताव है। नवीनतम प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के लिए नए उद्यमों के लिए भी सहायता पर विचार किया जा सकता है। यह सहायता, परियोजना प्रवर्तकों के लाभ और जोखिम की अनुमति देने वाले अल्पावधि परम्परागत ऋणों या ब्याज रहित ऋण के रूप में हो सकती है। प्रौद्योगिकी उन्मुख योजनाओं के लिए अल्पकालीन रियायती ऋणों पर विकास अवधि के दौरान 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लगेगा, और इसके बाद संभावित नकद प्राप्तियों के मूल्यांकन के अनुसार 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। परियोजना की इक्विटी में प्रत्यक्ष अभिदान के साथ, यदि कोई हो, वे व्यवस्थाएं शामिल होंगी जिनसे कि प्रवर्तक जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की पुर्नखरीद कर सके। एकल परियोजना/योजना के लिए औद्योगिक वित्त योजना के अधीन जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० से कुल सहायता आवश्यकता पर आधारित होगी, और परियोजना के स्वरूप, प्रौद्योगिकी के स्वरूप, समाहित जोखिम, प्रवर्तकों के अंशदान/प्रगति रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न तथ्यों सहित प्रस्ताव के गुणावगुण पर, सहायता के स्वरूप/राशि का निर्धारण किया जाएगा।

4.34 जोखिम पूंजी सहायता और प्रौद्योगिकी वित्त दोनों के क्षेत्र में अधिक जोखिम और उच्च लाभ वाले उद्यम शुरू करने वाले पथ-प्रदर्शक टैक्नोक्रैट/व्यावसायिकों को प्रौद्योगिकी (विशेषित:आन्तरिक रूप से विकसित), नए उत्पादों, नए बाजारों, नए उपयोगों और नई विशेष सेवाओं आदि जैसी योजनाओं की सुस्पष्ट विशेषताओं के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप और आर्थिक/प्रौद्योगिक अग्रता वाले उन व्यवहार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें (क) निर्यात संभावना, (ख) देश की पंचवर्षीय योजनाओं में वरीयता क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित उद्योग और (ग) देश की अर्थ व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले उद्योगों/प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से निहित हों।

4.35 अपनी नई भूमिका में, जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम न केवल देश में उद्यमीयता आधार को नियमित रूप से विकसित करता रहेगा अपितु भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकीय आधार को सुधारने में भी सहयोग देगा, ताकि ये उद्योग अपनी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत बना सकें।

4.36 अभी तक भाऔविनि द्वारा जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० को समग्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 30 जून, 1988 तक जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड को आबंटित कुल राशि 1,610.36 लाख रुपए की थी, जिसमें से 1,249.92 लाख रुपए की राशि यथा-पूर्व संवितरित की जा चुकी थी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता

4.37 विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्क व्यावहारिक अनुसंधान में वृद्धि और प्रशिक्षण देने तथा इसे उत्पाद विकास में रूपान्तरित करने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों और उद्योगों में एक प्रभावी तारतम्य स्थापित करने की चेष्टा करते हैं।

4.38 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भाऔविनि के प्रवर्तन कार्यों में वृद्धि के लिए देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों की स्थापना और निधिकरण में भाऔविनि की भागीदारी का उल्लेख किया गया था। उपर्युक्त के अनुसरण में भाऔविनि ने वर्ष 1987-88 के दौरान भाऔवि बैंक द्वारा किए गए संवितरण में अपने भाग के रूप में दि बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी स्टेप (बिट-स्टेप), रांची, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज स्टेप (आर०ई०सी०), तिरुचिरापल्ली, राष्ट्रीय उद्यमी रसायन पार्क (एन० ई० सी० पी०) बम्बई और हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान स्टेप (एच० बी० टी० आई०), कानपुर को अनुदान के रूप में 15.91 लाख रुपए की राशि प्रदान की।

4.39 वर्ष के दौरान, भाऔविबैंक ने अग्रणी संस्थान के रूप में श्री जयाचामाराजेन्द्र कालेज आफ इंजीनियरिंग, मैसूर (स्टेप-एसजेसीई) द्वारा प्रवर्तित एक अन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्क को निधिक सहायता देने का अनुमोदन किया। 269.30 लाख रुपए की परियोजना लागत वाले इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्क को जयाचामाराजेन्द्र कालेज आफ इंजीनियरिंग, कर्नाटक राज्य सरकार, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, भारतीय स्टेट बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा निधि प्रदान की जा रही हैं। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्क का वरीयता क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक्स और यांत्रिक होगा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों को अनुसंधान और विकास तथा उत्पाद विकास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रबन्ध विकास के लिए सहायता

4.40 किसी भी उद्यम की सफलता के लिए प्रबन्ध एक मूल उत्पादेय है। वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के साथ-साथ देश की प्रबन्धकीय दक्षता और अत्यधिक प्रबन्धकीय योग्यता की भी आवश्यकता होती है। अतः भाऔविनि द्वारा पन्द्रह वर्ष पूर्व निजी, सरकारी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों और बैंकिंग क्षेत्र के वाणिज्यिक और विकास बैंकों में कार्यरत प्रबन्धकों की प्रबन्धकीय दक्षता और प्रबन्धकीय योग्यता के एकमात्र प्रयोजन से प्रबन्ध विकास संस्थान की

स्थापना की गयी थी। प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा अनुसंधान और परामर्श सहित शैक्षिक और व्यावहारिक उन्मुखता के अद्वितीय संगम से प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं की जाती रही है।

4.41 वर्ष 1987 और इसके बाद 30 जून, 1988 को समाप्त हुई छः मास की अवधि के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान ने 102 प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 2,259 भागीदारों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के साथ-साथ वित्तीय प्रबन्ध और निर्णय के क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए चार कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के लिए दो सामान्य प्रबन्ध कार्यक्रम प्रवर्तित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने भी अपने इंजीनियर प्रशिक्षुओं, जिनके लिए वर्ष के दौरान 8 कार्यक्रम आयोजित किए गए, के लिए नियमित रूप से प्रबन्ध विकास संस्थान की सेवाएं लीं। प्रबन्ध विकास संस्थान ने विभिन्न संस्थानों, अर्थात् ब्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्डस, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, महानगर टेलीफोन निगम लि०, ट्रेडफेयर अथारिटी आफ इण्डिया, आदि, जैसे विभिन्न संगठनों के लिए अनेक इन-कम्पनी प्रवर्तित कार्यक्रम आयोजित किए। 30 जून, 1988 तक प्रबन्ध विकास संस्थान ने संचयी रूप से 865 प्रबन्ध विकास कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 20,821 भागीदार लाभान्वित हुए, और जिसमें से 536 भागीदार अन्य विकासशील देशों के थे।

4.42 परामर्श और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रबन्ध विकास संस्थान के दत्तकार्यों की विशेषताएं थीं। (क) योजना आयोग द्वारा प्रवर्तित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप समूह के विकास निकायों की संगठनात्मक संरचना का अध्ययन, (ख) भाग्रौविबैंक द्वारा प्रवर्तित अन्तर-फर्म तुलनात्मक अध्ययन, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा द्वारा प्रवर्तित हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल के लिए फसल-पश्चात् पद्धति, (घ) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तित ट्रैफिक पुलिस संगठन में मानव-शक्ति आवश्यकताओं का अध्ययन, (ङ) विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित पांच राज्यों, अर्थात् जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए जिला उद्योग केन्द्रों पर अनुसंधान अध्ययन, और (च) प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आरम्भ किया गया, स्थानीय उद्यमियों की समस्याएं कार्यक्रम।

4.43 पिछले वर्ष यह उल्लेख किया गया था, कि भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रबन्ध विकास संस्थान को एक एजेंसी के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा/ग्रुप 'ए' सेवाओं के अधिकारियों और उच्च स्थान प्राप्त करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के कार्यकलापों के लिए पहली बार 15 माह का राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम आयोजित करने का अनुमोदन किया है। श्री पी० चिदम्बरम, माननीय गृह, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेन्शन राज्य मंत्री, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में 9 सितम्बर, 1987 को घोषणा की थी। अतः प्रबन्ध विकास संस्थान कैम्पस में वर्ष के दौरान अवस्थापना सुविधाएं जोड़ी गई, जिसकी लागत भारत सरकार और भाग्रौविनि द्वारा वहन की गई। उस समय भारत सरकार के माननीय वित्त और वाणिज्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने 16 जून 1988 को नए लाइब्रेरी ब्लाक के लिए शिलान्यास करते हुए प्रबन्ध विकास संस्थान के भवनों का दूसरा चरण समर्पित किया। प्रबन्ध विकास संस्थान में पहली जुलाई 1988 से राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम आरम्भ किया गया, जिसमें अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ के चार प्रबन्ध संस्थान और जमशेदपुर के जेविंयर लेबर रिलेशन इन्स्टीट्यूट भी सहयोग दे रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम के अध्यक्ष और कार्यपालक अध्यक्ष, क्रमशः डा० एन० सी० बी० नाथ और प्रो० एस० एस० राव हैं।

4.44 प्रबन्ध विकास संस्थान के संस्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री पी० चिदम्बरम्, माननीय गृह, कार्मिक, जन-शिकायतें और पेंशन राज्य मंत्री ने 'आर्थिक परिवर्तन में' प्रबन्ध विषय पर 22 नवम्बर, 1987 को भाषण भी दिया।

4.45 प्रबन्ध विकास संस्थान को 1987–88 में भाग्रौविनि की वित्तीय सहायता 166.46 लाख रुपए रही, जिनमें भाग्रौविनि की सामान्य निधि से 5 लाख रुपए वार्षिक अंशदान शामिल नहीं है। 30 जून, 1988 तक भाग्रौविनि द्वारा संचयी रूप से प्रबन्ध विकास संस्थान को हितकारी आरक्षित निधि और ब्याज अन्तर-जन्य निधियों से 796.99 लाख रुपए और अपनी सामान्य निधियों से 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी थी।

अनुसंधान का प्रवर्तन

4.4 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान प्रवर्तन के लिए भाग्रौविनि ने कई वर्षों से देश के विश्वविद्यालयों और प्रबन्ध संस्थानों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के प्रयास किए हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में एक-एक, तथा अहमदाबाद के भारतीय प्रबन्ध संस्थान में एक पीठ की स्थापना करके इस प्रकार कुल 6 पीठों की स्थापना की गई है, जो कार्यशील है। वर्ष के दौरान, भाग्रौविनि की पीठों के तत्वावधान के अधीन गुवाहाटी विश्वविद्यालय के डा० पी० सी० गोस्वामी ने 'ग्रामीण विकास कार्यक्रम और वाणिज्यिक बैंक की भूमिका-उत्तर-पूर्वी भारत पर एक अध्ययन' विषय पर वार्षिक सार्वजनिक व्याख्यान दिया।

4.47 कलकत्ता विश्वविद्यालय में 'पूंजी उत्पाद अनुपात प्रवृत्ति और पश्चिमी बंगाल के हल्के इंजीनियरिंग उद्योग की रुग्णता पर इसके कार्योत्पादक प्रभाव' विषय पर एक अनुसंधान परियोजना मार्च, 1988 में पूरी की गई।

4.48 भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में भाग्रौविनि के पीठ प्रोफेसर, श्री एम० सी० कुच्छल ने सरकारी उद्यमों की वित्तीय प्रबन्ध समस्याओं के अध्ययन से विश्व बैंक टीम को सहयोग दिया । प्रो० कुच्छल ने 'निगमत पूंजी की प्रबन्ध उत्पादकता : इसके मापदण्ड का नया दृष्टिकोण' विषय पर 22 जुलाई, 1988 को भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में वार्षिक व्याख्यान दिया ।

4.49 जून, 1988 के अन्त तक, दिल्ली विश्वविद्यालय में भाग्रौविनि द्वारा प्रवर्तित 'जूट और मिनी स्टील उद्योगों का उत्पादकता प्रबन्ध' पर एक अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही थी ।

4.50 वर्ष के अंत तक, भाग्रौविनि के तत्वाधान में मद्रास विश्वविद्यालय में 'विकास बैंकों द्वारा परियोजना जोखिम विश्लेषण' विषय पर एक दीर्घकालीन अनुसंधान परियोजना और 'तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि० की प्रवर्तन भूमिका', 'चिट फंड स्कीम का मूल्यांकन' और 'विकास बैंकों में निधिक व्यवस्था' विषयों पर तीन अल्पकालीन अनुसंधान चल रहे थे ।

4.51 बम्बई विश्वविद्यालय में वर्ष 1987-88 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान अध्ययन किए गए :—

— भारत में नए निर्गमों के लिए बाजार

— भारत में अपतटीय बैंकिंग

— महाराष्ट्र में चीनी सहकारिताओं में वित्तीय संस्थानों के निवेश का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

भाग्रौविनि पीठ के अधीन (क) भारत में मर्चेंट बैंकिंग और (ख) पिछड़ क्षेत्रों में विकास बैंकिंग और आर्थिक विकास पर अनुसंधान अध्ययन किया गया । पीठ प्रोफेसर, डा० आर० एस० सबनीस 'भारत में विकास बैंकिंग और नीति के कुछ पहलू' विषय पर 19 सितम्बर, 1988 को वार्षिक व्याख्यान देंगे ।

4.52 अनुसंधान उन्मुख कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए भाग्रौविनि ने गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना पद्धति, नई दिल्ली को भी 3 लाख रुपये और इण्डियन इक्नोमिट्रिक सोसाइटी, बंगलौर को 0.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की है । प्रोफेशनल असिस्टेन्स फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान), नई दिल्ली और सेन्टर फॉर मल्टी-डिसिप्लिनेरी डेवलपमेंट रिसर्च, धारवाड़ (कर्नाटक) प्रत्येक कार्यक्रमशः उनका निकाय निधि के लिए 10 लाख रुपये की निधिक सहायता प्रदान करने की भी सहमती दी है ।

अध्याय 5

भाग्रौविनि के चार दशक—विकास तथा प्रभाव

5.01 30 जून, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के साथ ही भारतीय उद्योग की प्रगति और विकास की सेवा में भाग्रौविनि के चार दशक भी पूरे हुए जो कुल मिलाकर देश के स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 40 वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों और आर्थिक विकास के समकालीन है । यहां पर यह प्रयत्न किया गया है, कि भाग्रौविनि के दायित्व और भूमिका के अनुरूप इसके कार्यों की समीक्षा एवं इसके सामने इन चार दशकों के दौरान समय-समय पर आई चुनौतियों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जाये ।

दायित्व

5.02 भारत में औद्योगिक समुत्थानों को मध्यम-कालिक और दीर्घकालिक उधार, विशिष्टतया उन परिस्थितियों में जिनमें बैंककारी सुविधा अनुपयुक्त हो या पूंजी पुरोधारण पद्धतियों का प्रयोग असाध्य हो, अधिक सुगमता उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए 1948 में स्थापित भाग्रौविनि का दायित्व प्रारम्भ में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया था, जबकि स्वतन्त्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री ने 20 नवम्बर, 1947 को संविधान सभा में औद्योगिक वित्त निगम विधेयक प्रस्तुत किया ।

> "भारत संघ की स्वतन्त्रता के शुभारम्भ और भारत के तेजी से औद्योगिक विकास करने की हमारी उत्सुकता के फलस्वरूप, तथा हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, जिन्होंने देश के कुछ भागों में आर्थिक जीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है, औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना ने अत्यन्त आवश्यकता एवं महत्व प्राप्त कर लिया है । ..... यह विधेयक, जो कि अब सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, का उद्देश्य मूल और राष्ट्रीयकृत उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, अपितु निजी उद्योगों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है ।"

माननीय वित्त मंत्री ने आगे व्याख्या करते हुए कहा था—

> "मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य इस देश के बड़े स्तर के उद्योगों का वित्त-पोषण करने के प्रयोजन के लिए एक वित्तीय निगम की स्थापना करना है ..... मेरा आशय है, कि इस विधेयक को विधि-पुस्तक पर लाने के पश्चात्, प्रत्येक प्रान्त में इसी प्रकार के औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करने के लिए प्रान्तीय सरकारों को कहा जाए, और इसी प्रकार वर्तमान राज्यों—कम-से-कम मुख्य राज्यों से भी कहा जाए, कि वे अपने क्षेत्राधिकार में इसी प्रकार के निगम स्थापित करें । ऐसे प्रान्तीय

और राज्य वित्तीय निगम मुख्य रूप से छोटे स्तर के क्षेत्रों के उद्योगों का वित्तपोषण करेंगे।"

तब से, देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप, भाआवित्रि के दायित्व और कार्यों में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, जो कि इसकी संविधि, अर्थात्, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में देश की संसद द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों से परिलक्षित है। वर्षों के दौरान भाआवित्रि का परिचालन सीमित होते हुये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् पिछले 40 वर्षों में जो औद्योगिक विकास तथा उन्नति हुई है, वह इसको भलीभांति परिलक्षित करते हैं।

प्रथम दशक (1948-58)

5.03 कोई पूर्वोदाहरण अथवा निर्धारित प्रक्रिया, जिनका अनुसरण किया जा सके, न होते हुए भी भाआवित्रि ने अपने प्रथम दशक में छोटी शुरूआत कर के अपने प्रभावशाली संगठन ढांचे, मानदण्ड, परिमाप, व्यवस्थाएं और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन सिद्धान्तों तथा अनुवर्तन कार्यविधियों का विकास करने के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न दस्तावेजों के तैयार करने के सम्बन्ध में निबन्धनों एवं शर्तों को भी विनिर्धारित किया।

5.04 देश के इतिहास में 1948-58 की अवधि के प्रारम्भिक वर्ष उथल-पुथल के वर्ष रहे। इसमें आशा की किरन, देश के नेताओं में भारत को आगे ले जाने की निष्ठा एवं उत्कंठा, और भाआवित्रि के प्रवर्तकों में यह लगन थी कि भाआवित्रि अपने आप में एक अनुपम संगठन बने तथा विकसित हो। इस अवधि के दौरान औद्योगिक नीति पर प्रथम कथन 6 अप्रैल, 1948 को सरकारी संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उद्योगों के विकास में राज्य कार्यक्रमों द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया था। इसके बाद उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम लाया गया जिसे 1951 में संविधि पुस्तिका में रखा गया। इसी अवधि में, अप्रैल, 1949 में प्रथम राजकोषीय आयोग की भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति, उद्योगों में विदेशी पूंजी की भागीदारी के सम्बन्ध में देश के प्रथम प्रधान मंत्री, पण्डित जवाहर लाल नेहरू का 6 अप्रैल 1949 का कथन, देश के 1950 में गणराज्य बनने, 1951 में योजना आयोग की स्थापना, 1951 में प्रमुखतः लघुक्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के पारित होने से राज्य स्तर पर निगमों की स्थापना, सामाजिक-आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाजवादी समाज व्यवस्था अपनाने की दिसम्बर, 1954 में घोषणा 30 अप्रैल, 1956 का एतिहासिक औद्योगिक नीति संकल्प और कम्पनी विधि से सम्बन्धित नई एवं संकलित संविधि का पहली अप्रैल, 1956 से अपनाया जाना, जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसी अवधि में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) को कार्यान्वित किया गया तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) प्रारम्भ की गई। इन सभी घटनाओं का भाआवित्रि के कार्यों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा।

5.05 इस अवधि के दौरान भाआवित्रि के समग्र कार्य भारत सरकार की कड़ी निगरानी के अधीन थे, यद्यपि इसकी शेयरधारिता का 20 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार, 20 प्रतिशत भाग भारतीय रिज़र्व बैंक, 25 प्रतिशत भाग अनुसूचित बैंकों, 25 प्रतिशत भाग बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों आदि एवं 10 प्रतिशत भाग सहकारी बैंकों द्वारा धारित था। इसकी संविधि के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार भाआवित्रि किसी एक औद्योगिक संस्था के साथ अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के लिए अथवा किसी भी स्थिति में 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए संव्यवहार नहीं कर सकता था। चूंकि अपेक्षाएं बहुत ऊंची थीं और सीमायें भी बहुत थीं, अतः इस अवधि के दौरान औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में, औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियमों के द्वारा 4 बार तथा अन्य संविधियों के द्वारा 3 बार संशोधन किए गए। किसी अकेले औद्योगिक समुत्थान को सहायता की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई और एक करोड़ रुपये से अधिक की किसी सहायता के लिए भारत सरकार का अनुमोदन तथा गारन्टी अपेक्षित किये गये। सितम्बर, 1956 में केन्द्रीय सरकार ने भाआवित्रि को निदेश जारी किए, जिनमें यह हिदायत दी गई कि निगम ऐसे सभी मामले सरकार को भेजे जिनमें औद्योगिक समुत्थानों को मंजूर किए गए ऋणों की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक थी, और जो उद्योगपतियों के आपस में समीप रूप से सम्बद्ध समूह द्वारा स्वामित्वाधीन, प्रबन्धित अथवा नियन्त्रित थे। 1957 में किए गए संशोधनों से भाआवित्रि भारत के बाहर से आयात किए गए माल के सम्बन्ध में औद्योगिक समुत्थानों को आस्थगित अदायगी हेतु गारण्टी देने में समर्थ हुआ। भाआवित्रि की उधार लेने की शक्तियां भी इसकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों के 5 गुणा से बढ़कर 10 गुणा हो गई।

5.06 उपर्युक्त वे परिस्थितियां थीं, जिनमें से गुजरते हुए, भाआवित्रि ने अपने परिचालन प्रारम्भ किए और अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में 3.25 करोड़ रुपये के मामूली कारोबार से कार्य प्रारम्भ कर अपने अस्तित्व के प्रथम दशक में 52.80 करोड़ रुपये की कुल मंजूरियां कीं, और 34.84 करोड़ रुपये के संवितरण किए।

5.07 भाआवित्रि के प्रथम दशक की समाप्ति के साथ दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली, भाआवित्रि ने प्रथम बार 30 जून, 1958 को समाप्त हुए वर्ष में भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि० (आई० सी० आई० सी० आई०), जो 1955 में अस्तित्व में आ गया था और भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे 1956 में स्थापित किया गया था, के साथ मिलकर हामीदारी कारोबार

शुरू किया, और 1.60 करोड़ रुपये के विमोच्य तथा संपरिवर्तनीय डिबेंचर 6½ प्रतिशत (कर की शर्त के अधीन) की हामीदारी की, और दूसरी, भाऔविनि ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से पहली बार आस्थगित अदायगी गारण्टी कारोबार में भी पदार्पण किया।

5.08 अपने परिचालनों के प्रारम्भिक वर्षों से 1956 तक, वर्ष 1953 को छोड़कर, गारण्टीकृत लाभांश की अदायगी के लिए भाऔविनि को भारत सरकार पर आश्रित रहना पड़ा। 1957 में कोई परिदान प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 1958 में न केवल सरकार से कोई परिदान ही प्राप्त नहीं किया गया, अपितु प्रथम बार पिछले वर्षों में ली गई राशियों की पुनर्अदायगी के रूप में, सरकार को प्रथम किश्त के रूप में 5.45 लाख रुपये की राशि अदा की गई, इस प्रकार, प्रथम दशक की समाप्ति तक भाऔविनि ने काफी वित्तीय सामर्थ्य और अपने परिचालनों को लगातार लाभप्रद एवं सम्माननीय ढंग से चलाने के लिए प्रबुद्धता प्राप्त कर ली।

दूसरा दशक (1958–68)

5.09 भाऔविनि के कार्यों के दूसरे दशक को 'स्थिरता के साथ विकास' का दशक कहा जा सकता है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में प्रथमतः संशोधन किया गया, जिससे यह (क) अनुसूचित बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों से वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा जुटाए गए ऋणों, (ख) भारत में तथा भारत से बाहर खरीदे गए पूंजी माल के सम्बन्ध में वित्तपोषित संस्थाओं से देय आस्थगित अदायगियों एवं (ग) विदेशी मुद्रा को, गारंटी देने तथा किसी औद्योगिक संस्था के स्टाक और शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान करने में समर्थ हुआ। एक करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की गारण्टी से सम्बन्धित प्रावधान विलोपित कर दिए गए, किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मंजूर करने के लिए अभी भी केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित था, परन्तु इसके लिए केन्द्रीय सरकार की गारण्टी की आवश्यकता नहीं रही।

5.10 1963 में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम पारित किया गया और भाऔविनि को उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की प्रारम्भिक शेयर पूंजी में अभिदत्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। 1964 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के पारित होने से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, उद्योग के वित्तपोषण, संवर्द्धन अथवा विकास में लगे संस्थानों के कार्यों में समन्वय करने के लिए एवं उनके कार्यों पर पर्यवेक्षण करने हेतु प्रमुख शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक) का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित भाऔविनि के शेयर सममूल्य पर भाऔविबैंक को अन्तरित कर दिए गए, और इसे अतिरिक्त शेयर अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया, ताकि इसकी शेयरधारिता प्रदत्त पूंजी के 50 प्रतिशत के समकक्ष हो सके। भाऔविबैंक को, भाऔविनि के निदेशक बोर्ड में 4 निदेशक पदनामित करने का भी प्राधिकार दिया गया, तथा नीति विषयक मामलों पर निर्देश जारी करने के लिए भी भाऔविबैंक को प्राधिकृत किया गया। भाऔविनि को भाऔविबैंक से धन उधार लेने का भी पात्र बनाया गया। भाऔविनि द्वारा मंजूर की जाने वाली ऋण सीमा को किसी एकल औद्योगिक संस्था के मामले में एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया, और तत्पश्चात् केवल 2 करोड़ रुपये से ऊपर की मंजूरियों के लिए भाऔविनि द्वारा भाऔविबैंक से अनुमोदन लेना अपेक्षित रहा।

5.11 भाऔविनि के अस्तित्व के दूसरे दशक में दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61), तीसरी योजना (1961–66) और 1966-67 तथा 1967-68 को दो वार्षिक योजनाएं कार्यान्वित हुईं। वित्तीय संसाधनों पर दबाव होते हुए भी भाऔविनि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप क्षेत्र तथा प्रसारवार अपने कारोबार को विकसित करने में समर्थ रहा। 7 दिसम्बर, 1960 को पहली बार भाऔविनि अमरीकी सरकार की विकास ऋण निधि योजना से 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण जुटाने में समर्थ हुआ, और इसने विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने प्रारम्भ किए। 20 मिलियन अमरीकी डालर का दूसरा ऋण जून, 1962 में जुटाया गया। भाऔविनि को प्रथम बार 30 जून, 1962 को समाप्त हुए वर्ष में जर्मन संघीय गणराज्य के क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ से ऋण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से, भाऔविनि लगभग प्रति वर्ष क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ से ऋणों को शृंखलाबद्ध रूप में प्राप्त करने में सौभाग्यशाली रहा है। 20 अक्तूबर, 1962 को भाऔविनि ने फ्रांस से पूंजीगत माल के आयात के वित्तपोषण हेतु बैंक फ्रांसिस डू कामर्स एक्स्टीरियर के साथ प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए। इसी अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने भाऔविनि को जापानी येन में 2 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष राशि भी आबंटित की, लेकिन यह फलीभूत नहीं हो सकी। भाऔविनि के कार्यों के दूसरे दशक के समापन के समय इसके पास 92.50 मिलियन जर्मन मार्क की के० एफ० डब्ल्यू० से छह ऋण की श्रृंखलायें, संयुक्त राज्य अमरीका की विकास ऋण निधि (जिसे बाद में अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी के रूप में नाम परिवर्तित किया गया है) द्वारा मंजूर 40 मिलियन अमरीकी डालर (बाद में घटाकर 33.63 मिलियन अमरिकी डालर कर दिए गए) के तीन ऋण एवं बी० एफ० सी० ई० फ्रांस द्वारा मंजूर फ्रांसिसी फ्रांक में 50 मिलियन के उपस्कर ऋण, उपलब्ध थे।

5.12 अपने दूसरे दशक में भाऔविनि की कुल मंजूरियां 272.79 करोड़ रुपये की थी, जिसमें सभी रुपया

तथा विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी एवं प्रत्यक्ष अभिदान तथा आस्थगित अदायगियां एवं विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारण्टियां निहित थीं। यह प्रथम दशक में मंजूर की गई कुल सहायता की तुलना में 5 गुणा अधिक थीं। इस दशक के दौरान कुल संवितरण 262.95 करोड़ रुपये के रहे, जो प्रथम दशक में किए गए कुल संवितरणों से 8 गुणा अधिक थे। इस प्रकार भाऔवित्तनि ने अपने दूसरे दशक में परिपक्वता एवं गहन अनुभव दोनों प्राप्त कर लिए थे।

तीसरा दशक (1968–78)

5.13 भाऔवित्तनि के कार्यों का तीसरा दशक कुछ नवीनताओं, विकास एवं गुणात्मक वरीयताओं के साथ विकास का दशक था। इस सम्बन्ध में जिन पहलुओं ने भाऔवित्तनि की सहायता की, वे थे :

(i) भाऔवित्तबैंक के तत्वावधान के अधीन, अन्तर संस्थानात्मक बैठकें एवं सभी सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठकें जैसे मन्चों सहित अन्तर संस्थानात्मक समन्वय तन्त्र में पूर्णता;

(ii) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 74) के अधिनियमित होने से परिचालनों में उल्लेखनीय लचक प्राप्त होना एवं काफी दबावों एवं नियन्त्रणों का हटाया जाना;

(iii) सामूहिक वित्तपोषण अवधारणा एवं परियोजना वित्तपोष कार्यों में अग्रणी संस्थान अवधारणा का प्रारम्भ;

(iv) दीर्घकालीन ऋण प्रदाता संस्थानों में अधिक समन्वय जिससे वित्तीय सहायता के लिए सामूहिक आवेदन प्रपत्रों एवं विधिक दस्तावेजों के प्रपत्रों का मानकीकरण संभव हुआ।

5.14 सरकार द्वारा उद्योगीकरण एवं विकासोन्मुख वित्त प्रक्रिया में गुणात्मक वरीयता को भी महत्व दिया गया। जनवरी, 1969 में भारत सरकार ने भाऔवित्तनि को, भाऔवित्तनि से सहायता प्राप्त करने वाली अन्य औद्योगिक संस्थाओं के समरूप ही 'सरकारी क्षेत्र' की कम्पनियों को सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। 1969 में सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा देश के सभी कोनों में बैंकिंग तथा साख सुविधायें उपलब्ध कराने के प्रयोजन से 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उससे साख नियन्त्रण व्यवस्था में भारी बदलाव आया। 1971 में, 'संयुक्त क्षेत्र' में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना की अवधारणा अस्तित्व में आई, जिसे वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए अनुमति प्रदान की गई। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पहली बार ऋणों के साधारण पूंजी में संपरिवर्तन' के विकल्प की अवधारणा को शुरू करने के साथ-साथ 'नामित निदेशक तन्त्र' को भी मजबूत किया गया एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 नामक कानून को संविधि पुस्तिका में रखा गया; 3 अप्रैल, 1970 से प्रबन्ध एजेन्सी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कम्पनी संविधि में संशोधन किया गया, और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी, 1970 को औद्योगिक लाइसेंस नीति की पुनः समीक्षा की गई। औद्योगिक नीति पर 2 फरवरी, 1973 तथा 23 दिसम्बर, 1977 को दो कथन जारी किए गए। इसी दशक के दौरान वस्त्र नीति एवं देश में रुग्ण इकाइयों से सम्बन्धित नीति पर कथन भी जारी हुआ।

5.15 1968-78 का दशक, उद्योगों के वित्तपोषण की प्रक्रिया में गुणात्मक वरीयता प्रदान करने के दशक के रूप में याद रखा जाएगा। विकास बैंक अथवा विकास वित्तीय संस्थान के रूप में भाऔवित्तनि के दायित्व ने नए आयाम प्राप्त किए। प्रथम बार, मंजूर की गई वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार आधार विस्तृत हुआ, और इसका आवृत्त सहकारी एवं निजी क्षेत्र इकाइयों के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र की इकाइयों पर भी छा गया। प्रथम पीढ़ी उद्यमियों, विशेषकर टेक्नोलोजिस्टों तथा व्यवसायिकों एवं अधिसूचित पिछड़ जिलों/क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं को परियोजना प्रवर्तन में प्राथमिकता प्रदान की गई। औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करने की दृढ़ निष्ठा के एक प्रयास के रूप में पहली बार अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को रियायती वित्त प्रदान करने की योजना शुरू की गई। पांच उद्योगों, अर्थात् सीमेंट, चीनी, इंजीनियरिंग, जूट और सूती वस्त्र उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उदार शर्तों पर आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने की 'उदार ऋण योजना' नामक एक योजना शुरू की गई।

5.16 परियोजना वित्तपोषण कार्यों में गुणात्मक वरीयता प्रदान किए जाने के साथ-साथ इस दशक में भाऔवित्तनि का सबसे बड़ा योगदान इसकी प्रवर्तन गतिविधियों के रूप में परिलक्षित हुआ जो, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में हितकारी आरक्षित निधि का प्रावधान होने और के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों के अधीन भारत सरकार से ब्याज अन्तरजन्य निधियां उदारतापूर्वक प्राप्त होने से संभव हो सका। इसी दशक में भाऔवित्तनि ने उद्योग तथा बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में प्रबन्धकीय मानव शक्ति के विकास एवं प्रबन्धकीय दक्षताओं के उन्नयन के प्रयोजन के लिए "प्रबन्ध विकास संस्थान' का प्रवर्तन किया। देश के विश्वविद्यालयों एवं प्रबन्ध संस्थानों के साथ सामीप्य विकसित करने की दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान का संवर्द्धन एवं विकास करने के प्रयोजन के लिए 'भाऔवित्तनि पीठों' की स्थापना की गई। देश में उद्यमीयता आधार को विस्तृत करने हेतु भाऔवित्तनि ने 'जोखिम पूंजी

प्रतिष्ठान' की स्थापना की जिसने जून, 1976 में अपने परिचालन प्रारम्भ किए। जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान एक विलक्षण परीक्षण था, और अपने आप में इस प्रकार का पहला कदम था, जिसकी व्यवस्थाओं के अधीन उदीयमान तकनीकज्ञों तथा नए उद्यमियों को ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराना था, ताकि वे अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा यथा निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रवर्तक अंशदान के रूप में जुटाए जाने वाले संसाधनों की पूर्ति करने में समर्थ हो सकें। इसी अवधि में, परामर्श सेवाएं, विशेषकर लघु तथा मध्यम स्तर के क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए 'तकनीकी सलाहकारी संगठनों' की स्थापना की अवधारणा ने जन्म लिया, और इससे कई तकनीकी सलाहकारी संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। भाऔविनि द्वारा इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से छोटे पैमाने और सहायक उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट 'प्रवर्तन योजनाएं' बनाई गई। इसी अवधि में राज्य स्तर के संगठनों में प्रबन्धकीय संसाधनों का विकास करने के लिए तकनीकी सहायता योजना एवं भाऔविबैंक के अग्रणी दायित्व में औद्योगिक परामर्श-दाताओं की निर्देशिका को बनाना तथा इसे कार्यान्वित करने की अवधारणा का भी प्रादुर्भाव हुआ।

5.17 1968–78 के ही दशक में, भारतीय उद्योग की निष्ठावान सेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर भाऔविनि ने 1973 में अपनी रजत जयन्ती मनाई, तथा 'भाऔविनि रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान' की स्थापना की। भाऔविनि ने पहली बार सहकारी तथा निगमित क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी, भाऔविनि ने एशिया तथा प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य बनकर अपना स्थान बना लिया।

5.18 इस दशक में मात्रावार भाऔविनि की कुल मंजूरियां तथा संवितरण क्रमशः 487.14 करोड़ रुपये तथा 377.62 करोड़ रुपये के रहे। यद्यपि, यह मंजूरियां तथा संवितरण दूसरे दशक में की गई मंजूरियों एवं संवितरणों के दो गुणा के भी बराबर नहीं थे, परन्तु जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इन से अधिक महत्व इस दशक में भाऔविनि के कार्यों में गुणात्मक वरीयता प्रदान करने और भाऔविनि द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं तथा इस अवधि के दौरान जारी किए गए औद्योगिक नीति कथनों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी सीमा तक योगदान देने में रहा।

5.19 इसी दशक के दौरान, 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में सामान्य आरक्षित निधि भाऔविनि की प्रदत्त शेयर पूंजी के समकक्ष हो गई। अतः, पहली बार भाऔविनि ने अपने शेयरों पर सरकार द्वारा गारण्टीकृत लाभांश से भी ऊंची दर के लाभांश की घोषणा की। यद्यपि यह 5 प्रतिशत की अधिकतम अनुमत्य सीमा के बराबर ही थी, परन्तु जब बाद में लाभांश से ऊपरी सीमा हटा ली गई तो भाऔविनि ने अपनी लाभांश दर को बढ़ाना शुरू किया और तब से ही क्रमिक रूप से यह प्रक्रिया अभी तक जारी है।

चौथा दशक (1978–88)

5.20 भाऔविनि के कार्यों का चौथा दशक विशाखन के साथ उल्लेखनीय विकास का दशक रहा है। इस दशक में भाऔविनि की कुल मंजूरियां तथा संवितरण क्रमशः 4,492.90 करोड़ रुपये तथा 2,936.73 करोड़ रुपये रहे। ये रकमें पिछले तीस वर्षों के दौरान कुल मिलाकर की गई मंजूरियों एवं संवितरणों के जोड़ से भी लगभग पांच गुणा हैं। 30 जून, 1988 को समाप्त हुए दशक में जिन कारणों ने इस विस्मयकारी कार्य-निष्पादन को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त की है, वे हैं :

—छठी तथा सातवीं वार्षिक योजना में आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाना और इस प्रयोजन के लिए अधिक निधियों का आबंटन।

—23 जुलाई, 1980 को जारी किया गया औद्योगिक नीति कथन, जिसमें विस्थापित क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग तथा उद्योगों के प्रसार पर बल दिया गया।

—पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए उपाय तथा बचतों एवं निवेशों दोनों के लिए ही नए और आकर्षक अवसर उपलब्ध कराया जाना।

—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1982 तथा 1986 में हुए संशोधन, जिनसे भा-औविनि की गतिविधियों का कार्य-क्षेत्र विस्तृत हुआ, और इसमें काफी लचक तथा सुगमता प्राप्त हो गई।

—राजकोषीय तथा प्रशासनिक नियन्त्रणों में लोच प्रदान किए जाने से सरकार द्वारा उदारीकरण प्रक्रिया का प्रारम्भ जिससे दायित्व की भावना को काफी बल प्राप्त हुआ।

—रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों से निपटने के लिए विशेष सविधि का अधिनियमन एवं राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण के भय को दूर करना जो कि पिछले दशकों में उद्योग के मस्तिष्क में विस्तृत रूप से व्याप्त था।

—सरकार द्वारा 'संपरिवर्तनीयता' मार्गनिर्देशों में काफी छूट प्रदान करना।

—अपने ग्राहकों को कुशल एवं तत्पर सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विद्यमान कार्यालयों का दर्जा बढ़ाना तथा अधिक कार्यालयों का खोला जाना।

—कार्यों का विकेन्द्रीकरण एवं अधिकारियों को बड़े पैमाने पर काफी शक्तियों का प्रत्यायोजन।

5.21 भाआवित्रनि ने इस दशक के दौरान अपने कारोबार एवं कारोबार-मिश्रण को विशाखित करने के लिए काफी ठोस एवं तत्पर निर्णय लिए। औद्योगिक वित्तपोषण के क्षेत्र में, लगभग प्रत्येक वर्ष एक के बाद एक कई नई योजनाएं शुरू की गई। इस सम्बन्ध में उपस्कर वित्त योजना, आधुनिकीकरण सहायता योजना, चीनी, वस्त्र और जूट उद्योगों के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट नीतियों के सृजन की योजना, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग तथा इनके उत्पादन हेतु रियायती वित्त योजना, 100% निर्यात तथा उनके निर्यात निष्पादन पर आधारित अन्य निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिए प्रोत्साहन योजना, निगमित तथा सहकारी क्षेत्रों में औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिए वित्तपोषण योजना, निगमित अस्पतालों तथा बहु-आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों के वित्तपोषण की योजना, लीजिंग तथा किराया-खरीद संस्थाओं की वित्तपोषण योजना, मशीनरी/उपस्कर निर्माता संस्थाओं द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता संस्थाओं को उनके उपस्कर बेचने को सुविधाजनक बनाने के लिए गैर-आवर्ती ऋण व्यवस्था योजना, उपस्कर लीजिंग की योजना एवं मर्चेन्ट बैंकिंग तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने की योजना, का उल्लेख किया जा सकता है।

5.22 इसी दशक में कार्यविधियों को सुचारू करने, दस्तावेजों के सरलीकरण एवं कार्यविधियों में अनावश्यक कार्य को हटाने पर अधिक बल दिया गया। अग्रणी संस्थान अवधारणा पर आधारित सामूहिक परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना को विदेशी मुद्रा ऋणों, हामीदारी एवं शेयरपूंजी में प्रत्यक्ष अभिदान करने सहित सहायता के सभी मामलों पर लागू किया गया, एवं वित्तीय सहायता के लिए समग्र दस्तावेजीकरण को उल्लेखनीय रूप से सरल बनाया गया। सभी मामलों में हमेशा के लिए सिद्धान्त के तौर पर अंग्रजी बन्धक स्वीकार करने की व्यवस्था के स्थान पर परिसम्पत्तियों के समरूप बन्धक स्वीकार करना प्रतिस्थापित कर दिया गया। ऐसी सरकारी/राज्य/सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं/संस्थाओं के सम्बन्ध में जहां पर संस्थानों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार की 100% अशर्त गारण्टी उपलब्ध है, स्थिर परिसम्पत्तियों के बन्धक/प्रभार सृजित करने की अपेक्षा को भी समाप्त कर दिया गया।

5.23 इस दशक के दौरान, पहली बार भाआवित्रनि ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश किया। 20 मिलियन अमरीकी डालर का यूरो-मुद्रा ऋण जुटाने के लिए भाआवित्रनि की अन्य भागीदार बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रबन्धक और एजेंट के रूप में कार्य कर रहे कान्टीनेन्टल बैंक एम० ए०/एन० वी० ब्रुसेल्स (बेल्जियम) के बीच 24 जुलाई, 1984 को प्रथम बार एक करार हस्ताक्षरित किया गया। इस ऋण के जुटाए जाने से भाआवित्रनि के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। विगत चार वर्षों के दौरान भाआवित्रनि के संचयी वाणिज्यिक उधार 270 मिलियन अमरीकी डालर, 20 बिलियन जापानी येन और 15 मिलियन जर्मन मार्क हो गए।

5.24 भाआवित्रनि के कार्यों का संचित प्रभाव यह हुआ कि इसका 40वां वर्ष पूरा होने के समय इसकी निवेश सहायता परिधि में 2,857 परियोजनाएं थीं जिन्हें 5,305.63 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की जा चुकी थी। सारणी 18 तथा सारणी 19 में क्रमशः भाआवित्रनि के कारोबार एवं गतिविधियों के विकास का संक्षिप्त विश्लेषण एवं पिछले चार दशकों में उल्लेखनीय वित्तीय तथ्यों का विवरण दिया गया है।

सारणी 18 : भाआवित्रनि परिचालनों की दशक वार प्रगति

(करोड़ रुपये)

दशक	मंजूरियां		संवितरण		दशक के अंत में बकाया
आधार : जुलाई-जून	दशक के दौरान	दशक के अंत में संचयी	दशक के दौरान	दशक के अंत में संचयी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1948–58	52.80	52.80	34.84	34.84	28.94
1958–68	272.79	325.59	262.95	297.79	187.27
1968–78	487.14	812.73	377.62	675.41	357.10
1978–88	4,492.90	5,305.63	2,936.73	3,612.14	2,867.73

5.25 भाआवित्रनि के परिचालनों का उल्लेखनीय पहलू रहा है, कि इन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के अनुरूप चलाया गया है। भाआवित्रनि का समग्र नीति ढांचा एवं परिचालन सदैव ही आर्थिक तथा सामाजिक विकास की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में सन्निहित रहे हैं। भाआवित्रनि जिस प्रकार से प्रत्येक योजना अवधि के दौरान देश में उद्योगीकरण की प्रगति को बनाए रखने में समर्थ रहा है, उसका अनुमान इसके द्वारा मंजूर एवं संवितरित सहायता से लगाया जा सकता है, जिसे सारणी 20 में दिया गया है।

सारणी 19 : भाऔविनि वित्तीय कार्यक्रमों की दशक-वार विशिष्टताएं (करोड़ रुपये)

30 जून की स्थिति अनुसार	पहला दशक 1948–58		दूसरा दशक 1958–68		तीसरा दशक 1968–78		चौथा दशक 1978–88	
	1953	1958	1963	1968	1973	1978	1983	1988
कर से पूर्व लाभ	0.23	0.53	1.67	3.56	4.32	8.58	27.02	68.88
निवल लाभ	0.14	0.28	0.83	1.58	2.90	5.47	17.31	52.66
परिसम्पत्तियां								
निवेश	--	--	5.07	16.37	18.64	25.56	45.82	103.03
--ऋण एवं अग्रिम	9.86	28.94	59.76	141.28	185.15	330.18	864.73	2,733.21
--गारंटियां एवं हामीदारी संविदाएं	--	0.75	11.47	31.44	13.15	2.45	2.40	22.92
--नकद व अन्य परिसम्पत्तियां	2.72	4.82	2.71	4.72	16.46	31.62	74.78	365.40
जोड़	12.58	34.51	82.01	193.81	233.70	389.81	987.73	3,224.56
देयताएं एवं शेयरधारी निधि								
—शेयर पूंजी	5.00	5.00	7.00	8.34	10.00	10.00	22.50	70.00
--आरक्षण एवं आधिक्य	0.26	0.72	3.18	9.70	22.46	31.07	66.93	225.62
--बोर्डों के निर्गम द्वारा उधार	5.80	12.37	28.24	43.30	85.18	244.14	689.30	2,083.80
--सरकार, भारिबैंक तथा भाऔविबैंक से उधार	1.05	15.00	21.75	72.25	72.15	54.35	96.60	70.73
—विदेशी मुद्रा में उधार	--	--	2.19	22.50	23.40	22.58	59.67	611.15
--प्रासंगिक देयता (गारंटी एवं हामीदारी संविदाएं)	--	0.75	11.47	31.44	13.45	2.45	2.10	22.92
—चालू एवं अन्य देयताएं	0.17	0.67	2.18	6.28	7.06	25.22	50.33	140.34
जोड़	12.58	34.51	82.01	193.81	233.70	389.81	987.73	3,224.56

सारणी 20 : योजना-वार मंजूर एवं संवितरित सहायता (करोड़ रुपये)

समाप्त वर्ष (जुलाई-जून)	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता					संवितरित वित्तीय सहायता				
	ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटिया	उपस्कर लीजिंग	कुल	ऋण	हामीदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटिया	उपस्कर लीजिंग	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
प्रथम योजना से पूर्व अवधि 1948–51	8.13	--	--	--	8.13	5.79	--	--	--	5.79
प्रथम योजना 1951–56	27.03	--	--	--	27.03	10.94	--	--	--	10.94
दूसरी योजना 1956–61	53.13	3.57	16.30	--	73.00	40.62	1.31	15.11	--	57.04
तीसरी योजना 1961–66	132.95	17.22	29.48	--	179.65	104.22	14.00	26.80	--	145.02
तीन वार्षिक योजनाएं (1966–69)	55.42	5.77	5.28	--	66.47	83.93	5.64	8.54	--	98.11
चौथी योजना (1969–74)	160.02	12.44	1.10	--	173.56	133.99	6.18	1.33	--	111.80
पांचवी योजना (1974–78)	263.84	20.78	0.28	--	284.90	206.08	10.29	0.34	--	216.71
दो वार्षिक योजनाएं (1978–80)	286.57	18.35	--	--	304.92	164.93	5.39	0.20	--	170.52
छठी योजना 1980–85	1339.03	123.21	43.37	--	1,505.61	1,091.90	22.01	5.24	--	1,119.15
सातवीं योजना										
1985–86	470.57	32.62	15.98	--	519.17	398.16	3.87	7.96	--	409.99
1986–87	758.00	54.07	1.25	--	812.32	493.04	12.57	1.24	--	506.85
1987–88	1,240.34	74.11	21.35	15.07	1,350.87	687.69	23.05	4.41	15.07	730.22
	2,468.91	159.80	38.58	15.07	2,682.36	1,578.89	39.49	13.61	15.07	1,647.06
कुल जोड़	4,795.03	361.14	134.39	15.07	5,305.63	3,421.29	104.61	71.17	15.07	3,612.14

भाऔविनि की उत्प्रेरक भूमिका

5.26 भाऔविनि की सभी गतिविधियां, चाहे ये वित्तपोषण के क्षेत्र में हों, या लीजिंग या पूतिकार उधार या मर्चेन्ट बैंकिंग के क्षेत्रों में हों, या इसके प्रवर्तन एवं विकास दायित्व को पूरा करने से सम्बन्धित क्षेत्रों में हों, मूलतः उत्प्रेरक प्रकृति की हैं। परियोजना वित्तपोषण के क्षेत्र में भाऔविनि की उत्प्रेरक भूमिका का प्रभाव इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भाऔविनि इन 40 वर्षों के दौरान 2,857 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 39,131.73 करोड़ रुपये के समग्र संसाधन जुटाने में उत्प्रेरक रहा है। इनमें से अधिकतर परियोजनाओं ने देश के औद्योगिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है।

5.27 भाऔविनि का दायित्व अब देश के समग्र औद्योगिक परिप्रेक्ष्य पर छाया हुआ है। एक विकास वित्तीय संस्थान के नाते, भाऔविनि उद्योग एवं समग्रतः राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अपनी उपयोगिता को लगातार सुधारने के उद्देश्य से परिवर्तनशील सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुसार अपने आपको ढालने के लिये कृत-संकल्प है।

भाऔविनि की सहायता का आर्थिक योगदान

5.28 पिछले 40 वर्षों के दौरान भाऔविनि की वित्तीय सहायता का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान स्वतन्त्रता के बाद से देश में सर्वत्र फैले हुए समग्र उद्योगीकरण में देखा जा सकता है। भाऔविनि की सहायता देश के हर उस भाग में पहुंची है जहां कहीं भी बड़ी या माध्यम-बड़ी परियोजना स्थापित हुई है। संगठित क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई उद्योग होगा जिसको कि पिछले 40 वर्षों के दौरान भाऔविनि की सहायता का कुछ लाभ न मिला हो। वास्तव में बहुत सी इकाइयों को एक से अधिक बार भाऔविनि की वित्तीय सहायता मिली है।

5.29 पिछले दशक में, भाऔविनि की अपनी सहायता ही, चीनी (22.42 लाख टन), सूती वस्त्र (30.45 लाख तकुए), सीमेंट (271.06 लाख टन), कागज (5.37 लाख टन), आदि, जैसे, विभिन्न उद्योगों में पर्याप्त क्षमताओं को सृजित/उत्प्रेरित करने में समर्थ रही है। इसके अतिरिक्त रसायन और रसायन उत्पाद, आटोमोबाइल, सिन्थेटिक रेशे, सिन्थेटिक रेसिन्स और प्लास्टिक सामग्री, विविध अधातु खनिज उत्पाद, मशीनरी और उपकरणों, बिजली तथा बिजली उपस्कर, होटल, आदि जैसे विभिन्न अन्य उद्योगों में पर्याप्त क्षमताएं सृजित की गई हैं। पिछले दशक के दौरान भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाएं स्वयं 5 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने में समर्थ रही हैं।

राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

5.30 अपने अस्तित्व के 40 वर्षों के दौरान भाऔविनि ने कर के रूप में ही 135 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय राजकोष में दी है, जो कि इसकी प्रदत्त पूंजी से भी 65 करोड़ रुपये अधिक है।

भाऔविनि के परिचालनों का प्रभाव

(i) संतुलित क्षेत्रीय विकास

5.31 भाऔविनि की कुल सहायता का 50% से अधिक भाग उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं को गया है। उद्योग रहित जिलों/औद्योगिक रूप से पिछड़े अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं को भाऔविनि की सहायता का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव स्थानीय लोगों का आर्थिक कल्याण करने और सामाजिक अवस्थापना को मजबूत करने में इन परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न की गई विकासात्मक चेतना द्वारा जाना जा सकता है। चूंकि अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में अधिकांश परि-योजनाएं ग्रामीण और/या अर्ध-शहरी वातावरण में स्थापित की गई हैं, इन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा परि-वर्तन आया है। इन परियोजनाओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने, बहुत सी अति लघु तथा लघु इकाइयों और विभिन्न व्यापारिक दुकानों, मरम्मत सेवाओं, आदि की स्थापना करने में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया है। उद्योगीकरण के लाभ को समान रूप से वितरित करने और उद्योग रहित जिलों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के अनुक्रम में भाऔविनि, परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध करवा कर परियोजना विशिष्ट अवस्थापना के विकास में सहायता देता रहा है। परियोजना विशिष्ट अवस्थापना पर व्यय के सम्बन्ध में प्रवर्तक अंशदान की भी आशा नहीं की जाती, और परियोजना के उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद उस प्रयोजन के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज की प्रचलित रियायती दर वसूल की जाती है। इन उपायों ने सीधे-सादे लेकिन महत्वपूर्ण ढंग से संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता दी है, और इस प्रक्रिया से भी क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलनों को ठीक करने में सहायता मिली है।

(ii) सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन

5.32 यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उद्योग में सहकारिता आन्दोलन ने भाऔविनि के आगमन से जड़ें पकड़ी। इस समय तक 313 औद्योगिक सहकारिताओं को भाऔविनि की सहायता प्राप्त हुई है और उनको 411.93 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। यद्यपि औद्यो-गिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है, भाऔविनि के लिए यह बड़े संतोष की बात है कि सहकारिता क्षेत्र उद्यमों को प्रदान की गई इसकी सहायता और अग्रता संव्यवहार के माध्यम से सहकारिता आन्दोलन लगभग सभी राज्यों में गतिमान हुआ है। इस समय भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 313 सहकारिताएं हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 113, उत्तर प्रदेश में 41, कर्नाटक में 29, आन्ध्र प्रदेश में 24, गुजरात में 24, तमिलनाडु में 20, पंजाब में 15, उड़ीसा में 11, हरियाणा में 8, असम, बिहार और मध्य प्रदेश प्रत्येक में 5, केरल

और राजस्थान प्रत्येक में 4, पश्चिम बंगाल में 2, पांडिचेरी में 2 और गोवा में एक है । चूंकि औद्योगिक क्षेत्र की लगभग सभी सहकारिताएं या तो कृषि आधारित हैं या कृषि के लिए उपादेय उपलब्ध करवाती हैं, भाऔविनि ने उद्योग में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन उपलब्ध करवा कर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सामान्यतः प्रभावित करने के अतिरिक्त कृषि और उद्योग के बीच एक अच्छा सम्बन्ध स्थापित किया है ।

5.33 ग्रामीण और/या अर्ध, शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक सहकारिताएं सहकारिता क्षेत्र में ग्रामीणों के विश्वास को मजबूत करने और उत्पादक प्रयोजनों के लिए कृषि क्षेत्र की बचतों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त बेहतर सड़कें, बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा कर, पेयजल उपलब्ध करके, विद्यालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करके क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाई है । चीनी सहकारिताएं औद्योगिक एल्कोहल्स का उत्पादन करने वाले मद्य-निर्माणशालाओं, मिष्ठान इकाइयों, खोई आधारित कागज संयंत्रों अथवा मिश्रित और दानेदार उर्वरकों के उत्पादन, आदि जैसे बहुत से अनुषंगी और सहायक उद्योगों को प्रवर्तित करने में सहायक रही है । वस्त्र बुनाई सहकारिताओं ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अवसर प्रदान किए हैं । पटसन, उर्वरक, सिन्थेटिक धागे, वनस्पति तेल, कोकोआ प्रोसेसिंग, कागज, औद्योगिक सम्पदाओं आदि का विकास जैसे बहुत से अन्य उद्योगों में सहकारिता आन्दोलन का प्रसार, भा औ वि नि की पर्याप्त वित्तीय सहायता से पिछले चार दशकों में प्राप्त की गई सफलता और शक्ति का एक सार्थक प्रमाण है ।

(iii) उद्योगों का आधुनिकीकरण और विशाखन

5.34 औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, विशाखन और आधुनिकीकरण को उच्च अग्रता दी जा रही है, और सम्बन्धित योजनाओं के अधीन आधुनिकीकरण के लिए उदार शर्तों पर सहायता संभव सीमा तक उपलब्ध करवाई जा रही है । पिछले 40 वर्षों के दौरान भा औ वि नि द्वारा मंजूर की गई कुल सहायता का लगभग 3.17 प्रतिशत वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, विशाखन और आधुनिकीकरण को प्राप्त हुआ है । चीनी विकास निधि, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि और जूट आधुनिकीकरण निधि और उसके साथ सभी अन्य उद्योगों के आधुनिकीकरण की उदार ऋण योजना के अधीन उपलब्ध लाभों के परिचालन से उद्योग में आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में वास्तविक बल प्राप्त हुआ है ।

5.35 भा औ वि नि का जोर प्रौद्योगिकी के उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण के उपायों और प्रदूषण नियंत्रण सहित आधुनिकीकरण के समन्वित कार्यक्रम पर रहा है । भा औ वि नि का बल और धारणा इस बात पर रही है कि गुणवत्ता और मानकीकरण की शर्तों के अनुसार उत्पादों का ही नहीं अपितु मितव्ययता, दक्षता और गुणवत्ता से परिपूर्ण प्रौद्योगिकी का भी आधुनिकीकरण हो, संगठनात्मक ढांचे का आधुनिकीकरण हो, और सभी स्तरों पर कार्मिकों के दृष्टिकोणों और कुशलताओं के आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण सहित प्रबन्ध-व्यवस्था तकनीकों का आधुनिकीकरण हो । बारम्बार आधुनिकीकरण योजनाओं का मूल्यांकन करते समय भा औ वि नि इस बात पर विशेष बल ध्यान देता रहा है, कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाई गई आधुनिकीकरण योजनाओं का लक्ष्य, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और उत्पाद में सुधार, निर्यात उन्मुखता या आयात प्रतिस्थापन, ऊर्जा बचत, प्रदूषण निवारक उपाय, दुर्लभ कच्चे माल और अन्य उपादेयों का संरक्षण/प्रतिस्थापन, छीजन और उप-उत्पादों के पुनर्उपयोग में वृद्धि और अवरोधों को दूर कर क्षमता उपयोग में वृद्धि हो । उद्योगों में, जहां प्रौद्योगिकी अप्रचलन की दर बहुत ऊंची है, या जहां प्रौद्योगिकी या प्रक्रिया के उन्नयन सन्निहित हैं, वहां संयंत्र और उपकरण के आयु मापदण्ड, में भी छूट दी गई है । वास्तव में भा औ वि नि और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रति चेतना जगी है, और यदि उद्योग आधुनिकीकरण पहलू के प्रति सुनियोजित तरीके से उचित ध्यान देता है, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि उद्योग घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों, दोनों में अपनी प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रख सकता है तथा उसमें सुधार कर सकता है ।

(iv) प्रौद्योगिकीय आधार का विस्तृतीकरण

5.36 लगभग तीन दशकों से जोर निस्सन्देह आर्थिक आत्म निर्भरता पर था, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता माल उद्योगों या कृषि आधारित उद्योगों का पलड़ा परिष्कृत और प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्योगों से भारी था । लेकिन पिछले दशक के दौरान, और विशेषकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के आगमन से, या तो प्रौद्योगिकी का आयात करके, याइन- हाउस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से देशी प्रौद्योगिकी का विकास करके, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्योगों का भाग, विशेष कर, हाल ही में भा औ वि नि के सहायता के भाग में समुचित रूप से बढ़ गया है । भा औ वि नि द्वारा प्रवर्तित जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० भी अधिक जोखिम और अधिक लाभ वाले, उच्च प्रौद्योगिकी उद्यमों को शुरू करने वाले पथ प्रदर्शक तकनीकज्ञों/व्यवसायियों को उनकी योजनाओं, अर्थात नई प्रौद्योगिकी, नए उपयोगों और नई विशेषीकृत सेवाओं और उनकी वाणिज्यिकता के के विशिष्ट पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रोत्साहन दे रहा है । भा औ वि नि भी अपने परियोजना वित्तपोषण परिचालनों में उन परियोजनाओं को पर्याप्त महत्व भी देता रहा है जो कि वाणिज्यिक रूप से स्वदेशी प्रमाणित या उन्नत आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित हो, अथवा जो या तो आयात प्रतिस्थापन, या निर्यात विकास, या दोनों के आधारभूत उद्देश्य से वर्तमान औद्योगिक इकाइयों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन वाली हो । बहु-प्रकार की परियोजनाएं, जो कि भा औ वि नि

नि० द्वारा वित्तपोषित की गई हैं, विशेषकर पिछले पाच वर्षों के दौरान, उपर्युक्त कथन का सार्थक प्रमाण है। लेकिन, उल्लेखनीय बात यह है, कि यह केवल शुरुआत ही है, और इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, ताकि देश के 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पहले उद्योग का प्रौद्योगिकीय आधार अच्छी तरह से विशाखित हो सके।

(v) उद्यमीय आधार का विस्तृतीकरण

5.37 भारत जैसे बड़े देश में औद्योगिक विकास की संतुलित और व्यापक रूप से विस्तृत प्रक्रिया के लिए उद्यमीय आधार को विस्तृत करने के लिए उद्यमियों के एक नए वर्ग की रचना प्रमुख रूप से अपेक्षित है। इस क्षेत्र में भा० औ० वि० नि० की भूमिका जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० की सहायता से प्रवर्तकों के अंशदान के संस्थानात्मक मापदण्डों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, छोटे उद्यमियों को अपने संसाधनों की सम्पूर्ति करने के अतिरिक्त, छोटे उद्यमियों के लाभ के लिए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करके और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा इसके अपने वित्तपोषण में परियोजनाओं को महत्व देकर, प्रमुख रही है। पिछले दशक में ही भा० औ० वि० नि० और जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० मध्यम, मध्यम-बड़े और बड़े उद्योगों के क्षेत्र में ही देश के औद्योगिक क्षितिज पर 264 प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को लाने में समर्थ रहे हैं।

(vi) प्रबन्ध-व्यवस्था का व्यवसायीकरण और बेहतर प्रबन्ध-व्यवस्था संस्कार

5.38 दो दशक पहले भारत में 'स्वामित्व' को 'प्रबन्ध-व्यवस्था' से पृथक् करना कठिन था। इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद देना होगा, जिससे कि प्रबन्ध-व्यवस्था के व्यवसायीकरण ने देश में जड़ें पकड़नी प्रारम्भ कर दी हैं। उद्योग अब इस बात से भली-भांति परिचित हो गया है कि 'स्वामित्व' और 'नियंत्रण' का परियोजना के सफल परिचालनों से बहुत कम सम्बन्ध है। वास्तव में 'प्रबन्ध-व्यवस्था' ही इस सम्बन्ध में प्रमुख स्थान रखती है। अतः भा० औ० वि० नि० सहित वित्तीय संस्थानों का जोर उचित प्रबन्ध-व्यवस्था संस्कार बनाने और उद्योग की समग्र प्रबन्धकीय प्रभावशीलता बढ़ाने पर रहा है। भा० औ० वि० नि० द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान पिछले दस वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में अपनी छाप बनाने में समर्थ रहा है।

5.39 लम्बे समय तक भारतीय नियमित प्रबन्ध-व्यवस्था उच्च नियामक पर्यावरण को सहने की आदी रही है। वास्तव में नियंत्रणों की मिश्रित व्यवस्था का स्थायीकरण बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के विद्यमान रहने और विकास करने का प्रमुख पहलू बन गया था। अब परिवर्तन के अधीन आर्थिक पर्यावरण में, नियंत्रणों की व्यवस्था से जो लाभ होते थे, वे अब होने बन्द हो गए हैं। बढ़ी हुई प्रतियोगिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पर्यावरण में शीघ्र ताल-मेल करने में अब चुनौतियां उठ खड़ी हो रही हैं। इस नए पर्यावरण का प्रभाव ही वह मूल चुनौती है, जिसका कि भारतीय नियमित प्रबन्ध-व्यवस्था आज सामना कर रही है, और इस अन्तराल को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

5.40 परियोजनाओं के मूल्याकन और अनुवर्तन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और विशेषकर भा० औ० वि० नि०, जो कि देश के विकास बैंकों में सबसे पुराना है, औद्योगिक परियोजनाओं के परियोजना नियोजन, कार्यान्वियन और परिचालन से सम्बन्धित मूल पहलुओं के प्रति अनुशासन भावना पैदा करने का कुछ श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय संस्थानों की अनुवर्ती कार्यवाही इस प्रकार बनाई गई है, कि जोर केवल उनसे सूचना और आंकड़े की मांग पर दिया जाये, जिसे परियोजनाओं का कोई भी प्रभारी प्रबुद्ध प्रबन्धक-वर्ग, परियोजना के सफल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, स्वयं रखना और विश्लेषण करवाना चाहेगा। वर्षों के दौरान भा० औ० वि० नि० का प्रयास प्रवर्तकों और प्रबन्धकों के बीच औद्योगिक उद्यम की सफलता के लिए वित्तपोषण और प्रबन्धकीय अपेक्षाओं के प्रति बेहतर जागरूकता उत्पन्न करना रहा है, और यही कारण है कि प्रबुद्ध प्रवर्तक और सक्षम व्यवस्थापक काफी अधिक मात्रा में उन लाभों का महत्व समझने में अब समर्थ हैं, जो कि विभिन्न अभ्यासों से वे स्वयं प्राप्त करते हैं, जिनका भा० औ० वि० नि० परियोजना के कार्यान्वियन और परिचालन अवस्थाओं के दौरान उनके द्वारा किए जाने की अपेक्षा करता है। वित्तीय संस्थानों की रचनात्मक और सहयोगी भूमिका, न तो किसी परियोजना के वित्तपोषण के लिए निर्णयों तक और न ही उनके द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के चालू रहने के दौरान, परियोजना के कार्यान्वियन के पर्यवेक्षण तक सीमित रहती है। वित्तीय संस्थानों की यही कामना रहती है, कि प्रबन्धक-वर्ग के साथ उनके सम्बन्ध पूरी तरह से अंतरंग और निरन्तर हों जिससे कि गुंजायमान औद्योगिक स्वभाव के सृजन के लिए एक दूसरे की सुविज्ञता और अनुभव का आदान-प्रदान कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय संस्थान प्रत्येक प्रबन्धक-वर्ग को निम्नलिखित के लिए प्रभावित करते हैं : (क) एक उचित संगठनात्मक ढांचा बनाने के लिए, (ख) प्रबन्ध-व्यवस्था का दूसरा अच्छा स्तर बनाने के लिए, (ग) दिन-ब-दिन कार्यों के लिए प्रबन्ध-समितियों को रखने के लिए और सबसे बढ़कर, (घ) नीति अवबोधन को जगाने और समग्रतः परियोजना के परिचालनों का निष्पक्ष रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए उचित रूप से विस्तृत किए गए निदेशक बोर्ड को रखने के लिए। मूलभूत उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है, कि वित्तपोषित संस्थाएं स्वयं अपने-आप कतिपय स्व-नियंत्रित प्रक्रिया का विकास करें, जिससे कि अपनी परिचालनात्मक व्यवहार्यता और वित्तीय विश्वसनीयता को निरन्तर बनाए रख सकें। भा० औ० वि० नि० कुछ क्षम्य गर्व के साथ यह कह सकता है, कि वह इस सम्बन्ध में एक छाप छोड़ने और वित्तपोषित संस्थाओं की प्रबन्ध-व्यवस्था संस्कृति पर कुछ

गुणात्मक प्रभाव डालने में सक्षम रहा है, हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ।

नवीनतर चुनौतियां

5.41 पिछले चार दशकों के दौरान भा० औ० वि० नि० के कार्य परिणाम इस बात को दर्शाते हैं, कि यह उद्योगीकरण प्रक्रिया के लिए एक निरन्तर और अति आवश्यक गति-प्रेरक उपलब्ध करवाने में सक्षम रहा है । अब 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने वाली वार्षिक मंजूरियों और प्रत्येक वर्ष 500 नए ग्राहकों के बन जाने से भा० औ० वि० नि० का आगे का कार्य न केवल विविधतापूर्ण है, अपितु चुनौती भरा भी है । नवीनतर मांगे सहायता के आकार में विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए संसाधन जुटाने और निधियों के पुनर्उपयोग के लिए प्रयासों में न केवल पर्याप्त प्रगति की अपेक्षा रखती है अपितु संसाधनों के आबंटन के लिए नीतियों और अग्रताओं को और अधिक एकजुट करने की भी अपेक्षा करती है ।

5.42 मानवशक्ति की योजना और विकास के क्षेत्र में, आने वाले वर्षों में, भा० औ० वि० नि० का प्रतिबल निम्नलिखित माध्यम से उत्पादकता सुधार पर होगा—(क) यथा-संभव सीमा तक प्रणालियों के परिचालनों और कार्यपद्धतियों का यंत्रीकरण और कम्प्यूटरीकरण, (ख) इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग, माइक्रो-प्रोसेसिंग और पर्सनल कम्प्यूटरों की प्रकृति के अनुरूप अधिकारियों और स्टाफ को ढालना और (ग) उनकी सम्पूर्ण प्रबन्धकीय दक्षताओं और प्रभावशीलता को सुधारने के लिए उन्हें प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करना ।

5.43 संसाधन जुटाने के क्षेत्र में समय पर वित्तीय संस्थानों और साथ ही सरकार के प्रति अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबल चालू और अतिदेयों की वसूली के लिए और संघटकों में संस्कृति सृजित करने के लिए अब भी है, और उपरोक्त के लिए प्रतिबल अधिक परिश्रम पूर्वक भविष्य में लगे रहना अवश्यम्भावी है । देश की वित्तीय प्रणाली, में यदि निवेश के विकास को बनाए रखने और गतिमान होने की आशा है, तो देनदारों में चूक किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । उद्योग में योजना, बजट पूर्वानुमान और अनुवर्तन अभ्यासों को पहले से अधिक परिश्रमपूर्वक सार्थक करना होगा । अधिकांश मामलों में उपरोक्त आधार पर वित्तीय व्यवस्था में एक बार उचित रूप से गतिमान होने के बाद, रुग्णता का भी, जहां यह बाहरी कारणों के कारण न हो, पता लगाया जा सकता है अपितु इसे रोका भी जा सकता है ।

5.44 उद्योगों के वित्तपोषण के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र, जिनमें कि भा० औ० वि० नि० और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभाव डाला जाना अवश्यम्भावी होगा, निम्नानुसार होंगे :—

— ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग करने, ऊर्जा संरक्षण उपायों द्वारा बचत करने और गैर-परम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा साधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से ऊर्जा प्रबन्ध ।

— पर्यावरणीय संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण ।

— व्यक्तियों और माल की सुरक्षा ।

— प्रौद्योगिकी उन्नयन ।

— मानव संसाधन विकास ।

अवरोध की अवस्था देश में बहुत से उद्योगों को प्रभावित कर रही है । यदि इस औद्योगिक अवरोध के खतरे का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करना है, तो प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और उद्योग में उत्पादकता को सुधारने के सिवाय कोई चारा नहीं है । यह नोट किए जाने की भी आवश्यकता है, कि अंधाधुंध विदेशी सहयोग प्रौद्योगिकी अप्रचलन के लिए रामबाण नहीं है, और न हो सकता है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में देश अब व्यस्क हो चुका है, और प्रौद्योगिकीय सुधार करने, उत्पादन लागत घटाने, और औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्वयं देश के भीतर सम्बन्धित प्रौद्योगिकी को ढूंढना कठिन नहीं है । उपर्युक्त पहलू भा० औ० वि० नि० के भावी परिचालनों में प्रमुख विचारणीय मुद्दे होंगे ।

5.45 उद्योग का मेरुदण्ड सक्षम प्रबन्धकीय एवं तकनीकी कार्मिक है । बचत के पैमाने, प्रवीणता और नवीनता दिखाने की पर्याप्त छूट सहित प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण का लाभ लेने के लिए भी उद्योग तभी लाभ ले सकता है, जबकि प्रबन्ध व्यवस्था पूरी तरह से व्यावसायिक हो, और साथ ही साथ व्यवसायीकृत की गई हो । प्रबन्ध-व्यवस्था को भी प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण कार्यों की सहायता से परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता है, जिससे कि यह अपनी गरिमा और उत्पादकता को बनाए रख सके । अब समय आ गया है, जबकि उद्योग अपनी अग्रताओं को स्पष्ट कर लें । जब तक कि उद्योग मानव संसाधनों के विकास के प्रति अपना एकाग्र ध्यान नहीं लगाता, यह अपने लाभों की आशा नहीं कर सकता । संभवतः औद्योगिक वित्तपोषण के भावी कार्यक्रमों में इन पहलुओं को अधिक विस्तार से देखना होगा ।

5.46 उभरती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सौभाग्यवश भा० औ० वि० नि० के लिए एक तरफ भा० औ० वि० बैंक के सक्रिय नेतृत्व के अधीन देश के अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ और दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र के साथ मजबूत सम्बन्धों सहित एक प्रभावी समन्वय तंत्र उपलब्ध है । फिर भी, विकास वित्तपोषण की बढ़ती हुई जटिलताएं निरन्तर नई से नई चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं । बहुविध, प्रवर्तनात्मक और विकासात्मक कार्यों के लिए बढ़ती हुई मांगे भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं । अपनी शक्ति और लचीलेपन के सबल आधार पर जो व्यवस्थाएं भा० औ० वि० नि० ने पिछले 40 वर्षों के दौरान निरन्तर बनाई हैं, भा० औ० वि० नि० यह कहने में सक्षम है, कि यह भावी मांगों को

आशाजनक रूप से अच्छी तरह पूरा करने में समर्थ होगा, और आने वाले समय में विकास बैंकिंग के क्षेत्र में नए से नए आयाम जोड़ेगा ।

अध्याय 6

आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड की बैठकें

6.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की 12 बैठकें हुई, जिनमें से 7 नई दिल्ली में, तथा एक-एक बैठक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और शिलांग में हुई ।

निदेशक बोर्ड में परिवर्तन

6.02 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित निदेशक, श्री वी० दीक्षित द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के अध्यक्ष के पद से सेवा-निवृत्त होने के कारण बोर्ड से त्यागपत्र देने के अतिरिक्त निदेशक बोर्ड में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उनका उत्तरवर्ती अभी नामित किया जाना है ।

6.03 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड श्री वी० दीक्षित द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने के दौरान किए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, योगदान एवं सेवाओं की अति प्रशंसा करता है ।

6.04 निदेशक बोर्ड, श्री एल० के० झा, जो 15 फरवरी, 1956 से 7 जून, 1960 की अवधि के दौरान भारत सरकार के नामित के रूप में भा० औ० वि० नि० के एक निदेशक रहे थे, के दुखद निधन पर भी गहरी संवेदना प्रकट करता है ।

सलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें

6.05 वर्ष के दौरान, होटलों, अस्पतालों, रसायन प्रक्रिया एवं सम्बद्ध उद्योगों, इंजीनियरी तथा पटसन उद्योगों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशिष्ट परामर्श प्राप्त करने हेतु सलाहकारों के तदर्थ समूह की 8 बैठकें की गई ।

राज्य सलाहकार समितियों की बैठकें

6.06 वर्ष के दौरान, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अन्तर्गत गठित राज्य सलाहकार समितियों की दो बैठकें—एक आन्ध्र प्रदेश और एक राजस्थान में हुई । इस समय राज्यों में भा० औ० वि० नि० की विभिन्न 16 राज्य सलाहकार समितियां कार्यरत हैं । और हरियाणा, गोवा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शीघ्र बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

6.07 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें विशिष्ट क्षेत्रों और/अथवा उद्यागों के सम्बन्ध में उपलब्ध परिस्थितियों, तथा गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भा० औ० वि० नि० के लिए अपने योगदान और गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी देने, उसके मूल्यांकन करने तथा सम्बन्धित राज्य में उद्योगीकरण की समस्याओं और संभावनाओं की मौके पर जानकारी देने में सहायक रही है । भा० औ० वि० नि० के क्षेत्रीय तथ शाखा कार्यालयों के प्रमुख पदेन सचिवों की हैसियत से, समिति के सदस्यों के साथ पूरे वर्ष सम्पर्क बनाए रखते हैं ।

अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय

6.08 अन्तर संस्थानात्मक बैठकों, अन्तर-संस्थानात्मक पुनर्स्थापन तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखा गया । वर्ष 1987-88 के दौरान अन्तर-संस्थानात्मक मंच की 10 (सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई एक बैठक सहित), अन्तर-संस्थानात्मक पुनर्स्थापन मंच की 11 और वरिष्ठ कार्यपालकों की 26 बैठकें हुई ।

6.09 क्षेत्रीय स्तर पर, भा० औ० वि० बैंक के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यपालकों की बैठकें संस्थानात्मक स्तर पर वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति की समीक्षा करने, संवितरणों तथा वसूलियों पर, विशेष रूप से परियोजना वित्तपोषण भागीदारी योजना मामलों पर विचार करने तथा परियोजना अनुवर्तन, देयताओं की वसूली आदि की समीक्षा करने के लिए हुई । वर्ष के दौरान, 22 क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकें हुई, जिनमें से 5 उत्तरी क्षेत्र में, 4 पश्चिमी क्षेत्र में, 4 पूर्वी क्षेत्र में, 4 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तथा 5 दक्षिणी क्षेत्र में आयोजित की गई ।

6.10 राज्य स्तर पर, भा० औ० वि नि० द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य स्तरीय मार्गदर्शन तथा अनुवर्तन समितियों, और राज्य स्तरीय मंचों, आदि की बैठकों में अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों के माध्यम से भाग लेकर समन्वय बनाए रखा गया ।

विदेश यात्राएं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भागीदारी

6.11 भा० औ० वि० नि० ने विदेशों के अन्य विकास वित्तीय संस्थानों और विश्व पूंजी बाजार में कार्यशील अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा ।

6.12 भा० औ० वि० नि० अध्यक्ष, श्री धर्मेन्द्रनाथ डावर ने बैंक आफ कोरिया के गवर्नर के निमंत्रण पर दक्षिण कोरिया का दौरा किया, और वे सियोल में बैंक आफ कोरिया के नए भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर विशेष अतिथि रहे । उन्होंने जापान के बैंकों और सिक्योरिटी हाउसेस के साथ परस्पर हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु जापान का दौरा किया, और इसी दौरे के दौरान वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भा० औ० वि० नि० द्वारा लिए गए 14 बिलियन जापानी येन के यूरो-येन ऋण के सम्बन्ध में मित्सुई फाइनेंस एशिया, लि० के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिए हांग कांग रुके ।

6.13 भा० औ० वि० नि० के कार्यपालक निदेशक, श्री सुदर्शन कुमार ऋषि ने सितम्बर, 1987 में संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया और न्यूयार्क में उर्वरक संस्थान के विश्व उर्वरक सम्मेलन में भा० औ० वि० नि० का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वाशिंगटन में 'तृतीय विश्व में खाद्य आपूर्ति हेतु वित्त एवं उर्वरक' पर गोल मेज सम्मेलन में भी भाग लिया।

6.14 भा० औ० वि० नि० के महाप्रबन्धक, श्री हरिश्चन्द्र शर्मा ने जून, 1988 में बेलग्रेड (युगोस्लाविया) में हुई विकासशील देशों में लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भा० औ० वि० नि० का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का आयोजन वर्ल्ड असैम्बली आफ स्माल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज (वासमें) नई दिल्ली के सहयोग से दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए बेलग्रेड की एक एजेंसी—रिसर्च सेन्टर फार कोआपरेशन विद डेवलपिंग कन्ट्रीज, लजुबल्जाना द्वारा किया गया।

संगठनात्मक गतिविधियां

6.15 18 अप्रैल, 1988 को अपनी वर्तमान अवधि की समाप्ति पर औ० वि० नि० अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (क) के अधीन श्री धर्मेन्द्रनाथ डावर को 18 अप्रैल, 1993 तक आगामी 5 वर्षों के लिए भा० औ० वि० नि० के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। वर्ष के दौरान, भा० औ० वि० नि० के मूल संगठनात्मक ढांचे में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ।

प्राधिकार प्रत्यायोजन

6.16 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड द्वारा भा० औ० वि० नि० के विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों की समग्र समीक्षा के साथ-साथ भा० औ० वि० नि० द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न नई योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता मंजूर तथा संवितरण करने के लिए भा० औ० वि० नि० के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों को पर्याप्त प्राधिकार प्रत्यायोजित किए गए।

वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन

6.17 भा०औ०वि०नि० में समष्टि तथा सामरिक योजना के एक भाग की प्रक्रिया के रूप में वर्ष के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के दो सम्मेलन अक्तूबर-नवम्बर, 1987 तथा अप्रैल, 1988 में, भा०औ०वि०नि० की वर्तमान तथा प्रस्तावित गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाने तथा क्षेत्रीय, शाखा एवं अन्य कार्यालयों के कार्य निष्पादन तथा उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में भा०औ०वि०नि० के इन क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त हुए कई सुझावों पर भी ध्यान दिया गया। बाद में उक्त सुझावों पर भा०औ०वि०नि० के कार्यपालकों की उच्च-स्तरीय समिति द्वारा गहराई से विचार किया गया, और इसके परिणाम स्वरूप, आन्तरिक प्रणालियों एवं पद्धतियों तथा कार्यालय के कार्यों का सरलीकरण करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग तथा सम्प्रेषण प्रणाली

6.18 भा०औ०वि०नि० की पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय में अपेक्षित अनुषंगी सामान सहित एक आधुनिक आई० सी० आई० एम०—6040 मेन फ्रेम कम्प्यूटर स्थापित तथा परिचालित करने एवं भा०औ०वि०नि० के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक आई० सी० आई० एम० क्वाटरो पर्सनल कम्प्यूटर लगाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान, कम्प्यूटरीकरण की समग्र श्रेणी में, लेजर प्रिण्टर सहित एक बहुभाषी शब्द संसाधक की और वृद्धि की गई। आशा की जाती है कि अगस्त, 1988 के अन्त तक भा०औ०वि०नि० के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित करने के लिए आदेश दे दिए जायेंगे तथा दिसम्बर, 1988 में यह प्रणाली चरणों में परिचालित हो जाएगी।

6.19 इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग विभाग हेतु आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक स्टाफ की नियुक्ति की गई, तथा कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में अधिकारियों एवं स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष के दौरान, 6 कम्प्यूटर उद्बोधन कार्यक्रम तथा 9 डाटा डाक्यूमेंटेशन एण्ड डिसीप्लिन प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें भा०औ०वि०नि० के 228 अधिकारियों एवं स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया।

कार्मिक

6.20 जून, 1988 की समाप्ति तक भा०औ०वि०नि० में (इसके क्षेत्रीय, शाखा एवं अन्य कार्यालयों सहित) 1,147 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें 397 अधिकारी, 533 सहायक कर्मचारी और 217 अधीनस्थ कर्मचारी थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 160, 37 और 15 थी। जून, 1988 की समाप्ति के समय भा०औ०वि०नि० में महिला कर्मचारियों की संख्या 183 थी।

मानव संसाधन विकास

6.21 मानव संसाधन का सर्वोत्तम लाभ उठाने और उच्च-दायित्वों को निभाने तथा विभिन्न दत्तकार्यों को पूरा किए जाने को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान, उचित दृष्टिकोण तथा सकारात्मक कार्य-संस्कारों सहित मानवीय संसाधनों के विकास और समृद्धि पर बहुत जोर दिया गया। प्रशिक्षण में कम्प्यूटर से सम्बन्धित कुशलता, मर्चेन्ट बैंकिंग, लीजिंग वित्त, विदेशी मुद्रा ऋण परिचालन, औद्योगिक परियोजनाओं का आर्थिक विश्लेषण, कार्यशील पूंजी प्रबन्ध और रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन पर ध्यान दिया गया।

6.22 भा०औ०वि०नि० के अधिकारियों और स्टाफ के लाभ के लिए विभिन्न अवधि के 67 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम—अब तक सबसे अधिक—आयोजित किए गए। इन 67 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से, प्रधान कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में 29 कार्यक्रम, बम्बई प्रशिक्षण केन्द्र में 10, हैदराबाद प्रशिक्षण केन्द्र में 13, पटना प्रशिक्षण केन्द्र में 7 तथा भा०औ०वि०नि० के

न्य केन्द्रों में 8 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न कार्यालयों और विभिन्न स्तरों के 702 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

6.23 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, देश के अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी स्टाफ के 57 सदस्यों ने भाग लिया। विकास बैंकिंग केन्द्र सहित प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित अधिकारी विकास कार्यक्रमों में स्टाफ के बीस सदस्यों को भेजा गया। निवेश मूल्यांकन एवं प्रबन्ध, लीजिंग एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तीन वरिष्ठ कार्यपालकों को विदेश भेजा गया।

6.24 कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988, प्रत्यक्ष-कर विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1987, वित्तीय जोखिम प्रबन्ध एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषयों पर अधिकारियों तथा स्टाफ के लाभ के लिए विशेषज्ञों द्वारा विशेष भाषणों का प्रबन्ध किया गया।

6.25 शैक्षणिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के साथ ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान के प्रयास में, भाऔविनि ने विभिन्न संस्थाओं के व्यवसाय प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराईं। वर्ष के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयों से 7 विद्यार्थियों को भाऔविनि के कार्यों से अवगत कराया गया और उनकी कक्षा-कक्ष प्रशिक्षण को वास्तविक क्रियात्मक प्रशिक्षण से सम्बद्ध करने का अवसर दिया गया।

6.26 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन हेतु वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अधीन, भाऔविनि ने, वर्ष के दौरान, पंजाब नेशनल बैंक के चार कार्यपालकों को अपने पुनर्स्थापन वित्त विभाग में कार्य प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराईं।

6.27 भाऔविनि ने अपनी सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कर्मचारियों हेतु आरक्षण/रियायतों के सम्बन्ध में सरकारी मार्ग निर्देशों को कार्यान्वित करना जारी रखा। इन श्रेणियों से सम्बद्ध कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति के मानदण्डों में छूट दी गयी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध प्रत्याशियों को बेहतर परिणाम दर्शाने के लिए, 15 भर्ति-पूर्व बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाऔविनि में कनिष्ठ अधिकारियों के पद हेतु लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देने से पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 166 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इसी प्रकार, इन-हाउस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए विभिन्न केन्द्रों में 4 पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 17 कार्यरत स्टाफ सदस्यों को लाभ हुआ और भाऔविनि में उनकी सेवा-वृत्त की सम्भावनाओं को सुधारने में सहायता दी।

6.28 गहन आन्तरिक तथा कार्य दौरान प्रशिक्षण के अतिरिक्त, संगठन की समग्र उत्पादकता में सुधार लाने के लिए स्टाफ सुझाव योजना के अधीन स्टाफ को निरन्तर सुझावों को देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया। स्टाफ सुझाव समिति ने सदस्यों द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव का भली प्रकार मूल्यांकन किया और यदि कोई सुझाव कार्यान्वियन हेतु स्वीकार किया गया तो सम्बन्धित स्टाफ सदस्यों को नकद पुरस्कार/प्रशंसा पत्र दिए गए।

मानवीय सम्बन्ध

6.29 भाऔविनि में नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्धों में मानवोचित आधार पर अच्छा तालमेल रहा, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण वर्ष स्टाफ के सम्बन्ध सौहार्द और सद्भावपूर्ण बने रहे।

6.30 भाऔविबैंक अधिनियम, 1964 की धारा 6 की उपधारा (64) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भाऔविनि के प्रबन्धक (तकनीकी) श्री ब्रज भूषण हुरिया को दिनांक 6 मई, 1988 से 5 मई, 1991 तक 3 वर्ष के लिए भाऔविबैंक के निदेशक बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया। श्री हुरिया इस समय भाऔविनि अधिकारी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं।

कल्याण कार्य

6.31 भाऔविनि के कर्मचारियों का कल्याण कार्य सभी केन्द्रों और सभी स्तरों पर जारी रहा, और पहले की भांति ही कार्मिक प्रबन्ध के क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गयी। भाऔविनि के कल्याण कार्यों में सामाजिक सुरक्षा, आवास और चिकित्सा सुविधाएं महत्वपूर्ण बनी रहीं।

6.32 स्टाफ कल्याण निधि, विविध प्रकार की स्टाफ कल्याण गतिविधियों जैसे, कर्मचारियों द्वारा स्व-विकास, स्व-विवाह, आश्रित बच्चों के विवाह, घरेलू टिकाऊ सामान खरीदने, छात्रवृत्ति प्रदान करने, खेलों तथा मनोरंजन क्लबों को अनुदान देने, शिमला, श्रीनगर, गोवा, पुरी, ऊटी, बंगलौर तथा दार्जिलिंग के अवकाश-गृहों के रख-रखाव करने, पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित शिशु-गृह के रख-रखाव करने का मूलभूत आधार बनी रही। वर्ष के दौरान, कम्प्यूटर, अल्पावधि एवं दीर्घावधि, दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों तथा स्व-विकास और योग्यता छात्रवृत्ति के क्षेत्र में विशेष बल दिया गया।

6.33 विकलांगता और वित्तीय सहायता योजना, 1985 तथा स्वैच्छिक कल्याण योजना, 1986 उन विकलांग/सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए सहायक रहीं, जो दयनीय स्थिति में थे तथा उन कर्मचारियों के परिवारों को, जिनकी बीमारी या दुर्घटना के कारण असामयिक मृत्यु हो गई।

खेलकूद

6.34 भाऔविनि ने लगातार तीसरे वर्ष भी भाऔविनि के कर्मचारियों में खेल और खेल की भावना विकसित करना निरन्तर जारी रखा। तृतीय अखिल भारतीय भाऔविनि

खेलकूद प्रतियोगिता, 1988, इस वर्ष दिनांक 6 मार्च, 1988 को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शानदार समारोह के साथ सम्पन्न हुई। इस वर्ष के खेलकूद के मुख्य पहलू थे—(क) अधिक प्रकार की खेलकूद क्रीड़ाएं प्रारम्भ करना, (ख) पिछले वर्ष की तुलना में भाआवित्रि के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना और (ग) भाआवित्रि के कर्मचारियों के बच्चों द्वारा अधिक संख्या में भाग लेना ।

राहत कोष और अन्य विकासोन्मुख कार्यक्रमों में अंशदान

6.35 भाआवित्रि ने 16 सितम्बर, 1987 को देश के विभिन्न राज्यों में सूखा राहत कार्य में सहायता की दृष्टि से प्रधान मंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का दान दिया ।

6.36 जर्मन संघीय गणराज्य के ऋदितांस्तल्त-फर-वाइडर-फबऊ के कहने पर, ब्याज-अन्तरजन्य-निधियों में से नई आशा ग्रामीण समुदाय केन्द्र हेतु गहरा कुंआ परियोजना के सम्बन्ध में नई आशा ग्रामीण कुष्ठरोग ट्रस्ट, मुनिगुडा, उड़ीसा को 21,000 रुपए का अंशदान दिया गया ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

6.37 वर्ष के दौरान भाआवित्रि ने अपने निजी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया । वर्ष के दौरान, एक द्विभाषिक शब्द संसाधक प्राप्त किया गया और एक अखिल भारतीय हिन्दी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 13 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए । प्रधान कार्यालय सहित भाआवित्रि के प्रत्यक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में गठित सत्रह राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखी, तथा अपने सम्बन्धित कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव दिए । कर्मचारियों के लाभ के लिए हिन्दी के प्रयोग पर तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं । पिछले वर्ष लिए गए निर्णय के अनुसार हिन्दी में मूल पत्र-व्यवहार में वृद्धि करने के लक्ष्य से प्रत्येक मास का अन्तिम शुक्रवार हिन्दी दिवस के रूप में मनाना जारी रहा ।

विकास बैंकिंग के चालीस वर्ष

6.38 वर्ष 1987-88 भारतीय उद्योग के लिए भाआवित्रि के सेवा के चार दशक पूरे करता है, जो स्वतन्त्रता के चालीस वर्षों के दौरान देश की उपलब्धियों और आर्थिक विकास के समक्रमिक है । वस्तुतः भारत में विकास बैंकिंग का इतिहास भाआवित्रि के साथ प्रारम्भ होता है । इस तथ्य को पर्याप्त रूप से स्मरण रखने के लिए, भाआवित्रि ने इस अवसर को मनाने के लिए निम्नलिखित कार्य-कलाप शुभारम्भ करने का निर्णय लिया :—

(i) भारत में विकास बैंकिंग के इतिहास के दस्तावेजीकरण

'भारत में विकास बैंकिंग—भाआवित्रि की भूमिका' शीर्षक से एक शोध ग्रन्थ प्रकाशित करने का निणय लिया गया है, जो राजस्थान एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व उप-कुलपति, और इलाहबाद, राजस्थान और पंजाब विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व प्रोफेसर डा० ओम काण, एम० काम० डी० फिल० डी० लिट० द्वारा लिखा जा रहा है । शोध-ग्रन्थ के टाटा मैकग्रा हिल पब्लिशिंग कम्पनी लि०, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 1988 तक प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है ।

(ii) भाआवित्रि के चालीस वर्ष : भाआवित्रि के अध्यक्षों के भाषणों/अभिभाषणों का संग्रह

सभी सम्बन्धित पक्षों के लाभ के लिए भाआवित्रि की वार्षिक महासभाओं के समय भाआवित्रि के अध्यक्षों के भाषणों/अभिभाषणों का एक संग्रह प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है । यह संग्रह, वीवा फोटोलिथोग्राफर्स, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जो विकास बैंकिंग के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों अथवा, उनके लिए, जो एक ही स्थान पर यह जानने के इच्छुक हैं, कि भाआवित्रि किस प्रकार एक-एक ईंट रख कर, वर्ष पश्चात् वर्ष, अपनी इमारत खड़ी करने में समर्थ हुआ है बहुमल्य आधार का कार्य करेगा ।

(iii) निगमित क्षेत्र में वित्तपोषित संस्थाओं और नामित निदेशकों का क्षेत्रीय सम्मेलन

वर्ष 1988-89 में क्षेत्रीय और नामित निदेशकों के सम्मेलन आयोजित किए जाने की योजनायें विचाराधीन हैं ।

आभार प्रदर्शन

6.39 निदेशक बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक), अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर के वित्तीय एवं विकास संस्थानों और मर्चेण्ट बैंकिंग संस्थाओं से प्राप्त हुई सहायता, और सहयोग और सद्भाव के लिए अपना आभार प्रकट करता है ।

6.40 निदेशक बोर्ड, तकनीकी सलाहकार संगठनों, जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम, प्रबन्ध विकास संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के उद्यमीयता विकास संस्थानों और भाआवित्रि से सक्रिय रूप से सम्बद्ध अन्य संस्थानों के समूह के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालकों द्वारा अपने-अपने संगठनों की भूमिकाओं को पूरा करने तथा गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है ।

6.41 भाआवित्रि राज्य सलाहकार समितियों तथा तकनीकी सलाहकार/तदर्थ समिति के सदस्यों, समय-समय पर उनके बहुमूल्य सहयोग और सलाह के लिए आभारी है, तथा उनका धन्यवाद करता है। निदेशक बोर्ड, विभिन्न संगठनों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के बोर्डों में भाआवित्रि की ओर से नामित गैर-शासकीय सदस्यों का भी उनकी सेवाओं के लिए आभारी है ।

6.42 निदेशक बोर्ड, भाऔविनि द्वारा विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा सक्रिय सहयोग, विशेष रूप से विश्व बैंक, आर्थिक विकास संस्थान, एशियन विकास बैंक, जर्मन संघीय गणराज्य के क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ, और विदेशों में समवर्ती और अन्य बैंकों आदि से प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है।

6.43 भाऔविनि के अधिकारी एवं स्टाफ उच्च व्यावसायिक मानक, जिसके लिए अब भाऔविनि ने देश और विदेश, दोनों में ख्याति प्राप्त की है, बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। अपने टीम कार्य, निष्ठा तथा सद्भावपूर्ण प्रयासों द्वारा, उन्होंने पिछले सभी कीर्तिमान पीछे छोड़ दिए हैं और भाऔविनि की प्रगति दरों में अत्यन्त वृद्धि की है। अतः निदेशक बोर्ड को, निगम के सभी स्तर पर, समस्त कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए उनकी सराहना करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है।

डी० एन० डावर
अध्यक्ष

परिशिष्ट I

1987-88 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1987-88 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन					
			सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के संबंध में		
			विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1987-88 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1987-88 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	चीनी	लाख टन	90.82 (386)	82 40*	101.95	25.11 (140)	28.01	111.55
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)		26.19 मिलियन तकुए (1045)**	1554.9 मिलियन कि० ग्राम	—	7.45 मिलियन तकुए (216)**	345.96 मिलियन कि० ग्राम	—
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)		2.08 लाख खड्डियां	3027 मिलियन मीटर	—	0.61 लाख खड्डियां	254.45 मिलियन मीटर	—
4.	पटसन वस्त्र	लाख टन	16.40 (71)	11.92	72.7	4.33 (16)	3.64	84.1
5.	कागज और गत्ता	लाख टन	28.18 (297)	16.80	59.6	11.75 (73)	13.92	118.5
6.	प्लाईवुड	मिलियन वर्ग मी०	117.5 (59)	80.00	68.1	22.03 (7)	16.32	74.1
7.	सीमेन्ट	मिलियन टन	55.25	39.30	71.1	40.10 (59)	32.80	81.7

*उत्पादन अक्तूबर, 1987 से अप्रैल, 1988 की अवधि का है।

**283 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	70.33 (43)	54.30	77.2	30.58 (10)	26.33	86.1
9.	फास्फेटिक उर्वरक	लाख टन	22.63 (19)	16.60	73.3	14.86 (7)	11.86	79.8
10	कास्टिक सोडा	लाख टन	10.45 (41)	8.80	84.2	6.34 (11)	4.39	69.2
11.	सोडा ऐश	लाख टन	10.05 (6)	9.90	98.5	0.77 (1)	0.52	67.5
12.	कैल्सियम कार्बाइड	लाख टन	2.18 (8)	0.75	34.1	0.34 (3)	0.19	55.6
13.	एसिटिक एसिड	लाख टन	0.81 (19)	0.50	61.7	4.26 (1)	1.50	85.2
14.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.55 (7)	1.06	68.4	0.35 (1)	0.14	40.0
15.	तरल क्लोरीन	लाख टन	7.70 (29)	3.15	40.9	3 89 (10)	2.40	61.7
16.	विस्कोज फिलामेन्ट धागा	हजार टन	54.98 (8)	45.93	83.5	6.47 (1)	3.49	53.9
17.	नायलोन फिलामेन्ट धागा	हजार टन	47.52 (11)	34.43	72.5	9.05 (2)	4.47	49.4
18.	नायलोन टायर कॉर्ड	हजार टन	एन० ए०	एन० ए०	—	6.00 (1)	1.01	16.8
19.	पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न	हजार टन	74.18	111.37	150.1	7.00 (2)	5.95	85.0
20.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	146.21 (8)	79.41	54.3	23.13 (2)	18.45	79.8
21.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	हजार टन	54.98 (8)	45.93	83.5	8.13 (1)	7.00	66.1
22.	आटो टायर	लाख संख्या	100.58 (23)	140.00	87.2	36.36 (2)	30.94	85.1
23.	आटो ट्यूब	लाख संख्या	171.45 (26)	140.00	81.6	10.10 (1)	13.84	137.0
24.	रबर गर्भरोधक	मिलियन संख्या	713.00 (3)	630.00	88.4	200.00 (1)	100.00	50.0
25.	पुनर्प्रयोग की गई रबर	हजार टन	36.58 (12)	21.00	57.4	4.80 (1)	2.36	49.1
26.	खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	113.00 (44)	47.00	41.6	10.50 (1)	1.11	10.6
27.	कांच की शीटें	मिलियन वर्ग मी.	40.79 (9)	42.00	102.9	8.00 (1)	4.11	51.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28.	फाइबर ग्लास	हजार टन	5.29 (3)	4.65	87.9	1.75 (1)	1.34	76.6
29.	कांच की बोतलें और विविध : कांच का सामान	लाख टन	6.53 (31)	5.95	91.1	1.00 (1)	2.30	57.7
30.	कृत्रिम डिटर्जेन्ट	हजार टन	323.46 (21)	200.00	61.9	20.00 (2)	11.11	55.6
31.	साबुन	हजार टन	365.40 (48)	360.00	98.5	26.00 (2)	10.01	38.5
32.	फैटी एसिड	हजार टन	150.00 (20)	10.00	6.7	12.7 (2)	5.46	43.0
33.	ग्लिसरीन	हजार टन	22.58 (19)	11.50	50.9	1.80 (1)	0.24	13.3
34.	बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	104.33 (6)	61.48	58.9	19.80 (4)	20.47	103.4
35.	स्टील इंगोट्स (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	180.00 (7)	39.14	21.7	66.50 (2)	23.40	35.1
36.	स्टील इंगोट्स/बिल्लेट्स (मिनी स्टील संयंत्र)	लाख टन	66.00 (196)	15.30	23.2	4.04 (9)	2.67	66.1
37.	स्टील गढ़ाई	हजार टन	325.00 (75)	185.00	56.9	514.40 (5)	392.56	76.3
38.	स्टील ढलाई	हजार टन	210.00 (80)	90.40	43.0	69.29 (5)	42.53 -	61.2
39.	शीत कृत इस्पात पत्तियां	लाख टन	12.00 (56)	1.40	11.6	1.73 (7)	0.89	51.4
40.	दुपहिये	लाख संख्या	23.00 (23)	15.93	69.3	7.65 (5)	4.27	55.8
41.	कारें	लाख संख्या	1.71 (5)	1.35	78.9	0.44 (2)	0.40	90.9
42.	वाणिज्यिक वाहन	लाख संख्या	2.65 (13)	1.00	37.7	0.28 (2)	0.28	100.0
43.	सिरेमिक टाइल्स	लाख टन	1.53 (16)	1.29	84.3	0.49 (4)	0.31	63.2
44.	विस्फोटक	हजार टन	2.17 (17)	1.25	57.6	22.50 (2)	10.09	44.8
45.	वी बेल्ट	लाख संख्या	183.71 (16)	180.00	97.9	8.25 (3)	7.94	96.5
46.	कन्वेयर बेल्ट्स	हजार टन	8.91 (8)	8.60	96.5	1.20 (1)	0.93	77.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47.	जी० एल० एस० लैम्प	मिलियन संख्या	342.69 (20)	272.00	79.4	5.78 (2)	1.90	32.9
48.	फ्लोरेसेन्ट ट्यूबें	मिलियन संख्या	44.90 (16)	44.50	99.1	5.00 (1)	5.21	104.2
49.	पावर एवं वितरण ट्रांसफोर्मर्स	मिलियन किलोवाट्स	32.50 (31)	28.76	88.5	1.80 (1)	1.53	85.00
50.	इलैक्ट्रीकल पंखे	लाख संख्या	47.80 (17)	50.00	104.6	3.0 (1)	2.00	66.7
51.	डीजल इंजिन	हजार संख्या	3.36 (34)	1.75	52.1	3.30 (1)	2.89	87.6
52.	ट्रैक्टर	हजार संख्या	115.00 (19)	84.00	73.0	15.0 (1)	15.60	104.0
53.	पावर टिलर	हजार संख्या	16.00 (5)	3.00	18.80	5.0 (1)	3.00	60.0
54.	रिफ्रेक्ट्रीज	लाख टन	17.20 (71)	9.34	54.3	0.78 (3)	0.59	75.6
55.	होटल	लाख संख्या @	113.41 (455)	78.82	6.95	3.61 (8)	2.31	63.1

@कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमश. किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है।

परिशिष्ट II

भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1987-88

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनाएं	विस्तार/ विशाखन परियोजनाएं	आधुनिकीकरण परियोजनाएं	पुनर्स्थापन, सन्तुलन उपस्कर आदि के लिए सहायता	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजनाओं की संख्या	192	70	218	127	607
1 प्रवर्तक योगदान					
शेयर पूंजी	568.18 (15.3%)	122.40 (8.7%)	90.38 (5.2%)	12.60 (3.7%)	793.56 (11.1%)
— अप्रतिभू गौण ऋण	13.13 (0.4%)	19.69 (1.4%)	15.83 (0.9%)	5.53 (1.6%)	54.18 (0.7%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
—आन्तरिक प्रोद्भूत, आदि	212.31 (5.7%)	207.88 (14.8%)	288.24 (16.7%)	50.00 (14.7%)	758.43 (10.6%)
2. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् भाऔविनि, भाऔविबैंक, भाऔसाविनि, एवं भाऔपुबैंक द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	2,122.74 (57.2%)	770.08 (55.0%)	1,107.24 (64.1%)	172.49 (50.8%)	4,172.55 (58.1%)
—इक्विटी सहायता	259.93 (7.0%)	1.17 (0.1%)	6.46 (0.4%)	1.50 (0.5%)	269.06 (3.7%)
3. निवेश संस्थानों अर्थात् जीबीनि, साबीनि और भायट् द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	55.24 (1.5%)	63.35 (4.5%)	79.45 (4.6%)	11.40 (3.4%)	209.44 (2.9%)
—इक्विटी सहायता	6.06 (0.2%)	— (—)	1.68 (0.1%)	4.20 (1.3%)	11.94 (0.2%)
4. (क) बैंकों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	188.61 (5.1%)	92.95 (6.6%)	64.89 (3.7%)	23.84 (7.0%)	370.29 (5.2%)
(ख) बैंकों आदि द्वारा इक्विटी सहायता	36.08 (1.0%)	0.11 (—)	3.61 (0.2%)	1.80 (0.5%)	41.60 (0.6%)
5. (क) राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	6.08 (0.2%)	— (—)	11.62 (0.7%)	— (—)	17.70 (0.2%)
(ख) इक्विटी सहायता	56.75 (1.5%)	0.26 (—)	5.78 (0.3%)	0.41 (0.1%)	63.20 (0.9%)
6. अधिकारिक निर्गम	69.18 (1.9%)	80.72 (5.8%)	22.37 (1.3%)	— (—)	172.27 (2.4%)
7. आस्थगित अदायगियां	33.89 (0.9%)	— (—)	1.53 (0.1%)	1.36 (0.4%)	36.78 (0.5%)
8. विदेशी संस्थानों से ऋण	11.65 (0.3%)	— (—)	— (—)	— (—)	11.65 (0.2%)
9. अन्य	68.11 (1.8%)	43.08 (3.1%)	28.65 (1.7%)	54.23 (16.0%)	194.07 (2.7%)
जोड़ :	3,707.94 (100.0%)	1,401.69 (100.0%)	1,727.73 (100.0%)	339.36 (100.0%)	7,176.72 (100.0%)

टिप्पणियां : 1. इक्विटी सहायता में हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान सम्मिलित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

3. उपरोक्त में परियोजना लागत आदि में अधिव्यय को पूरा करने के लिए सहायता की मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट-III

1987-88 (जुलाई-जून) के दौरान भाग्रौविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(करोड़ रुपये)

उद्योग	परि-योजनाएं (संख्या)	कुल पूंजी लागत (रु०)	संभावित प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)	उत्पादन का मूल्य (रु०)	सकल मूल्य वृद्धि (रु०)	प्रति वर्ष क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी	10	128.68	3,751	142.44	70.88	3.03 लाख टन चीनी
फलों का रस	3	16.03	205	21.01	5.91	शीतल पेय आधारित 25.4 मिलियन लीटर फलों के रस की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग।
वस्त्र	21	146.56	5,981	198.66	60.64	1.47 लाख तकुए, 4.2 मिलियन वर्ग मीटर बिना बुने वस्त्र, 500 टन थर्मो-बॉन्डिड बिना बुने वस्त्र, 6.14 लाख मीटर सादे बुने हुए वस्त्र, 18 मिलियन मीटर वस्त्र की प्रोसेसिंग, 120 मिलियन डिस्पो-जेबल बेबी डाइपर्स, 109 मिलियन सेनेट्री नैपकिन्स और 360 टन वस्त्र सामान की रंगाई।
कागज व कागज उत्पाद	7	77.94	989	85.49	33.76	3,900 टन विशिष्ट कागज, 2,940 टन पैकिंग और लपेटने का कागज, 2,500 टन कार्बन रहित कागज, 3,500 टन सक क्रेफ्ट कागज, 5,025 टन धातुकृत कागज, कागज और गूदे से सेब की 57 मिलियन मोल्डिड ट्रे।
रसायन व रसायन उत्पाद	25	641.05	3,274	483.64	221.85	8,000 टन एनहाइड्रोस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 12,000 टन सिन्थेटिक फ्लोराइड, 1,000 टन विविध फ्लोराइड, 1,800 टन इथिल एसिटेट, 900 टन एसिटल डिहाइड, 1,500 टन एसिटिक एसिड, 10,000 टन विनाइल एसिटेट, 30,000 टन आक्सो अल्कोहल्स, 800 टन डीडीवीपी/फास्फा-मिडान, 2.00 लाख टन मैथानॉल, 1,655 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा आक्सीजन, 1.43 लाख टन नाइट्रिक एसिड, 150 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा नाइट्रोजन, 1,400 टन एमिनोसिड पाउडर, 84 टन एल-सिस्टीन, 24 टन एल-टेरोसीन, 20,000 टन मोनोथीलिन ग्लाइकोल, 6,000 टन क्लोरो सल्फोनिक एसिड, 22 टन मिथाइल डोपा, 320 लाख स्लरी डिटोनेटर्स, 25 टन आक्सीफिनबूटाजोन, 24 टन मेट्रो-नीडाजोल, 30 टन मैबेनेडेजोल, 7,500 टन मिश्रित स्लरी, विस्फोटक, 1,800 टन क्याइल एनामल इंसुलेशन वार्निश,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						13,860 टन उच्च फाक्टस कार्न सिरप, 600 टन इक्-शोफर, 36 टन रेटिंटिडाइल, 10,000 टन एथ्रोपस, 57,000 टन फैटी एसिड, 1,200 टन ग्लीसरीन, 9,000 टन लुबरीकेंट तेल और 10,000 टन अखाद्य तेलों की सफाई।
आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें	3	331.25	3,396	416.11	151.66	17.80 लाख आटोमोबाइल टायर, 17 लाख आटोमोबाइल ट्यूबें और 9 लाख फ्लैप्स।
कृत्रिम रेशे	8	758.19	1,930	387.00	180.56	12,160 टन पालिएस्टर फिलामेंट धागा, 21,000 टन एक्रेलिक रेशा, 1,000 टन बहु-फिलामेंट पोलीप्रोपलीन धागा, 50,000 टन केप्रोलिक्टम, 2,900 टन नाइलोन फिलामेंट धागा, 5,100 टन नाइलोन टायर कार्ड धागा और 2,700 टन नाइलान टायर कार्ड रेशा।
कृत्रिम रेसिन्स और प्लास्टिक उत्पाद	24	190.61	2,910	244.48	96.77	6,590 टन पीवीसीपाइप, 400 टन बहु-पर्ती कोइक्सट्रूडिड शीटें, फर्श दीवार ढांकने के लिए 4 मिलियन वर्ग मीटर पीवीसी रेसिन्स, 4,176 टन रेडमेड पीवीसी पाइपें, 6,500 टन एबीएस, 3,000 टन बाइवाल और पोलीट्यूब्स, 4,030 टन कोक्सट्रुडिड बहु-पर्ती ब्लाउन फिल्म, 1,000 टन पीवीसी दरवाजे/खिड़कियों के पल्ले, 1,150 टन जीआरपी प्लास्टिक वेसल, टंकियों और साइलोज, 2 मिलियन वर्ग मीटर विनाइल फर्श ढकाई सामान, 64 मिलियन डिस्पोजेबल सीरींज, 60 मिलियन डिस्पोजेबल सुईयां, 6,600 टन रेडमेड प्लास्टिक कोटेड छत की चादरें, 2,550 टन थर्मोप्लास्टिक मदें, 3,600 टन इंसुलेट तारों वाले पोलिमर घोल।
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	9	373.62	1,986	191.79	105.97	35.51 लाख टन सीमेंट, 1.66 लाख टन व्हाइट सीमेंट, 2.44 लाख टन सल्फेट अवरोधक सीमेंट और 12,000 टन एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें।
कांच और कांच उत्पाद	3	299.41	1,210	114.88	89.94	25 मिलियन वर्ग फीट कांच की चादरें।
विविध अधातु खनिज उत्पाद	10	201.13	1,975	105.34	62.66	46 हजार टन सेरेमिक दीवार और फर्श की टाइलें, 8.3 मिलियन टन एगलोमरेटिड संगमरमर की टाइलें, 7,000 टन सेनेटरी-वेयर, 12,500 टन सामकूल, 30,000 टन उच्च शुद्धता डोलोमाइट मैग्नेशिया, 43,200 बाइलिन और साल्ट टब तथा 12,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						वर्ग मीटर पालिश किए हुए ग्रेनाइट स्लैब तथा 36,000 वर्ग मीटर पालिश की हुई ग्रेनाइट टाइलें।
लोहा और इस्पात	15	533.31	4,123	548.84	227.24	88 लाख टन हाट ब्रिक्यूट्स स्पांज लोहा, 12,000 टन कार्बन इस्पात व एलॉय इस्पात, 25,000 टन सूक्ष्म इस्पात ट्यूबें तथा पाइप, 1 लाख टन कोल्ड रोल्ड इस्पात/क्वायल, 25,000 टन ऊंचे/मध्यम ढांचे तथा ढलवा उत्पाद, 1.17 लाख टन नरम, कार्बन तथा एलॉय इस्पात बिल्टें, 15,000 टन इस्पात सिल्लियां, 50,000 टन नरम, लोचदार इस्पात बिल्ट, 57,000 टन लोचदार इस्पात फ्लैट्स, 10,000 टन भारी फार्जिग्स, 5,000 टन इस्पात फार्जिग्स, 10,000 टन इस्पात, एलॉय और लोहे के ढांचे, 15,000 टन इस्पात/कास्ट आयरन दरवाजे और स्लयूस वाल्व तथा 35,000 टन विशेष इस्पात लोचदार इस्पात एवं फाइल इस्पात फ्लैट्स/ प्रोफाइल।
मशीनरी और उपांग	7	138.21	2,992	259.62	105.21	500 चलते-फिरते ईंटों के संयंत्र, 15,000 इंडस्ट्रियल, वाल्व, 700 फैकिंग मशीनें, 1,500 टिकटें रद्द करने वाली मशीनें, 1,500 प्लेन पेपर कापीयर, 1 लाख 25 हजार रेफ्रिजरेटर, 1,50,000 कम्प्रसर्स 50 उच्च क्षमता डीजल जनरेटिंग सेट, एवं कम्प्यूटर न्यूमेरिकल तथा परम्परागत मशीन टूलों के लिए 1.25 लाख टूल तथा वर्क होल्डर, आदि।
बिजली तथा इलक्ट्रॉनिक उपस्कर	38	773.77	7,917	734.31	312.79	4,00,000 इलैक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोन उपस्कर, इलैक्ट्रॉनिक प्राइवेट स्व-चालित शाखा एक्सचेंज के लिए 1.55 लाख लाइनें, 15,000 पर्सनल कम्प्यूटर, 5,000 इलैक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, मल्टी चैनल डिजिटल रेडियो इक्विपमेंट के 100 सिस्टम, 31,800 डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर्स, 8.2 मिलियन वीडियो कैसेट, 900.42 एमआरएम वीडियो मैग्नेटिक टेप, 310 मिलियन मल्टी लेयर सिरेमिक चिपकैपेसि-टर्स, 3 लाख इलैक्ट्रॉनिक ट्यूनर/फोटस रमिसटर, 250 एम आर एम कम्प्यूटर टे 2.5 मिलियन इंटीग्रेटिड सर्किट, 5 लाख माइक्रोफोन रिसीवर कैपसूल्स, 3.6 मिलि-यन डीसी माइक्रो मोटरें, 7 लाख श्वेत-श्याम टी० वी० पिक्चर ट्यूबें,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						10,000 सार्वजनिक फोन, 4 मिलियन एसेम्बलिंग और पैकेजिंग फ्लापी डिस्क, 10 मिलियन निकड पार्केट प्लेट, बैटरियों के एम्पयर्स, 30·9 लाख कम दबाव इलैक्ट्रीकल उपकरण, 20,000 कुंजी पटल, 25,000 स्विच मोड पावर सप्लायर, 1·5 लाख इलैक्ट्रानिक कनेक्टर्स, 5 लाख कंडक्टर किलोमीटर पोलिथिलीन इंसुलेटिड जेली सहित टेलीफोन तारें, आप्टोलेक्ट्रीकल सिस्टमों के 1,200 सिस्टम, फाइबर आप्टिक संचार उपकरण के लिए 20,000 किलोमीटर फाइबर, 120 मिलियन जिंक क्लोराइड ड्राइ सेल, टी०वी० सैटों के लिए 1,032 टन सोफ्ट फेरिट्स 45,000 वर्ग मीटर प्रिंटिड सर्किट बोर्ड, 5,000 माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रोसेस कन्ट्रोल उपकरण और 25 डिस्ट्रिब्यूटिड कंट्रोल सिस्टम ।
परिवहन उपस्कर	9	108.22	2,165	117.65	47.13	10 मिलियन आटोमोटिव स्पार्क प्लग, आटोमोबाइल उद्योग के लिए लगातार विलोसिटी ज्वाइंट और शेफ्ट के 1,44,000 सेट, कारों और जीपों के लिए 10 लाख पहिए के रीम, कार सीटों के 1.5 लाख सैट, स्टियरिंग लिंकेज एसेम्बलियां, 2 लाख, 3 लाख टाई राड एन्डस्, 0.5 लाख सस्पेंशन ज्वाइंट, 10,000 टन पैराबोलिक लीड स्प्रिंग, 7,500 टन शीट धातु उपस्कर, तथा आटो ट्रेक्टरों और भारी वाहनों के लिए 24,000 टन स्टियरिंग एसेम्बलियां ।
धातु उत्पाद	8	54.54	1,067	193.80	82.61	90,000 टन जीपी/जी सी शीटें, 50,000 टन पीवीसी कोटेड जस्तीकृत शीटें, 2,400 टन इस्पात, ढलाई मशीनिंग फेटलिंग सामान्य ढलाई 12,000 टन, 12 विशेष फैबरीकेशन, 2,000 टन इस्पात कोर्ड, 5,100 टन इस्पात वायर, 8,000 मीटर वायर प्रोसेसिंग, और अनिलिंग सुविधाएं जिससे 75,000 किलोग्राम रसायन वेपर जमा की कोटिंग की जाएगी तथा भौतिक वेपर जमा से प्रतिदिन 1,600 साइकिलों की कोटिंग की जायेगी ।
होटल	6	35.70	1,147	17.49	11.79	628 कमरे ।
अस्पताल	7	62.23	2,190	35.42	25.70	1,215 बिस्तर
अन्य	49	459.02	5,762	545.45	224.89	
जोड़:	262	5,329.47	54,970	4,843.42	2,120.96	

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षकों ने निगम के 30 जून, 1988 के संलग्न तुलन-पत्र और लेखों का लेखा-परीक्षण किया है और शेयरधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में है ।
2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं ।
3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन पत्र पर दी गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं, और इसमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है तथा इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है ।

एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 अगस्त, 1988

30 जून 1988 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	19,337.83	13,700.00
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश	2	9,653.38	7,283.36
अन्य संस्थानों में निवेश	—	650.00	281.00
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण	3	2,73,320.77	2,11,709.56
स्थिर परिसम्पत्तियां	4	3,902.88	2,245.75
अन्य परिसम्पत्तियां	5	13,298.98	11,027.48
स्वीकृतियों के लिये ग्राहक देयता	—	2,292.01	2,193.35
जोड़		3,22,455.85	2,48,440.50
देयतायें और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	7,000.00	5,750.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	22,561.85	18,216.74
दीर्घकालीन ऋण	8	2,76,568.24	2,09,448.78
चालू देयतायें तथा व्यवस्थाएं	9	13,044.10	12,028.81
स्वीकृतियों पर देयताएं	—	2,292.01	2,193.35
निर्दिष्ट निधियां	10	989.65	802.82
जोड़		3,22,455.85	2,48,440.50

हरिश्चन्द्र शर्मा	आर० विश्वनाथन	डी० एन० डावर	ए० वी० गणेशन	जे० एस० वार्ष्णेय	पी० एल० करिहालू
महाप्रबन्धक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	एम० सी० सत्यवादी	एन० के० शिकर	डी० एम० पटेल
				निदेशक	

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एन०एम० रायजी एण्ड कम्पनी टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी

नई दिल्ली : 17 अगस्त, 1988 सनदी लेखापाल

30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ऋणों, अग्रिमों जमा से ब्याज और पट्टा किराया (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये घटाकर)			
	11	28,529.67	22,548.04
ऋणों की लागत	12	21,209.70	16,077.89
निवल ब्याज राजस्व		7,319.97	6,470.15
अन्य परिचालनों से आय	13	936.38	799.86
जोड़		8,256.35	7,270.01
कार्मिक व्यय	14	612.23	654.88
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस	—	3.30	2.55
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास (स्थिर परिसम्पत्तियां)	15	533.49	278.60
अन्य व्यय	16	214.26	167.27
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	—	5.00	5.00
कराधान के लिये व्यवस्था	—	1,621.85	1,813.59
जोड़		2,990.13	2,921.89
निवल लाभ आगे ले जाया गया		5,266.22	4,348.12
समायोजन :			
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि		1,792.52	1,082.19
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि		2,500.83	2,548.52
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि		200.00	150.00
कर्मचारी कल्याण निधि		25.00	15.00
लाभांश		747.87	552.41
		5,266.22	4,348.12
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां, जो लेखे का भाग हैं।	17		

हरिश्चन्द्र शर्मा, महाप्रबन्धक | आर विश्वनाथन, कार्यपालक निदेशक | डी० एन० डावर, अध्यक्ष | ए० बी० गणेशन, एम० सी० सत्यवादी | जे० एस० वार्ष्णेय, एन० के० शिंकर, निदेशक | पी० एल० करिहालू, डी० एम० पटेल

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी | टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी

नई दिल्ली : 17 अगस्त, 1988

सनदी लेखापाल

अनुसूची 1 30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
रोकड़ और बैंक शेष		
हाथ में नकदी	1.14	1.33
हाथ में चैक/ड्राफ्ट एवं वसूली हेतु प्रस्तुत	1,142.31	792.28
भारत में बैंकों में शेष		
चालू खातों में (टिप्पणी नं० 7 देखें)	7,992.65	5,609.39
अल्पावधि जमा में	9,848.00	6,695.00
भारत के बाहर बैंकों में		
चालू खातों में	283.70	481.60
अल्पावधि जमा में	70.03	120.40
जोड़	19,337.83	13,700.00

अनुसूची 2 30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)

विवरण	धारा के अन्तर्गत*			इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
	23 (घ)	23 (च)	23 (झ)		
(i) इक्विटी शेयर	4,861.15	2,139.23	1,806.77	8,807.15	6,191.80
(ii) अधिमान शेयर	309.75	75.00	0.01	384.76	305.76
(iii) डिबेन्चर	32.92	182.65	210.11	425.68	659.58
(iv) शेयरों और डिबेन्चरों पर आवेदन राशि	22.29	13.50	—	35.79	36.22
	5,226.11	2,410.38	2,016.89	9,653.38	7,283.36
30 जून, 1987 को जोड़	4,119.40	1,470.26	1,693.70		
कथित					
—बही मूल्य				5,069.05	3,941.08
—बाजार मूल्य				10,288.39	7,735.44
निवेश जिनके लिये दरें उपलब्ध नहीं हैं।					
—बही मूल्य				4,548.54	3,306.07
—विश्लेषित मूल्य				3,328.64	1,965.14

*औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से सम्बन्धित है।

अनुसूची 3

30 जून, 1988 को तुलनपत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये व्यवस्था को घटाकर)

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(i) भारतीय रुपयों में	2,25,840.72	1,78,597.91
(ii) विदेशी मुद्रा में	47,480.05	33,111.65
जोड़	2,73,320.77	2,11,709.56

टिप्पणियां :

(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध है।	91.34	204.42
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	—	
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज किस्तों की कुल अतिदेय राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।		

अनुसूची 4

30 जून, 1988 को तुलनपत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

स्थिर परिसम्पत्तियां

विवरण	मूल लागत	संचित मूल्यह्रास	निवल मूल्य	
			इस वर्ष	पिछले वर्ष
	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(i) फ्री होल्ड भूमि तथा भवन	695.51	99.53	585.98	400.42
(ii) पट्टे पर भूमि तथा भवन	487.70	98.90	388.80	406.61
(iii) फर्नीचर तथा फिटिंग	96.99	38.79	58.20	57.05
(iv) कार्यालय उपस्कर	185.15	117.04	68.11	95.12
(v) बिजली की फिटिंग	17.91	12.91	5.00	6.55
(vi) वाहन	18.27	11.10	7.17	889
(vii) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां—संयंत्र एवं मशीनरी	1,506.75	195.77	1,310.98	
उप-जोड़	2,998.28	574.04	2,424.24	974.64
पूंजीगत खर्चों के लिये अग्रिम	1,478.64	—	1,478.64	1,271.71
जोड़	4,476.92	574.04	3,902.88	2,245.75
30 जून, 1987 को	2,522.53	276.78		

अनुसूची 5 — 30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
प्रोद्भूत ब्याज, परन्तु देय नहीं	6,746.83	6,619.90
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम	587.69	627.29
कर्मचारियों को अग्रिम	179.63	152.11
जमा राशियां	100.65	101.57
विनिमय अन्तर उचन्त खाता	2,465.90	177.25
कर्मचारी कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां	14.00	12.50
अन्य परिसम्पत्तियां	3,204.28	3,336.86
जोड़	13,298.98	11,027.48

अनुसूची 6 — 30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

शेयर पूंजी

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
अधिकृत		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 2,00,000)	10,000.00	10,000.00
जारी और अभिदत्त		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1,50,000 शेयर (पिछले वर्ष 1,25,000)	7,500.00	6,250.00
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुन-अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज़)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज़)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3,0308 शेयर (चतुर्थ सीरीज़)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवी सीरीज़)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज़)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज़)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज़)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज़)	500.00	500.00
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज़)	1,000.00	1,000.00
(xi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सीरीज़)	1,000.00	1,000.00
(xii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (बारहवीं सीरीज़)	1,250.00	750.00
(xiii) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (तेरहवीं सीरीज़) (रुपये 3,000/- प्रतिशेयर राशि मांगी गई और प्रदत्त)	750.00	(आंशिक रूप से प्रदत्त) —
	7,000.00	5,750.00

अनुसूची 7

30 जन, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	7,868.77	6,076.25
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	292.93	278.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	14,000.00	11,499.17
क्रेडितान्स्टाल्ट-फर-वाइडरफबाऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	300.15	263.32
जोड़	22,561.85	18,216.74

अनुसूची 8

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

दीर्घकालीन ऋण

विवरण		इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
बांड (अप्रतिभूत—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त)			
(a) 6%	बांड	—	2,539.46
(b) 6¼%	बांड	3,501.54	6,801.54
(c) 6½%	बांड	7,500.00	7,500.00
(d) 6¾%	बांड	7,810.00	7,810.00
(e) 7¼%	बांड	10,050.22	10,050.22
(f) 7½%	बांड	10,995.00	10,995.00
(g) 8¼%	बांड	7,975.00	7,975.00
(h) 8¾%	बांड	8,004.80	8,004.80
(i) 9.75%	बांड	19,701.00	19,701.00
(j) 9.75	बांड	32,269.13	32,269.13
(k) 11%	बांड	69,548.00	46,020.00
(l) 11.5%	बांड	15,000.00	—
(m) 7.6%	बांड (येन मुद्रा)	5,341.88	4,424.78
(n) 6.9%	बांड (येन मुद्रा)	5,341.88	4,424.78
(o) 6.3%	बांड (येन मुद्रा)	5,341.88	4,424.78
		2,08,380.33	1,72,940.49

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
उधार		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	6,185.00	7,025.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारत सरकार से	140.04	208.12
(ग) कदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबक्र के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	747.67	697.34
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किये गये विदेशी बांडों में से विदेशी मुद्रा में	1,159.87	1,055.97
(ङ) विदेशी ऋण संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में (रुपये 14,194.46 लाख के अल्पावधि पूरक ऋण सहित)	59,955.33	27,521.86
जोड़ :	2,76,568.24	2,09,448.78

अनुसूची 9

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(क) चालू देयताएं		
फुटकर लेनदार	5,884.81	6,348.52
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) बांडों पर	1,802.85	1,369.11
(ख) सरकार से उधार	17.75	16.06
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार	764.06	293.20
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार	262.36	176.23
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि	500.00	500.00
अग्रिम पावतियां	24.58	12.38
दावा न किया गया लाभांश	0.39	0.28
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि,भारत सरकार को देय राशि	1,154.28	919.98
जोड़ (क) आगे ले जाया गया	10,411.08	9,635.76
(ख) उपबन्ध :		
उचंत में डाली गई राशियां :		
(क) ब्याज	305.79	398.75

विवरण			इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(ख) वचनबद्धता प्रभार			0.05	0.05
(ग) प्रासंगिक प्रभार			2.38	2.38
कराधान के लिए व्यवस्था		6,520.37		
घटाइये : स्रोत पर काटा गया कर	291.62			
भुगतान किया गया अग्रिम कर	4,651.82	4,943.44		
उपबन्ध की निवल राशि			1,576.93	1,439.84
लाभांश के लिए व्यवस्था			747.87	552.41
जोड़ (ख)			2,633.02	2,393.05
जोड़ (क) + (ख)			13,044.10	12,028.81

अनुसूची 10

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विशेषकार्य के लिए निर्धारित निधि

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	904.48	744.01
कर्मचारी कल्याण निधि	85.17	58.81
जोड़:	989.65	802.82

अनुसूची 11

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और पट्टा किराया

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय	26,830.25	20,656.98
अल्पावधि ऋण आदि पर ब्याज	1,250.40	1,566.61
वचनबद्धता प्रभार	429.84	324.45
पट्टा किराया	19.18	—
जोड़:	28,529.67	22,548.04

अनुसूची 12

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

उधार लागत

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ऋणों और उधारों पर ब्याज	20,943.87	15,872.37
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	3.76	6.46
बाड जारी करने की लागत	262.07	199.06
जोड़:	21,209.70	16,077.89

अनुसूची 13

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य स्रोतों से आय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क	192.46	136.74
लाभांश	289.23	326.11
निवेशों की बिक्री में लाभ	333.26	214.11
अन्य विविध आय	121.43	122.90
जोड़:	936.38	799.86

अनुसूची 14

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

कार्मिक व्यय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते	572.45	621.46
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	4.08	3.55
अन्य कार्मिक व्यय	35.70	29.87
जोड़:	612.23	654.88

अनुसूची 15

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

स्थिर परिसम्पत्तियां—किराया, रख-रखाव तथा मूल्यह्रास

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रोशनी	193.65	127.85
मरम्मत एवं रख-रखाव	39.83	32.82
मूल्यह्रास	300.01	117.93
जोड़ :	533.49	278.60

अनुसूची 16

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य व्यय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	1.25
यात्रा व विराम व्यय	33.30	26.57
संचार व्यय	41.37	31.71
मुद्रण, लेखन-सामग्री और विज्ञापन	46.91	37.09
निवेशों पर हानि	2.22	17.85
अन्य व्यय (प्रधान मंत्री राहत कोष में रुपये 25.00 लाख के अंशदान सहित)	86.18	52.80
जोड़ :	214.26	167.27

अनुसूची 17

30 जून, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. राजस्व महत्ता

(क) जिन मामलों में ब्याज, वचनबद्धता प्रभार एवं कमीशन, आदि की वसूली संदिग्ध समझी जाती है उनमें निगम इन्हें आय के रूप में गणन नहीं करता। ऋण करारों का निष्कर्ष होने के पश्चात् ही वचनबद्धता प्रभारों को आय के रूप में गणन किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय आदेश प्राप्त किए हैं उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज का गणन इसके प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाता है।

2. निवेश

2.1 मूल्यांकन :

निवेशों का सकल बाजार मूल्य/विसाज्य मूल्य के संदर्भ में बही-मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

2.2 लेन-देन :

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप बेचे गए निवेशों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

(ख) परिसमापन अथवा रुग्ण कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में यदि कोई हानि हो जिनका विलीनीकरण अन्य स्वस्थ कम्पनियों के साथ किया जाता है, उनका गणन विलीनीकरण पूरा होने पर अन्तिम अदायगी प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) निम्नलिखित के शेष—

(i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण,

(ii) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण,

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष, और

(iv) विदेशी मुद्रा में दी गई गारन्टियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक देयताओं,

की अभिव्यक्ति 30 जून 1988 को तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में की जाती है

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुआ लाभ, यदि कोई हो, प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में तभी गणन किया जाता है जब विदेशी साख संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर दी गई हो और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिये गये ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिये गये हों। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है जब उस ऋण का भुगतान कर दिया गया हो। इस दौरान :

(i) विदेशी मुद्रा हानि/लाभ समायोजन खाते

(ii) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन, और

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उचन्त खाते में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से अन्तिम रूप में प्राप्त अंशदान विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है।

4. स्थिर परिसम्पत्तियां

(क) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्तियों के पट्टे की मूल अवधि पर या इन परिसम्पत्तियों से संबंधित आय-कर मूल्यह्रास दरों के सम्बन्ध में निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर, जो भी कम हो, सरल विधि से मूल्यह्रास किया जाता है।

(ख) अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित मूल दरों पर अपचायक शेष विधि द्वारा किया जाता है :

(i) जहां कहीं लागू हो 5%, 10% और 20% पर भवन और उनमें हुए परिवर्द्धन।

(ii) 10% और 33⅓% पर क्रमशः फर्नीचर और उपस्कर।

(ग) परिसम्पत्तियों का उल्लेख लागत में से मूल्य-ह्रास घटा कर किया गया है।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन-पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रसंगिक रूप से उत्तरदायी है :

(क) बकाया हामीदारी संविदा [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) के अधीन] 739.00 लाख रुपये (751.50 लाख रुपये), और

(ख) निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिये अयाचित राशि [औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 20, धारा 23(घ) तथा धारा 23(च) के अधीन] 13.73 लाख रुपये (263.65 लाख रुपये)

(ग) लगभग 1,117.50 लाख रुपये (प्रदत्त निवल अग्रिम) के पूंजी लेखे पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी है।

2. निगम के पक्ष में/विरुद्ध कुछ मामलों के सम्बन्ध में आयकर विभाग/निगम ने अपील/सन्दर्भ किया है। इस सम्बन्ध में विवादास्पद देयता 55.39 लाख रुपये (55.39 लाख रुपये) है। वर्ष के लिये कर देयता का व्यवस्था निगम द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के अनुसार की गई है।

3. फुटकर लेनदारों में 2505.56 लाख रुपये (1445.62 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से संबंधित है जो परिपक्व हो गये है किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किये गये हैं।

4. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) और 23(च) के अधीन निवेशों में 131.69 लाख रुपये की राशि (163.58 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में निवेश की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा 'रुग्ण' है और उनका स्वस्थ कम्पनियों के साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है।

5. हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 30 जून, 1988 तक, 50.36 लाख रुपये (43.86 लाख रुपये) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पूंजी में अभिदान कर दिया गया है। अतः इस राशि का निगम के 'निवेशों' में गणन नहीं किया गया है।

6. तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 1,849.55 लाख रुपये (1,705.88 लाख रुपये) की राशि बकाया थी, जिनका कि केन्द्रीय राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारन्टी-कर्ताओं से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को 35.11 लाख रुपये (171.84 लाख रुपये) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनको देयताएं उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई है।

7. बैंकों के चालू खातों में 7,900.00 लाख रुपये की राशि शामिल है जिसको कि निगम की सहमति से केन्द्रीय और/या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बैंकों ने निवेश किया हुआ है।

8. निगम द्वारा अधिग्रहण किये गए कुछ परिसरों के सम्बन्ध में हस्तान्तरण की औपचारिताएं पूरी किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

9. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32कख में निर्धारित परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण करने के लिये राशियों का उपयोग करने और/या उक्त धारा 32 कख की शर्तों के अनुसार अपेक्षित निक्षेप करने जैसी पात्रताओं के लिये अपेक्षित शर्तों सहित समुचित अनुपालन के आधार उक्त धारा के अधीन कटौती में गणन करते हुए वर्ष के कराधान के लिये उपबन्ध किया गया है।

10. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक बनाने के उद्देश्य के लिये आवश्यकतानुरूप पुनः एकत्रित किया गया है।

AGRICULTURAL REFINANCE DEVELOPMENT CORPORATION BONDS

In pursuance of Regulation 10 of the Agricultural Refinance Development Corporation Bonds Regulations 1969 (Issue and Management of Bonds Regulations 1969) the following list for the Half-year ended the 30th June 1988 is hereby advertised of the Agricultural Refinance Development Corporation Bonds lost etc. In respect of which prima facie grounds exist for believing that the securities have been lost and that the claim of the applicants is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these bonds should communicate immediately with the Manager, Reserve Bank of India, Public Debt Office, Hyderabad.

2. The list is divided into two parts, Part 'A' being the list of securities advertised for the first time and part 'B' the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

—NIL—

LIST 'B'

No. of the Security	Value in (Rs.)	In whose name issued	From what date bearing interest	Name of the claimants for issue of duplicate/payment of discharge value	No. & date of order issued	Date of first publication in the Gazette
5¾% AGRICULTURAL REFINANCE DEVELOPMENT CORPORATION BONDS 1985 (V SERIES)						
HD-000028	10,00,000/-	Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd.	18-9-1984	Andhra Pradesh Cooperative Central Agricultural Development Bank Ltd.	Deputy Manager's Orders No. Co/183/ LN/702 dt. 27-12-1985	12-4-1986

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
HYDERABAD - 500 004.

S.A. HUSSAIN,
Manager

STATE BANK OF TRAVANCORE
(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)

Trivandrum, the 13th December, 1988

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Register of Shareholders of State Bank of Travancore will remain closed for transfer of shares from Saturday the 28th January to Saturday the 11th February, 1989 (both days inclusive).

J. C. SOARES,
Managing Director

SYNDICATE BANK

INDUSTRIAL RELATIONS DIVISION

PERSONEL DEPARTMENT

HEAD OFFICE

Manipal, the 2nd December 1988

G. S. R. ....—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Syndicate Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations 1976.

1. *Short title and commencement* :

(i) These Regulations may be called the Syndicate Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regultaions 1988.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(iii) Details of Amendments :—

Following proviso shall be added to Regulation 11 of Syndicate Bank Officer Employees' Discipline and Appeal) Regulations 1976.

"Provided that the Officer employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made."

K. C. PAI
General Manager (PS)

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Bangalore-560 001, the 5th December 1988

No. 9361.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Cenral Government hereby makes the following regulations further to amend the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982.

2. *Short title and commencement* :

(1) These regulations may be called the Vijaya Bank (Officers') Service (third amendment) Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the 30th October, 1987.

Regulation 42(4)

On and from 30-10-1987, the proviso to Regulation 42(4) be substituted by the following :

"Provided that where no residential accommodation is made available by the bank *to an officer* at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of *taking over charge*, for reasons beyond his control the competent authority may consider on merit, grant of halting allowance to him upto a maximum period of 15 days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier".

C. H. SREEDHARAN
General Manager (Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th December 1988

SRO RK/Adm/95/X.—Whereas draft notfication for change in the rates of conservancy tax was published with the notice of the Cantonment Board, Roorkee (No. RK/ADM/95/30 dated the 7th June, 1988) as required by section 61 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), (hereinafter referred to as the said Act), for inviting objections/suggestions from persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas the said notice was affixed on the notice Board of the Cantonment Board on the 4th September, 1987;

And whereas no objections/suggestions have been received from the public within the period of thiry days on the publication of the notice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonment Act, 1924, the Cantonment Board, Roorkee with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following amendment in the Notification of the Government of United Provinces No. 2606/II/XI-20-1931 dated the 25th September 1933, namely :—

To the said notification the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the conservancy tax on all buildings and lands situated within the area declared as civil area by the notification of the Government of India in the late Defence Department No. 134/2/G/L&C/44, dated the 18th March, 1944, including any area that may hereafter be declared as civil area under section 43A of the said Act, or under clause (b) of rule 2 of the Cantonment Land Administration Rules, 1937, shall be levied at the rate of 12½ percent per annum on the annual value of the property instead of the rate specified in the said notification. The tax shall be collected in four equal instalments from the owners except Cantonment property, in respect of which the tax was payable by the occupant.

(Sd-/) ILLEGIBLE
Cantonment Executive Officer
Roorkee

New Delhi, the 15th December 1988

S.R.O. JCB/25/60/3856/C.—WHEREAS draft of certain amendments of bye-laws for octroi tax was published with Cantonment Board's Notice No. JCB/5445/C dated the 6th January, 1988 as required by Section 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions till the 4th January, 1988;

AND WHEREAS the said notice was put on the Cantonment Notice Board on the 6th January, 1988;

AND WHEREAS no objections or suggestions were received from the public by the Cantonment Board, Jalandhar, before the said date;

AND WHEREAS the Central Government have duly approved and confirmed the said draft of the bye-laws as required by sub-section (3) of section 62 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Jalandhar, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendments to the Punjab Government Home Department's Military Notification No. 7261 dated the 1st March, 1932, namely :—

in the said notification,—

(a) bye-laws shall be renumbered as bye-law 1A and before bye-law 1A as renumbered the following bye-law shall be inserted, namely :—

1. *Short title.*—These bye-laws may be called the Cantonment of Jalandhar Octroi Tax bye-laws 1932";

(b) in bye-law 13, in clause (1A), for the words "annas two", the following words shall be substituted namely :—

"rupees two" ".

Authority :—Cantt Board Resolution No. 1(A) dated 28-8-1986 read with resolution No. 3, dated 2-3-1988.

(Sd-/) ILLEGIBLE
Cantonment Executive Officer Jalandhar Cantt.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 24th November 1988

No. R.12/19/84-Ins-I.—In exercise of the powers under Regulation 75 of the ESI (General) Regulations, 1950, read with the Resolution of the E.S.I. Corporation dated 14th December, 1980, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constituted another Medical Board for purpose of Section 54 and 54-A of the ESI Act as under :—

Chairman

1. The Medical Referee, Madras.

Members

2. Civil Surgeon Specialist, Surgical
ESI Hospital, Ayanavaram, Madras-23.

3. Civil Surgeon Specialist, Ortho
ESI Hospital, Ayanavaram, Madras-23.

This Medical Board will function in addition to the Medical Boards already set up.

The Chairman is authorised to Co-opt any other specialist as a member of the Board in lieu of or in addition to the Orthopaedic and Surgical Specialist from the ESI Hospital in Madras. If necessary, depending upon the nature of disablement from which insured person to be examined is suffering.

Jurisdiction. The Board will have jurisdiction all over the state of Tamilandu.

G. R. NAYAR,
Insurance Commissioner.

New Delhi, the 6th December 1988

No. N-15/13/14/15/87-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September 1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

"Area comprising Konavattam, Edayansathu, Sathuvachari, Rengapuram and Virupakshipuram revenue villages in vellore Taluk and Katpadi revenue village in Gudiatham Taluk in North Arcot District."

No. N-15/13/14/2/87-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

"The areas comprising of revenue villages of Nagari, Tiruvalayanallur in Vadipatti Taluk in Madurai District."

No. N-15/13/7/6/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

"The areas comprising of the revenue village Kurukunta under Hobli and Taluk Sedam in District Gulbarga."

No. N-15/13/7/5/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the

families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

Name of revenue village or Municipal limit.	*Hobli*	*Taluk*	*District*
Municipal limit of Sedam	Sedam	Sedam	Gulbarga
Bategera K. Village	Adki	Sedam	Gulbarga

No. N-15/13/14 8/82-P&D.—In ursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th October 1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

"Area comprising the revenue villages of 31/1 K. Sathanur (North) 31/2 K. Sathanur (South) (Sathanur) in Taluk and District Tiruchirapalli"

S. GHOSH,
Director (Plg. & Dev.).

(HEADQUARTERS OFFICE)

New Delhi, the 22nd November 1988

CORRIGUNDUM

No. A-12/11/3/78-Estt.I(A)Col.II.—The entries against Sl. No. 56 for the post of Senior Optometrist/Refractionist, appearing under Notification No. A-12//11/3/78-Estt.I.Col.II, dated 22nd August, 1988, published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India No 37, dated September 10, 1988 (Bhadra 19, 1910) on page 2078, English version :—

1. Under column 2, i.e. "No. of posts", the existing entries "Group 'C' Non Ministerial (non-medical)" shall be delted, Figure "1" is inserted.

2. Under column 3 ie. "classification"—the words "Group 'C' Non-Ministerial (non-medical)" shall be inserted.

3. Under the heading of Column No. 8—the word "or" appearing in the third line before the word "direct recruits" shall be substituted with the word "for".

4. Under Column 10 i.e. "Period of probation, if any" the word "years" shall be read as "2 years".

5. Under the column 3 of the Sl. No. 57 for the post of Senior E.C.G. Technician, the word "Group 'C' Non-Ministerial" shall be read as "Group 'C' Non-Ministerial".

KUSUM PRASAD,
Director General.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 12th December 1988

NOTICE

No. 25-38/87-LI—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants.

The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	507051-C EA/55 dated 8-3-84	Sh. Hanuman Singh	15,000/-

The 15th December 1988

No. 25-25/88-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	22909-R EA/55 dated 5-11-77	Sh. K.S. Viswanath	3,000/-

No. 25-1/88-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	MH-493 T dated 5-12-85	Sh. N.L. Upadhyay	30,000/-
2.	422014-P dated 3-10-80	Smt. G.H. Harisinghani	10,000/-

No. 25-13/88-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	202367-P EA/55 dated 1/10/77	Sh. M.J. Patel	4,000/-

JYOTSNA DIESH
Director (PLI)

INDIAN NURSING COUNCIL

New Delhi-110002, the 27th October 1988

No. 11-1/88-INC.—The following declaration made by the Resolution passed at a meeting of the Indian Nursing Council held on 22nd April, 1988, under Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947) is hereby published, as required by Sub-Section (1) of Section 3 of the said Act, namely :—

Recognition of B.Sc. (Nursing) Degree of College of Nursing, Indore and granted by Devi Ahilya Viswavidyalaya, Indore on or after 26th January, 1983.	WHEREAS, the Devi Ahilya Vishwavidyalas, Indore being an authority recognised by the Government of Madhya Pradesh for the purpose of granting B.Sc. Degree in Nursing have applied to the Indian Nursing Council constituted under the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947) that the Degree granted by it in B.Sc. (Nursing) be recognised for the purposes of the said Act; Now, the Council at its meeting held on 22nd April, 1988 for the said purpose resolved that the following qualification when granted on or after 26th January, 1983, shall be recognised qualfication for the purpose of the said Act, namely :— "B.Sc. (Nursing) Degree granted by Devi Ahilya Vishwavidayalya, Indore on or after 26th January, 1983.

MRS. S. K. KARKARA
Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

TEXTILES COMMITTEE

Bombay-400 009, *the 9th December* 1988

No. 33(5)/79-AD.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 23 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Textiles Committee, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Textiles Committee's Employees (Medical Benefits) Regulations, 1968 namely :—

(1) These regulations may be called The Textiles Committee's Employees (Medical Benefits) Amendment Regulation, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For para 4 of the Textiles Committee's Employees (Medical Benefits) Regulations, 1968, the following para shall be substituted namely :—

"4. Subject to the limitation in para 5 below, employees and their families may receive medical attendance and treatment from registered medical practitioners (qualified in western system of medicines or other system of medicines such as Ayurvedic, Unani, Siddha or Homoeopathy at their residences or at the residences or consulting rooms of the doctors. The term qualified shall mean in the case of Ayurvedic, Unani and Siddha persons possesing any of the medical qualifications as included in the Second, Third or Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and in the case of Homocopathy a person possessing any of the medical qualifications, in Homoeopathy as

included in the Second or the Third Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973)".

If considered essential by the attending doctors, consultations with specialists and treatment in Hospitals or Nursing Homes would also be admissible".

R. K. KAPOOR,
Secy.

FOOT NOTE :

Original notification published in Part-III Section 4 of the Gazette of India dated 31-5-1969.

Subsequent amendment published in Part-III Section 4 of Gazette of India, dated 28-6-1980.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

New Delhi, the 2nd December 1988

F. No. CA/44/88.—It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 29 of the Architects Act, 1972, the Council of Architecture has removed from the Register of Architects of the Council on account of death w.e.f. the dates mentioned against their names, the names of the following architects :—

Sl. No.	Registration Number	Name and Address	Date of removal
1.	CA/76/2421	Shri P.M. Pathare Rukmini Sadan, Gajanan Raote Road, Dehisar, Bombay-400068	28-10-88
2.	CA/76/3458	Shri K.R. Patel 17, 2nd Floor, 395-397 Kalbadevi Road, Ruia building, Bombay-2.	Do.
3.	CA/75/2482	Shri T.V. Virani Jehangir Building, 4th floor, 133, M.G. Road, Fort, Bombay-1.	Do.
4.	CA/75/1762	Shri M.V. Rangnekar Dharma Nivas, 93, Hindu Colony, 3rd Lane, Dadar, Bombay-400014.	Do.
5.	CA/75/780	Shri B.T.S. Khadkiwala 141/98, WEA Karolbagh, New Delhi-5.	Do.
6.	CA/76/2870	Shri K.A. Kirtikar M/s. Khunjbihari & Sons 22, Braburne Road, Calcutta-1.	Do.
7.	CA/75/122	Shri V.G. Mahatre Shri Ganapati Nivas, 335, Veer Savarkar Marg, Dadar, Bombay-400028.	Do.
8.	CA/78/2025	Shri M.N. Chatterjee S/224, Greater Kailash New Delhi-110048.	Do.
9.	CA/75/1493	Shri N.M. Barai A-201-202, Super Bldg., Complex, 324, Dr. Dalvi Road, Kandivili (West) Bombay-67	Do.
10.	CA/76/476	Shri S.R. Maylankar Utkarsh, Khare Town Nagpur-440010.	28-10-88
11.	CA/75/298	Shri Ram Kishan E-31, Green Park, New Delhi-16.	Do.
12.	CA/75/1046	Shri M.S. Kini Shrinivas Kini & Co., 134, Nagindas Master Road, Fort, Bombay-400023.	Do.
13.	CA/77/3444	Shri J.S. Dethe 751 Sector 8-B, Chandigarh-8.	Do.
14.	CA/78/4598	Shri M.L. Sharma House No. 2008 15-C, Chandigarh.	Do.

The Original Certificates of Registration issued to the persons should forthwith be surrendered to the Registrar of the Council by his legal representative as defined in clause 11 of Section 2 of the Code of Civil Procedure 1908.

F. No. CA/46/88.—It is hereby notified that in exercise of powers conferred by Rule 34 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Duplicate Certificate of Registration are issued to the under-mentioned architects on the dates mentioned against their names in lieu of their Original Certificates of Registration having been destroyed by them.

Sl. No.	Name and Professional address of the Architects	Registration Number	Date of Issue
1.	Shri S.V. Tungare 4/27, Grants Bldg., Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5.	CA/76/2590	18-6-87
2.	Shri S.V. Mohite 1200/B, Gurumender Peth, Jalgaon Dabhade Jal Mawal Dist. Pune.	CA/85/9349	30-6-87
3.	Shri J.C. Pandey 80/50-B, Malviya Nagar, New Delhi-110017.	CA/82/7159	7-8-87
4.	Shri H.A. Fanaswala P.O. Box 5032, Abu Dhabi, UAE	CA/79/5203	25-9-87
5.	Shri S.R. Tamrakar 6, Sada Building Supela Bhilai-490023.	CA/75/809	4-2-88
6.	Shri H.B. Vora Office No. 802, Bldg. No. 3, Navjivan Society, Lamington Road, Bombay-8.	CA/79/5342	22-2-88
7.	Shri S.Y. Patil 23, Noshikkar Shopping Centre, Rana Pratap Chowk, Dhule.	CA/84/8597	11-4-88
8.	Shri K. Jasim 90 Model House Street, Bangalore-560004.	CA/75/1790	19-4-88
9.	Shri Harleen Singh A/E-24, Tagore Garden, New Delhi-110027.	CA/83/7733	22-4-88

Sl. No.	Name and Professional address of the architects	Registration Number	Date of issue
10.	Shri S.D. Sarkar, 157/1/1B, Acharya Profulla Chandra Road, Calcutta-700006.	CA/85/9021	7-6-88
11.	Shri K.G. Khodshe 1-G, Khadse & Associates, 10/Rajhans Bldg., Opp. Hotel Avon Ruby, Naigaon Cross Road, Dadar (East), Bombay-400014.	CA/75/624	2-6-88
12.	Shri D.L. Nawre Laxmi Bhavan, 2nd floor, Dharampeth Nagpur-440010.	CA/75/1256	27-9-88
13.	Shri A.P. Zaveri . Opp. Ranmukteshwar Mahadev, Hansol, Ahmedabad-382475.	CA/80/5996	7-11-88

F. No. CA/47/88—It is hereby notified that in exercise of powers conferred by Rule 34 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Duplicate Certificate of Registration are issued to the under mentioned architects on the dates mentioned against their names in lieu of their Original Certificates of Registration having been lost by them.

Sl. No.	Name and Professional address of the architect	Registration Number	Date of Issue
1.	Shri B.N. Bindu Madhava Swamy, 18/2, Andree Road, Bangalore-27.	CA/79/4972	10-6-87
2.	Smt. Shubha S. Purohit Ninad, 87, Shivaji Park, Ranade Road, Dadar, Bombay-400 028.	CA/84/8244	15-6-87
3.	Shri V.A. Deopujari, Town Planning & Arch. Deptt., New Okhala Industrial Dev. Authority, NOIDA Distt. Gaziabad.	CA/79/4867	15-6-87
4.	Shri A.K.V. Shah, Anil Shah & Associates, 7, Bharat House, 104, Apollo Street, Fort, Bombay-400001.	CA/75/2138	17-6-87
5.	Smt. Meenakshi Rao, L-II/145-A, Kalkaji DDA Flats, New Delhi-19.	CA/83/7390	18-6-87
6.	Shri Pradeep V. Naik, H. No. E-133, Bondir Ward, St. Cruz., Tiswadi, Goa-5.	CA/77/3946	2-7-87
7.	Shri Thomas A. Rajan, 32, Sir C.V. Raman Road, Madras-600018.	CA/75/808	3-7-87
8.	Shri N.B. Mistry, Chockey Building, 4th Floor, Near Gamdevi Telephone Exchange, Gamdevi Road, Bombay-400 007.	CA/86/10099	27-5-87
9.	Shri S.N. Mathur Architectural Associates. 8-1-383, Rashtriapathi Road, Secunderabad.	CA/78/2897	6-7-87
10.	Shri Anand Sagar, Architectural Associates, 8-1-383, Rashtrapathi Road, Secunderabad-50003.	CA/76/2898	6-7-87
11.	Shri M.L. Varma, B-21, Shaktinagar Estn. Delhi-32.	CA/77/3713	7-7-87
12.	Shri V.P. Narang Directorate, Architecture & bldg., Services, Private Bag 0028, Gavorone, Botswana.	CA/75/2192	21-7-87
13.	Shri B.B. Mehta, 548, Dr. B.A. Road, Gautam Niwas, 1st floor, Matunga, Bombay-400019.	CA/75/2459	21-7-87
14.	Shri C.B. Bandekar, 40, Veer Nariman Road, Fort, Bombay-23.	CA/77/4091	21-7-87
15.	Shri A.V. Sahasrabhojane, 'Zhep', 71, Shanker Nagar, Nagpur-10.	CA/78/4617	6-7-87
16.	Shri H.K. Agrawal, E-21, A, Shankar Market, Con. Cir., New Delhi-1.	CA/78/4602	23-7-87
17.	Shri P. Sambamurthy, 1-1-29814, 1st floor, Ashok Nagar, Hyderabad.	CA/80/5581	23-7-87
18.	Shri R.P. Chiniwala, Rawalpindiwalla Bldg, 'B' Block, Flat No. 5, 1st floor, Tribhuvan Road, Bombay.	CA/80/5516	30-7-87

Sl. No.	Name and psofessional address of the architects	Registration Number	Date of Issue
19.	Shri B.B. Bhattacharya, 3A, Deshpriya Parle Road, Calcutta-700026.	CA/75/1520	30-7-87
20.	Shri Paramjit Singh, 3087, Secton 35-D, Chandigarh.	CA/80/5671	31-7-87
21.	Shri S.V. Chembhrkar, C/o. N.J. Jukar, 58-60-A, 109, Madhuban Society, S.V. Road, Goregaon (W), Bombay-62.	CA/77/4139	3-8-87
22.	Shri V.S. Kasturia, 80, Shaikh Sarai, New Delhi-17.	CA/77/3969	4-8-87
23.	Shri Praveen Arora, 276, Vasant Centre, New Delhi.	CA/82/7047	6-8-87
24.	Shri M.V. Gogate, 7, Rajvaibhav Paranipe 'B', Scheme, Road No. 1, Vile Parle (East), Bombay-400 057.	CA/75/1948	17-8-87
25.	Shri Mahesh Kumar, E-6, I.D.P.L. Society, Engineers Enclave, Pitampura, Delhi-34.	CA/76/2931	17-8-87
26.	Shri A.S. Deopujari, 32, LIC Colony, Amravati, (Maharashtra State).	CA/76/3170	17-8-87
27.	Shri K.K. Majumdar, BB-49, Salt Lake, Calcutta.	CA/76/3196	9-
28.	Shri S.G. Kanade, 272, Laxmi Bhavan, R. No.38, N. C. Kelkar Rd., Bombay-28.	CA/84/8678	19-8-87
29.	Shri I.M.Feroz, 104, Snehalaya, Chulana Road, Manikpur P.O., Varai Road, Distt. Thane.	CA/77/3961	4-8-87
30.	Shri A.R. Deshmukh, 415 (24 MIG) Housing Colony, East High Court Road, Ramdaspeth, Nagpur-440010.	CA/81/6561	2-9-87
31.	Shri R.R. Mistry, 'Shilpa Yatan' 20-A, Yoger Ashram Society, Ahmedabad-380015.	CA/75/1626	8-9-87
32.	Shri B.H. Rathi, No. 16/16, Binny Cresent, Benson Town, Bangalore-46.	CA/76/2579	15-9-8
33.	Shri A.K. Kataria, HIG-4, Triveni Complex, Bhopal.	CA/83/7605	16-9-87
34.	Shri Dinesh Khemani, EI/167, Arera Colony, Bhopal.	CA/83/7606	16-9-87
35.	Shri R. Sashank, No. 13, 3rd Main Road, Gandhinagar, Adayar, Madras-600020.	CA/84/8426	14-9-87
36.	Shri Darshan Singh, D-82, Kirti Nagar, New Delhi-15.	CA/77/3785	18-9-87
37.	Shri Prakash S. Thube, 14, Thube Park, Shivaji-nagar, Pune-411005.	CA/86/9686	1-10-87
38.	Shri S.M. Marathe, 8/60, CPWD Qrts., Indira Nagar, Madras-20.	CA/78/4850	6-10-87
39.	Shri M.K. Ghosh, 6/3, Ekdalia Road, Calcutta-700019.	CA/77/3664	25-9-87
40.	Shri A.K. Kundu, 18010, Valley Vista, Blvd Encino, California-91316, U.S.A.	CA/75/2087	20-10-87
41.	Shri C.R. Kadam, Vyas Building, Tal Kopargaon, Distt. A' Nagar-423601.	CA/80/6035	28-9-87
42.	Smt. Lily Rai (nee Lily Sehgal) 1, Sikandra Road, Mandi House, New Delhi.	CA/83/7714	29-10-87
43.	Shri P.K. Ahuja, D-61, Hauz Khas, New Delhi.	CA/85/9033	26-10-87
44.	Shri R.N. Kulkarni, Near Patwari Colony, At & Post Amalner, Distt. Jalgaon (Maharashtra)	CA/75/556	6-11-87
45.	Shri Suresh C. Goel, S-87, Panch Shila Park, New Delhi-17.	CA/75/205	20-11-87
46.	Smt. Uma Aggarwal, 10, New Rajdhani Enclave, Delhi-92.	CA/85/9142	24-11-87

Sl. No.	Name and professional address of the architecs	Registration Number	Date of Issue
1	2	3	4
47.	Shri M.I.Shaikh, Dy. Chief Architect, LIC of India, Central Office, Jeevan Bima Marg, Bombay.	CA/77/3666	25-11-87
48.	Smt. Namita Dey, F 53/2, Karmamoyee Housing Estate, Salt Lake City. Calcutta-700009.	CA/82/7025	6-11-87
49.	Shri Pardeep Kulkarni, 82/A, 23rd Cross, Rajaji Nagar, Bangalore.	CA/83/7539	26-11-8 7
50.	Shri Gurdev Singh, 807, Sector 16-D, Chandigarh.	CA/86/10119	26-11-87
51.	Shri C.V. Doshi, Opp. Hammam's Pole, Bajwada, Baroda-390001.	CA/80/5590	15-12-87
52.	Shri G.C. Mitra, R-53, Greater Kailash, Part I, New Delhi-48.	CA/78/4591	22-12-87
53.	Shri D.B. Sen. 28,. Satya Laxmi Co-operative Hsg. Society Ltd., 29, Pertain Sagar, Chembur, Bombay-400 059.	CA/81/6514	22-12-87
54.	Shri Vinod K. Agarwa l, 187, Abu Lane, Meerut Cantt.	CA/75/2108	23-12-87
55.	Shri S.J. Paul, 204, Mandakini Enclave, New Delhi-19.	CA/80/5756	23-12-87
56.	Smt. Shakuntala Chaudhari, 108 E, Dharampur, Dehradun (UP).	CA/81/6631	28-12-87
57.	Shr R.D. Gadkar i, 11/11, Shivpuri Colony, Sion-Trombay Road, Chembur, Bombay-400071.	CA/80/5981	29-12-87
58.	Shri H.S. Shivashankara, Sharda 14105th cross, Banashankari I Stage, Bangalore-560050.	CA/75/543	30-12-87
59.	Shri Gautam Mazumder, CB-357, C.R. Park, New Delhi-110019.	CA/81/6166	5-1-88
60.	Shri M.G. Ringe, 211-212, Pandva Nagar, Parpar Ganj, Opp. Mother Diary, Delhi.	CA/75/4673	6-1-88
61.	Shri R H. Vadekar, Savitri Niwas, Near Datta Mandir, Chandani, Thane-1.	CA/75/1947	8-1-88
62.	Shri P.N. Gupta, 107, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, New Delhi-110092.	CA/76/2880	13-1-88
63.	Shri M.K. Saxena, Architect, PWD Royas Govt. of Bhutan, Thimpu, Bhutan.	CA/76/2557	30-7-87
64.	Shri M.S. Sahni, 30B/33, Taksh illa, Mahakalli Caves Road, Andheri (East), Bombay-93.	CA/82/7314	28-12-87
65.	Shri D.P. Ashar, 12/191, River Heaven, 2nd floor, Gulmohar Cross Road, Juhu, Bombay.	CA/75/2130	31-12-87
66.	Shri R.G. Rayate, 32, Sukhsagar Building, Gaotham Road, Virav (West), Tal. Vasai, Dist. Thane.	CA/81/6510	25-1-88
67.	Shri Pravesh Ghai, C/o. Ghai & Associates, B 5/4, Safdarjung Enclave, New Delhi.	CA/86/9977	28-1-88
68.	Shri M.M. Rajwade, 264, Sahakar Nagar No. 2, Pune-9.	CA/83/7843	2-2-88
69.	Smt. Chhabi Podhi, 576, Sahidnagar, Bhubaneswar Dist. Puri.	CA/83/7418	2-2-88
70.	Shri R.V. Bhide, Phodke Building, Ahilyabi Choule, Kalyan.	CA/78/4855	5-2-88
71.	Shr N.N.D. Desai, Merraj Apartments, Race Course, Circle West, Vadodara-7.	CA/77/3493	17-2-88
72.	Shri Shankar Nagar Chiblunkar 7, Vrindavan, Tambe Nagar, Sarojin Naidu Road, Mulund (West). Bombay-400080.	CA/81/6157	17-2-88
73.	Shr B.D' Souza, M-181, Greater Kailash-II, New Delhi-110048.	CA/83/7456	18-2-88
74.	Shri A.P.S. Bhagat, H. No. 530, Sutar W-A, Chandigarh.	CA/80/5454	22-2-83

1	2	3	4
75.	Shri K.K. Gulati, C-2-C/2/9, Janak Puri, New Delhi-58.	CA/75/1982	29-2-88
76.	Shsi M.G. Bhatt, 8/121, Govts. Flats, Jam Tamer Road, Rajkot.	CA/84/7967	10-3-88
77.	Shri Rajesh Bhagat, Hotel Asian International, Janpath Lane, New Delhi.	CA/80/6000	11-3-88
78.	Smt. Urmimala Guha, H/1517, C.R. Parle, New Delhi.	CA/82/6796	15-3-88
79.	Shri J.P. Khilnani, 103, Nirman Kutir, Yari Road, Versova. Andheri West, Bombay.	CA/76/3057	29-3-88
80.	Smt. P. Trivedi, M.S.S. Hostel, Bajaj Nagar, Nagpur-1.	CA/86/10055	25-3-88
81.	Shri V.S. Parab. 51/C-10, Parlmal Nagar, S.V. Road, Goregaon, Bombay-62.	CA/75/2455	31-3-88
82.	Shri J. S. Nairi, "Prathameth", Flat No. B/2, 2nd floor Building No. 1, 1216(i) Off Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Bombay-400028	CA/78/4646	31-3 88
83.	Shri V.R. Ogale, E-68, Lakoamya Nagar, T.H. Kataria Marg, Bombay.	CA/83/7835	21-3-88
84.	Shri Tejbir Singh, 20, Asian Games Village, New Delhi-110049.	CA/86/10163	21-3-88
85.	Shri C. Pullaiah, Vastu Shilpi Architects & Engineer, Agra Road, Khamam-507001.	CA/77/3543	22-4-88
86.	Shri R.J. Watwe, 9, Maduban Mahant Co-operative Society, Plot No. 31, Mahant Road, Vile Parle (East), Bombay-400057.	CA/78/493	4-5-88
87.	Shri C.J. Virani. 573, Jagdip Virani Road, Bhavnagar.	CA/86/10249	30-3-88
88.	Shri P.M. Talati, 104, Nandi Apartment, Majuragate, Surat (Gujarat).	CA/75/831	4-5-1988
89.	Shi Prabhat Gupta, Prabhat Gupta & Asso., 1-Ta-31, Jawahar Nagar, Jaipur.	CA/84/7942	5-5-88
90.	Shri Pallabbram, Palmajumdar, 35/4, College Ghat Road, Howrah-3.	CA/82/6784	20-5-88
91.	Shri B.L. Panjwani. H. No. 343, 29, Civil Lines, Roorkee.	CA/83/7336	25-5-88
92.	Shri Alap Ramesh Kamdor, 8/B, Sudhama Society, St. Xavier's School Road, Navrangpura Ahmedabad.	CA/83/7938	26-5-88
93.	Shri R.U. Dongre. 102/B,Padrim Apt., K. Dharu Road, Prabhadevi, Bombay-28.	CA/75/238	7-6-88
94.	Shri V.V. Matai, 27, Charotar Society, Old Padra Road, Baroda.	CA/75/6821	4-7-88
95.	Shri S.V. Vartak, 40/1117, Adarsha Nagar, Prabhadevi, Bombay-25.	CA/76/2352	12-7-88
96.	Shri A.K. Gaikwad, Plot No. 26, Yashwantnagar, Gendamal Sutara-415001.	CA/84/8631	12-7-88
97.	Shri G.S.N.Goyal, Ajmeri Gate, Delhi.	CA/76/2418	25-7-88
98.	Shri D.V. Savant, Gurudatta. Atmaram Mhatre Road, Dahisar-West. Bombay-400068.	CA/77/3636	24-5-88
99.	Shri C.D. Jadhav, 249/A/1/12, Nagala Park, Kolhapur-416003.	CA/86/10053	3-8-88
100.	Shri R.J. Batliboi, C/o. Wadia, Battiba, Associates, 404, Om Chambers, Kempscorner, Bombay-400036.	CA/85/9458	2-6-88

1	2	3	4
101.	Smt. A.B. Jadhav, 249/A/1/12, Nagala Park, Kolhapur-416003.	CA/86/10054	3-8-88
102.	Shri K.K. Grover, "Meghdoot" R.C. Dutt Rd., Alkapuri, Baroda-390085.	CA/76/2637	9-8-88
103.	Smt. Sujata A. Kelkar, F-53, Konkan Nagar, Lt. Prakash Kotnis Road, Mahim, Bombay.	CA/88/11558	23-8-88
104.	Shri S.K. Thakkar, 9/B, Sharad Apts., Gulbai Tekra, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.	CA/84/8059	29-8-88
105.	Shri R.R. Kulkarni, 101/1, Venus-I Bldg, Four Bungalows, Andheri-W, Bombay-400058.	CA/80/5443	7-9-88
106.	Shri M.M. Patel, 30, Ashok Nagar, Sekhej Road, Ahmedabad.	CA/81/6664	9-9-88
107.	Shri A.M. Rauskar, 2nd floor, Ragukuldeep, Vyapar Kendra, Boji Prabhu Chowk, Phadke Road, Dombivili (E).	CA/75/2211	9-9-88
108.	Shri B.N. Vijayakar, 121, M.G. Road, Bombay-21.	CA/78/4732	9-9-88
109.	Shri Malay Bose, M. Bose & Associates, 6/2, Madan Street, Calcutta-700072.	CA/78/4649	18-8-88
110.	Shri Pramod Jain, C/6, Moti Marg, Bapu Nagar, Jaipur-302015.	CA/80/5681	19-9-88
111.	Shri S.V. Joshi, A-12, Ramdar Park, N.M. Kale Marg, Dadar, Bombay-400028.	CA/76/2588	1-9-88
112.	Shri Dipak K. Vala, 301/302 "Vasant Villa", Harishankar Joshi Marg, Dahisar (W), Bombay-400068.	CA/85/9447	28-9-88
113.	Shri S.L. Kolhatkar, 1925, Sadashiv Peth, Pune-411030	CA/75/855	29-9-88
114.	Shri M.V. Shirkhedkar, 114, "Laxmi-Vaibhav", Laxmi Nagar, Square, Nagpur.	CA/78/4328	30-10-88
115.	Smt. Indrani Ghosh, 171/2B, Rash Behari Avenue, Calcutta-700019.	CA/81/6268	3-10-88
116.	Shri M.K. Desai, 22/172 Satya Nagar, Udhna 394210.	CA/81/6562	3-10-88
117.	Shri C.B. Gokhale, 10, 'Gulmohar', Vile Parle, Kala patra Co-op. Hsg. Society, S.V. Road, Vile Parle (West), Bombay-56.	CA/77/3678	7-1-88
118.	Shri B.R. Gnaneswar, 16/11, Binny Cresent Road, Benson Town, Bangalore.	CA/79/5153	22-9-88
119.	Shri P.S. Klair, Patiala PSEB, Patiala.	CA/83/7441	10-10-88
120.	Shri M.C. Dalvi, 5/Navratan, 14th Road, T.P.S. III, Bandra (West) Bombay-50.	CA/85/9288	11-10-88
121.	Shri A.D. Purkayastha, Oakland, Shillong, Meghalaya.	CA/82/6942	11-10-88
122.	Shri J.C. Dighe, Kirti Mandir, Ram Baug Lane No. 2, Kalyan-421301.	CA/85/9503	12-1-88
123.	Shri S.P. Taywade, O/s. Asho Automobiles, M.G. Road, Sangli, Pin-416416, (Maharashtra)	CA/76/3065	17-10-88
124.	Smt. Kirtida P. Patel, 5/1, Azad Nagar Society, N.S. Road No. 1, Pushp Vatice, , Vile Parle (W), Bombay-400056.	CA/80/5906	31-10-88
125.	Shri R.P. Kiri, E-304, East of Kailash, New Delhi-110065.	CA/76/2633	17-11-88

K.V. NARAYANA IYENGAR
Registrar.

40TH ANNUAL REPORT 1987-88
IFCI
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS
UNDER SECTION 35 OF THE
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT, 1948

CHAPTER 1

Operational Environment and Outlook

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 40th Annual Report on the operations of IFCI together with the audited Statemnt of Accounts for the financial year ended the 30th June, 1988.

1.02 As a backdrop to the operations, performance and working results of IFCI in 1987-88, it may be relevant to have a synoptic view of the operating economic and industrial environment, the policy initiatives, the developments on the institutional scene, and, the outlook for the future.

(A) ECONOMIC SCENARIO

1.03 The performance of the Indian economy during 1987-88 was dominated by the impact of a widespread drought which followed three successive years of poor monsoons. The severity of the drought, which is considered to be one of the worst on record, can be judged from the fact that out of 35 meteorological zones in the country, as many as 21 suffered from poor or no rainfall, compared to 19 and 16 in earlier drought years of 1965-66 and 1979-80. However, in contrast to the earlier years of drought, the extent of economic dislocation was much limited, except in agriculture.

1.04 The strong points of the economic performance in 1987-88 which have been brought into sharp relief against a background of natural calamities include : (a) inherent strength of the agricultural economy, (b) share of agriculture and allied industries in the national income giving way to a dominant role to non-agricultural sector, particularly industry and services, (c) growing resiltence of the industrial and other non-agricultural sectors to disruptions in agriculture, (d) ability to maintain the tempo of infrastructural development, (e) diversification of economy taking roots as a result of structural changes that have followed over the years, (f) emergence of healthy trends in the foreign trade and (g) capacity for responsive economic management in the face of massive and unanticipated changes in the economic environment.

1.05 Despite agricultural production coming down, the industrial production in 1987-88 was quite close to the targeted annual growth of 8% during the Seventh Plan. Critical infrastructure sectors like coal mining, railways, power generation, cement, steel, etc all did well. The Satisfactory foreign trade performance in 1987-88 was a significant achievement in an otherwise drought-ravaged year. The trade deficit, which had assumed alarming proportions in 1985-86 and which had shown marked improvement in 1986-87 further declined by Rs. 893 crores, largely due to resurgent exports. Table 1 presents some selected indicators of Indian economy both for 1986-87 and 1987-88 alongwith percentage change in 1987-88 over 1986-87.

1.06 According to a quick assessment, the Indian economy registered a positive estimated growth rate of around 2% in Gross Domestic Product during 1987-88 (at 1980-81 prices) in contrast to the decline of 4.7% in the preceding major drought year of 1979-80 (at 1970-71 prices).

Table 1: Selected Indicators of Indian Economy

Basic Economic indicator (E)=Estimated	Unit	1986-87 (April-March)	1987-88 (April-March)	Percentage variation in 1987-88 over 1986-87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—Population	Million	770.0	785.6(E)	2.0
—Gross National Product (GNP) (At 1980-81 prices)	Rs. Crores	1,61,298	1,64,524(E)	2.0
— Net National Product (NNP) (At 1980-81 prices)	Rs. Crores	1,43,935	1,4628(E)	2.0
—GNP per capita (At 1980-81 prices)	Rs.	2,904	2,094(E)	—
— NNP per capita (At 1980-81 prices)	Rs.	1,869	1,869E)	—
—Agricultural Production Index	1969-70=100	152.6	144.2	(—)5.5
—Foodgrains Production	Mill. tonnes	144·1	138 0	(—)4.2
—Fertiliser Production (NPK in terms of nutrients)	Mill tonnes	7.07	7.13	0 8
—Power Generation	Billion Kwh.	187 6	201·8	7.5
— Coal Production	Mill. tonnes	165·8	179 8	8.4
— Oil Production	Mill. tonnes	30.5	30.4	(—)0·4
—Production of Natural Gas	Billion Cub. Mtrs	7 0	113	61.4
— Cement production	Mill tonnes	36.6	39 3	7 4
—Finished Steel Production	Mill. tonnes	9·7	13 0	34 0
—Revenue Earning Goods Traffic on Railways	Mill. tonnes	277·8	289 0	4 0

1	2	3	4	5
—Cargo handled at major ports	Mill. tonnes	124·2	133·7	7·6
—Industrial Production (General Index)	1980-81=100	155·1	167·0	7·7
—Exports	Rs. Crores	12,567	15,719(E)	25·1
—Imports	Rs. Crores	20,084	22,343(E)	11·2
—Trade Balance	Rs. Crores	(—)7,517	(—)6,624	(—)11·9
—Foreign Exchange Reserves (Excluding gold and SDRs)	Rs. Crores	7,645	7,287	(—)4·7
—External Assistance (Disbursements at the close of year)	Rs. Crores	3,596	4,489	24·8
—Debt Servicing	Rs. Crores	2,029	2,085	2.8
—Money Supply (M^3)	Rs. Crores	1,40,633	1,61,503	14·8
—Bank Credit	Rs. Crores	63,308	70,089	10·7
—Aggregate Deposits of Commercial Banks	Rs Crores	1,02,724	1,17,574	14·5
—Wholesale Price Index (Average)	1970-71=00	376·8	405·1	7·5
—Consumer Price Index for Industrial workers (Average)	1960=100	674	736	9.2
—Rate of Inflation (Based on CPI-W) (On point to point basis)	(In percentage terms)	7·5	9·8	—

(B) Investment climate

1.07 Table 2 gives data about selected indicators of industrial investment climate for 1986 and 1987.

1.08 No doubt, most of the indicators of corporate investment activity in 1987 reflected a slow-down, because of adverse effects of agriculture getting transmitted to all major sectors of the economy; but this phenomenon occurred after recording a marked upswing in this area during the preceding four years. By and large, 1987-88 proved to be a year of trials and adjustments for the Indian investment market. A redeeming feature, however, was that assistance sanctioned by all Financial Institutions, Viz. IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, LIC, UTI, GIC, SFCs and SIDCs, rose by 12.7% in 1987-88, and so also disbursements by the aforesaid Financial Institutions recorded an increase of 17.6% over the disbursements made last year.

Table 2 : Selected Indicators of Industrial Climate

Indicators	Unit	1986 (January-December)	1987 (January-December)	Percentage variation in 1987 over 1986
—Foreign Collaboration	Nos.	957	853	(—)10·9
—Foreign Investments approved	Rs. Crores	106,95	107,71	0·7
—Letters of Intent issued	Nos.	1,130	989	(—)12.5
—Industrial Licences granted	Nos.	618	472	(—23.6
—DGTD Registrations	Nos.	1,162	1,201	3·4
—Approvals by SIA under the de-licensed industries	Nos.	2,387	1,869	(—)21·7
—Capital Goods Clearances	Rs. Crores	1,111	980	(—)11·8
—Consents for Capital Issues (Including Bonus issues)	Rs. Crores	6,167	4,825	(—)21·8
—*Capital Issues of				
(a) Shares	Rs.Crores	905*	1,370*	51·4
(b) Debentures	Rs.Crores	3,692*	2,537*	(—)313

*This data is on July-June basis

1.09 The stock market situation in India, in 1987-88, could, by and large, be regarded as fairly stable, in spite of periodical and heavy speculative selling pressure domestically and unprecedented upheavals in share market round the world. Capital issues in the form of equity and preference shares which form broadly the seed capital, increased sharply from Rs. 905 crores in 1986-87 to Rs. 1,370 crores during 1987-88 and accounted for around 35% of the total capital issues during the year against 20% during 1986-87. The investors continued to be increasingly selective about security investments in new companies with little known and untried management, but capital issues from known companies continued to be over-subscribed. Interestingly, the so-called 'fly-by-night' companies issuing capital for meeting working capital requirements only, declined sharply in number. The number of such companies issuing capital for working capital requirements was only 23 in 1987-88 against 96 in 1986-87 and 279 in 1985-86.

1.10 Another noteworthy feature was that bonds issued by the public sector undertakings, both under the 13% interest and 9% interest (tax free) schemes, emerged as a major and successful instrument for resource mobilisation in the infrastructure segments like power, railways and telecommunications.

1.11 Share prices showed a lot of ups and downs during the year, particularly in the later half of 1987 and the first quarter of 1988. The Economic Times Ordinary Share prices Index (Base 1984-85 = 100) touched a

new low of 216 on the 25th March, 1988 compared to the high level of 265 touched on the 8th January, 1988. However, the downfall in share prices was halted with the announcement of fiscal concessions on the 27th April, 1988. Thus the Economic Times Ordinary Share Price Index touched a new high of 272 on the 8th June, 1988. On the 28th June, 1988, the Economic Times Ordinary Share Price Index at 256.6 was 20% higher compared to its level of 213.7 on the 23rd June, 1987.

(C) INDUSTRIAL PERFORMANCE

1.12 The Average General Index of Industrial Production (Base 1980-81 = 100) which was 130.7 for 1984-85, 142.1 for 1985-86 and 155.1 for 1986-87, went up to an estimated 167.0 for 1987-88, showing an overall growth of 7.7% very much, near to the targeted annual growth of 8% during the Seventh Plan. Having regard to the overall state of economy, this growth rate could be regarded as a significant achievement in a year of acute drought and on top of three consecutive years of excellent growth from 1984-85. It may be recalled that the growth rate was 8.6% in 1984-85, 8.7% in 1985-86 and 9.1% in 1986-87.

1.13 The sectoral trends in industrial production during 1986-87 (actual) and 1987-88 (estimated) are given in Table 3.

Table 3 : Sectoral Trends in Industrial Production

1980-81=100

Weight	Sector	%age increase over the previous year	
		1986-87 (Apr.—March)	1987-88 (Apr.—March)
11.46	Mining and Quarrying .	6.2	3.5
77.11	Manufacturing . . .	9.3	8.5
11.43	Electricity . . .	10.3	7.6
100.00	All industries . .	9.1	7.7

1.14 The manufacturing sector in 1987-88 again showed a considerable degree of resilience. The growth rate in this sector was 8.5% compared to 9.3% last year, representing a decline of only 0.8%. In the mining and quarrying sector, the decline in the growth rate was basically due to the stagnation in the production of crude oil after recording substantial improvements in early 80s.

1.15 In the power sector, the overall poor growth in 1987-88 compared to 1986-87 was attributable to a steep fall of 11.9% in hydel power generation as a result of draught conditions which prevailed in the country during the year. Otherwise, in the thermal sector including nuclear generation sector, there was substantial increase of 15.3% during the year. The Plant Load Factor (PLF) of the thermal power stations in the country in 1987-88 touched 56.4% as against 53.2% in 1986-87. It is also worth mentioning that since November, 1987, the monthly average PLF of thermal plants has been continuously above 58%—the norm suggested by the Rajadhyaksha Committee on Power. Another encouraging feature in the power sector in 1987-88 was that there were no slippages in adding new installed capacity during the year. As against the target of 4,916 MW, the new capacity added was 4,981 MW, marking the highest capacity inducted in a single year during the Seventh Plan so far.

Trends in Industrial Production

1.16 In the manufacturing sector, the industrial sub-groups, such as, chemicals, electrical machinery, automobiles and other manufacturing industries registered significantly higher growth rate in 1987-88. Relatively high rate of growth in electrical machinery which included electronics, could be attributed to an increase in production of power generating equipment, power capacitors, radios, consumer electronics, computers and dry and wet batteries. In contrast, beverages, jute goods, wood products showed a decline in production in 1987-88. Barring textile products group, the other sub-groups, viz., non-electrical machinery, metal products, basic metals, non-metallic mineral products leather, paper, food products, showed growth rates ranging from 1% to 7% in 1987-88.

1.17 Sugar production during the sugar year 1987-88 is expected to scale a new peak of 9.1 million tonnes or so as against 8.5 million tonnes in 1986-87. Cement production in 1987-88 is expected to be 39.3 million tonnes, indicating an increase of about 7.4% over the previous year. Finished steel production improved by 34% from 9.7 million tonnes in 1986-87 to 13 million tonnes in 1987-88.

1.18 The cotton textile industry continued to stagnate, there being no improvement in the overall health of the industry compared to the previous year. The production of yarn (cotton and blended varieties) by textile mills in 1987-88 was 1,554.9 million kgs as against 1,526.5 million kgs in 1986-87 showing an increase of 1.9%. However, the production of mill cloth in 1987-88 was 3,027 million metres as against 3,317 million metres in 1986-87, showing a decline of 8.7%. The production of cloth in the powerloom and handloom sector, however, was expected to be 10,079 million metres in 1987-88 as against 9,671 million metres in 1986-87.

1.19. The performance of jute industry during 1987-88 was disappointing because of uneconomic operations, financial problems and inadequate demand in the domestic as well as international markets. The production of jute goods was 11.92 lakh tonnes in 1987-88 as against 13.92 lakh tonnes in 1986-87.

1.20 According to industry sources, the power shortage continued to be a major bottleneck. While the States of Bihar, Orissa, Haryana, West Bengal and Maharashtra showed some improvement over the previous year in the power supply position, the Southern Region continued to face the highest power deficit.

1.21 *Appendix-I* to this Report gives the installed capacity production and capacity utilisation percentage of 55 selected industries for the year 1987-88 and in relation thereto the corresponding data relating to 650 assisted concerns of IFCI based on the performance reports received from them.

Financial Performance of Industries

1.22 According to the available data, the financial performance of private sector industrial units in the area of mini steel, composite textile mills, textile machinery, light commercial vehicles, pesticides, cement, paper, jute, glass and glass products, remained highly subdued, with no or marginal profits. Particularly, industries with administered and/or regulated price structure could not give a good account of their performance due to increase in the cost of production and their immediate incapability to reduce their costs and other overheads. However, the performance of industrial units covering basic industrial chemicals, gases, non-electrical machinery, tyres and tubes, electrical machinery including electronics, drugs and pharmaceuticals, motorcycles and scooters, metal products, bicycles and parts, transport equipment, sugar and other food products including vanaspati remained, by and large, satisfactory.

(D) GOVERNMENT POLICIES

Licensing Policies

1.23 The process of liberalisation of Industrial Policy and procedures continued in 1987-88. As at the close of December, 1987, with the addition of computer software and wire rods, 30 broad categories of industries (inclusive of 82 bulk drugs and related formulations) stood delicensed for non-MRTP, non-FERA companies, subject to certain restrictions, such as, reservation for small scale sector or public sector, environmental clearance, location near urban centres, etc. The scheme of delicensing in respect of MRTP and FERA companies, which was applicable to 20 industries or under-

takings located in centrally declared backward areas, was further extended in October 1987 to 27 industries included under Appendix-I list and 24 industries not belonging to Appendix-I. The list of industries requiring licensing, irrespective of the size of investment, as laid down in Schedules IV and V of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came down from 56 to 27.

1.24 With effect from the 1st April, 1988, the Government announced a fresh scheme of re-endorsement of capacity with a view to maximising industrial production during the remaining period of the Seventh Five Year Plan (1985—90). Under the new scheme, re-endorsement of licensed/registered capacity would be automatically done on the basis of the past production achieved in any financial year between April 1988 and March 1990.

1.25 Effective from the 1st April, 1988, the validity period of Letters of Intent was extended to 5 years. The Technical Development Fund (TDF) Scheme was liberalised by allowing under it import of (a) all types of capital equipment, (b) technical know-how, (c) technical assistance, (d) technical drawings and desings and (e) technical consultancy services within the ceiling of Rs. 2 crores per unit per financial year. The facilities would also be available for product diversification/product mix rationalisation through the introduction of new and more sophisticated range of products, provided the Industrial Licence/Registration of the unit covers those items.

1.26 On the 3rd June, 1988, the Government announced a major package of delicensing and incentives with a view to accelerating the industrial growth, on the one hand, and giving a strong impetus to industrialisation of backward areas of the country, on the other. Under the new policy, there will be no need for non-MRTP/non-FERA companies to obtain Industrial Licences for setting up industrial units costing upto Rs. 50 crores each in the centrally declared backward areas and units costing upto Rs. 15 crores in other areas, except in cases where (a) locations are nearer to urban centres, (b) industries fall under special list where obtaining of industrial license is compulsory, (c) projects require foreign exchange for imported raw materials and components more than 30% of the value of ex-factory production from the first year of commercial production, and (d) where items of production are reserved for small-scale or public sector

1.27 For promoting industrialisation of backward areas in a more effective manner, the focus would be on development of 'Growth Centres' which are expected to act as magnetic catalysts for attracting new industries in the backward regions. To begin with, at least 100 growth centres are to be identified and developed throughout the country for the next five years. Each growth centre would be provided with funds of the order of Rs. 25 to 30 crores for infrastructural development.

1.28 The benefits available under Section 80 IIH of the Income Tax Act by way of deduction of 20% of the profits for a period of 10 years and further under Section 80 I of Income Tax Act by way of deduction of 25% of the profits for a period of 8 years alongwith the reintroduced Investment Allowance Scheme would be available both to Industrial units established in the 'Growth Centres' as well as those located in other centrally declared backward areas. The development of the Growth Centres is in addition to the existing Backward Areas Development Scheme, which has been extended up to the 30th September, 1988, and not in substitution of it. The industrial units proposed to be established in backward areas are proposed to be accorded a more liberal treatment in getting working capital funds.

1.29 Close on the heels of the major package of incentives announced on the 3rd June, 1988, the Government of India announced on the 30th June, 1988, that the dominant undertakings would be free from Industrial Licensing Policy restrictions applicable to companies coming under the MRTP Act. With this major policy decision, companies which are termed dominant undertakings on the basis of a market share of 25% or more in one product line or services and having assets of Rs. 1 crore or more (inclusive of the assets of other such interconnected dominant undertakings) would be able to take advantage of the relaxations in the Industrial Licensing Policy announced earlier for non-MRTP and non-FERA companies. The decision would take about 69 MRTP companies out of the licensing net.

Fiscal Policy

1.30 The Fiscal Policy during the year 1987-88 strove to maintain the momentum of development in the face of difficult challenges posed by the severe drought. In line with the fundamental objectives of elimination of poverty and building of a strong self-reliant economy, the thrust of the Budget for 1987-88 was on mobilisation of additional resources for the public sector, promoting savings and investment and on strengthening the productive forces in the economy. A number of provisions relating to direct tax laws were simplified with the enactment of Direct Tax Laws (Amendment) Act, 1987. An Expenditure Tax Act was enacted, which came into force from the 1st November, 1987. A National Savings Scheme based on net savings was introduced. MODVAT was extended to all the remaining industries with a few exceptions. Excise and customs duties on a number of products were rationalised and a graded customs structure introduced in certain cases with the particular objective of accelerating the growth, modernisation and indigenisation in selected industries. In September, 1987, special measures were taken to raise finances for meeting the situation posed by the drought. Furthermore, to help finance, the substantial additional imports of essential commodities entailed by the drought, the Government undertook a number of external assistance initiatives to mobilise and accelerate the disbursement of external capital.

1.31 Despite the short-term pressures on Government finances, Fiscal Policy endeavoured to maintain the priority for development. The outlay on the Central Plan for 1987-88 was stepped up by 12.3%. Every effort was made to ensure that there was no diversion from Plan expenditure commitments.

Credit Policy

1.32 In accordance with the Credit Policy announced on the 17th October, 1987, following the advent of drought and as part of the overall strategy of aggregate demand management, the Cash Reserve Ratio (CRR) was raised from 9.5% to 10% effective from the 24th October, 1987. The Statutory Liquidity Ratio (SLR) was also increased from 37.5% to 38% effective from the 2nd January, 1988. Selective Credit Controls were re-imposed/tightened betwen July and October, 1987 in case of oilseeds, vegetable oils, paddy/rice, foodgrains other than wheat and cotton, to combat inflationary pressures on sensitive commodities.

1.33 The Credit Authorisation Scheme (CAS) was liberalised in July, 1987 with the objective of allowing entire amount of additional limits without prior approval of RBI to those borrowers who broadly complied with the prescribed discipline under CAS. In case of borrowers who complied with disciplines under CAS but not fully, the Banks were given discretion to relax the norms upto 20% under the circumstances of each case without referring to the RBI for prior approval for enhanced credit limits. The existing limit for temporary accommodation by Banks upto 3 months was also raised upto an amount not exceeding 25% of the existing packing credit limits and 10% of the existing working capital (other than packing credit) limits, subject to an overall ceiling of Rs. 4 crores. Banks were also permitted under the liberalised Scheme to sanction a separate additional inland bill limit for a period not exceeding 3 months upto an amount equivalent to 10% of the existing bill limit subject to a ceiling of Rs. 2 crores. With regard to the sanction of term loans by the Banks, the cut-off limit to the borrowers was raised from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores effective from the 30th June, 1988. Banks were also allowed to consider requests for sanctioning term loans/deferred payment guarantees/acceptance limits on deferred

terms for amounts upto Rs. 25 lakhs each for acquisition of one or more items of equipment, (not forming part of a project) without prior authorisation of RBI.

1.34 The Credit Policy for the period from April to September, 1988 was announced on the 2nd April, 1988 with the objective of providing adequate credit to both agriculture and industry as also in helping recovery of the economy. Under the Policy, the entire amount of Rs. 744 crores of cash balances, which remained to be impounded under the incremental Cash Reserve Ratio, was released on the 23rd April, 1988 enabling the banks to finance the seasonal increase in food credit. The Cash Reserve Ratio (CRR) was raised, firstly, with effect from the 2nd July, 1988 from 10% to 10.5% and later, from the 30th July, 1988 from 10.5% to 11% of net demand and time liabilities without touching FCNR/NRI deposits. With a view to providing a better rate of return on short-term surplus funds, the term deposit rate for 91 days and above but less than six months was raised with effect from the 4th April, 1988 from 6.5% to 8%. Banks were also prohibited, effective from the 4th April, 1988, from entering into the buy back arrangement with non-bank clientele in Government and other approved securities. Effective from the 27th August, 1988, banks are to be provided export refinance to the extent of 100% of the increase in export credit over the monthly average level for 1986, as against the monthly average level for 1984 as hitherto.

EXPORT-IMPORT POLICY

1.35 On the 30th March, 1988, a fresh Export-Import Policy for 1988 -91 was announced with the basic objective of giving a fresh impetus to export promotion, reducing multiplicity of schemes and continuing the regime of liberalisation. In terms of the new policy, 740 items have been listed on the Open General License (OGL) Scheme including 209 items of life-saving equipment, 108 items of drugs and 99 items of machinery. Scope of Import Replenishment Scheme has been broadened and in-built flexibility of 10% of value addition has been allowed to REP Licences. Import of 26 items has been decanalised, and Export and Trading Houses Scheme has been revamped. Flexibility of import of limited permissible and canalised items has been allowed upto 10% for export houses and 15% for trading houses. Export Licensing Policy has also been revamped and established manufacturer exporters have been allowed the facility of import of capital goods notwithstanding indigenous availability. Speedy clearance has been envisaged of supplementary licences for capital goods industry manufacturing tailor-made items. Fifty per cent raw materials and components can now be cleared immediately on receipt of application, and passbook scheme has been extended to cover domestic manufacturers having an average turnover of Rs. 15 crores. A special facility of advance REP Licences for passbook holders at the rate of 10% of value addition has been allowed, and additional licences have been made transferable.

INVESTMENT POLICIES

1.36 Guidelines were issued by the Controller of Capital Issues for the protection of interest of the debenture holders so as to facilitate the serviceability and repayment of debentures to the debenture holders on time To encourage eligible closely-held companies to go to the public, the facility of bonus issue of higher than 1 : 1 was extended by 3 years, i.e., upto March, 1990. The exemption under Section 80 CC of the Income Tax Act was extended by three years. The holding period for availing exemption for these shares was also revised from 5 years to 3 years. The rate of interest for non-convertible debentures, convertible debentures and public sector bonds was reduced by one percentage point. So also, the rate of dividend on preference shares was reduced by one percentage point.

1.37 There was no change in the foreign investment policy. However, powers were delegated to the Administrative Ministers to approve foreign collaboration proposals involving out-flow upto Rs. 1 crore, subject, *inter-alia*, to the condition that there was no foreign equity participation in the proposal, the applicant was not a company with existing foreign equity, the proposal did not involve extension of the period of collaboration approved earlier and the total outgo did not exceed 8% of the ex-factory value of production.

1.38 During the year, based on past experience special steps were taken to consolidate the gains and provide a solid foundation for the healthy growth of the capital market. The major technological development in the area of display and dissemination of share prices was achieved when the scheme of electronic linking up of major Stock Exchanges was inaugurated on the 11th August, 1987. A number of guidelines/directives were issued to Stock Exchanges for proper regulation and development of stock market. These, *inter-alia*, related to creation of surveillance squads in Stock Exchanges for ensuring fair trading practices in securities, amendments in the listing guidelines, publication of unaudited half-yearly financial results by listed companies, etc. The Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 were amended in July 1987 in order to enable companies to be admitted as members of Stock Exchange. The amended Rules also enabled admission of Public Financial Institutions, their subsidiaries and any subsidiary of the State Bank of India or any nationalised bank providing merchant banking services or buying and selling securities or other similar activities to become members of Stock Exchanges.

(E) Developments on the Institutional Scene

1.39 The year 1987-88 was significant from the view point of developments on the institutional scene. A number of financial intermediaries came into existence, or were announced to be set up, as under :

— Shipping Credit and Investment Company of India Ltd. (SCICI) with a view to taking over the functions of Shipping Development Fund Committee (SDFC) and providing financial assistance to the shipping and fishing industry.

— Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) with the objective of providing guidance to investors through ratings of the borrower companies.

— Technology Development and Information Company of India Ltd. (TDICI) with a view to financing of commercial research and development schemes through grants and conditional loans and registering technology information services.

— Risk Capital and Technology Finance Corporation Limited (RCTC) with a view to providing the risk capital assistance for technology development in its various facets.

— Venture Capital Fund to be administered by IDBI for providing financial assistance for the commercial exploitation of indigenously developed technology and to adopt previously imported technology to wider domestic applications. The Fund is to be funded in part by a 5% cess to be levied on all payments made for import of technology for which purpose the Research and Development Cess Act was brought into force with effect from the 1st December, 1987.

— Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL), as a specialised agency to look after the post-trading activities and attending to the work relating to the safe custody of scrips, delivery of shares and collection of sale proceeds, etc.

— Discount and Finance House of India Ltd., (DFHII) for carrying on the business of discounting, rediscounting, buying, selling, underwriting or acquiring and sale of marketable securities and negotiable instruments including treasury bills, trade bills, bills of exchanges, promissory

notes, commercial bills, commercial papers, etc. with the objective of bringing stability to the short term liquidity imbalances in the money market.

— Securities and Exchange Board of India (SEBI) with a view to promoting orderly and healthy growth of securities market and for investors' protection.

— National Housing Bank as a Statutory Corporation in terms of National Housing Bank Act, 1987, with a view to promoting and developing specialised Housing Finance Institutions at regional and local levels which could mobilise additional savings and provide finance for acquisition of houses.

— Small Industries Development Bank of India (SIDBI), as a subsidiary of IDBI with the objective, *'inter alia,'* of administering the Small Industries Development Fund established in May, 1986 and National Equity Fund set up in August, 1987 for providing support to projects in tiny and small scale sector.

— Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (IREDA), as a public sector enterprise sponsored by the Government of India, Department of Non-Conventional Energy Sources to promote utilisation of alternate and renewable sources of energy and providing financial assistance on soft terms both to the manufacturer and user of systems.

— Mutual Funds by State Bank of India, Canara Bank and Bank of Baroda.

— Infrastructure Leasing and Finance Services Ltd. (ILFSL) and Can Fin Homes Ltd. (CFHL) sponsored by Unit Trust of India (UTI) and Canara Bank with a view to catering to the needs of developing infrastructural facilities and providing finance for construction or purchase of houses and flats and other related activities.

It would be observed from the above that the scene of institutional infrastructure underwent perceptible changes in 1987-88. In addition, almost all Public Financial Institutions came forward with several innovative Schemes in their respective areas of operations.

1.40. A few important developments on the institutional scene during the year were (a) the review of the priority criteria and adoption of guidelines for allocation of resources by the Financial Institutions, (b) bringing the grant of foreign currency loans under singlewindow dispensation of credit scheme through the extended instrumentality of Project Finance Participation Scheme (PFPS), and (c) evolving a scheme for protecting the sub-borrowers of foreign currency loans against exchange risks through the instrumentality of a Fund to be known as Exchange Risk Administration Fund (ERAF) and to be administered under the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS).

(F) Prospects and Outlook

1.41 In the light of the foregoing Governmental decisions and Institutional developments the general economic environment seems to have become highly conducive to both promoting savings and investment and achieving a reasonably higher industrial growth rate in 1988-89.

1.42. Luckily in the current year, as a result of timely onset of monsoons, the rains have been good and the agricultural production might be able to surpass the targets for the year. Manufacturing industries may regain the higher growth of 9% compared to 7.7% achieved in 1987-88, more in response to improved infrastructure and Government policies. Power generation is likely to improve further with a sharp recovery in hydel power generation, and services sector as a whole may be able to play a higher supportive growth of around 6% linked to the improvement in the performance of commodities sector and infrastructure.

1.43 For encouraging investment in equities, the Union Budget for 1988-89 has granted an exclusive tax exemption upto a limit of Rs. 3,000/- earned by way of dividends which is over and above the benefit already available under Section 80 L for income upto Rs. 7,000/- earned by way of dividents and income from other specified assets. Benefits under Section 80 CC of Income Tax Act have been extended to investments made in the mutual funds set up by public sector banks or financial institutions. Plan outlay for 1988-89 at Rs. 28,715 crores is 16.6% higher than the approved outlay for 1987-88.

1.44 On the price front, the situation appears to be reassuring. During the first quarter of the year 1988-89, the wholesale price index has shown a smaller increase of 2.7% compared to an increase of 4.4% observed in the corresponding period last year. The capital market situation is also becoming more and more hopeful, and response to public issues appears to be improving. The major indications of growth during the first quarter of 1988-89 are indicative of a possible significant turnaround in the economy.

1.45 With strong and sustained growth of exports, of both goods and services, more emphasis on import substitution and better and efficient management of resources, the balance of payments position may remain manageable. Inflationary pressures are also expected to remain under control in 1988-89 as well, in view of several steps taken by the Government to control non-Plan expenditure, as also to ensuring that there is no diversion from Plan expenditure commitments.

1.46 Despite several constraints in the course of first three years of the Seventh Five Year Plan, it is really creditable that the country has been able to achieve more than 60% of the Plan targets in real terms, a feat never accomplished in the previous five year Plans. The Government has already initiated measures to foster an environment of greater effective autonomy and accountability. Changes have been taking place slowly and steadily in improving the quality of the factors of production, efficient exploration and effective utilisation of the resources of economy, technological innovations, development of the spirit of the entrepreneurship, fair distribution of income among different income groups, reducing povert and unemployment and improving the quality of life of the people. These are bound to have their own impact on the economy and lead to its vitality and strength.

1.47 The outlook for 1988-89 is all poised for high growth rate, barring unforeseen circumstances and developments in the world economy. According to an estimate, 6% to 7% or even higher growth in the Gross National Product (GNP) cannot be ruled out for 1988-89.

CHAPTER 2

OPERATIONS, RESOURCES AND WORKING RESULTS

(A) Operations

Overall Operations

2.01 During the year 1987-88 (July-June), overall sanctions of IFCI under its various schemes of assistance crossed Rs. 1300 crore mark as against Rs. 800 crore mark crossed last year. These sanctions aggregating Rs. 1,350.87 crores in respect of 780 projects registered an increase as high as 58.4% over the previous year's sanctions of Rs. 853.02 crores.

2.02 Total disbursements during the ear crossed Rs. 700 crore mark as against Rs. 500 crore mark crossed last year. These disbursements aggregating Rs. 730.22 crores

recorded an increase of 44.1% over the previous year's total disbursements of Rs. 506.85 crores.

2.03 The average loans recovery ratio, despite subdued financial performance of the industry, as a whole, showed an improvement by 2 percentage points. This was, however, on the top of increase by 1 percentage point in 1986-87 and 7 percentage points in 1985-86. Recovery percentage in respect of amounts due during the year, net of postponements/reschedulements, averaged 88%, as against 86.8% in the previous year.

OPERATIONAL DEVELOPMENTS

2.04 In the realm of industrial finance and financial services, IFCI introduced in 1987-88, the following new schemes :

- Scheme of financing Leasing and Hire-Purchase concerns.
- Scheme of Equipment Leasing.
- Scheme of Non-Revolving Credit to machinery, equipment and computer manufacturing concerns for sale of their equipment on deferred payment terms to actual-user-purchaser concerns (Suppliers' Credit Scheme).
- Scheme of rebate and incentives to industrial units and hotels based on their export-performance inclusive of 100% export-oriented units.
- Energy Audit Subsidy Scheme.
- Equipment Finance for Energy Conservation Scheme.

2.05 The significant developments which contributed to the growth of IFCI's operations, apart from the introduction of the aforesaid new schemes, were :

- Flexibility in financing the medium-sized projects, even singly or jointly with any of the other Institution(s).
- Deepening of *consortium financing* concept with single-window-service approach in respect of all medium-large and large-sized industrial projects.
- Enlargement of the scope and coverage of Project Finance Participation Scheme (PFPS) so as to cover all types of financial assistance including Foreign Currency Loans.
- Streamlining of systems and procedures including documentation.
- Refinement in the project evaluation techniques and introduction of the concept of 'Inflation accounting in projections of cost and profitability in large consortium financing projects.
- Computerised Project Information and Monitoring System (PIMS) including adoption of word processors, laser printers, etc., for preparation of Notes and Memoranda for various meetings as also for execution of loan documents, etc.
- Developing and maintaining greater co-ordination with bankers of the assisted concerns, particularly in lead cases.
- Introducing the concept of ABC analysis in monitoring mechanism by categorising all assisted concerns based on their health and status so that greater attention could be focussed on those concerns requiring intensive monitoring and follow-up.
- Emphasis on Customers' Service with greater decentralisation of work and delegation of authority.

2.06 The Institutions reviewed during the year their *priority criteria* for allocation of resources in the light of the Government guidelines. A Working Group of Senior Executives of IDBI, IFCI and ICICI was constituted for crystalising the broad parameters in the light of the priority guidelines for financing industrial projects and evolving norms for taking views on matters such as export-orientation, import-substitution, employment impact, etc.

INDUSTRY VIABILITY/MARKET STUDIES

2.07 Financial Institutions are expected to encourage the establishment of new units in industries where there is scope for further creation of capacity having regard to the demand and supply position, and due weightage being given in this regard to Seventh Plan priorities and objectives. Financial Institutions are also expected to encourage expansion or diversification of units to economically viable levels, consistent with the norms of efficiency and productivity. In view of this, the Institutions have been carrying out industry viability/market studies pertaining to various industries, from time to time, so that strategies for financing new units or of supporting expansion and diversification programmes of the existing units in related areas could be evolved.

2.08 During the year, the Institutions undertook several market evaluation studies on various products in industries like cotton spinning and weaving, ceramic tiles, cement, methylethyl ketone, galvanised plain and galvanised corrugated sheets, bioxially oriented polypropelene film, poly-coated aluminium foils, cold rolled steel profiles, panel products, disposable syringes, rockwool, etc. Some of the aforesaid studies, particularly relating to cotton, spinning and weaving, galvanised plain and galvanised corrugated sheets, poly-coated aluminium foils, disposable syringes, rockwool, panel products, etc., were carried out with IFCI in lead.

INTER-FACE WITH GOVERNMENT, ETC.

2.09 IFCI has been having inter-face with all concerned Departments of the Government, the Planning Commission and also with all important Committees/Working Groups constituted by RBI, IDBI, etc., from time to time. It continues to be involved with matters relating to the modernisation and development of sugar, textiles, jute and hotel industries. It is nodal agency for Jute Modernisation Fund Scheme (JMFS) and agent of Government for disbursement of assistance for modernisation of sugar industry under the Sugar Development Fund (SDF). During the year, IFCI was also represented on the Committee constituted by the Ministry of Industry, Government of India to look into the financial aspects of the paper industry. IFCI was also associated with evolving the norms of efficiency for adherence by all sugar units and also with the incentive scheme for new sugar projects and expansion projects licensed during the sixth Plan period. IFCI also provided valuable inputs to the Standing Committee on Co-ordination of Institutional Finance for Sugar Industry with regard to the categorisation of sugar mills having regard to their performance. IFCI was also represented on some of the Committees constituted by the Government for determining the economic capacities for various industries. IFCI is equally represented on the National Finance and Credit Council (NFCC) as also on the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB).

FLOW OF APPLICATIONS

2.10 IFCI processed during 1987-88, a record number of applications under its project financing operations (excluding applications received under 'Financial Services') for financial assistance from 710 eligible concerns for aggregate assistance of Rs. 5,430.57 crores, either on its own or on joint financing basis. Applications from 19 concerns for an aggregate assistance of Rs. 96.33 crores were either withdrawn by the applicants or treated as closed for want of progress or lack of viability of the proposed projects. As at the end of the year, applications from 42 concerns (35 on joint financing basis) under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 197.07 crores were pending for consideration. All other applications from 619 concerns were sanctioned assistance during the year; the disposal

in 96.8% cases having been made in less than four months from the date of receipt of complete information and data.

2.11 Apart from applications from 42 concerns pending under IFCI's lead as on the 30th June, 1988, applications from 85 concerns for an aggregate assistance of Rs. 2,796.90 crores on joint financing basis (excluding applications under 'Financial Services') were pending for consideration under the lead of IDBI and ICICI, in which also IFCI's involvement and participation was expected in the succeeding period.

2.12 Insofar as the flow of applications under the Project Finance Scheme is concerned, IFCI received applications from all States and Union Territories during the year, except Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, and Lakshadweep. The maximum number of applications under the Project Finance Scheme of the Institutions emanated from Maharashtra, followed by Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat. Industry-wise, applications from textiles maintained the lead, followed by chemicals and chemical products, electrical machinery and appliances (including electronics), iron and steel, cement, sugar, misc. food products, transport equipment and parts, synthetic resins and plastics.

SANCTIONS, DISBURSEMENTS AND OUTSTANDINGS

2.13 The aggregate net sanctions (after accounting for cancellations) during the year under project finance, aggregated Rs. 1,267.34 crores to 743 projects of 649 concerns, Rs. 10.50 crores to 13 Leasing and Hire-Purchase concerns, Rs. 57.96 crores to 22 concerns under Suppliers' Credit Scheme and Rs. 15.07 crores to 2 concerns under the Scheme of Equipment Leasing.

2.14 The disbursements in 1987-88, amounted to Rs. 712.05 crores under project finance, Rs. 3.10 crores under Suppliers Credit Scheme, and Rs. 15.07 crores under the Scheme of Equipment Leasing.

2.15 Cumulatively, overall sanctions accorded by IFCI under its various Schemes upto the end of June, 1988 amounted to Rs. 5,305.63 crores to 2,857 projects. The overall disbursements upto the 30th June, 1988, were of the order of Rs. 3,612.14 crores, of which cash disbursements, *i.e.*, disbursements excluding guarantees issued under the Project Finance Scheme, were of the order of Rs. 3,540.97 crores.

2.16 The total outstandings as on the 30th June, 1988, net of repayments by the borrowers amounted to Rs. 2,867.73 crores.

PURPOSE-WISE CLASSIFICATION OF ASSISTANCE UNDER PROJECT FINANCE IN 1987-88

(a) *Assistance to New Projects*

2.17 Out of the total project finance assistance of the order of Rs. 1,267.34 crores sanctioned by IFCI in 1987-88, 47.4% (Rs. 600.76 crores) was claimed by 192 new projects. This was higher by 16.8% over the assistance sanctioned to new projects last year. Of these, 15 projects had a capital outlay upto Rs. 3 crores each; 47 projects individually had a capital outlay between Rs. 3 crores to Rs. 5 crores; 57 projects were in capital outlay range of Rs. 5 crores to Rs. 10 crores; 37 projects had capital outlay between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores; and, 36 projects were those, whose capital outlay per project was above Rs. 20 crores.

(b) *Assistance for Expansion and Diversification Schemes*

2.18 Assistance of the order of Rs. 198.17 crores (15.6% of the total assistance sanctioned under the Project Finance) went to 70 projects for their expansion and diversification programmes in 1987-88. This was higher by 184.3% over the assistance sanctioned for similar purposes last year.

(c) *Assistance for Modernisation Programmes*

2.19 Assistance for modernisation purposes during the year amounting to Rs. 246.68 crores (19.5% of the total assistance sanctioned under Project Finance) went to 218 projects as against Rs. 128.71 crores to 135 projects in 1986-87 indicating a rise of 91.7%. Project number-wise also, there was an increase of 61.5% over the level recorded last year.

2.20 The assistance under the *Soft Loans Scheme* during the year 1987-88 was Rs. 127.50 crores to 88 projects as against Rs. 58.20 crores to 61 projects sanctioned last year. Quantum-wise, this was higher by 119.1% over the last year's sanctions.

2.21 During the year, liberalisation in the scope of the Soft Loans Scheme was also made, particularly in relation to the criteria of the age of the equipment specified under the Scheme. The ceiling of assistance on concessional terms under the Scheme was also stepped up from Rs. 4 crores to Rs. 6 crores in respect of (a) sugar units going in for modernisation programme with incidental expansion upto 2500 tcd, (b) caustic soda units going in for membrane cell technology and (c) textile units under the Textile Modernisation Fund Scheme. In sugar and textile cases, the limit of Rs. 6 crores was allowed on unit-wise basis in the case of holding companies/State Corporations operating number of units.

2.22 *The Textile Modernisation Fund Scheme* (TMFS) introduced with effect from the 1st August, 1986, initially for a period of two years and subject to a review thereafter, picked up well during the year. IFCI sanctioned assistance under the Scheme to the extent of Rs. 59.60 crores to 84 units as against Rs. 33.36 crores to 49 units sanctioned last year, signifying an increase in the quantum of assistance during the year to the extent of 78.7%.

2.23 *The Jute Modernisation Fund Scheme* (JMFS) introduced with effect from the 1st November, 1986, also picked up well during the year. The assistance sanctioned under the jute Modernisation Fund Scheme in 1987-88 went to 8 units to the extent of Rs 16.10 crores as against only Rs. 0.98 crore to one single unit last year. The resurgence in the response under the Scheme can be attributed largely to the constant review maintained at the institutional and Governmental levels under the Scheme.

(d) *Over-run Assistance, inclusive of Automatic Standby Credit, Rehabilitation Assistance, etc.*

2.24 A reference was made in the last year's report to the Scheme of Automatic Standby Credit, which was introduced for a limited period for the purpose of mitigating the hardship to those assisted industrial units which were sanctioned financial assistance by the Financial Institutions prior to the 1st March, 1987, and whose capital cost and/or equipment had not been cleared through customs prior to that date, and, as a result, there was an over-run in the capital cost of the project due to enhancement of customs duty rates. In terms of the Scheme, over-run assistance in the form of rupee loans was provided to the extent of 90% of the additional duty payable subject to a ceiling of Rs. 5 crores on an automatic basis. The Scheme came to close on the 30th September, 1987, but, wherever, in respect of cases the standby credit had been sanctioned but equipment not delivered by the 30th September, 1987, such sanctions were kept alive. The assistance under this Scheme during the course of the year as also the general over-run assistance and rehabilitation assistance, etc., aggregated to the extent of Rs. 154.70 crores (12.2% of the total assistance sanctioned under Project Finance) to as many as 198 units, as against the assistance of Rs. 111.08 crores to 133 units last year.

(e) *Assistance under Equipment Finance Scheme*

2.25 The Equipment Finance Scheme gained considerable momentum. In 1987-88, loan assistance of the order of Rs. 67.03 crores (5.3% of the total assistance sanctioned under Project Finance) was sanctioned to 65 units under the Scheme, as against loan assistance of the order of

Rs. 29.02 crores to 45 units sanctioned in the previous year. Quantum-wise, the assistance sanctioned under the Equipment Finance Scheme in 1987-88 was more than the double of the assistance sanctioned last year, the increase being of the order of 131%.

Special Features of IFCI's Assistance under Project Finance (1987-88)

(i) *Assistance to Corporate Hospitals and Multi-disciplinary Health Centres*

2.26 A mention was made last year about the scheme of financing the corporate and co-operative Hospitals/Multi-disciplinary Health Centres, which was put into operation with effect from the 27th February, 1987. During the year, in terms of this scheme, the financial assistance of the order of Rs. 13.38 crores was provided to 6 hospitals envisaged to be set-up in the private corporate sector.

(ii) *Assistance to Projects promoted by First-Generation Entrepreneurs/Non-Resident Indians*

2.27 Out of 192 new projects assisted during the year, 28 projects were those which were promoted by first generation technocrat entrepreneurs or professionals. These claimed assistance of the order of Rs. 54.88 crores. An encouraging feature of the projects promoted by these first generation technocrat entrepreneurs was that most of the projects pertained to modern/hi-tech oriented industries in the areas of electrical equipment including electronics, telecommunications, chemicals, non-metallic mineral products, metal products, leather, medical and health equipment, etc. Seventeen projects out of the new ones assisted during the year happened to be promoted by Non-Resident Indians.

(iii) *Assistance to Export-Oriented Projects*

2.28 While considering suitability of an industrial project for Institutional financing, considerable attention was paid during the year to the export performance of the existing units and export potential of new units. Likewise, those projects which aimed at import substitution leading to savings in foreign exchange were, as well, given special attention. Export-oriented projects with substantial export obligations assisted during the year totalled 7, involving financial assistance sanctioned of the order of Rs. 17.35 crores. Additionally, a large number of import substitution projects were also assisted.

(iv) *Assistance to Projects involving Technology Transfer from Abroad*

2.29 Out of 780 projects assisted during the year, 91 projects, which were sanctioned assistance of the order of Rs. 526.17 crores, involved foreign collaboration and/or technolgy transfer from abroad. Of the above, 22 projects had both technical and financial collaboration, while the remaining 69 projects involved only technical collaboration. The countries from where and the number of projects for which the technology was obtained from abroad were : Japan (17), Federal Republic of Germany (FRG) (12), U.K. (11), Italy (11), USA (9), Switzerland (5), France (4), Netherlands (4), Finland (3), South Korea (3), Singapore (2), Taiwan (2), Sweden (2), Australia (2), Canada (1), Spain (1), Belgium (1) and Norway (1). The remaining projects were based on the indigenously available technologies, technical processes, etc., or upon indigenously developed technologies, which demonstrated the technology strength and capabilities of the country.

(v) *Other Specialities*

2.30 During the year, IFCI assisted, for the first time, a ship repair complex having facilities for carrying out dry as well as afloat repairs of ocean going vessels at the Madras Seaport. The proposed complex envisages 2 floating dry docks of 14,000 tonnes and 2,400 tonnes lifting capacity alongwith the provision of a jetty where wet repairs could be carried out for ships upto 6,000 DWT. The project is being set up in collaboration with a leading ship building and ship repair company of Singapore.

2.31 IFCI also assisted during the year, and for the first time, two proposals envisaging acquisition of machinery and equipment for construction works. One related to the import of certain heavy earth moving and allied equipment from over-seas for construction of Sardar Sarovar Narmada Project (SSNP) in Gujarat, aided by the World Bank. The SSNP envisages the construction of 1,210 mtrs. long and 125 mtrs. high concrete dam to cost about Rs. 4,240 crores, with a view to providing irrigation benefits to the gross area of about 3.5 million hectares and generate about 950 MW power at 60% load factor, besides providing partial flood control facilities. The other construction equipment financing proposal related to installation of sinter plant and boilers at Vishakhapatnam Steel Plant, Damodar Valley Thermal Plant and Khamam Chemical Refinery (heavy water plant).

2.32 IFCI also sanctioned during the year assistance to 3 units undertaking on-shore and off-shore deep drilling in connection with oil exploration programme undertaken by Oil and Natural Gas Commission (ONGC). Another special characteristic of IFCI's assistance sanctioned during the year was the growing importance of miscellaneous food and beverages industrial projects, comprising fast foods, soft drinks, fruit processing in various forms and their preservation, etc. Hi-Tech Electronic Projects particularly in the area of information technology, tele-communication, etc., also occupied a prominent position in IFCI's assistance portfolio during the year, after textile modernisation cases. A few projects assisted during the year envisaged manufacturing some of the products for the first time in the country, e.g., fibre optic communication equipment, marine fibre cables, margarine, rockwool, PVC rigid doors and windows, stainless steel vacuum flasks, wire line logging, baby diapers, leather board using chrome tanning waste, etc. A number of other projects assisted by IFCI during the year envisaged fuel efficient or power efficient technology, making use of alternate and renewable sources of energy, full utilisation of by-products or waste material, or introducing for the first time, a better and improved technology in the country indigenously.

Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI (1987-88)

2.33 IFCI's operations in 1987-88, according to a study made of the funding pattern of 607 projects (excluding 136 cases of sanctions of additional assistance during 1987-88 for financing purely the overrun in the cost of projects, etc.,) reveal that IFCI's assistance has been able to catalyse an investment of the order of Rs. 7,176.72 crores as per details given in *Appendix II*.

Direct Economic Contribution of New, expansion and Diversification Projects Assisted by IFCI (1987-88)

2.34 A study of 262 new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1987-88, indicates that IFCI's assistance during the year has been able to create substantial capacities in a wide variety of industries. The aforesaid projects are expected to create direct employment for about 54,970 persons. The value of annual output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 4,843.42 crores. The gross value-added is likely to be of the order of Rs. 2,120.96 crores, which indicates the contribution of these projects to the Gross National Product (GNP) of the country. A detailed statement in this regard is annexed vide *Appendix—III*.

Scheme-wise Classification of Assistance

2.35 IFCI now operates a number of Schemes in the area of industrial financing. A major Scheme-wise classification of assistance sanctioned in 1987-88, and cumulatively upto the 30th June, 1988 is given in Table 4.

Table 4 : Major Scheme-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Scheme of Financing	1987-88 (july-june)			Cumulative upto the 30th June, 1988		
	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Project Finance	743	1,267·34	712·05	2,820	5,222·10	3,593·974
Assistance to Leasing and Hire-Purchase Concerns	13	10·50	—	13	10.50	—
Suppliers' Credit Scheme	22	57·96	3·10	22	57·96	3·10
Equipment Leasing	2	15·07	15.07	2	15·07	15·07
Total:	780	1,350.87	730·22	2,857	5,305,63	3,612·14

Facility-wise Classification of Assistance

2.36 Facility-wise (i.e., all assistance under various schemes grouped together under four distinct heads, viz, Rupee Finance, Foreign Currency Finance, Guarantees and Equipment Leasing) classification of sanctions and disbursements in 1987-88 and cumulatively upto the 30th June, 1988 alongwith outstandings as on that date, is given in Table 5.

Table 5 : Facility-wise Classification of Sanctions, Disbursements and Outstandings

(Rs. Crores)

Facility	1987-88 (July-June)		Cumulative upto the 30th June, 1988		Outstanding as on the 30th June, 1988
	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	(Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rupee Finance					
—Rupee Loans	1020·10 (75.5%)	577·27 (79·0%)	3,865·89 (72·9%)	2,853·09 (79.0%)	2,258·41 (78·8%)
—Underwritings	58·95 (4·4%)	12·44 (1·7%)	321·78 (6·1%)	76·20 (2·1%)	52·26 (1·8%)
—Direct Subscriptions	15·16 (1·1%)	10·61 (1·5%)	39·36 (0·7%)	28·41 (0·8%)	44·27* (1·5%)
Sub-total (i)	1,094·21 (81·0%)	600·32 (82·2%)	4,227·03 (79·7%)	2,957·70 (81·9%)	2,354·94 (82·1%)
Foreign Currency Loans	220·24 (16·3%)	110·42 (15·1%)	929·14 (17·5%)	568·20 (15·7%)	474·80 (16·6%)
Sub-total (ii)	220·24 (16·3%)	110·24 (15·1%)	929·14 (17·5%)	568·20 (15·7%)	474·80 (16·6%)
Guarantees					
—For Deferred payments	12·78 (1·0%)		84·45 (1·6%)	38·86 (1·1%)	12·40 (0·4%)
—For Foreign Loans	8·57 (0·6%)	4·41 (0·6%)	49·94 (0·9%)	32·31 (0·9%)	10·52 (0·4%)
Sub-total (iii)	21·35 (1·6%)	4·41 (0·6%)	134·39 (2·5%)	71·17 (2·0%)	22·92 (0·8%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Equipment Leasing	15·07 (1·1%)	15·07 (2·1%)	15·07 (0·3%)	15·07 (0·4%)	15·07 (0·5%)
Sub-total (iv)	15·07 (1·1%)	15·07 (2·1%)	15·07 (0·3%)	15·07 (0·4%)	15·07 (0·5%)
Total:	1,350·87 (100·0%)	730·22 (100·0%)	5,305·63 (100·0%)	3,612·14 (100·0%)	2,867·73 (100·0%)

*Includes shares/debentures acquired by way of conversion of loans/debentures into shares and debentures.
Note : Figures in brackets denote percentage to total.

2.37 As in the past, Rupee Finance (in the form of Loans, Underwritings and Direct Subscriptions) continued to have a dominating share of 81.0% during 1987-88 followed by Foreign Currency Loans (16.3%) and Guarantees (for deferred payments as well as for foreign loans)—1.6% and Equipment Leasing 1.1%. In the cumulative assistance portfolio, more or less, the same pattern was observed, viz., Rupee Finance 79.7%, Foreign Currency Loans 17.5%, Guarantees 2.5% and Equipment Leasing 0.3%.

2.38 Compared with the previous year, the Rupee Finance sanctions showed an increase of 66.5%, Foreign Currency Loans 13.2% and Guarantees 16.08%.

Area-wise Classification of Assistance

2.39 The institutional scheme of concessional finance for projects coming up in centrally notified backward areas following the incentives granted by the Central Government as per the Central Investment Subsidy Scheme, was extended upto the 30th September, 1988. Further extension of the scheme is dependent upon the decision to be taken by the Government of India around September, 1988.

2.40 IFCI's assistance to projects in centrally notified backward districts' areas during the year 1987-88 amounted to Rs. 698.47 crores in respect of 383 projects. This constituted 51.7% of the aggregate amount of net financial assistance sanctioned during the year.

2.41 As per the existing scheme of classification of backward districts/areas under Category 'A', 'B' and 'C', 79 projects located in Category 'A' (No-Industry/Special Region) districts, secured assistance of the order of Rs. 189.46 crores. 162 projects located in Category 'B' districts/areas claimed assistance to the extent of Rs. 269.87 crores, and 142 projects in Category 'C' districts areas had assistance aggregating Rs. 239.14 crores. The percentage share of each category of notified backward districts, i.e., Category 'A' (No-Industry/Special Region Districts), 'B' and 'C' in the total assistance sanctioned to projects in centrally notified backward districts/areas worked out to 27.1%, 38.7% and 34.2% respectively.

2.42 Compared with the last year's record, the financial assistance to projects in Category 'A' (No-Industry/Special Region) districts in 1987-88 showed a rise of 49.1%. The increase in the quantum of assistance to projects in notified Category 'B' and Category 'C' districts areas in 1987-88 over that in 1986-87 was of the order of 42.4% and 117.8% respectively.

2.43 Cumulatively, upto the 30th June, 1988, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 2,761.86 crores to 1,339 projects located in notified backward districts/areas, which constituted 52.1% of IFCI's total net sanctions.

Sector-wise Classification of Assistance

2.44 Table 6 gives the sector-wise classification of projects and assistance sanctioned to them both during the year and cumulatively upto the 30th June, 1988.

Table 6: Sector-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Sector	1987-88 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1988		
	Sanctions		disbursements	Sanctions		Disbursements
	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private	637	987·56 (73·1%)	547·26 (74·9%)	2043	3,596·36 (67·8%)	2,398·53 (66·4%)
Joint	65	248·42 (18·4%)	102·18 (14·0%)	234	780·51 (14·7%)	466·79 (12·9%)
Public	41	82·37 (6·1%)	53·44 (7·3%)	267	516·83 (9·7%)	378·34 (10·5%)
Co-operative	37	32·52 (2·4%)	27·34 (3·8%)	313	411·93 (7·8%)	368·48 (10·2%)
Total:	780	1,350·87 (100%)	730·22 (100%)	2,857	5,305·63 (100%)	3,612·14 (100%)

Note : Figures in brackets denote percentage to total.

(a) *Assistance to Co-operative Sector*

2.45 During the year, IFCI sanctioned assistance of the order of Rs. 32.52 crores to 37 projects in the co-operative sector. These included 17 sugar co-operatives claiming assistance of the order of Rs. 17.62 crores, 17 textile co-operatives recording assistance to the extent of Rs. 9.61 crores, one synthetic fibre co-operative with an assistance of Rs. 3 crores and two other co-operatives with assistance of Rs. 2.29 crores.

2.46 Cumulatively, upto the 30th June, 1988, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 411.93 crores to 313 projects in the co-operative sector, against which, Rs. 368.48 crores had already been disbursed.

(b) *Assistance to the Corporate Sector*

2.47 Assistance to the corporate sector, during the year, aggregated Rs. 1,318.35 crores for 743 projects. The private sector, which has always been the largest beneficiary of the financial assistance from IFCI, claimed assistance of the order of Rs. 987.56 crores (73.1% of the total) for 637 projects which was higher by 59.1% over the assistance of Rs. 620.65 crores sanctioned to 428 projects last year.

2.48 Assistance to projects in the joint sector was significantly high in 1987-88. Though the number of joint sector projects assisted during the year was 65 compared to 62 in the last year, the amount of assistance aggregated Rs. 248.42 crores as against Rs. 93.35 crores sanctioned in 1986-87, marking an increase of 166.1%. Assistance to projects in the public sector numbering 41 was Rs. 82.37 crores (6.1% of the total) as against 40 projects sanctioned assistance of the order of Rs. 93.71 crores last year.

2.49 The assistance sanctioned cumulatively upto the 30th June, 1988 to corporate sector projects amounted to Rs. 4,893.70 crores for 2,544 projects and their share in IFCI's total assistance portfolio as on the 30th June, 1988 was 92.2%, the share of private, joint and public sector projects *inter-se* being 67.8%, 14.7% and 9.7% respectively. The cumulative disbursements to projects in the corporate sector aggregated to Rs. 3,243.66 crores.

Industry-wise Coverage of Assistance

2.50 Industry-wise coverage of assistance during the year and cumulatively upto the 30th June, 1988, is given in Table 7.

2.51 Industries which claimed a significant share in IFCI's assistance portfolio during 1987-88, were chemicals and chemical products (11.2%), cement (10.3%), synthetic fibres (9.4%), iron and steel (9.1%), textiles (8.7%), electrical machinery and appliances (including electronics) (7.6%), non-metallic mineral products (7.3%), machinery (6.4%), transport equipment and parts (4.2%) and synthetic resins and plastic materials (3.3%). Priority industries like sugar, textiles, cement, chemicals, fertilisers, synthetic fibres, paper, electrical machinery including electrical equipment, machinery, transport equipment, etc., accounted for 72.6% of the total assistance. It is not so much the percentage share of each industry but the wide canvas of various industries in IFCI's assistance portfolio that is significant. During the year, IFCI assisted one ship repairing unit, two units engaged in construction of national irrigation/power generation projects, three units engaged in on-shore and off-shore drilling in connection with oil exploration, two units engaged in the generation of electricity and gas, six units intending to provide medical and health services, five units engaged in the printing and publishing industry, 13 units engaged in *leasing and hirepurchase business, etc. By and large, it* could be concluded that a number of hi-tech sophisticated industries of a very wide range have started coming up on the industrial horizon of the country, through the instrumentality of institutional finance.

Table 7: Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. Crores)

Industry	1987-88 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1988		
	No. of Projects	Amount Sanctioned (Rs.)	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned (Rs.)	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar:						
—Co-operatives	17	17·62	1·3	204	241·88	4·6
—Others	17	30·23	2·2	80	100·73	1·9
Textiles	150	177·99	8.7	553	648·04	12·2
Jute	11	16·58	1·2	36	38·26	0·7
Chemicals:						
—Basic chemicals	34	108·38	8·0	127	553·86	6·7
—Fertilisers & pesticides	6	7·15	0·5	64	271·44	5·1
—Synthetic fibres	20	126·58	9.4	55	350·30	6·6
—Synthetic resins, plastic materials and products	29	44·68	3.3	81	117·36	2·2
—Other chemicals & chemical products	32	43·75	3·2	134	165·59	3·1
Cement	58	138·90	10·3	143	554·50	10·3
Paper & Paper products	26	30·88	2·3	113	224·21	4·2
Rubber products	5	38·69	2·9	32	104·59	2·0
Iron & steel	54	123·21	9·1	188	372·59	7·0
Machinery	52	86·92	6.4	167	222·16	4·2
Transport equipment & parts	35	56·34	4·2	134	271·56	5·1

1	2	3	4	5	6	7
Electrical machinery & appliances (including Electronics)	71	102·41	7·8	206	355·81	6·7
Non-ferrous metals	6	10·32	0·8	35	81·75	1·6
Non-metallic mineral products	31	98·47	7·3	107	233·14	4·4
Hotels	21	18·71	1·4	71	96·27	1·8
Miscellaneous other Industries	105	133·06	9·9	327	511·59	9·6
Total:	780	1,350·87	100·0	2,857	5,305·63	100·0

2.52 In the cumulative picture, textiles, cement, chemicals and chemical products emerged as largest beneficiaries of IFCI's assistance having claimed together 32.3% of assistance in IFCI's assistance portfolio, followed by iron and steel (7%), electrical machinery and appliances including electronics (6.7%), synthetic fibres (6.6%), sugar (6.5%), fertilisers and pesticides (5.1%), transport equipment and parts (5.1%), etc.

2.53 The industry-wise distribution of assistance sanctioned during the year as also cumulative assistance as on the 30th June, 1988, according to the use-based classification of products, is given in Table 8.

Table 8: Industry-wise Distribution of Assistance According to Use-based Classification of Products

(Rs. Crores)

Industry	1987-88 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1988		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	%to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	%to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic industries (viz., basic metal industries, basic industrial chemicals, fertilizers, cement, mining, power generation, etc.)	163 (122)	398·76 (249·30)	29.5 (29·2)	592 (555)	1,771·32 (1,406·77)	33·4 (34.8)
Capital goods industries (viz., machinery and accessories electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.	158 (108)	245·67 (219·29)	18·2 (25.7)	507 (423)	849·53 (609.65)	16·0 (15.1)
Intermediate goods industries (viz., chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes, etc.)	153 (108)	387·69 (175·09)	28·7 (20·5)	541 (479)	1,123·79 (770·37)	21·2 (19·0)
Consumer goods industries (viz., sugar, other food products, cotton/woollen textiles, paper and other miscellaneous industries)	264 (196)	268·43 (186·63)	19·9 (21·9)	1,120 (1,020)	1,428·18 (1,174·89)	26·9 (29·1)
Service industries (viz., hotels, medical services, shipping etc.)	42 (22)	50·32 (22·71)	37 (2·7)	97 (64)	132·81 (80·90)	2·5 (2·0)
Total:	780 (556)	1,350·87 (853·02)	100·0 (100·0)	2,857 (2,541)	5,305·63 (4,042·58)	100·0 (100·0)

Note: Figures in brackets relate to the previous year, and are as on 30th June, 1987.

2.54 Compared with the previous year, the share of basic industries, intermediate goods industries, and service industries improved their respective position in IFCI's assistance portfolio in 1987-88. However in terms of increase in the assistance over the last year, the service industries showed an improvement by 121.6%, followed by intermediate goods industries (121.4%), basic industries (60%), consumer goods industries (43.8%) and capital goods industries (12%). The increase in the number of assisted projects was highest during the year in service industries viz., 90.9% followed by capital goods industries 46.3%, intermediate industries 41.7%, consumer goods industries 34.7% and basic industries 33.6%. The higher increase in respect of the service industries was mainly due to assistance under the two recently introduced schemes, viz., Scheme of Financing Corporate and Co-operative Hospitals and Multi-disciplinary Health Centres and the Scheme of Financing Leasing and Hire-Purchase Concerns.

State-wise Spread of Assistance

2.55 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1987-88 and cumulatively upto the 30th June, 1988, is set out in Table 9.

2.56 During the year, quantum-wise, the States of Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu claimed first five positions in IFCI's assistance portfolio, though, project number-wise, the first five positions were taken by Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat.

2.57 Compared with the previous year, the States of Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Nagaland, Orissa, Punjab, Sikkinm, Tamil Nadu, West Bengal and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, were able to improve their share in IFCI's total assistance during the year.

Table 9 : State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. Crores)

State/Territory	1987-88 (July-June)			Cumulative up to the 30th June, 1988		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	91	143 04	10·6	265	568·35	10·7
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0·16	—
Assam	3	1·72	0·1	29	37·72	0·7
Bihar	15	22·89	1·7	71	103·34	2·0
Goa	5	9·95	0·7	18	25·87	0·5
Gujarat	72	183·73	13·6	258	633·93	12·0
Haryana	32	51·68	3·8	130	174·81	3·3
Himachal Pradesh	10	9·46	0·7	33	46·03	0·9
Jammu & Kashmir	1	0·03	—	18	21·70	0·4
Karnataka	55	85·53	6·3	200	319·51	6·0
Kerala	15	10·39	0·8	75	108·67	2·1
Madhya Pradesh	42	85·34	6·3	124	276·56	5·2
Maharashtra	120	209·65	15·5	499	792·44	14·9
Manipur	1	1·51	0·1	1	1·51	—
Meghalaya	1	0·65	0·1	5	5·90	0·1
Nagaland	1	0·90	0·1	4	2·99	0·1
Orissa	17	56·77	4·2	61	177·44	3·3
Punjab	47	90·98	6·7	132	284·87	5·4
Rajasthan	36	43·55	3·2	119	261·98	4·9
Sikkim	1	1·00	0·1	3	2·90	0·1
Tamil Nadu	77	102·32	7·6	249	405·79	7·7
Tripura	—	—	—	2	2·63	—
Uttar Pradesh	81	171·16	12·7	318	742·77	14·0
West Bengal	41	49·66	3·7	184	226·69	4·3
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	0·98	—
Chandigarh	1	0·75	0·1	3	2·05	—
Dadra & Nagar Haveli	3	4·25	0·3	6	6·39	0·1
Delhi	6	6·90	0·5	30	48·50	0·9
Pondicherry	6	7·06	0·5	18	23·15	0·4
Total:	780	1,350·87	100·0	2,857	5,305·63	100·0

2.58 For the first time, the State of Manipur was covered by IFCI's assistance with the result that almost all States and Union Territories have been covered by IFCI's assistance during the past 40 years, except the State of Mizoram and Union Territories of Daman and Diu as also Lakshadweep. It is the collective endeavour of the Institutions through various promotional measures that industrial activity may pick up in Mizoram, Daman and Diu as well as Lakshadweep Islands. Enterprenourship Development Programmes in these areas have been envisaged, so that a beginning is made by development of small scale enterprises by entrepreneurs, who, in due course of time, may graduate to the medium, or even, large scale sector.

2.59 A feature of considerable importance during the year was that in Punjab, not only there was increase in

the quantum of financial assistance from Rs. 44.87 crores in 1986-87 to Rs. 90.98 crores in 1987-88, but the number of projects getting assistance also went up from 32 in 1986-87 to 47 in 1987-88. The institutions continued their policy of according preferential treatment as also concessional assistance for new industries in Punjab, and this facility was agreed to be extended upto the 31st March, 1990, i.e. till the end of the Seventh Plan period.

2.60 Cumulatively, the States of Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu continued to occupy the first five positions in IFCI's total assistance portfolio as on the 30th June, 1988. The next in order were Karnataka, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan and West Bengal.

Investment Operations

2.61 IFCI sanctioned during the year, the facility of underwriting of equity shares to 103 concerns for an aggregate amount of Rs. 58.78 crores and a preference share issue of one concern to the extent of Rs. 0.17 crore. The aggegate underwriting facility sanctioned in 1987-88 was, thus, 8% higher than the total underwriting facility sanctioned in 1986-87.

2.62 The sanctions relating to direct subscription during the year also showed a significant increase. While in 1986-87, the sanctions relating to direct subscription of shares/debentures amounted to Rs. 2.06 crores for 14 concerns, in 1987-88, the sanctions for direct subscription amounted to Rs. 15.16 crores towards shares/debentures of 76 concerns indicating a rise of 635.9% in the total amount and 442.9% in the number of concerns.

2.63 During the year, 41 issues of concerns whose shares had been underwritten by IFCI for Rs. 28.20 crores in aggregate were placed on the market. The shares devolved on IFCI, pursuant to the underwriting obligations amounted to Rs. 11.23 crores. In addition, IFCI actually subscribed to shares and debentures of 33 companies amounting to Rs. 10.61 crores compared to Rs. 6.69 crores in 1986-87, against the sanctions relating to direct subscriptions.

Guarantees

2.64 During the year, the facility of guaranteeing deferred payments to the extent of Rs. 12.78 crores to foreign suppliers of machinery and equipment was sanctioned in 4 cases pertaining to (i) an acrylon unit in U.P., (ii) a tyre unit in Karnataka, (iii) a ready foods unit in Andhra Pradesh, and (iv) a paper unit in Andhra Pradesh.

2.65 Guarantees were also agreed to be given for foreign loans aggregating Rs. 8.57 crores proposed to be raised by a petrochemicals unit in Andhra Pradesh from external borrowings and a charge-chrome unit in Orissa in respect of foreign credit/loan syndicated by Svenska of Sweden. The aforesaid guarantees are likely to be executed during the course of the current year.

Sanctions accorded in Public Interests

2.66 During the year, there was no case, where because of Director(s) being interested in terms of Section 26(2) of the IFC Act, 1948, IFCI had to sanction assistance in public interest in terms of Industrial Finance Corporation of India (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

Changes in Lending Terms, etc.

2.67 There was no change in basic lending terms of IFCI, e.g., in rate of interest, commitment charge, liquidated damages in the event of defaults, etc. during the course of the year.

2.68 In respect of convertibility guidelines, while no new instructions were issued by the Government the Financial institutions, in consultation with the Government made the following changes during the course of the year :

(i) Diversification/Expansion Schemes of existing units set up in Category 'A' (No-Industry/Special Region) Districts/Areas not to attract convertibility clause, except in the event of default.

(ii) Corporate hospitals/multi-disciplinary health centres and 100% export-oriented units to remain exempt from the convertibility clause, except in the event of default and/or the export-oriented units seeking de-bonding.

(iii) Foreign Currency Loans to continue to remain exempt from the applicability of convertibility clause, except in the event of default.

2.69 In respect of sanctions accorded during the year, convertibility clause was stipulated as per extant guidelines in only 158 cases. The convertibility right was exercised during the year in 7 cases and waived in 45 cases. Cumulatively, since the introduction of convertibility guidelines, IFCI had stipulated the convertibility clause in 1,283 cases, exercised the convertibility option in 121 cases and waived the same after taking into account all the relevant factors in 484 cases.

Energy Conservation and Energy Audit Schemes

2.70 In June 1988, the Financial Institutions under the lead of IDBI introduced two schemes—

— Energy Audit Subsidy (EAS) Scheme, and

— Equipment Finance for Energy Conservation (EFEC) Scheme

Under EAS, the cost of conducting the preliminary and detailed energy audits in concerns bound by energy audit requirement, can be subsidised to the extent of 50% of the cost, subject to a ceiling of Rs. 10,000/- for preliminary audit and Rs. one lakh for detailed energy audit, provided the audits are assigned to approved energy consultants. Assistance under EFEC is by way of equipment finance for acquisition and installation of energy saving equipment. The rate of interest on the equipment finance under the Scheme is subject to a rebate linked to the extent of energy saving actually achieved in relation to a standard datum level, subject to a floor level interest rate of 10% p.a. Equipment Finance under this Scheme enjoys a few relexations, such as exemption from commitment charge, convertibility option and lower promoter's contribution.

Follow-up Mechanics

2.71 There was no change in the basic tenets of the follow-up mechanism which consisted of (a) obtaining monthly production reports which the assisted concerns are required to submit to the concerned statutory/administrative/regulatory authorities, (b) obtaining of periodical progress reports and copies of statements submitted by concerns to their bankers, etc., (c) calling of half-yearly/yearly statement of accounts, working results and financial position, (d) carrying out periodical site visits with a view to verifying the end-use of assistance and evaluating the performance of assisted concerns vis-a-vis their operational plans, (e) having snap visits at factory sites or calling promoters/senior executives for having discussions on related issues, (f) insisting upon a need-based Management Information System (MIS) and (g) having reports from nominee directors/concurrent auditors/consultants, wherever appointed. During the year, the follow-up measures were intensified in lead cases and the fora of Regional Executives' Meetings (REMs) was extensively used for discussing the problems of other concerns assisted on consortium financing basis.

2.72 As on the 30th June, 1988, IFCI had appointed 357 nominee directors on the Board of Directors of 753 assisted concerns, of which 152 were officials and 205 non-officials. Care was taken that in the light of the recommendations made by the Parliamentary Committee on Public Undertakings (COPU) and accepted by the Government, the officials in the Nominee Directors' Cell were not to have more than 10 nominations at a time, and that, there was an effective two-way system of communication between the nominee directors and nominating institutions. A system was also developed during the year, in terms of which the Heads

of Nominee Directors' Cell of the Financial Institutions met periodically on a regular basis, discussed ways and means of making the institution of nominee directors more effective and endeavoured to oversee that the need-based steps were taken. Half-yearly reviews were made of the system and its functioning at the level of the Board of Directors as well. On a few suggestions made by COPU, the IDBI, as the apex Financial Institution, was already in correspondence with the Government.

Co-ordination between Banks and Financial Institutions

2.73 Mention was made in the last year's Report about the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) on the 25th June, 1987 with regard to intensifying the co-ordination between the Commercial Banks and Financial Institutions, based on the First Report of a Working Group consisting of the representatives of RBI, IDBI, ICICI, SBI and the Central Bank of India, which had been constituted by the National Finance & Credit Council (NFCC) at its meeting held on the 24th December, 1986. As at the close of the year 1987-88, the said Working Group had finalised its Second Report covering some larger issues relating to co-ordination between the banks and financial institutions. Based on these, the Reserve Bank of India (RBI) had issued further guidelines on the 29th June, 1988, which enlarged the scope of commercial banks' participation in the financing of new industrial projects as well as expansion/diversification/modernisation of the existing industrial units (other than those regarded sick or weak) to the extent of 25% of the total term loan assistance on a *pari passu* basis with the Financial Institutions. The RBI guidelines also clarified some of the issues relating to advances by banks on consortium basis. Apart from streamlining the existing systems and procedures, the possibilities of covering the Banks under the Project Finance Participation Scheme (PFPS) envisaging single common documentation and creation of a forum similar to the Forum of International Division of Banks (FIDB) for sorting out common problems, were under consideration, in pursuance of the recommendations of the Working Group.

(B) *Resources*

Resource Mobilisation and Financial Management

2.74 During the year 1987-88, the total resource mobilisation by IFCI was of Rs 914.48 crores (excluding its opening cash balance of Rs. 137 crores). This was 52.6% higher than the last year's resource mobilisation of Rs. 599.20 crores (exclusive of opening cash balances of Rs. 208.88 crores), thanks to the consideration and support given by the Government of India by way of allocation of market borrowings in rupee currency and approvals for mobilisation of foreign currency resources from abroad. The vigorous in-house recovery drive also played a significant part in the resource mobilisation exercises.

2.75 Major highlights on the resources front during the year 1987-88 were as under :

- Issue of additional share capital to the extent of Rs 12.50 crores made on the 26th April, 1988.
- Internal generations lending to the accretion of Reserves of IFCI by Rs. 43.45 crores.
- Augmentation of Rupee Resources by three public issues of Bonds (48th, 49th and 50th series made on the 24th Nov., 1987, 17th Feb, 1988 and 14th June, 1988) to the extent of Rs. 385.28 crores.
- Increased receipts on account of (a) repayment of loans by the borrowers, and (b) sale/redemption of investments, aggregating Rs 139.90 crores which were higher by 21.4% compared to the previous year's figure.
- Substantial step-up in mobilisation of foreign currency resources by raising (a) DM 80 million under 25th Line of Credit from Kreditanstalt-fur-Wiederaufban (KFW) of Federal Republic of Germany (Agreement signed at New Delhi on the 15th March, 1988), and (b) Euro-Yen loan of Japanese Yen 14 billion in December, 1987 of which Japanese Yen 9 billion equivalent was in U.S. $ 70.098 million and the remaining in Japanese Yen.

2.76 No loans were raised either from the Industrial Development Bank of India (IDBI) or from the Central Government, during the course of the year. However, Rs. 8.40 crores and Rs. 0.68 crore were repaid to IDBI and the Central Government respectively, during the year, with the result that net outstanding borrowings from IDBI and the Central Government came down from Rs. 70.25 crores and Rs. 2.08 crores to Rs. 61.85 crores and Rs. 1.40 crores respectively as on the 30th June, 1988.

2.77 Insofar as the loans portion under the Interest Differential Funds (IDFs) is concerned, during the year, a sum of Rs. 0.95 crore was obtained from the Central Government and a sum of Rs. 0.45 crore was repaid on this account. Thus the total loans portion of IDFs repayable to the Central Government aggregated Rs. 7.47 crores as on the 30th June, 1988 as against Rs. 6.97 crores as on the 30th June, 1987.

2.78 With regard to the foreign currency resources, as at the close of June, 1988, IFCI was in the process of negotiating (a) a loan of US $ 100 million through Swiss Bank Corporation Investment Banking Ltd., (SBCI) in two tranches of U.S. $ 50 million each, the second tranch of U.S. $ 50 million, convertible after two years in Swiss Frances at the option of arranger; i.e. SBCI; (b) a line of credit of FIM 30 million in two tranches out of Finnish Fund through Industrial Development Co-operation Ltd.; Finland; (c) the sharing in the proceeds of a sector-specific loan of the order of Yen 20 billion raised by IDBI from Export-Import Bank of Japan in June, 1988 to be utilised for the industries in the automobile and electronic sector including their ancillaries; and (d) a loan of US $ 100 million from the Asian Development Bank (ADB).

2.79 As at the 30th June, 1988, the overall resources of IFCI consisted of (a) its paid-up capital (Rs. 70 crores), (b) reserves (Rs. 225.62 crores), (c) rupee borrowings by way of public issue of bonds net of the amount redeemed upto the 30th June, 1988 (Rs. 2,083.80 crores), (d) borrowings from Kreditanstalt-Fur-Wiederaufbau (KFW) of Federal Republic of Germany against twenty-five lines of DM credit (DM 408 million), and (e) cumulative commercial borrowings in foreign currencies raised from the international capital market of the order of US $ 270 million, Japanese Yen 20 billion and DM 15 million.

Sources and Uses of Funds

2.80 The total resources raised by IFCI during 1987-88, (excluding opening cash balance of Rs. 137 crores), aggregated Rs. 914.48 crores. These comprised (a) increase in paid-up share capital to the extend of Rs. 12.50 crores, (b) generation of profit before tax of Rs. 68.88 crores, (c) recoveries of loans from borrowings and sale of investment, etc., to the extent of Rs. 139.90 crores, (d) borrowings from market by way of Bonds Rs. 385.28 crores, (e) borrowings in foreign currencies equivalent to Rs. 303.05 crores and the receipt of Rs. 4.87 crores under Interest Differential Funds from Government. These resources were utilised for effecting cash disbursement of assistance (Rs. 725.81 crores), redemption of bonds (Rs. 58.39 crores), repayment of rupee and foreign currency borrowings (Rs. 14.72 crores), payment of dividend (Rs. 7.48 crores) and tax (Rs. 16.22 crores) and for other uses (Rs. 35.48 crores).

Outstandings and Overdues

2.81 As at the end of the 30th June, 1988, loan assistance of Rs. 2,733.21 crores was outstanding from 1,767 concerns. The holdings of IFCI in shares and debentures of assisted companies were of the order of Rs. 96.53 crores and gaurantees for an aggregate amount of Rs. 22.92 crores were in force.

2.82 Against the outstanding loan assistance as at the end of the year, the total overdues (comprising principal Rs. 69.17 crores and interest Rs. 28.93 crores) aggregated Rs. 98.10 crores. These overdues formed about 3.6% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 30th June, 1988.

2.83 The overall recovery ratio during the year was also higher by 2 percentage points. This was, of course, on the top of improvement by about 1 percentage point in 1986-87 and 7 percentage points in 1985-86.

2.84 In the case of units facing long terms problems, joint meetings of all the participating institutions/banks involved in the financing of the projects were held for arriving at a consensus for evolving possible rehabilitation/revival packages. Regional and branch offices were actively involved in the matter of recovery drive and achieving the recovery targets. The Single Point Collection (SPC) system introduced last year was deepened and enforced vigorously so as to ensure that the dues of all the participating institutions were paid by the assisted units in time and were shared on a *pro-rata* basis.

Rehabilitation Programmes

2.85 The efforts of IFCI for rehabilitation of sick units were dovetailed with that of Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) which became fully operational during the year. IFCI was specified as one of the Operating Agencies in terms of the provision of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

2.86 In the year 1986-87, 65 BIFR hearings were held in respect of 36 IFCI lead cases. IFCI was appointed as the Operating Agency in respect of 16 cases (including 2 non-lead cases) for detailed viability studies and formulation of rehabilitation programmes in the light of specific guidelines set out by BIFR in each case. Of these, IFCI, as Operating Agency, submitted its draft rehabilitation schemes in respect of 9 cases. In addition, though not in the role of operating agency, IFCI carried out viability studies and/or formulated rehabilitation programmes in seven lead cases under the aegis of BIFR. The expertise of IFCI was also made available to BIFR in scrutinising/reshaping the schemes for revival of certain non-assisted sick units.

2.87 Formulation of rehabilitation packages was continued on usual lines in respect of cases not falling under the purview of BIFR. In 14 of such cases, rehabilitation schemes were formulated during the course of the year. Rehabilitation measures recommended/contemplated covered a wide spectrum, comprising even modernisation, expansion, diversification etc., of sick units. In 4 cases, one time arrangements were reached during the year for settlement of outstanding dues. In 9 IFCI lead cases, loans were recalled and/or legal steps were initiated for recovery of dues during the course of the year.

2.88 IFCI continued to avail itself of the benefit of Guidance Committee (constituted by Government of India under Chairmanship of Finance Secretary for considering cases of sick/problem units); and continued to be closely involved in rehabilitation efforts made by other Financial Institutions in respect of their lead cases.

2.89 In the light of the experience gained, draft guidelines on reliefs and concessions to be extended to sick units for rehabilitation were evolved in consultation with the other Institutions. The guidelines, intended to ensure uniformity of approach among Institutions, would be concretised shortly. To ensure smooth functional relationship and to speed up the process of rehabilitation, two top level meetings between BIFR and Institutions were held during the year for exchange of ideas and experience.

2.90 The year witnessed turn-around of a few units which were under nursing programme of IFCI. In addition, two proposals for merger/takeover were under consideration of institutions at the end of the year.

2.91 As at the end of June, 1988, IFCI had in its lead 88 "sick" units, as per definition of sick companies provided in Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

(C) Working Results

2.92 From the audited accounts comprising Profit and Loss Account for the year and the Balance Sheet as at the 30th June, 1988, which are annexed to this Report, it would be observed that the pre-tax profit of IFCI for the year amounted to Rs. 68.88 crores as against Rs. 61.62 crores for 1986-87 which showed an increase of 11.8%. The net profit for the year 1987-88 after providing Rs. 16.22 crores for taxation amounted to Rs. 52.66 crores as against Rs. 43.48 crores for 1986-87. This was 21.1% higher than the previous year's net profit.

2.93 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in Table 10.

Table 10 : Appropriations of Net Profit (Rs. Crores)

	This year (1987-88) (July-June)		Previous year (1986-87) (July-June)	
(1)		(2)		(3)
Net Profit for the year		52.66		43.48
Appropriations				
Transferred to—				
(a) General Reserve Fund	17.92		10.82	
(b) Benevolent Reserve Fund	2.00		1.50	
(c) Special Reserve [under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961	25.01	44.93	25.49	37.81
Allocation to the Staff Welfare Fund		0.25		0.15
Payment of Dividend (12% p.a.)		7.48		5.52
Total :		52.66		43.48

2.94 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 12% per annuam, as against 11% declared last year.

Working Results Trends

2.95 The working results of IFCI for three years inclusive of the year ended the 30th June, 1988, are summarised in Table 11.

Table 11 : Working Results of IFCI for three Years

Particulars	1986 Rs.	1987 Rs.	1988 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Interest on Lendings	167.74	225.48	285.30
Less : Cost of Borrowings	119.92	160.78	212.10
Net Interest Revenue	47.82	64.70	73.20
Other income	9.40	8.00	9.36
Net Income	57.22	72.70	82.56
Expenditure :			
Personnel Expenses	4.85	6.55	6.12
Loss on investments	0.37	0.18	0.02
Directors' and Committee Members' Fees & Expenses	0.02	0.03	0.03
Other Expenses & Grants	2.67	3.14	4.51
Depreciation	0.50	1.18	3.00
Pre-tax Profit	48.81	61.62	68.88
Taxation	14.63	18.14	16.22
Net Profit	34.18	43.48	52.66
Dividend (Rate)	10.0%	11.0%	12.0%

2.96 It would be observed from the above—

* Interest Income from lending operations increased by 26.5% in 1987-88.

* Increase in the 'Cost of Borrowings' was 31.9% in 1987-88.

* Increase in the 'Net Income', and 'Net Profit' was 13.6% and 21.1% respectively.

* Cost of borrowings which formed 71.3% of the 'Interest Income on Lendings' in 1986-87, was 74.3% in 1987-88.

* Pre-tax Profit as percentage to Net Income was 83.4% in 1987-88 as against 84.7% last year.

* Net Profit as percentage of Net Income was 63.8% in 1987-88 as against 59.8% last year.

Financial Position

2.97 The financial position as appearing from the Balance Sheet of IFCI for the three years inclusive of the position of assets and liabilities as at the 30th June, 1988, is indicated in Table 12.

(Rs. Crores)

Table 12 : Position of Assets and Liabilities of IFCI for three Years — Year ended the 30th June

Particulars	1986 Rs.	1987 Rs.	1988 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
ASSETS			
Cash & Bank Balances	208.88	137.00	193.38
Investments			
—in Assisted concerns	58.68	72.83	96.53
—In other institutions	0.21	2.81	6.50
Loans to Assisted concerns	1,649.11	2,117.10	2,733.21
Fixed & Other Assets	93.25	132.73	172.02
Customer's Liabilities for Acceptances	17.88	21.93	22.92
	2,028.01	2,484.40	3,224.56
LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S FUNDS			
Share Capital	45.00	57.50	70.00
Reserve & Reserves Fund	144.88	182.17	225.62
Borrowings			
(a) Bonds	1,452.88	1,729.40	2,083.80
(b) From Govt. & IDBI	87.13	79.30	70.73
(c) In Foreign Currencies	163.25	285.78	611.15
Current Liabilities & Provisions	110.74	120.29	130.44
Earmarked Funds	6.25	8.03	9.90
Liability for Acceptances	17.88	21.93	22.92
	2,028.01	2,484.40	3,224.56
Debt : Equity	8.91	8.71	9.3.1
Net Worth : Net Profit	5.6.1	5.5.1	5.6.1

Audit Report

2.98 For the year 1987-88, M/s. N. M. Raiji & Co., Chartered Accountants, Bombay were appointed as Statutory Auditors by IDBI in terms of Section 34(1) of the IFC Act, 1948. The shareholders of IFCI (other than IDBI) elected M/s. T. R. Chadha & Co., Chartered Accountants, New Delhi as Auditors for the same period. The Report of the Auditors in terms of Section 34(3) of the IFC Act, 1948 for the year 1987-88, is also given with the accounts for the year in this Report. M/s. Thakur Vaidyanath Aiyer & Co. Chartered Accountants. New Delhi were the Tax Auditors of IFCI for conducting its tax audit in terms of Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 (as amended by the Finance Act, 1984) for the period ended the 30th June, 1988.

3 CHAPTER

FINANCIAL SERVICES

Merchant Banking

3.01 In view of long experience of IFCI in the field of industrial financing, it was in the fitness of the things that IFCI's Charter was amended in 1982 authorising IFCI to undertake Merchant Banking operations. In 1986, with an amendment made to IFC Act, 1948, the scope of Merchant Banking Services of IFCI was further elaborated by including consultancy along with merchant banking services which could be carried out both in and outside India.

3.02 The accent of IFCI's merchant banking services, which were started with effect from the 1st July, 1986, is, therefore, not only on providing services, which any merchant banker can provide, but more on project counselling, and providing a package of facilities particularly to medium and large enterprises in the corporate sector, which need special assistance or guidance in the formulation and implementation of new projects or modernisation or diversification of their existing activities.

3.03 Despite keen competition in the field of merchant banking, and subdued conditions in the capital market for most of the part of 1987 and early 1988, the two-year old Merchant Banking & Allied Business Department of IFCI with its bureau office at Bombay, improved its activities and successfully managed 22 public issues, as against 12 last year, thereby helping its clients to mobilise funds of the order of Rs 271.08 crores.

3.04 The thrust of the Merchant Banking & Allied Business Department of IFCI in 1987-88, however, remained on providing better project counselling services to the new entrepreneurs and new corporate entities in formulating and implementing their projects and helping them in availing themselves of financial assistance from various financial intermediaries expeditiously. The Department also continued its active role in developing suitable packages for undertaking rehabilitation and capital structuring schemes as well as for amalgamation and merger proposals, besides trusteeship assignments.

Equipment Leasing

3.05 A new dimension to IFCI's diversified business-mix was added during the year with the Government of India authorising IFCI on the 26th May, 1988 to take up leasing business, in terms of Section 23(o) of the IFC Act, 1948.

3.06 Under the Scheme of Equipment Leasing, which came into force with effect from the 1st June, 1988, IFCI provides equipment on lease to existing industrial concerns in the corporate and co-operative sectors. It has been contemplated to take up financial leasing (including master lease) syndicated leasing, Sale and lease back form of leasing and leasing of imported equipment. A summary procedure is being adopted for sanction of the facility under the Scheme alongwith a simplified documentation evidencing the lease arrangement.

3.07 The Scheme of Equipment Leasing evoked considerable response after being introduced on the 1st June 1988, and within one month's time, IFCI was able to finalise two transactions for providing equipment on lease, costing Rs 15.07 crores. In view of the inherent advantages which the leasing affords to the industry in general, and the speedy service which IFCI proposes to provide under its Scheme, in particular, a lot of business hopefully is expected to be transacted in this area in the current and subsequent years.

Scheme of Financing Leasing & Hire-Purchase Concerns

3.08 With a view to making available finance to existing leasing and hire-purchase concerns in the corporate and co-operative sectors, which have been in leasing and/or hire-purchase business for at least three accounting years, and, have a satisfactory track record of performance and sound financial position, IFCI introduced, beginning from the 1st November, 1987, a Scheme of Financing Leasing and Hire-Purchase Concerns. The Scheme envisaged grant of financial

assistance, either, in the form of a line of credit, or, loans simpliciter, or, discounting of notes drawn against lease rentals.

3.09 The Scheme had a good response from the existing leasing and hire-purchase concerns. As such, having regard to the eligibility criteria and the merits of each case, IFCI, during the course of 8 months' period ended the 30th June, 1988, sanctioned, on selective basis, financial assistance of the order of Rs. 10.50 crores to as many as 13 existing leasing and hire-purchase concerns, thereby adding yet another dimension to the significant financial services being provided by IFCI for the growth and development of industries in the country.

Suppliers' Credit Scheme

3.10 The Suppliers' Credit Scheme, introduced by IFCI from the beginning of the year 1987-88, is a unique scheme which is advantageous and beneficial to both equipment manufacturers and equipment users. The Scheme envisages providing a Non-Revolving Line of Credit to machinery, equipment and computer manufacturing concerns for sale of their equipment to actual-user-purchaser concerns on deferred payment basis. It is, however, necessary that both Equipment Seller-Concerns and Equipment-purchaser-concerns must be either in the corporate or co-operative sector.

3.11 The Line of Credit under the Scheme can be made available to the manufacturer-seller-concern on furnishing details about it and about its actual-user-purchaser client-concern(s). The intending purchaser/user of equipment can also approach with particulars of manufacturer-seller-concern agreeing to sell the equipment on deferred payment basis. A separate Bill is drawn under the Scheme by the seller for each instalment together with interest payable on the deferred instalments. The Usance Bills are to be drawn in such numbers, that they cover each instalment of principal and interest. Advances are made by IFCI against these Usance Bills to the machinery suppliers. The seller has to utilise the facility within the stipulated period and has to obtain prior approval for each proposal within the overall limit of the Line of Credit sanctioned to it. A very simple and speedy procedure has been evolved by IFCI for effective implementation of the Scheme.

3.12 In view of its ease and simplicity, the Scheme received wider appreciation, with the result that during the first year itself, as many as 22 equipment manufacturing concerns were sanctioned credit under the Scheme to the extent of Rs. 57.96 crores against which Rs. 3.10 crores in respect of 5 cases had already been disbursed upto the 30th June, 1988. The industry-wise classification of equipment manufacturing concerns which availed the facility under the Scheme was : Sugar Machinery (1), Textile Machinery (5), Earth Moving Machinery (3), Electrical Equipment (5), Dairy Machinery (1), Solvent Extraction Plant (1), Plain Paper Copier (1), Plastic Processing Equipment (1), EPABX Systems (2), Computer Peripherals (1) and Paint Shop Equipment (1). Out of 22 cases 13 pertained to Maharashtra, 2 each to West Bengal and Haryana, one each to Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Union Territory of Delhi.

CHAPTER 4

PROMOTIONAL ACTIVITIES

IFCI's Developmental Role

4.01 Since IFCI's role in the field of project financing is largely confined to providing finance to medium and medium-large scale industrial units in the corporate and co-operative sectors, for which it was basically set up, in its developmental role, IFCI has been endeavouring to take up directly as well as indirectly such steps and activities, as are considered desirable by it for accelerating the process of industrialisation in the country in its multi-faceted form.

4.02 Experience has proved that no amount of fiscal and financial incentives alone, or even easy availability of finance can bring success in industrialisation efforts, unless other inputs like resourceful entrepreneurship, latest and efficient technology/know-how, professionalised management, well motivated man-power, project counselling and extension services are available at every stage during the life cycle of a project. In its developmental role, it has been, and continues to be the endeavour of IFCI to provide or stimulate the provision of these non-financial inputs, to the best possible extent, consistent with its resources and capability. The philosophy that permeates IFCI's promotional activities is to help and encourage small and medium scale enterprises with such supportive measures as can provide them 'growth with stability'.

Promotional Activities—A Review

4.03 In 1987-88, the major thrust in the area of promotional activities was on providing support and momentum to entrepreneurship development movement in the country, broadening of entrepreneurial base by providing more liberalised risk capital assistance, venturing in the areas of technology finance and development, support to Technical Consultancy Organisations and assisting the cause of management development in the country.

4.04 IFCI has also been operating certain Promotional Schemes which seek to fill in gaps in the promotion and growth of industries in Village and Small Industries (VSI) sectors and provide positive encouragement by way of interest subsidy to new self-employed youths, women entrepreneurs, projects envisaging adoption of indigenous technology, quality control measures, etc. Special schemes were devised, during the year under review, for providing subsidised consultancy services for industries based on or related to animal husbandry, dairy farming, poultry farming, fishing, agriculture, horticulture, sericulture and pisciculture. Depending upon the nature of the schemes, a better deal to the weaker sections of the society, physically handicapped, ex-servicemen, repatriates from Sri Lanka, women entrepreneurs, etc., in consonance with the national policy was accorded while reviewing existing schemes or formulating new schemes.

4.05 During the year the amount utilised on various promotional activities totalled Rs. 540.23 lakhs which was higher by 21.1% over the previous year's utilisation of Rs. 446.06 lakhs. Tables 13 and 14 give the break-up of the amount utilised by IFCI on its promotional activities and the sources through which the same were funded.

Table 13: Amount utilised by IFCI on Promotional Activities

(Rs. lakhs)

Nature of Activities supported by IFCI	1987-88 (July-June) Amount Rs.		Cumulatively upto 30th June, 1988 Amount Rs.	
(1)	(2)		(3)	
(i) Promotional Schemes				
— Subsidy	42·67		271·75	
— Loan assistance		42·67	23·50	295·25

(1)			(2)	(3)
(ii) Industrial Potential Surveys				
for development of backward areas including No-industry districts		0·34		9·59
(iii) Support for Technical Consultancy service				
--Technical Consultancy Organisations	6·48		62·53	
–Directory of Industrial Consultants		6·48	0·43	62·96
(iv) Support for Entrepreneurship Development				
– Sharing of EDP costs	19·98		46·99	
--Resources support to EDII	11·75		84·25	
– Resources support to IEDs	3·75	35·48	12·25	143·49
(v) Support for Risk Capital Assistance through RCTC		267·00		1,249·92
(vi) Support to Science and Technology Entrepreneurs, Parks (STEPs)		15·91		15·91
(vii) Support for Management Development activities of MDI		166·46		796·99
(viii) Promotion of Research' etc.				
—IFCI chairs	2·18		27·36	
—Special Research Studies	--		10·63	
—Support to Indian Economic Journal		2·18	0·10	38·09
(ix) Support for International Conference and Seminars				
--International Exposition on Rural Development (IERD)		-	1·00	
—Research & Information Systems for Non-aligned & other Developing Countries	3·00		8·00	
– World Economic Congress	-		4·00	
--Indian Econometric Society	0·50	3·50	0·50	13·50
(x) Support to New Hope Rural Leprosy Trust, Muniguda, Orissa, for Deep Well Project		0·21		0·21
(xi) Orientation Programmes and Assistance to State-level Institutions		-		4·30
(xii) Others				
Utilised for direct financing of projects)				59·36
Total:		540·23		2,6869·57

Table 14 : Sources of Funds for IFCI'S promotional Activities

Fund	(July-June) Amount	Cumulatively upto 30th June, 1988 Amount
1	2	3
Benevolent Reserve Fund		
(Created out of profits of IFCI under Section 32B of IFC Act, 1848	184.98	669.07
Interest Differential Funds . .	355.25	2,020.50
(Representing monies received from the Government of India out of interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agreements amongst IFCI, Kreditastalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and Government of Federal Republic Germany)		
Total	540.23	2,689.57

Promotional Schemes

4.06 During the year, the existing Promotional Schemes of IFCI were liberalised for the benefit of entrepreneurs in North-Eastern Region and in Sikkim Ex-servicemen and Repatriates from Sri Lanka were also considered as preferred categories for similar benefits as available under various schemes to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and physically handicapped entrepreneurs. On a further review made in December, 1987, it was decided to dispense with certain Schemes which were later taken up by Industrial Development Bank of India (IDBI) on a much wider scale, and to introduce a few new Schemes as also to revise the existing schemes with certain additional features.

4.07 The present position is that IFCI is having eight Consultancy Fee Subsidy Schemes and four Interest Subsidy Schemes as under:—

Consultancy Fee Subsidy Schemes

— Schemes of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for meeting Cost of Feasibility Studies, etc.

— Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries relating to Animal Husbandry, Dairy Farming, Poultry Farming and Fishing.

— Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries based on or related to Agriculture, Horticulture, Sericulture and Pisciculture.

— Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries.

— Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting Cost of Market Research/Surveys.

— Scheme of Subsidy for providing Marketing Assistance to Small Scale Units.

— Scheme of Subsidy for Consultancy on use of Non-Conventional Sources of Energy and Energy Conservation Measures.

— Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Village and Small Industries Sector.

Interest Subsidy Schemes

— Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons.

— Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs.

— Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality Control Measures in Small Scale Sector.

— Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology.

4.08 The Consultancy Fee Subsidy Schemes are aimed at providing subsidised consultancy services to industrial units, largely in Village and Small Industries (VSI) sector through Technical Consultancy Organisations (TCOs). The thrust areas in consultancy have been the preparation of feasibility studies, project reports, market research/surveys, market assistance, use of non-conventional sources of energy, energy conservation measures, control of pollution and a package of consultancy services to industries relating to or based on animal husbandry, dairy farming, poultry farming, fishing, agriculture, horticulture, sericulture, pisciculture, etc.

4.09 The Interest Subsidy Schemes are intended to provide encouragement for self-development and self-employment to unemployed youths, women entrepreneurs, adoption of quality control measures, harnessing the indigenously available technology, etc. A special feature added as at the close of the year to these Schemes, effective from 1st July, 1988, is that if the unemployed youths and women entrepreneurs avail themselves of assistance from banks for their enterprises, they also become eligible for interest subsidy on the bank loans obtained by them for meeting their project capital requirements. Earlier this facility was available only in respect of loans provided by State Financial Corporations' or State-level Institutions performing the role of State Financial Corporations.

Assistance by way of Subsidy and Loans granted under Promotional Schemes

4.10 In 1987-88, IFCI disbursed under its Promotional Schemes, subsidy amounting to Rs. 42.67 lakhs benefiting 1,372 projects mostly in the village and small scale industries (including ancillary) sector. Table 15 gives the details of the subsidy disbursements made by IFCI under its various Promotional Schemes during the year 1987-88 and cumulatively upto the 30th June, 1988.

Table 15 : Subsidy Disbursed by IFCI under its various Promotional Schemes

(Rs. Lakhs)

Name of the promotional Schemes	(July-June) Rs.	Cumulative upto the 30th June 1988 Rs.
(1)	(2)	(3)
Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sector for Meeting Cost of Feasibility Studies, etc.	25.92	184.20
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries	0.99	16.81
Scheme of subsidy to new entrepreneurs for Meeting Cost of Market Research/ Survey	4.35	9.53
Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units	0.30	0.44
Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sector	4.28	10.72
Scheme of Subsidy for Implementing the Modernisation Programme of Tiny, Small Scale and Ancillary Units	2.80	3.04
Scheme of Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons	0.32	0.32
Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs	1.31	1.34
Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology	2.40	45.35
Scheme of Assistance for Development of Technology Through in-House R & D Efforts	—	23.50
	42.67	295.25

Support for Industrial Potential Surveys of Non-Industry/ Special Region Districts

4.11 Identification of suitable project opportunities is considered to be an important step for stimulating balanced regional industrial growth. IFCI has been helping this activity by sharing with other all-India Financial Institutions, the cost of Industrial Potential Surveys, feasibility reports, techno-economic surveys, etc., of specified backward districts, in particular, No-Industry/Special Region Districts.

4.12 Upto the 30th June, 1988, the all-India Financial Institutions including IFCI, in consultation with respective State Governments, had assigned industrial potential surveys of 48 No-Industry/Special Region Districts to 14 Technical Consultancy Organisations (TCOs), based on which, 122 project ideas in respect of 45 No-Industry/Special Region Districts involving an investment of Rs. 362.83 crores and an estimated direct employment potential for about 19,591 persons had been passed on to the respective State Governments/ State-level promotional agencies for further necessary action. The funds support provided by IFCI on sharing basis to this activity upto the 30th June, 1988, amounted to Rs. 9.59 lakhs.

Support for Technical Consultancy Services

4.13 As at the beginning of the year 1987-88, 18 Technical Consultancy Organisations (TCOs)—nine under the lead of IDBI, 5 under the lead of IFCI and 3 under the lead of ICICI and one sponsored by Government of Karnataka—were providing a wide spectrum of consultancy and extension services in enterprise setting, particularly in the rural, tiny, small and medium scale industrial sectors. These TCOs together, during the year, 1987-88, had executed 3,604 assignments and cumulatively 27,430 assignments upto the 30th June, 1988 as per details given in the Table 16.

4.14 IFCI's emphasis during the year continued to be on (a) improving the qualitative aspects of TCOs' services, (b) identification of thrust areas for their business development, (c) building up a nexus between training and placement in Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) wherever conducted by them, and (d) providing consultancy support to industries, particularly, in the Village and Small Industries (VSI) sector. The consultancy fee subsidy schemes of IFCI under its Promotional Schemes helped in maintaining, as well as, creating desired thrust in those areas in which consultancy services, particularly, for the Village and Small Industries (VSI) sector, were considered most desirable.

Table 16 : Summary of Operations of all Technical Consultancy Organisations (TCOs)

Nature of assignments	No. of assignments completed (July-June)	Since inception of each TCO and upto the 30th June, 1988
1	2	3
I. Pre-Investment Consultancy Assignments		
Feasibility, Pre-feasibility Studies/ Project Reports, etc.	2,207	12,262
Industrial Potential/Area Development surveys	40	465
Market Surveys	114	549
Project Profiles	545	8,150
Preliminary Fact Finding Studies	3	95
Appraisals	18	1,006
Others	261	1,887
Sub-total (I)	3,188	24,414
II. post investment counsultancy Assignments		
Diagnostic Studies	149	846
Rehabilitation of Sick Units	37	442
Others	53	904
Sub-total (II)	239	2,192
III. Turnkey Assignments/Functional Industrial Complexes, etc.	4	60
IV. Entrepreneurship Development Programmes	173	764
Grand Total (I+II+III+IV)	3,604	27,430

Directory of Industrial Consultants

4.15 The all-India Financial Institutions under IDBI's lead continued to maintain a panel of Industrial and Technical Consultants and list them in a Directory of Industrial Consultants. During the year, 68 new consultants were empanelled and enlistment in additional areas was granted to 15 consultants already empanelled. With this, the total number of consultants empanelled by the Institutions upto the 30th June, 1988, stood at 737.

Support for Entrepreneurship Development

4.16. Entrepreneurship Devlopment involves identification of potential entrepreneurs, developing in them the characteristics/abilities required for entrepreneurial success and providing support to the trained entrepreneurs in all subsequent stages of actual enterprise building. IFCI's contribution in the field of entrepreneurship development has been by (a) sharing the cost of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) conducted by various agencies throughout the country, (b) providing support to the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), an apex level organisation set up and sponsored by all-India Financial Institutions including IFCI and (c) helping in the establishment of Institutes of Entrepreneurship Development (IEDs) at the State or Regional level as per agreed programme.

4.17 During the year, IFCI alongwith IDBI and ICICI supported 148 Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) which included 28 EDPs for Science & Technology (S&T) entrepreneurs. The EDP conducting agencies included the Technical Consultancy Organisations (TCOs) sponsored by all-India Financial Institutions, the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), the State-level Institutes of Entrepreneurship Development (IEDs), and for Science & Technology entrepreneurs, the agencies such as Reg. Engg. Colleges, Technology Institutes, and various other technology-oriented agencies. With this, upto the end of June, 1988, IFCI alongwith IDBI and ICICI had provided/agreed to provide fund support to 894 EDPs benefiting 21,500 potential entrepreneurs.

4.18 The funds support provided by IFCI towards sharing of EDPs' costs, upto the 30th June, 1988, aggregated Rs. 46.99 lakhs, of which a sum of Rs. 19.98 lakhs, the highest ever, related to the year 1987-88.

4.19 The Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), sponsored by all-India Financial Institutions including IFCI, completed its fifth year of operations on the 31st March, 1988 This apex level Institution, set up with the objective of training the EDP trainers, serving as a resources organisation for EDPs at the national level, developing, training and counselling material based on research and new knowledge in relation to the entrepreneurship development experiments and providing support to State-level entrepreneurship development organisation carried out during the year, two model EDPs in Pondicherry and Mizoram, an accredited Trainers' Course (5th in the series) for developing new EDP trainers, five Entrepreneurs' Meets respectively at Shimla, Guwahait, Hyderabad, Goa and Bangalore, a national Trainers' Meet (2nd in the series), the first ever Chief Executives' Conference of EDP conducting as also supporting agencies, 11 EDP Appreciation, Orientation and Special Training Programmes, and provided professional support to 24 organisations in respect of various facets of EDPs. EDII also executed five international assignments, one each at Tonga (Pacific Island), Ghana, Abidjan (Ivory Coast), Philippines and one International Course for Trainer-Motivators at its own campus at Ahmedabad (India). A significant contribution of EDII during the year was bringing out a publication titled 'Developing New Entrepreneurs'. It also undertook a series of steps to create suitable awareness amongst the school and college students so that the potentials among them could be harnessed towards the entrepreneurial activities at the right time Based on EDII's endeavours, the Government of Gujarat during the year introduced entrepreneurship as a component in the vocational group of subjects for educational at he higher-secondary level.

4.20 IFCI upto he end of June, 1988, had provided resource support to EDII of the order of Rs. 84.25 lakhs, of which a sum of Rs. 11.75 lakhs was made available in 1987-88.

4.21 The all-India Financial Institutions including IFCI have also agreed to support the estabblishment of State-level Institues of Entrepreneurship Development (IEDs) in Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, and North Eastern Region.

4.22 IED, U.P., which was established in February, 1986 at Lucknow, had conducted upto the June end, 1988, 31 EDPs/ other programmes covering 1,032 participants. It had also been undertaken research on the subject of 'Entrepreneurship in Tourism Industry in Eastern Utar-Pradesh and a study relating to development of small scale industry in the districts of Aligarh, Moradabad and Mizapur of Uttar Pradesh. IED, U.P., was also bringing out regularly a bi-lingual newsletter 'Udyamita' with a view to bridging the gap between beneficiaries support system and local trainers. It had also brought out, for the first time, a book on Entrepreneurship Development in Hindi known as 'Udyamita Vikas Ka Badalta Swarup' IED, U.P. had also produced few video films for training and motivating the fledgeling entrepreneurs.

4.23 IED, Bihar, which was established in March, 1987, was able to conduct five programmes during the year 1987-88 in association with other agencies. Of these, two programmes were in the form of seminars for operational executives, one was an EDP exclusively for women and the other two programmes were in the nature of extension-motivation programmes and industrial guidance camp organised for the ex-servicemen. EDII, Ahmedabad has since drawn up a comprehensive Action Plan for entrepreneurship development activity in Bihar. It envisages selection of trainees, identification of service areas and conducting of 20 Entrepreneurship Development Programmes and 20 orientation programmes in the next two years.

424 IED, Orissa, set up in March, 1987 became operational from May, 1987. During the period ended the 30th June, 1988, IED, Orissa had initiated and handled 18 EDPs, two Management Development Programmes (MDPs) besides organising a seminar, a workshop and a product exhibition. Out of 18 EDPs conducted during the year, 16 had been completed covering as many as 491 fledgeling entrepreneurs.

4.25 IFCI, upto the June end 1988, had provided resource support to State-level IEDs of the order of Rs. 12.25 lakhs, of which, Rs. 3.75 lakhs was provided in 1987-88.

Support for Risk Capital, Venture Capital and Technology Finance

4.26 In the area of broadening the entrepreneurial base, the support for risk capital assistance has its own significance. It was with this philosophy that IFCI had sponsored in 1975, Risk Capital Foundation (RCF), which was converted in its 12th year of existence, into a company known as 'Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd.' (RCTC).

4.27 RCTC, which came into existence with effect from the 12th January, 1988, has been vested with, and authorised to continue with, all business and activities being carried out by RCF hitherto, together with all its assets, actionable claims, rights, privileges, debts and liabilities. RCTC has an Authorised Share Capital of Rs. 25 crores and proposes to raise its paid-up capital to Rs. 5 crores within the next three years. In addition to its paid-up capital, RCTC continues to be supported through the grants and loans available under the Interest Differential Funds (IDFs) by IFCI.

4.28 Table 17 gives a synoptic view of RCF's (now RCTC) operations during its financial year ended the 31st December, 1987, thereafter for the half year ended the 30th June, 1988, and, cumulative data relating to sanctions as well as disbursements since its inception and upto the 30th June, 1988.

Table 17 : Sanctions and Disbursments of Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC)

Particulars relating to RCTC's Risk Assistance	(Jan-Dec)	(Jan-June)	Cumulatively upto 30th June, 1988
1	2	3	4
(i) Projects sanctioned (Nos.)	25 (19)	19 (14)	156 (127)
(ii) Enterpreneurs involved with (i) above (Nos.)	43 (36)	30 (21)	264 (213)
(iii) Net Sanctions (Rs. lakhs)	406.20 (290 94)	264 00 (200.50)	1,861.48 (1,404.18)
(iv) Disbursemets (Rs. lakhs)	350.94 (267.77)	78.30 (81.25)	1,322.48 (974.49)

Note : Figures in brackets pertain to the data in the corresponding previous period.

4.29 The projects whose promoters were assisted by RCTC during the year 1987 and during half-year ended 30th June, 1988 included hi-tech areas like manufacture of Electronic push-button telephones, Disposable hypodermic needles, Magnetic Ink Character Recognition (MICR) cheques and other computer stationery, Nickel cadmium batteries, Seamless steel high pressure tubes. Multilayer flexible laminates, Red Mud PVC/corrugated/plain roofing sheets, Dot matrix/Daisy wheel printers, Detonators, Public Pay Phones, Red Mud PVC pipes, etc. The other highlights of operations of RCF/RCTC during the same period were that 70% of projects, which were sanctioned assistance, were in notified backward/less developed areas and RCP/RCTC's assistance portfolio included 5 women entrepreneurs, bringing the total number of women entrepreneurs assisted by it to 8.

4.30 A study recently made about RCTC's assistance in respect of 144 promoters, who were sanctioned assistance during the last four years, i.e., from the year 1985 and onwards reveals the following :—

- Assistance sanctioned to technocrat entrepreneurs constituted 57% of the total assistance sanctioned.
- Number-wise, 55% of the promoters assisted were technician-entrepreneurs.
- Number-wise, 47% of the promoters were from service background followed by 41% of the promoters who had graduated from small scale sector to medium scale sector.
- Age-wise, 42% of the promoters belonged to age group upto 35 years and 41% within the age group of 36-45 years.
- 30% of the projects promoted by the RCTC assisted promoters were either those which had adopted new technology or envisaged manufacture of new products.

4.31 In its new role, RCTC, apart from providing assistance in the form of risk capital is expected to provide finance for hi-tech projects in the form of venture capital and for technology upgradation and development.

4.32 The accent in technology finance is to be on funding the following activities : –

(a) Proving of substantially innovative technologies, products, processes, markets, services, technological upgradation, energy conservation, control of environmental pollution and supporting infrastructure for advanced or complex technologies developed either through in-house (R & D) efforts, or in recognised research laboratories and Centres of higher learning, to the commercial stage, entailing customer acceptance and/or acceptable production economies. These may include the setting up of pilot plants, demonstration scale plants and studies, R & D activities, specialised training, proto-type manufacture and evaluation, providing of quality and market acceptability, etc.

(b) Meeting the expenditure of national, international consultants/institutions for substantial product/process/technology improvement and innovation.

(c) Sponsored commercial R & D programmes.

4.33 To begin with, finance for technology is proposed to be extended to viable proposals and projects which are capable of completion within a short period emanating from units in the corporate and co-operative sectors, industrial associations and trusts. Preference is proposed to be given to units with proven track record in innovation and having the requisite technological and managerial strengths. Assistance can also be considered for new ventures for development and utilisation of innovative technologies. Assistance may be in the form of short term conventional loans or interest-free conditional loans allowing profit and risk sharing with the project sponsors. The short term concessional loans for technology-oriented schemes may carry rate of interest at 6% per annum during the development period, to be stepped up thereafter, over a period, depending on the evaluation of the likely cash generation, to 14%. The direct subscription, if any, to the equity of the project may be required to be accompanied by suitable arrangements to enable the promoters to buy-back the equity shares held by RCTC. The total assistance from RCTC under the Technology Finance Scheme for a single project/Scheme would be need based and the type/mix of assistance would be decided on merits of the proposal including various factors, such as, nature of project, nature of technology, risk involved, promoters' contribution/track record, etc.

4.34 Both in the area of Risk Capital Assistance and Technology Finance, the trail-blazer technocrats/professionals taking on ventures with high risk and higher returns would be encouraged having regard to the distinctive features of their Schemes, for example, new technology (specially if developed domestically), new products, new markets, new usages, and new specialised services, etc. Preference will be given to viable proposals, consistent with the national objectives and priorities of economic/technological development. Special consideration is to be attached to high priority

industries/projects having (a) export potential, (b) industries identified as thrust areas in the Five Year Plans of the country and (c) those industries/technologies which would have a significant impact on the economy of the country.

4.35 In its new role, it is expected that RCTC would not only continue to broadening the entrepreneurial base in the country, but also contribute to the improved technological base of Indian industry thereby strengthening its national and international competitiveness.

4.36 So far, the funds support to RCTC has been totally provided by IFCI. Upto the 30th June, 1988, IFCI had allocated funds amounting to Rs. 1,610.36 lakhs against which Rs. 1,249.92 lakhs had already been disbursed by IFCI to RCTC.

Support to Science & Technology Entrepreneurs' Parks

4.37 Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs) seek to establish an effective interface between Science & Technology Institutes and industries with a view to promoting and nurturing applied research and translating it into product development.

4.38 A mention was made in the last year's report about IFCI's participation in the establishment and funding of STEPs in the country in furtherance of IFCI's promotional role. In pursuance of the above, IFCI during the year 1987-88 made a contribution of Rs. 15.91 lakhs being its share in the disbursements made by IDBI as grants to the Birla Institute of Technology STEP (BIT-STEP), Ranchi, Regional Engineering College STEP (REC-STEP) Tiruchirapalli, National Entrepreneurs' Chemical Park (NECP), Bombay and Harcourt Butler Technological Institute STEP (HBTI—STEP), Kanpur.

4.39 During the year, IDBI, as the lead Institution accorded approval to the funding of another STEP sponsored by Shri Jayachamarajendra College of Engineering, Mysore (STEP-SJCE). This STEP project costing Rs. 269.30 lakhs is being funded by SJCE, Karnataka State Government, Government of India, Department of Science & Technology, Karnataka State Financial Corporation, State Bank of India and all-India Financial Institutions. The thrust area of this STEP is to be electronics and instrumentation, in which it would offer R & D and product development facilities to science & technology entrepreneurs.

Support for Management Development

4.40 Management is a crucial input for the success of any venture. Alongside the production or goods and services, the country needs managerial ability and managerial talent of the highest order. The Management Development Institute (MDI) was, therefore, set up by IFCI, fifteen years ago, with the sole objective of developing and upgrading the managerial ability and managerial talents of the practising managers in private, public, joint and co-operative sectors of the industry, as also of commercial and development banks in the banking sector. Training programmes with a unique blend of academic and practical orientation alongwith research and consultancy continued to be the important area of service rendered by MDI.

4.41 During the year 1987, and thereafter, during the six months period ended the 30th June, 1988, MDI conducted 102 Management Development Programmes in which, a total of 2,259 participants benefited. These programmes included *inter alia*, four programmes for IAS officers in the area of 'Financial Management' and 'Decision Making'. Two general management programmes were sponsored by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, for the Indian Economic Service officers. The facilities in MDI also continued o be utilised by the U.P. State Electricity Board for their engineer trainees for whom as many as 8 programmes were conducted during the year. MDI also conducted a number of in-company sponsored programmes for various organisations, viz., Bureau of Indian Standards, Hindustan Machine Tools Ltd., Industrial Reconstruction Bank of India, Andhra Pradesh Industrial Development Corporation, Mahanagar Telephone Nigam Ltd., Trade Fair Authority of India, etc. Cumulatively upto the 30th June, 1988, MDI had conducted 865 Management Development Programmes benefiting 20,821 participants of whom 536 were from other developing countries.

4.42 In the area of consultancy and research, the highlights of MDI's assignments were (a) a study of the organisational structure of development bodies in the Andaman & Nicobar Islands as also Lakshadweep Islands sponsored by Planning Commission, (b) Inter-Firm Comparison Study sponsored by IDBI, (c) Post-Harvest System for Apple Crop in Himachal Pradesh sponsored by International Development Research Centre (IDRC), Canada, (d) Study on Manpower Requirements in Traffic Police Organisation sponsored by Delhi Traffic Police Authorities, (e) Research Study on District Industries Centres (DICs) for five States, viz., Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana and Punjab, sponsored by Development Commissioner, Small Scale Industries (DCSSI), Government of India, and (f) Problems of Local Entrepreneurs initiated by MDI itself.

4.43 It was mentioned last year that MDI had been approved by the Government of India, Department of Personnel and Training as an agency for conducting the first ever-intensive 15-month National Management Programme (NMP) for Government officers belonging to IAS/Group 'A' services as well as executives of public and private sector organisations having potential to acquire top positions. An announcement in this regard was made by Shri P. Chidambaram, Hon'ble Minister of State for Home, Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, on the 9th September, 1987, Infrastructural facilities, therefore, were added during the year in MDI Campus, the cost of which was shared both by Government of India and IFCI. Shri N. D. Tiwari, the then Hon'ble Minister for Finance and Commerce, Government of India, consecrated the Phase II construction of MDI's buildings by laying the foundation Stone for the new library block on the 16th June, 1988. Effective from the 1st July, 1988, the National Management Programme (NMP) has started in MDI in which the four Institutes of Management at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and Lucknow and Xavier Labour Relations Institute at Jamshedpur are also co-operating. The Chairman and the Executive Chairman of this National Management Programme are Dr. N. C. B. Nath and Prof. S. L. Rao respectively.

4.44 MDI also had its Foundation Day Lecture delivered by Shri P. Chidambaram Hon'ble Minister of State for Home, Personnel, Public Grievances and Pensions on the 22nd November, 1987 on the subject of "Managing the Economic Change."

4.45 IFCI's financial support to MDI in 1987-88 was of the order of Rs. 166.46 lakhs exclusive of yearly contribution of Rs. 5 lakhs from IFCI's General Fund. Cumulatively, upto the 30th June, 1988, IFCI had provided financial support to MDI out of Benevolent Reserve Fund (BRF) and Interest Differential Funds (IDFs) to the extent of Rs. 796.99 lakhs and out of its General Fund Rs. 75 lakhs.

Promotion of Research

4.46 For promoting research in specified areas, IFCI has endeavoured over the years to build up a good nexus with the Universities and Management Institutes in the country. Six 'Chairs', one each at the University of Bombay, Calcutta, Delhi, Guwahati and Madras and one at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA), have been created and are in operation. During the year, annual public lecture under the auspices of IFCI Chair was delivered by Dr. P. C. Goswami, University of Guwahati, on the subject of 'Rural Development Programmes and Role of Commercial Banks—A Study on North-Eastern India.'

4.47 At Calcutta University, a research project on the subject of 'Behaviour of Capital-Output Ratios and its Causative Influence on Sickness in Light Enginering Industry in West Bengal' was completed in March, 1988.

4.48 At the Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, IFCI Chair Professor, Shri S. C. Kuchhal assisted World Bank team in its study of "Financial Management Problems of Public Sector Enterprises". Prof. Kuchhal has delivered the Annual Lecture on the subject "Managing Productivity of Corporate Capital : A New Approach to its Measurement" at IIM, Ahmedabad on the 22nd July, 1988

4.49 At Delhi University, a research project on 'Management of Productivity in Jute and Mini-Steel Industries', sponsored by IFCI, was under way as at the end of June, 1988.

4.50 At the University of Madras under the auspices of IFCI Chair, as at the nd of the year, one long term research project on the subject 'Project Risk Analysis by Development Banks' and three short-term projects on the subjects of 'Promotonal Role of Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Ltd. (SIDCO)', 'Evaluation of Chit Fund Schemes' and 'Funds Management in Development Banks' were under way.

4.51 At the University of Bombay, Research Studies on the following topics were concluded during the year 1987-88 :

— Market for New Issues in India.

— Off-shore Banking in India.

— Socio-Economic Impact of Financial Institutions' Investment is Sugar Co-operative in Maharashtra.

Research studies on (a) Merchant Banking in India and (b) Development Banking and Economic Development of Backward Areas have reportedly been undertaken under IFCI Chair at Bombay. Dr. R. S. Sabnis, the Chair Professor is likely to deliver the Annual Lecture on the topic of 'Some Aspects of Development Banking and Policy in India' on the 19th September, 1988.

4.52 For promotion of research-oriented activities, IFCI also made a contribution of Rs. 3 lakhs to Research and Information Systems for Non-aligned and other Developing Countries, New Delhi and a sum of Rs. 0.50 lakhs to Indian Econometric Society, Bangalore. It also agreed to provide funds support of Rs. 10 lakhs each to Professional Assistance for Development Action (PRADAN), New Delhi and Centre for Multi-Disciplinary Development Research (CMDR) at Dharwad (Karnataka) towards their corpus fund respectively.

CHAPTER 5

FOUR DECADES OF IFCI—EVOLUTION AND IMPACT

5.01 The year ended the 30th June, 1988 marked the completion of four decades of IFCI's service to the growth and development of Indian industry, synchronising, more or less, with the achievements and economic development of the country during the course of 40 years of its freedom. An attempt has been made here to briefly review IFCI's functioning in relation to its role and tasks envisaged for it, from time to time during these four decades.

ROLE

5.2 Set up in 1948, with the objective of making medium and long-term credits more readily available to eligible industrial concerns in India, particularly in circumstances where normal banking accommodation was inappropriate or recourse to capital issue methods was impracticable, the role of IFCI was initially defined in the following words, when the first Finance Minister of Independent India moved the Industrial Finance Corporation Bill in the Constituent Assembly on the 20th November, 1947.

> "With the inauguration of Independent Dominion of India and our anxiety to go ahead full speed with the industrial development of the country, the setting up of an industrial Finance Corporation has acquired a new significance and urgency which is further emphasised by the recent unfortunate occurrences which have dislocated economic life in certain parts of the country .....the Bill which is now before the House, however, is not intended to meet the requirements of basic and nationalised industries but only to provide finance to meet the long-term needs of private industries".

The Hon'ble Minister of Finance had further elaborated, as under :

> "I must frankly say that the objective of this Bill is to set up a Finance Corporation for the purpose of financing the large scale industries in this country.... It is my intention, after this Bill has been placed on the Statute Book, to persuade the Provincial Governments to set up similar Industrial Finance Corporations in each Province and also to persuade the existing States—at least the major States—to set up corresponding Corporations within their jurisdictions. Such Provincial and State Financial Corporations will be expected mainly to finance small scale industries".

Since then, in tune with growing requirements of the country, IFCI's role and functions have undergone many changes, with the amendments made, from time to time, by the Parliament of the country to its Charter, viz., Industrial Finance Corporation Act, 1948. IFCI's operations over the years reflect in a modest, but significant measure, the pattern of industrial development and growth that have taken place during the last forty years after the country's independence.

The First Decade (1948-58)

5.03 With no precedents or set procedures to fall back on, the operations of IFCI in its first decade were in the nature of building up a small but effectively organisational framework, developing its own norms, parameters, systems and procedures for evaluation and monitoring of the industrial projects and evolving its terms and conditions including documentation on which it could provide financial assistance.

5.04 The initial years during the period 1948-58 were the years of turbulence in the history of the country and teething troubles for IFCI. The silver-lining factor was the determination and zeal of the leaders of the country to take India ahead, and, of founding fathers of IFCI, to see, the only organization of its kind, to grow. The first Statement on Industrial Policy came out during this period in the form of a Government Resolution on the 6th April, 1948 which laid emphasis on State programmes by active role in the development of industries. Next came the Industries (Development & Regulation) Act which was placed on the Statute Book in 1951. The period also saw the first Fiscal Commission appointed by the Government of India in April, 1949, the statement of the first Prime Minister of the country Pt. Jawaharlal Nehru on participation of foreign capital in industries on the 6th April, 1949, the country becoming a Republic in 1950, the setting up of a Planning Commission in 1951, the passing of State Financial Corporations Act in 1951 leading to the establishment of State-level Corporations for providing financial assistance largely to industries in the small scale sector, the socialistic pattern of society being declared in December, 1954 as the goal of socio-economic policy, the historic Industrial Policy Resolution of the 30th April, 1956 and the enactment of a fresh and consolidated legislation on the company law, which came into force from the 1st April, 1956. The period also witnessed the implementation of the First Five Year Plan (1951-56) and introduction of the Second Five Year Plan (1956-61). All these events had a considerable bearing on the operations of IFCI.

5.05 The entire working of IFCI during this period was subject to strict surveillance of the Government of India; though its share capital was held 20% by the Central Government, 20% by the Reserve Bank of India, 25% by Scheduled Banks, 25% by insurance companies, investment trusts, etc., and 10% by co-operative banks. IFCI could not enter under its Statute any arrangement with a single industrial concern for an amount equivalent in the aggregate to more than 10% of its paid-up share capital and in no case exceeding Rs. 50 lakhs. Since expectations were high and constraints were many, the Industrial Finance Corporation Act, 1948 was amended during this period four times by IFC (Amendment) Acts and three times by other enactments. The limit of assistance to any single industrial concern was raised from Rs. 50 lakhs to Rs. One crore and any assistance exceeding Rs. One crore required the approval and guarantee of the Government of India. In September, 1956, the Central Government issued a Directive to IFCI directing it to refer to Government all cases where the total amount of loans granted to industrial concerns which were owned, managed or controlled by a closely connected group of industrialists exceeded Rs. 1 crore. However, the amendments made in 1957 enabled IFCI to guarantee deferred payments due from industrial concerns in connection with imports made

by them of capital goods from outside India. The borrowing powers of IFCI were also increased from 5 times of its paid-up capital plus reserves to 10 times.

5.06 It was in the aforesaid set of circumstances that IFCI commenced its operations, and starting with a modest business of Rs. 3.25 crores in the first year of its operations, completed the first decade of its existence with total sanctions of the order of Rs. 52.80 crores and disbursements against them of the order of Rs. 34.84 crores.

5.07 The end of the first decade of IFCI was also marked by two important events. Firstly, IFCI, for the first time, entered, in the year ended the 30th June, 1958, in the underwriting business jointly with the industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., (ICICI), which had come into existence in 1955, and the Life Insurance Corporation of India, which had been established in 1956, and underwrote an issue of 6½% (subject to tax) redeemable and convertible debentures for Rs. 1.60 crores. And secondly, IFCI also entered, for the first time, in the business of guaranteeing deferred payments with the approval of the Central Government.

5.08 In the initial years of its operations, right upto 1956, IFCI had to draw subvention from the Government of India to pay the guaranteed dividend except for the year 1953. No subvention was drawn in 1957, in the year 1958, not only no subvention was drawn from the Government, but for the first time, a sum of Rs. 5.45 lakhs was paid over to Government as the first instalment of the repayment of the amounts drawn in previous years. By the end of the first decade, IFCI was thus able to gain considerable financial strength and wisdom to make its operations consistently profitable and respectable.

The Second Decade (1958—68)

5.09 The second decade of operations of IFCI could be regarded a decade of 'growth with stability'. The IFC Act was amended firstly in 1960 enabling it to guarantee (a) loans raised by industrial concerns from scheduled banks or state co-operative banks. (b) deferred payments due from industrial concerns in connection with their purchase of capital goods both within and outside India, and (c) foreign currency loans and making direct subscriptions to the stocks or shares of an industrial concern. The provision requiring the Central Government's guarantee for granting accommodation in excess of Rs. 1 crore was deleted, but loans in excess of Rs. 1 crore still required the approval of the Central Government, though not the guarantee of the Central Government.

5.10 In 1963, the Unit Trust of India Act was passed and IFCI was authorised to contribute to the initial share capital of the Unit Trust of India established under the said Act. In 1964, the Industrial Development Bank of India (IDBI) came on the scene with the passing of the Industrial Development Bank of India Act, 1964, as a principal apex Financial Institution for co-ordinating, in conformity with national priorities, the working of institutions engaged in financing, promoting or developing industry and exercising supervision over thier affairs. The shares held in IFCI by the Reserve Bank of India and the Central Government were authorised to acquire additional IDBI and the latter was authorised to acquire additional shares so as to bring its shareholding to 50% of the paid-up capital. IDBI had also the authority to nominate 4 directors on the Board of IFCI and also to issue directives on questions of policy. IFCI was also made eligible to sorrow funds from IDBI. The limit of loan assistance which IFCI could sanction to a single industrial concern was raised from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores and only assistance above Rs. 2 crores sanctioned by IFCI required the approval of IDBI.

5.11 The second decade of IFCI's existence also saw the implementation of the Second Five Year Plan (1956-61), the Third Plan (1961-66) and two Annual Plans pertaining to 1966-67 and 1967-68. Despite constraints of resources IFCI in tune with the Plan priorities, was able to enlarge its business, both scope-wise and coverage wise. It was for the first time on the 7th December, 1960 that IFCI raised a loan of 10 million US $ from the Development Loan Fund of USA Government and started granting foreign currency loans as well. A second loan of US $ 20 million was raised in June, 1962. IFCI was also sanctioned, for the first time, a Line of Credit in West German currency to the extent of 15 million DM by Kreditanstalt-Fur Wiederaufbau (KFW), Frankfurt/Main, Federal Republic of Germany, in the year ended the 30th June, 1962. Thereafter, practically every year, IFCI has been fortunate in securing Lines of Credit from KFW regularly. On the 20th October, 1962, a protocol was also signed by IFCI with the Banque Francaise Du Commerce Exterieur (BFCE), Paris, for financing the import of capital goods from France. A sum in Yen equivalent to US $ 2 million was also allocated by the Central Government to IFCI during this period which, however, could not fructify. By the end of its second decade of operations, IFCI had six DM Lines of Credit from KFW aggregating DM 92.50 million, apart from the three lines aggregating US $ 40 million (later reduced to US $ 33.63 million) sanctioned by Development Loan Fund of USA (later re-named as Agency for International Development (AID), (USA)) and Equipment Credit of 50 million French Francs sanctioned by BFCE, France.

5.12 The total sanctions of IFCI in its second decade comprising all rupee and foreign currency loans, underwriting and direct subscriptions and guarantees for deferred payments as also foreign currency loans were of the order of Rs. 272.79 crores marking nearly five times increase in the sanctioned assistance compared with the total sanctions of assistance in the first decade. The disbursements during this decade aggregated Rs. 262.95 crores which were about 8 times of the total disbursements made in the first decade. IFCI had thus gained maturity as well as experience.

The Third Decade (1968—78)

5.13 The third decade of IFCI's operations was a decade of 'growth with some innovative and qualitative thrusts.' The factors that helped IFCI in this regard were :

(i) Perfection of inter-institutional co-ordination mechanism under the aegis of IDBI with fora like inter-Institutional Meetings (IIMs) and Senior Executives' Meetings (SEMs) of all concerned Financial Institutions;

(ii) Providing considerable flexibility in the operations and removal of various constraints and controls by the enactment of IFC (Amendment) Act, 1972 (74 of 1972);

(iii) Introduction of the concept of consortium financing and lead institution concept in the project financing operations;

(iv) Greater co-ordination between the term lending institutions *inter-se* leading to standardisation of common formats of application for financial assistance as also of legal documents.

5.14 A qualitative thrust was also given to the process of industrialisation and development finance by the Government. In January, 1969, the Government allowed IFCI to assist the 'public sector' companies on par with other industrial concerns seeking assistance from IFCI. 1969 also saw a sea-change in the control of the credit system by the Government when 14 major commercial banks were nationalised with the objective of providing banking and credit services to all sectors of economy and all corners of the country. In 1971 the concept of establishing industrial undertakings in the 'joint sector' came into being which was allowed for purpose of project financing. In the light of the recommendations of the Industrial Licensing Policy Enquiry Committee, for the first time, the concept of option of 'converting loans into equity' was introduced alongwith strengthening the 'mechanism of nominee directors.' A legislation known as Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 was brought on the Statute Book. The company law was amended to abolish the Managing Agency System from the 3rd April 1970 and the Industrial Licensing Policy was given a fresh look in the light of the recommendations of the Industrial Licensing Policy Enquiry Committee on the 18th February, 1970. Two Statements on Industrial Policy were issued on the 2nd February, 1973 and the 23rd December, 1977. The decade also witnessed a Statement on the Textile Policy and policy relating to sick units in the country.

5.15. The decade 1968—78 would be remembered for the qualitative thrust given to the process of financing of industries and IFCI's role as a Development Bank or Development Finance Institution encompassed new vistas. For the first time, the sectoral base of the assistance sanctioned was broadened so as to cover public sector and joint sector units also in addition to the co-operative and private sector units. Priority was accorded to projects promoted by first generation entrepreneurs, particularly the technologists and professionals, as also to those projects, which were being set up in notified backward districts/areas. A Scheme of Concessional Finance for projects in notified backward districts/areas came into existence for the first time as a part of determined mission to correct regional imbalances in industrial development. A scheme of providing modernisation assistance on soft terms known as Soft Loans Scheme was introduced for modernisation of five industries, viz., cement, sugar, engineering, jute and cotton textiles.

5.16 Along-side the qualitative thrust given in the project financing operations, the biggest contribution of IFCI in this decade was towards Promotional Activities, made possible through the provision of Benevolent Reserve Fund (BRF) in the IFC Act, 1948, and generous availability of Interest Differential Funds (IDFs) from Government of India under KfW Lines of Credit. It was in this decade that IFCI sponsored the Management Development Institute (MDI) to serve the cause of development of managerial manpower and upgradation of managerial skills in all sectors of industry and banking. With a view to developing nexus with the Universities and Management Institutes in the country, IFCI Chairs were created for promoting research and development in specified areas. For broadening the entrepreneurial base of the country, the Risk Capital Foundation (RCF) sponsored by IFCI, began its operations in June, 1976. RCF was a unique experiment, the first of its kind in terms of which the upcoming technologists and new entrepreneurs were provided interest-free loans to enable them to supplement their resources for meeting the promoters' contribution stipulated by all-India Financial Institutions. For providing consultancy services, particularly to the small and medium scale sector, the concept of establishment of Technical Consultancy Organisations (TCOs) took birth in this period, and saw a number of TCOs coming up well. A few Promotional Schemes were specifically designed by IFCI to provide encouragement and support for the growth of small scale and ancillary industries through the instrumentality of TCOs. A Technical Assistance Scheme for developing the managerial resources of the State-level organisations and the concept of having a Directory of Industrial Consultants (under the lead of IDBI) was also developed and implemented during this period.

5.17 1968—78 was the decade when IFCI also celebrated its Silver Jubilee in 1973 marking 25 years of its dedicated service to Indian industry and instituted *'IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture'*. For the first time, IFCI held conferences of its clients in the co-operative and corporate sectors. In the international arena also, IFCI carved a a place for itself by being the founder-member of Association of Development Financing Institutions in Asia and Pacific (ADFIAP).

5.18 Quantum-wise, the total sanctions and disbursements of IFCI during this decade aggregated only Rs. 487.14 crores and Rs. 377.62 crores respectively. Though, these were not equal to even two times of the total sanctions and disbursements accorded in the second decade, but their significance lay in giving, as stated earlier, a qualitative thrust to IFCI's operations and fulfilling in larger sense the objectives laid down in the National Plans and Industrial Policy Statements issued during the period.

5.19 During this decade, in the year ended the 30th June, 1971, the General Reserve Fund of IFCI, became equal to its paid-up share capital. Therefore, for the first time, IFCI declared a dividend higher than that guaranteed by Government on the shares. This was, of course, upto the maximum permissible limit of 5%. Later, when the restriction on the dividend to be declared was removed, IFCI started stepping up its dividend rate, a process which has been progressively continuing since then.

The Fourth Decade (1978—88)

5.20 The fourth decade of IFCI's operations has been a decade of substantial 'growth with diversification.' IFCI's total sanctions and disbursements in this decade have been of the order of Rs. 4,492.90 crores and Rs. 2,936.73 crores respectively. These are around five times of the sum total of sanctions and disbursements for previous thirty years taken together. The factors which have helped in achieving such spectacular performance in the decade ended the 30th June, 1988 are :

— Emphasis on industrialisation given in the Sixth and Seventh Five Year Plans with larger allocation of funds for the purpose.

— Statement on Industrial Policy issued on the 23rd July, 1980 giving thrust on optimum utilisation of installed capacity and expansion of industries.

— Measures taken by the Government to strengthen the capital market and to provide new and attractive opportunities both for savings and investments.

— Amendments to Industrial Finance Corporation Act in 1982 and 1986 which enlarged the scope of activities of IFCI and allowed considerable flexibility and ease.

— Process of liberalisation by Government culminating in the relaxation of fiscal and administrative controls, yielding place to flexibility with accountability.

— Enactment of a special legislation for dealing with the sick industrial companies and removing clearly the fear of nationalisation or takeover which had loomed largely in the mind of industry in the earlier decade.

— Substantial relaxations allowed by the Government in the 'convertibility' guidelines.

— Upgradation of the existing offices of IFCI and opening of more offices so as to provide efficient and fast services to the clientele.

— Decentralisation of work and delegation of wide powers on a large scale to the executives.

5.21 IFCI, during this decade, took bold and quick decisions to diversify its business as also the business mix. A number of new Schemes in the realm of industrial financing were added, one by one, almost every year. Mention in this regard may be made of the Equipment Finance Scheme, Modernisation Assistance Scheme, Creation of specific funds for development and modernisation of sugar, textile and jute industries, Concessional Finance Scheme for manufacture and use of alternate and renewable energy sources, Incentives Schemes for 100% and other export-oriented units based on their export performance, Scheme of financing the Industrial Estates in the corporate and co-operative Sectors, Scheme of financing Corporate Hospitals and Multi-Disciplinary Health Centres, Scheme of financing Leasing and Hire Purchase Concerns, Scheme of Non-Revolving Line of Credit to machinery/equipment manufacturing concerns for sale of their equipment to actual-user concerns, Scheme of Equipment leasing and providing of Merchant Banking and Advisory Services.

5.22 Greater emphasis in this decade was paid on streamlining the procedures, simplification of the documents and removal of redundancy in the work procedures. The Project Finance Participation Scheme (PFPS) of consortium financing, based on lead institution concept, was extended to all types of assistance including the grant of foreign currency loans, underwriting and direct subscription to share capital, and the entire documentation for the financial assistance was considerably simplified. The practice of accepting only English Mortgage was replaced by accepting Equitable Mortgage of assets as a rule, in all cases, for good. In

case of projects/concerns sponsored in Public/State/Co-operative Sector where 100% unconditional guarantee of the Central/State Government was available to the Institutions for the assistance extended by them, the practice of requiring mortagage charge on fixed assets was dispensed with.

5.23 For the first time, during this decade, IFCI, with the approval of the Central Government, entered the international capital market, to augment its foreign currency resources. An agreement was signed on the 24th July, 1984, between IFCI and the Continental Bank S.A./N.V. Brusels (Belgium) acting as Manager & Agent for other participating Banks/Financial Institutions for raising an Euro-currency loan of U.S. $ 20 million. The raising of this loan marked the opening of a new era in the history of IFCI. Within four years, IFCI's cumulative commercial borrowings had reached U.S. $ 270 million, Japanese Yen 20 billion and DM 15 million.

5.24 Cumulative effect of IFCI's operations was, that as on the completion of its 40th Anniversary IFCI had in its assistance portfolio 2,857 projects with total sanctions of the order of Rs. 5,305.63 crores. Table 18 and Table 19 present a synoptic view of the growth of IFCI's business and activities as also financial highlights pertaining to the last four decades.

Table 18 : Decade-wise growth of IFCI's operations

(Rs. in Crores)

Decade	Sanctions		Disbursements		
Basis July-June	During the decade	Cumulative as at the end of the decade	During the decade	Cumulative as at the end of the decade	Outstanding as at the end of the decade
1	2	3	4	5	6
1948-58	52.80	52.80	34.84	34.84	28.94
1958-68	272.79	325.59	262.95	297.79	187.27
1968-78	487.14	812.73	377.62	675.41	357.10
1978-88	4,492.90	5,305.63	2,936.73	3,612.14	2,867.73

Plan-wise Analysis of IFCI's Operations

5.25 A significant feature of IFCI's operations has been that they have been carried out keeping in view the national economic and social policies enunciated by the Government of India from time to time. The overall policy framework and operations of IFCI have remained integrated with the objectives and targets set in various Five Year Plans of economic and social development. The way, IFCI has been able to keep pace with the tempo of industrialisation in the country during each of the Plan periods, can be gauged from the assistance sanctioned and disbursed by it as given in Table 20.

Table 19; Decade-wise —Highlights of IFCI's Financial Performance

(Rs. in Crores)

As on 30th June	First Decade 1948-58		Second Decade 1958-68		Third Decade 1968-78		Fourth Decade 1978-88	
	1953	1958	1963	1968	1973	1978	1983	1988
Profit before tax	0·23	0·53	1·67	3·56	4·52	8·58	27·02	68.88
Net Profit	0·14	0·28	0·83	1·58	2·90	5·47	17·31	52·66
Assets								
– Investments	—		5·07	16·37	18·64	25·56	45·82	103·03
Loans & Advances	9·86	28·94	59·76	141·28	185·15	330·18	864·73	2,733·21
– Guarantees and Underwriting contracts	-	0·75	14·47	31·44	13·45	2·45	2·40	22 92
—Cash and other Assets	2·72	4·82	2·71	4·72	16·46	31·62	74·78	365·40
Total	12·58	34·51	82·01	193·81	233·70	389·81	987·73	3,224·56
Liabilities and Shareholders Fund								
—Share Capital	5·00	5·00	7·00	8·34	10·00	10·00	22·50	70·00
—Reserve & Surplus	0·26	0·72	3·18	9·70	22·46	31·07	66·93	225·62
- Borrowings by issue of Bonds	5·80	12·37	28·24	43·30	85·18	244·14	689·30	2,083·80
- -Borrowings from Government, RBI and IDBI	1·05	15·00	24·75	72·25	72·15	54·35	96·60	70·73
—Borrowings in Foreign Currency	—	—	2·19	22·50	23·40	22·58	59·67	611·15
—Contingent Liability (Guarantee and underwriting contracts)	—	0·75	14·47	31·44	13·45	2·45	2·40	22·92
Current and other liabilities	0·47	0·67	2·18	6·28	7·06	25·22	50·33	140·34
Total	12·58	34·51	82·01	193·81	233·70	389·81	987·73	3,224·56

Table 20 ; Plan-wise Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Year-ending (July-June)	Net Financial Assistance Sanctioned					Financial Assistance Disbursed				
	Loans	Under writings/ Direct Sub-scriptions	Guarantees	Equipment Leasing	Total	Loans	Under-writings/ Direct Sub-scriptions	Guarantees	Equipment Leasing	Total
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Period prior to First Plan 1948—51	8·13	--	—	--	8·13	5·79	--	--	--	5·79
First Plan 1951–56	27·03	--	—	--	27·03	10·94		--	---	10·94
Second Plan 1956–61	5·13	3.57	16·30	--	73·00	40·62	1·31	15·11	--	57·04
Third Plan 1961–66	132·95	17·22	29·48	—	179·65	104·22	14·00	26·80		145·02
Three Annual Plans (1966–69)	55·42	5·77	5·28		66·47	83·93	5·64	8·51	-	98·11
Fourth Plan 1969–74	160·02	12·44	1·10	-	173·56	133·99	6·48	1·33	---	141·80
Fifth Plan (1974–78)	263·84	20·78	0·28	--	284·90	206·08	19·29	0·34	---	216·71
Two Annual Plans (1979–80)	286·57	18·35	---	—	304·92	164·93	5·39	0·20	---	170·52
Sixth Plan (1980—85)	1339·03	123·21	43·37	—	1505·61	1,091·90	22·01	5·21		1,119·15
The Seventh Plan										
1985-86	470·57	32·62	15·98	—	519·17	398·16	3·87	7·96	-	409·99
1986-87	758·00	53·07	1·25	—	812·32	493·04	12·57	1·24	---	506·85
1987-88	1,240·34	74·11	21·35	15·07	1,350·87	687·69	23·05	4·41	15·07	730·22
	2,468·91	159·80	38·58	15·07	2,682·36	1,578·89	39·49	13·61	15·07	1,647·06
Grand Total	4,795·03	361·14	134·39	15·07	5,305·63	3,421·29	104·61	71·17	15·07	3,612·14

IFCI's Catalytic Role

5.26 All activities of IFCI, whether these are in the area of Project Financing or Leasing or Suppliers' Credit or Merchant Banking or in the fulfilment of its promotional and developmental role, are essentially catalytic in nature. In the field of Project Financing, the impact of catalytic role of IFCI can be judged from the fact that in 40 years, IFCI has been instrumental in overall resource mobilisation of Rs. 39,131·73 crores for completion of 2,857 projects, of whom, a vast majority have made a mark on the industrial scene of the country.

5.27 IFCI's role now extends to the entire industrial spectrum of the country. As a Development Finance Institution, IFCI is wedded to adapt itself to the changing socio-economic environment and improve constantly its usefulness to the industry and national economy as a whole.

Economic Contribution of IFCI's Assistance

5.28 The direct economic contribution of IFCI's assistance during the last 40 years can be perceived in the overall industrialisation spread effect all over the country, since Independence. IFCI's assistance has reached every part of the country, wherever a large or medium large scale sector project has come in. There is hardly any industry in the organised sector which during the past 40 years has not been the beneficiary of some assistance from IFCI. In fact, many of the units have been the recipients of financial assistance from IFCI for more than once.

5.29 IFCI's assistance in the last decade itself has been able to create/catalyse substantial capacities in various industries like sugar (22.42 lakh tonnes), cotton textiles (30.45 lakh spindles), cement (271.06 lakh tonnes), paper (5.37 lakh tonnes), etc. In addition, substantial capacities have been created in various other industries like chemicals and chemical products automobiles, synthetic fibres, synthetic resins and plastic materials, miscellaneous non-metallic mineral products, machinery and accessories, electrical and electronic equipments, hotels, etc. The new, expansion and diversification projects assisted by IFCI during the last decade itself have been able to generate direct employment for about 5 lakh persons.

Contribution to National Exchequer

5.30 During 40 years of its existence, IFCI has been able to pay to the National Exchequer by way of tax, a sum of Rs. 135 crores, exceedings its paid-up capital by Rs. 65 crores.

Impact of IFCI's operations

(i) Balanced Regional Development

5.31 More than 50% of IFCI's total assistance has gone to projects set up in backward areas including No-Industry Districts. The economic and social impact of IFCI's assistance to projects in No-Industry Districts/other industrially backward areas can be judged by the developmental consciousness created by these projects in meeting the economic welfare of the local people and strengthening of the social infrastructure. Since most of the projects in notified backward districts/areas have been set up in rural and/or semi-urban atmosphere, the economy of these areas has undergone a sea-change. These projects have provided considerable impetus to the generation of direct as well as indirect employment, establishment of a number of tiny and small scale units and varied business shops, repair services, etc. In order to evenly spread the benefit of industrialisation, and encourage industrial growth in No-Industry Districts, IFCI has been helping, apart from providing concessional finance for the projects, in the development of project-specific infrastructure by providing interest-free loans during the construction period. No promotors' contribution is expected in respect of expenditure on project-specific infrastructure, and the prevailing concessional rate of interest is charged on the loan given for the purpose, after the project has gone into production. These measures have helped in a modest but significant manner, the achievement of the objective of balanced regional development, and in that process, have also helped in the correction of regional economic imbalances.

(ii) Impetus to Co-operative Movement

5.32 It would be no exaggeration to state that co-operative movement took roots in the industry with the advent of IFCI. By now, 313 industrial co-operatives are in the IFCI's assistance portfolio, which have been provided assistance of the order of Rs. 411.93 crores. While Maharashtra has been a four-runner in the history of co-operative movement in the industrial sector, it is a matter of considerable satisfaction for IFCI, that through its support and priority treatment, accorded to co-operative sector ventures, co-operative movement has gathered momentum in almost all States. Presently, out of 313 co-operatives in IFCI's portfolio, while 113 are in Maharashtra, 41 are in Uttar Pradesh, 29 in Karnataka, 24 in Andhra Pradesh, 24 in Gujarat, 20 in Tamil Nadu, 15 in Punjab, 11 in Orissa, 8 in Haryana, 5 each in Assam, Bihar and Madhya Pradesh, 4 each in Kerala and Rajasthan, 2 in West Bengal, 2 in Pondicherry and one in Goa. Since almost all the co-operatives in the industrial sector are either agro-based or provide inputs to agriculutre, IFCI has been able to develop, by providing impetus to the co-operative movement in the industry, a good nexus between agriculture and industry, besides inducing economic growth, in general, of rural areas.

5.33 Industrial co-operatives set up in rural and/or semi-urban areas have brought a sea-change in the economy of the area by providing improved roads, better irrigation facilities, provision of drinking water, establishment of schools and health centres, apart from strengthening the villagers' faith in the co-operative movement and mobilising the savings of the agricultural sector for productive purposes. Sugar co-operatives have been instrumental in promoting a number of ancilliary and associate industries like distilleries for the manufacture of industrial alcohol, confectionary units, bagasse-based paper plants or production of mixed and granulated fertilisers, etc. Textile spinning co-operatives have afforded opportunities for the development of the handloom sector in the rural and semi-urban areas. The spread of the co-operative movement in many other industries like jute, fertilisers, synthetic fibres, vegetable oil, cocoa processing, paper development of industrial estates etc., is an eloquent testimony to the success and strengths achieved by the medium and large-sized industrial co-operatives all over the country during the last four decades, with substantial financial assistance from IFCI.

(iii) Modernisation and Diversification of Industries

5.34 Expansion, diversification and modernisation of industrial units are being given high priority, and, assistance on soft terms for modernisation under relative schemes, is being provided to the extent possible. About 31.7% of total assistance sanctioned by IFCI during the past 40 years, has gone towards expansion, diversification and modernisation of existing industrial units. The operation of Sugar Development Fund, Textile Modernisation Fund and Jute Modernisation Fund, coupled with the benefits available under the Soft Loans Scheme for modernisation of all other industries have been able to give a real thrust to the modernisation and renovation programmes in the industry.

5.35 IFCI's emphasis has been on an integrated programme of modernisation with focus upgradation of technology, measures for energy conservation and abatement of pollution. IFCI's stress and concept has been that modernisation in industry is not only of machinery and equipment, or of products in terms of design, quality and standardisation, but also modernisation of technology consistent with economy, efficiency and quality; modernisation of organisational structure; and modernisation of management techniques including modernisation of attitudes and skills of personnel at all levels. Time and again, while evaluating modernisation schemes, IFCI has been taking special care that modernisation schemes formulated by industrial units aim at upgradation of process, technology and product, export-orientation or import substitution, energy saving, anti-pollution measures, conservation/substitution of scarce raw materials and other inputs, recycling/recovery of wastes and by products, improvement in material handling and improvement in capacity utilisation through increase in productivity and debottlenecking. In industries, where the rate of technological obsolescence is very high, or where there are specific advantages for taking up modernisation of plant and equipment, with a view to upgrading the technology or process, even the age criteria of the plant and equipment for which it should have been put into use, has been relaxed. The endeavours of IFCI and other Financial Institutions, in fact, have been to create consciousness towards modernisation in the industrial circles and in case industry pays due attention to the modernisation aspect in a well-planned manner, there is no doubt, that industry, can achieve and improve its competitiveness, both in domestic and international markets.

(iv) Widening of Technological Base

5.36 For about three decades, undoubtedly, the emphasis was on economic self-sufficiency, with the result that consumer goods industries or agro-based industries had an edge over sophisticated and technology-oriented industries,

However, during the last decade, and, particularly with the advent of the Seventh Five Year Plan, a real thrust has been given to technology upgradation, technology development and technology assimilation, whether by import of technology, or, developing indigenous technology through in-house Research and Development (R & D) efforts. The share of technology-oriented industries, particularly, in recent times, has gone up considerably in IFCI's assistance portfolio. The Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd., (RCTC), sponsored by IFCI has been encouraging trial-blazer technocrats/professionals taking up hi-tech ventures with high risk, and high returns, and is supporting them, having regard to the distinctive features of their schemes, e.g., new technology, new products, new markets, new usages and new specialised services and their commercialisation. IFCI has also been attaching considerable importance in its project financing operations to projects, which are based on commercially proven indigenous or advanced imported technology, or, projects involving upgradation of technology in the existing industrial units, with the ultimate objective of, either, import substitution, or, export development, or both. The wide varieties of projects which have been financed by IFCI, particularly during the last five years, bear an eloquent testimony to the above. However, it may be stated, that it is only a beginning that has been made, and a lot more in this area remains to be done, so that the industry's technological base is well-diversified, before the country enters the 21st century.

(v) *Broadening of Entrepreneurial Base*

5.37 For balanced and widely diffused process of industrial growth in a large country like India, the creation of a new class of entrepreneurs to broaden the entrepreneurial base is a prime requisite. IFCI's role in this area has been significant by encouraging entrepreneurship development programmes for the benefit of small entrepreneurs, and giving weightage to projects in its own financing to first generation entrepreneurs, apart from supplementing their own resources so as to meet the requirement of the institutional norms of promoters' contribution through the instrumentality of the Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC). In the last decade itself, IFCI as also RCTC have been able to bring as many as 264 first generation entrepreneurs on the industrial horizon of the country in the field of medium, medium-large and large scale industries sectors.

(vi) *Professionalisation of Management and Better Management Culture*

5.38 About two decades back, in India, it was difficult to separate 'ownership' from 'management'. Thanks to the endeavours made by Financial Institutions in this regard, professionalisation of management has started taking roots in the country. The industry has now become fully aware that 'ownership' and 'control' have very little to do with the successful operations of the project. In fact, it is the 'management' that matters most in this regard. The emphasis of Financial Institutions, including IFCI has, therefore, been on creating a proper management culture and increasing the overall managerial effectiveness of the industry. The Management Development Institute, (MDI) sponsored by IFCI, has been able to make a dent in this regard during the past ten years.

5.39 For long, Indian corporate management had got used to responding to a highly regulatory environment. In fact, the perpetuation of a complex system of controls had become a key factor to the survival and growth of many industrial units. With the economic environment now under transformation, the benefits that flowed from the system of controls are no longer there. Challenges are now arising from increased competition and quick adjustments to a healthier competitive industrial culture. Effective response to this new environment is the basic challenge that the Indian corporate management faces today, and this gap is being endeavoured to be filled up by the Management Development Institute (MDI), sponsored by IFCI.

5.40 In the area of evaluation and follow-up of projects, national-level, Financial Institutions, and IFCI in particular, being the oldest among the development banks in the country, can take some credit for instilling basic disciplines related to project planning, implementation and operation of industrial projects. The follow-up procedures of the Financial Institutions have been so designed that emphasis is upon calling only that much information and data which any prudent management incharge of the projects would itself like to have and analysed with a view to ensuring successful operation of the project. The endeavour of IFCI over the years, has been to inculcate amongst the promoters and the managers, better awareness of financial and managerial imperatives for success of an industrial venture; and this is why enlightened promoters and competent managers are now able to appreciate in an increasing manner, the benefits they themselves derive from the various exercises, that IFCI requires them to carry out during implementation and operational stages of the project. The creative and contributive role of Financial Institutions, has neither remained limited to the decisions to finance a project, nor to the supervision of a project's implementation during the currency of the financial assistance granted by them. Their relationship with the management is becoming totally intimate and continuous, drawing upon each others' expertise and experience to create a vibrant industrial ethos. It is in this light that Financial Institutions have impressed upon every management (a) to develop a proper organisational set-up, (b) to create a good second level of management, (c) to have Management Committees for day-to-day functions, and above all, (d) to have a suitably broad-based Board of Directors for building up policy perceptions and overseeing objectively the operations of the project as a whole. The ultimate objective has been only to ensure that the assisted concerns do develop within themselves certain self-regulating mechanism, so that they continue to maintain their operational viability and financial credibility. IFCI can state, with some pardonable pride, that it has been able to make a dent in this regard and create some qualitative impact on the management culture of the assisted concerns, though lot more remains yet to be achieved.

Newer Thrusts

5.41 IFCI's working over the past four decades, indicates that it has been able to provide a continuous and much needed thrust to the industrialisation process. With yearly sanctions now exceeding Rs. 1,000 crores, and, every year adding more than 500 new clients, the tasks that lie ahead for IFCI are not only varied but challenging. Newer demands may not only call for substantial step-up in efforts for resource mobilisation and recycling of funds to keep pace with the growth in volume of assistance, but also require further re-alignment of policies and priorities for allocation of resources.

5.42 In the area of manpower planning and development, the thrust of IFCI in the coming years has to be on productivity improvement through (a) mechanisation and computerisation of operations of systems and work procedure to the extent possible, (b) attuning the officers and staff to the culture of electronic data processing, micro-processing and personal computers, and (c) training and re-training them for improving their overall managerial skills and effectiveness.

5.43 In the area of resource mobilisation, the thrust continues to be and is likely to be pursued more vigorously for recovery of current and overdues and for creating a culture amongst the constituents, for honouring their commitments to the Financial Institutions and also to Government, in time. The financial system in the country, if it is expected to sustain and accelerate the growth of investment, cannot permit a culture of living with defaults. Planning, budgeting, forecasting and monitoring exercises in the industry have to be more vigorous than ever before. Once financial management is geared appropriately, in most of the cases, even sickness, where it is not due to external factors, can be detected, nay arrested.

5.44 The other areas in which thrusts will have to be built by IFCI and other Financial Institutions in the realm of financing of industries, would be—

- Energy Management with the objective of optimising the use of energy, effecting economy by energy conservation measures and making greater use of non-conventional and renewable energy sources.
- Environmental Protection and Pollution Control.
- Safety of Men and Materials.
- Technology Upgradation.
- Human Resources Development.

A stage of stagnation has been affecting a large number of industries in the country. If the threat of this industrial stagnation is to be effectively dealt with, there is no other way except to upgrade the technology and improving the productivity of the industry. It also needs to be noted that indiscriminate foreign collaboration is not, and cannot be the panacea for technological obsolescence. In sevaral sectors of science and technology, the country has come of age, and it is not difficult to find relevant technology within the country itself for making technological improvements, reducing the production costs and enhancing the productivity of the industry, alongside the quality of industrial products. The aforesaid aspects are going to be a major relevant consideration in the future operations of IFCI.

5.45 The backbone of the industry is the competent managerial and technical personnel. Even for reaping the benefits of the economies of scale, and competitive environment with lot of freedom to show ingenuity and innovativeness, the industry can reap the benefits only when the management is thoroughly professional as well as professionalised. Management also needs transformation and tuning through the instrumentality of training and re-training activities, so that it is able to maintain its poise and productivity. A time has come when the industry must have its priorities straightened out. Unless the industry devotes its undivided attention to the development of human resources, it cannot optimise its returns. The future course of industrial financing possibly would have to look into these aspects as well, in greater detail.

5.46 In responding to the emerging challenges, fortunately for IFCI, there is available an effective co-ordination mechanism under the dynamic leadership of IDBI, with strong linkages with other Financial Institutions in the country, on the one hand, and industrial sector, on the other. All the same, the growing complexities of the development financing are continuously throwing up newer challenges. Equally important are the growing demands for multifarous promotional and developmental activities. Considering the strength and flexibility of its systems, that IFCI has all along built up in the past 40 years, IFCI would hopefully be able to respond well to future demands, and add newer and newer dimensions in the field of development banking in times to come.

CHAPTER 6

In-House Matters

Meetings of the Board of Directors

6.01 During the year, 12 meetings of the Board of Directors were held—7 at New Delhi and one each at Bombay, Calcutta, Madras, Hyderabad and Shillong.

Changes in the Board of Directors

6.02 There was no change in the Board of Directors except that Shri V. Dixit, a Director nominated by Industrial Development Bank of India (IDBI) resigned from the Board consequent on his laying down the office of the Chairman, Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI). His successor is yet to be nominated by IDBI.

6.03 The Board of Directors of IFCI place on record their appreciation of the valuable guidance received from and the services rendered by Shri V. Dixit during the period of his association with IFCI as its Director.

6.04 The Board of Directors also express their heart-felt condolences on the sad demise of Shri L. K. Jha, who was one of the Directors of IFCI during the period from 15th February, 1956 to the 7th June, 1960 as a nominee of the Government of India.

Meetings of Ad-hoc Group of Advisers

6.05 During the year, 8 meetings of the Ad-hoc Group of Advisers were held with a view to obtaining expert advice on proposals relating to hotels, hospitals, chemical process and allied industries, engineering and jute industries.

State Advisory Committee Meetings

6.06 Two meetings of the State Advisory Committees constituted in terms of Section 15 of IFC Act, 1948 were held during the year, one each in Andhra Pradesh and Rajasthan. Presently, IFCI has 16 State Advisory Committees functioning in various States and meetings have been planned for being held shortly in Haryana, Goa and North-Eastern Region.

6.07 The State Advisory Committee meetings help IFCI in promoting a better understanding and appreciation about its role, contribution and activities, as also, understanding, on the spot, the problems and prospects of industrialisation in the concerned State, with due regard to the circumstances of, conditions prevailing in, and requirements of particular area and/or industries. The Heads of Regional, Branch and Other Offices of IFCI, in their capacity as *ex-officio* Secretaries continue to maintain liaison with the members of these Committees throughout the year.

Inter-Institutional Co-ordination

6.08 Inter-Institutional co-ordination among the national-level Financial Institutions continued to be maintained through the forum of Inter-Institutional Meetings (IIMs), Inter-Institutional Rehabilitation Meetings (IIRMs) and Senior Executives' Meetings (SEMs). During the year 1987-88, 10 IIMs (including one specially held for considering the recommendations of the Committee on Public Undertakings), 11 IIRMs and 26 SEMs were held.

6.09 At regional levels, meetings of the Regional Executives' (REMs) under the convenorship of concerned Regional Offices of IDBI were held with a view to reviewing the progress of assisted concerns at the inter-institutional level, going over disbursements and recovery budgets, particularly in respect of Project Finance Participation Scheme (PFPS) cases and discussing other items of mutual interest concerning project monitoring, recovery of dues, etc. During the year, 22 meetings of REMs took place, of which 5 were of Northern Region, 4 of Western Region, 4 of Eastern Region, 4 of North-Eastern Region and 5 of Southern Region.

6.10 At the State level, IFCI continued to maintain co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional and Branch Offices in the meetings of State-level Co-ordination Committees, State-level Guidance and Monitoring Committees and other State level fora.

Foreign Visits and Participation in International Fora

6.11 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Financing Institutions (DFIs) abroad as also the international banks operating in the world market.

6.12 Shri D. N. Davar, Chairman, IFCI visited South Korea at the invitation of the Governor, Bank of Korea and was a special guest on the occasion of the opening ceremony of Bank of Korea's new building at Seoul. Shri Davar also visited Japan with a view to interacting on matters of mutual interest with the Banks and Security Houses in Japan, and in the same visit, made a stop-over at Hong Kong for signing an agreement with Mitsui Finance Asia Limited in connection with Euro-Yen Loan of Japanese Yen 14 Billion raised by IFCI in international market.

6.13 Shri S. K. Rishi, Executive Director, IFCI, visited United States of America in September, 1987 and represented IFCI in World Fertilizers Conference of the Fertilizer Institute at New York. He also participated in the Round Table Conference on "Finance and Fertilizers for Third World Food Supplies" at Washington.

6.14 Shri H. C. Sharma, General Manager, IFCI, represented IFCI in the International Conference on Small and Medium Size Enterprises in Developing Countries held at Belgrade (Yugoslavia) in June, 1988. The Conference was organised by Research Centre for Co-operation with Developing Countries (RCCDC), Liubliana, an agency for South-South Co-operation, Belgrade, in co-operation with World Assembl of Small and Medium Enterprises (WASME), New Delhi.

Organisational Developments

6.15 On the expiry of his existing term on the 18th April, 1988, Shri D. N. Davar was re-appointed as Chairman of IFCI for a further term of 5 years ending 18th April, 1993 in terms of Section 10(1)(a) of IFC Act, 1948. There was no other change in the basic organisational set-up of IFCI during the year.

Delegation of Authority

6.16 During the year, alongside a total review of the administrative and financial powers delegated to various officers of IFCI made by the Board of Directors, adequate authorities were also delegated to the Chairman and other Senior Executives of IFCI for sanction and disbursement of assistance under various new schemes introduced by IFCI.

Conferences of Senior Officers

6.17 As a part and mechanism of the corporate and strategic planning in IFCI, two Conferences of the Senior Officers were held during the year in the months of October-November, 1987 and April, 1988 with a view to building up adequate thrust in regard to IFCI's existing and proposed activities, as also reviewing the performance and achievements of the Regional, Branch and Other Offices. These Conferences also helped in reviewing a number of suggestions which emanated from the field offices of IFCI. These were later examined in-depth by a high-level Committee of the executives of IFCI, and resulted, to a considerable extent, in streamlining the extant in-house procedures and practices as also in the simplification of the office work.

Electronic Data Processing and Communication System

6.18 A mention was made in the last year's Annual Report about IFCI installing and operating a modern ICIM-6040 main frame computer with required peripherals at Head Office and one ICIM-Quattro personal computer at Delhi Regional Office of IFCI. During the year, the overall degree of computerisation was further enhanced by adding a multilingual word processor with laser printer. It was expected that by the end of August, 1988 orders would be placed for installation of computer systems in the Regional and Branch Offices of IFCI and the systems would become operational from December 1988 in phases.

6.19 Need based strengthening of the professional staff for Electronic Data Processing Department was effected and training was imparted to officers and staff in the area of computerisation. During the year, six Computer Appreciation Programmes and 9 Data Documentation and Discipline Programmes were conducted involving as many as 228 officers and members of staff of IFCI.

Personnel

6.20 As at the end of June, 1988, IFCI had a complement of 1,147 employees (inclusive of staff strength at its Regional, Branch and Other Offices). This consisted of 397 officers, 533 supporting staff and 217 subordinate staff. The number of employees in the category of Scheduled Caste/Scheduled Tribe ex-servicemen and physically handicapped persons was 160, 37 and 15 respectively. The number of women employees in IFCI as at the end of June, 1988 was 183.

Human Resources Development

6.21 Strong emphasis was laid, as in the past, on the development and enrichment of human resources with focus on appropriate attitudes and positive work ethics. The focus of training was on computer related skills, merchant banking, leasing finance, foreign currency loan operations, economic analysis of industrial projects, working capital management, and approaches to rehabilitation of sick units.

6.22 Sixty-seven In-House Training Programmes—highest ever—were organised of varying durations for the benefit of IFCI's officers and staff. Of the 67 training programmes, 29 programmes were conducted at Head Office Training Centre, New Delhi, 10 at Bombay Training Centre 13 at Hyderabad Training Centre, 7 at Patna Training Centre and 8 at other centres in IFCI. These training programmes covered in all 702 staff members at various levels and from various offices.

6.23 In addition to in-house training programmes, 57 staff members were deputed to external training programmes organised by other professional institutions in the country. Twenty staff members were deputed to Executive Development Programmes Conducted by Management Development Institute (MDI) including its Development Banking Centre (DBC). Three senior executives were sent abroad for attending training programmes on subjects like Investment Appraisal and Management, Leasing and Training the Trainers.

6.24 Special lectures from experts were arranged for the benefit of officers and staff on the subjects of Companies (Amendment) Act, 1988, Direct Tax Laws (Amendment) Act, 1987, Financial Risk Management and Training of Trainers.

6.25 In its endeavours to interact with academic institutions and universities for inter-change of knowledge and experience, IFCI extended practical training facilities to the students of Business Management Courses of various organisations. During the year, 7 students from different Universities were given exposure to the functioning of IFCI and opportunities to relate their class room training to real life practical situation.

6.26 Under the Scheme of Reserve Bank of India for co-ordination between commercial banks and Financial Institutions for rehabilitation of sick units, IFCI extended, during the year, on the job training facilities in its Rehabilitation Finance Department (RFD) to four executives of the Punjab National Bank.

6.27 IFCI also continued to implement Government Guidelines regarding reservations/concessions to be given to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees in IFCI's service. The candidates belonging to these categories were judged by relaxed standards for recruitment as well as for promotions. Further, to enable the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates to show better results, 15 Pre-recruitment Familiarisation Training Programmes were conducted, in which 166 Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates participated before appearing for written tests and interview for the post of junior officers in IFCI. So also, for in-house Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees, 4 Pre-promotion Training Programmes were organised at different centres benefiting 17 serving staff members and helping them in improving their career prospects in IFCI.

6.28 Apart from intensive in-house, on the job and external training programmes, the members of staff were continually encouraged and motivated to give suggestions under the Staff Suggestion Scheme for improving the overall productivity of the organisation. A staff suggestion Committee evaluated each and every suggestion, and in the event of the suggestion being accepted for implementation, the concerned staff members were given cash awards/commendation certificates, etc.

Human Relations

6.29 The human relations aspect continued to govern the employer-employee relationship in IFCI with the result that the relations with the staff continued to be cordial and harmonious throughout the year.

6.30 To represent the officer staff of the Industrial Development Bank of India (IDBI) and other Financial Institutions, the Central Government, in pursuance of sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (1) read with sub-section 4 of Section 6 of the Industrial Development Bank of India Act 1964 appointed Shri B. B. Huria, Manager (Technical) of IFCI as a Director on the Board of Directors of IDBI for a period of three years commencing from the 6th May, 1988 and ending on the 5th May, 1991. Shri Huria is presently the President of IFCI Officers' Association.

Welfare Activities

6.31 The welfare of the employees of IFCI at all centres and at all levels continued to receive, as in the past, high priority in the area of personnel management in IFCI. Social

Security, housing and medical facilities continued to be the cornerstones of IFCI's welfare activities.

6.32 The Staff Welfare Fund provided fundamental resource base for staff welfare activities of miscellaneous nature, e.g., self-development of emplayees, self marriage, marriages of dpendnt children, acquisition of household durables, grant of merit scholarships grants to sports and recreation club, maintenance of IFCI Holiday Homes at Shimla, Srinagar, Goa, Puri, Ooty, Bangalore and Darjeeling and maintenance of Day Care Centre at IFCI Staff Colony in New Delhi. Special emphasis was placed during the year on the area of self-development and merit scholarship for 'computer courses' both, of short, as well as, of longer duration.

6.33 Disability and Financial Assistance Scheme 1985 and Voluntary Welfare Scheme 1986 continued to be of help to the disabled/retired employees placed in indigent circumstances as also to the families of those employees who met with premature death on account of sickness or accidents.

Sports Meet

6.34 IFCI continued to promote sports & sportsmanship amongst the employees of IFCI for the third year in succession. The Third All-India IFCI Sports Meet, 1988 was concluded at a glittering function held at Jawaharlal Nehru Stadium this year on the 6th March, 1988. The special features of this year's Sports Meet were (a) introduction of more athletic events, (b) active participation of both men and women athletes of IFCI in a number higher than previous year, and (c) participation in large number of children of the employees of IFCI.

Contribution to Relief Fund and other Development-oriented Programmes

6.35 IFCI made a donation of Rs. 25 lakhs on the 16th September, 1987 to the Prime Minister's National Relief Fund with a view to helping the drought relief work in several States of the country.

6.36 At the instance of Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Federal Republic of Germany, a sum of Rs. 21,000/- was contributed out of Interest Differential Funds to New Hope Rural Leprosy Trust, Muniguda, Orissa in connection with its Deep Well Project for New Hope Rural Community Centre.

Progressive Use of Hindi

6.37 IFCI, continued, during the year, its endeavours to promote the use of Hindi in official work to the maximum extent possible. During the year, a bilingual word processor was acquired, and an all-India competition in Hindi was conducted as a result of which 13 employees were given awards. The Seventeen Official Language Implementation Committees formed at each of the Regional/Branch Offices of IFCI, including the one at Head Office, continued to monitor the progressive use of Hindi and suggest ways and means for its promotion in their respective offices. Three workshops on the use of Hindi were conducted for the benefit of the employees. As decided, during the last year, the last Friday, of every month continued to be observed as Hindi Day with the objective of increasing the originating correspondence in Hindi.

Forty Years of Development Banking

6.38 The year 1987-88 marks the completion of four decades of IFCI's service to Indian industry, synchronising with the achievements and economic development in the country during the course of forty years of its freedom. In fact, the history of development banking in India begins with IFCI. In order that the event gets adequately commemorated, IFCI has decided to celebrate the occasion by undertaking the following activities :

(i) *Documenting the History of Development Banking in India*

It has been planned to bring out a treatise titled "Development Banking in India—Role of IFCI" which is being penned by Dr. Om Prakash, M. Com., D. Phil., D. Litt., the Ex-Vice Chancellor of Rajasthan and Bundelkhand Universities, and ex-Professor in the Universities of Allahabad, Punjab and Rajasthan. The treatise is expected to be brought out by Tata-McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi by December, 1988.

(ii) *Forty Years of IFCI : A Compendium of IFCI Chairmen's Speeches/Statements*

It has been planned to bring out for the benefit of all concerned a compendium of IFCI Chairmen's Speeches/Statements made at the time of the Annual General Meetings of IFCI. This compendium, which is being published by M/s. Viva Photolithographers, New Delhi, would be able to serve as a valuable base for all those who are involved in carrying out research work in the field of development banking, or, are interested in comprehending at one place, as to how IFCI has been able to build up its edifice, brick by brick, and, year after year.

(iii) *Regional Conferences of Assisted Concerns in the Corporate Sector as also of Nominee Directors*

The Regional conferences and conferences of Nominee Directors are being planned during the course of 1988-89.

Acknowledgements

6.39 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assistance, co-operation and cordiality received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Industrial Development Bank of India (IDBI), the other sister all-India Financial Institutions, various State Governments, the State-level Financial and Developmental Institutions and Merchant Banking Organisations.

6.40 The Board of Directors also place on record their appreciation for the work done by the Chairman and/or Chief Executives of Technical Consultancy Organisations (TCOs); Risk Capital and Technology Finance Corporation (RCTC), Management Development Institute (MDI), Science and Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs), Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), Institutes of Entrepreneurship Development (IEDS) of Uttar Pradesh, Bihar and Orissa and a host of other Institutions, with whom IFCI is actively involved, in furthering their activities and fulfilling the role of their respective organisations.

6.41 The Board are also grateful to the members, who have served on the State Advisory Committees (SACs) and Technical Advisory Ad hoc Committees of IFCI, and thank them for their valuable co-operation and counsel received from time to time. The Board of Directors are also grateful of several non-officials, who have serve as IFCI's nominees on the Boards of various organisations and assisted concerns.

6.42 The Board of Directors further acknowledge the continued support and active co-operation received by IFCI from various Development Financing Institutions (DFIs) abroad, particularly, the assistance received from the World Bank, the Economic Development Institute, the Asian Development Bank, the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of Federal Republic of Germany and a host of correspondent and other international banks abroad.

6.43 The Officers and staff of IFCI have been continuously striving for maintaining the high professional standards for which IFCI has now acquired a reputation, of its own, both in India and abroad. Through their team work, dedication and sincerest endeavours, they have surpassed all previous records and benchmarks of IFCI's growth rates. The Board of Directors, therefore, are extremely pleased to record their deep sense of appreciation for the loyal and devoted services put in by all members of staff, at all levels in IFCI, during the year.

D. N. DAVAR
Chairman

Appendix I

Statement showing the installed Capacities, Production and Capacity Utilisation of Selected Industries in 1987-88.

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1987-88.					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns.		
			Installed capacity and no. of units.	Production 1987-88 (April-March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and no. of units.	Production 1987-88 (April (March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh tonnes	80·82 (386)	82 40*	101 95	25·11 (140)	28·01	111·55
2.	Cotton yarn (mill sector)		26·19 Million spindles (1045)**	155 49 Million Kgs.	—	7·45 Million spindles (216)**	345·96 Million Kgs.	—
3.	Cotton cloth (mill sector)		2·08 Lakh Looms	30·27 Million metres	—	0·61 Lakh Looms	254·45 Million metres	—
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	16-40 (71)	11·92	72·7	4·33 (16)	3·64	84·1
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	28-18 (297)	16 80	59 6	11 75 (73)	13 92	118·5
6.	Plywood	Million sq. metres	117·5 (59)	80·00	68·1	22·03 (7)	16·32	74·1
7.	Cement	Million tonnes	55·25	39·30	71 1	40·10 (59)	32·80	81·7
8.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	70·33 (43)	54·30	77 2	30 58 (10)	26 33	86·1
9.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	22·63 (19)	16 60	73·3	14·86 (7)	11 86	79·8
10.	Caustic soda	Lakh tonnes	10·45 (41)	8·80	84·2	6,34 (11)	4·39	69·2
11.	Soda ash	Lakh tonnes	10·05 (6)	9·90	98·5	0·77 (1)	0·52	67·5
12.	Calcium carbide	Lakh tonnes	2 18 (8)	0·75	34 4	0·34 (3)	0·19	55·9
13.	Acetic acid.	Lakh tonnes	0·81 (19)	0·50	61·7	4·26 (1)	1·50	85·2
14.	Carbon black	Lakh tonnes	1-55 (7)	1·06	68 4	0·35 (1)	0 14	40·0
15.	Liquid chlorine	Lakh tonnes	7·70 (29)	3·15	40 9	3 89 (10)	2·40	61·7
16.	Viscose filament yarn	Thousand tonnes	54·98 (8)	45·93	83 5	6·47 (1)	3·49	53·9
17.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	47 52 (11)	34 43	72·5	9·05 (2)	4 47	49 4
18.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	N. A.	N. A	—	6·00 (1)	1·01	16 8
19.	Polyester filament yarn	Thousand tonnes	74·18	111·37	150 1	7 00 (2)	5·95	85·0
20.	Polyester staple fibre	Thousand tonnes	146·21 (8)	79·41	54·3	23 13 (2)	18 45	79·8
21.	Viscose staple fibre	Thousand tonnes	54·98 (8)	45 93	83 5	8·13 (1)	7 00	86·1

*Production is for the period from October 1987 to April, 1988.

**Includes 283 Composite mills.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22.	Auto tyres	Lakh nos.	160·58 (23)	140·00	87·2	36 36 (2)	30·94	85·1
23.	Auto tubes	Lakh nos.	171·45 (26)	140·00	81 6	10 10 (1)	13·84	137·0
24.	Rubber contraceptives	Million pieces	713·00 (3)	630·00	88 4	200·00 (1)	100·00	50·0
25.	Reclaimed rubber	Thousand tonnes	36·58 (12)	21·00	57·4	4·80 (1)	2·36	49·1
26.	Finished leather from hides	Lakh pieces	113.00 (44)	47·00	41·6	10 50 (1)	1·11	10·6
27.	Sheet glass	Million sq. mtrs.	40·79 (9)	42·00	102·9	8·00 (1)	4·11	51·4
28.	Fibre glass	Thousand tonnes	5·29 (3)	4·65	87 9	1 75 (1)	1 34	76·6
29.	Glass bottles and misc. glassware	Lakh tonnes	6·53 (31)	5·95	91·1	1·00 (1)	2·30	5·77
30.	Synthetic detergents	Thousand tonnes	323·46 (21)	200·00	61·9	20 00 (2)	11·11	55·6
31.	Soaps	Thousand tonnes	365·40 (48)	360·00	98 5	26·00 (2)	10·01	38·5
32.	Fatty acid	Thousand tonnes	150·00 (20)	10·00	6·7	12 7 (2)	5·46	43·0
33.	Clycerine	Thousand tonnes	22·58 (19)	11·50	50·9	1·80 (1)	0·24	13·3
34.	Saleable steel (main plants)	Lakh tonnes	104.33 (6)	61·48	58.9	19·80 (4)	20·47	103·4
35.	Steel Ingots (main plants)	Lakh tonnes	180·00 (7)	39·14	21·7	66·50 (2)	23·40	35·1
36.	Steel Ingots/billets (mini steel plants)	Lakh tonnes	66·00 (196)	15·30	23·2	4.04 (9)	2·67	66·1
37.	Steel forgings	Thousand tonnes	325·00 (75)	185·00	56·9	514·00 (5)	392·56	76·3
38.	Steel Castings	Thousand tonnes	210·00 (80)	90 40	43·0	69·29 (5)	42·43	61·2
39.	Cold rolled steel strips	Lakh tonnes	12·00 (56)	1·40	11·6	1·73 (7)	0·89	51 4
40.	Two wheelers	Lakh nos	23·00 (23)	15·93	69·3	7·65 (5)	4 27	55·8
41.	Cars	Lakh nos	1-71 (5)	1·35	78·9	0·44 (2)	0·40	90·9
42.	Commercial vehicles	Lakh nos	2·65 (13)	1·00	37 7	0·28 (2)	0 28	100·0
43.	Ceramic Tiles	Lakh tonnes	1·53 (16)	1·29	84 3	0·49 (4)	0·31	63·2
44.	Explosives	Thousand tonnes	2. 17 (17)	1·25	57·6	22·05 (2)	10·09	44·8
45.	V. Belts	Lakh nos	183·71 (16)	180·00	97·9	8 25 (3)	7·94	96·2
46.	Conveyor Belts	Thousand tonnes	8·91 (8)	8 60	96·5	1 20 (1)	0 93	77·5
47.	G. L. S. Lamps	Million nos	342·69 (20)	272 00	79·4	5·78 (2)	1·90	32·9

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48. Fluorescent Tubes	Million nos.	44·90 (16)	44·50	99·1	5·00 (1)	5·21	104·2
49. Power and distribution transformers	Million KVA	32·50 (31)	28·76	88·5	1·80 (1)	1·53	85·0
50. Electrical fans	Lakh nos.	47·80 (17)	50 00	104·6	3·0 (1)	2·00	66·7
51. Diesel Engine	Thousand nos.	3·36 (34)	1·75	52·1	3·30 (1)	2·89	87·6
52. Tractors	Thousand nos.	115·00 (19)	84·00	73·0	15 0 (1)	15·60	104·0
53. Power tillers	Thousand nos.	16·00 (5)	3·00	18·80	5·0 (1)	3·00	60·0
54. Refractories	Lakhs nos.	17·20 (71)	9·34	54·3	0·78 (3)	0 59	75·6
55. Hotels	Lakh nos.@	113·41 (455)	78·82	69·5	3·61 (8)	2·31	63·1

@Figures in columns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable room days and the number of room day occupied respectively.

Appendix I (Contd.)

Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 1987-88.

(Rs. Crores)

Financing Pattern	New Projects	Expansion diversification projects	Modernisation Projects	Assistance for rehabilitation, balancing equipment etc.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of Projects	192	70	218	127	607
(i) Promoters contribution					
Share Capital	568·18 (15·3%)	122·40 (8·7%)	90·38 (5·2%)	12·60 (3·7%)	793·56 (11·1%)
Unsecured subordinated loans	13·13 (0·4%)	19·69 (1·4%)	15·83 (0·9%)	5·53 (1·6%)	54·18 (0·7%)
Internal accruals, etc.	212·31 (5·7%)	207·88 (14·8%)	288·24 (16·7%)	50·00 (14·7%)	758·43 (10·6%)
(ii) Assistance by term lending Institutions viz., IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
Loans & Advances	2,122·74 (57·2%)	770·08 (55·0%)	1,107·24 (64·1%)	172·49 (50·8%)	4,172·55 (58·1%)
Equity Support	259·93 (7·0%)	1·17 (0·1%)	6·46 (0·4%)	1·50 (0·5%)	269. 06 (3·7%)
(iii) Assistance by investment Institutions, viz., LIC, GIC & UTI					
Loans & Advances	55·24 (1·5%)	63·35 (4·5%)	79·45 (4·6%)	11·40 (3·4%)	209·44 (2·9%)
Equity support	6·06 (0·2%)	—	1·68 (0·1%)	4·20 (1·3%)	11·94 (0·2%)
(iv) (a) Assistance by Banks (term finance)	188·61 (5·1%)	92·95 (6·6%)	64·89 (3·7%)	23·84 (7·0%)	370·29 (5·2%)
(b) Equity support by Banks etc.	36·08 (1·0%)	0·11 --	3·61 (0·2%)	1·80 (0·5%)	41·60 (0·6%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(v) (a) Assistance by State level Institutions (Term Finance)	6·08 (0·2%)	— --	11·62 (0·7%)	-- —	17·70 (0·2%))
(b) Equity Support	56·75 (1·5%)	0·26 —	5·78 (0·3%)	0·41 (0·1%)	63·20 (0·9%)
(vi) Rights Issues	69·18 (1·9%)	80·72 (5·8%)	22·37 (1·3%)	--	172·27 (2·4%)
(vii) Deferred Payments	33·89 (0·9%)	— —	1·53 (0·1%)	1·36 (0·4%)	36·78 (0·5%)
(viii) Loans from Foreign Institutions	11·65 (0·3%)	- -	— —	— - -	11·65 (0·2%)
(ix) Others	68·11 (1·8%)	43·08 (3·1%)	28·65 (1·7%)	54·23 (16·0%)	194·07 (2·7%)
Total	3,707·94 (100·0%)	7,401·69 (100·0%)	8,727·73 (100·0%)	339·36 (100·0%)	8,176·72 (100·0%)

Notes: 1. Equity support includes underwriting assistance as also direct subscriptions.

2. Figures in brackets denote percentages to the total.

3. The above exclude the cases of sanction of assistance for meeting the over-run in the cost of projects, etc.

Appendix—III

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects assisted by IFCI during 1987-88 (July-June)

(Rs. crores)

Industry	Projects (Nos.)	Total capital cost (Rs.)	Expected direct employment (Nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	10	128·68	3,751	142·44	70·88	3·03 lakh tonnes of sugar.
Fruit Juices	3	16.03	2·05	21·01	5·91	Processing and packaging of 25·4 million litres of fruit juice based soft drinks.
Textiles	21	146·56	5,981	198·66	60·64	1,47 lakh spindles, 4·2 million sq. metres of non-woven fabric, 500 tonnes of thermo bonded non-woven fabric, 6·14 lakh metres of plainwoven fabric, processing of 18 million metres of fabric, 120 million pieces of disposable baby diapers, 109 million pieces of sanitary napkins and dyeing of 360 tonnes of synthetic material.
Paper and Paper Products	7	77·94	989	85·49	33·76	3,900 tonnes of speciality paper, 2,940 tonnes of packaging and wrapping paper 2,500 tonnes of carbonless paper, 3,500, tonnes of extensible sack kraft paper 5,025 tonnes of metalised paper, 57 million nos. of paper pulp moulded apple trays.
Chemicals and Chemical Products	25	641·05	3,274	483·64	221·85	8,000 tonnes of anhydrous hydrofluoric acid, 12,000 tonnes of synthetic, fluoride, 1,000 tonnes of miscellaneous flouride, 1,800 tonnes of ethyl acetate, 900 tonnes of acetaldehyde, 1,500 tonnes of acetic acid, 10,000 tonnes of binylacetate, 30,000 tonnes of oxo-alcohols, 800 tonnes of DDVP/phosphomidon, 2lakh tonnes of methanol, 1,655 cublic metres per hour of oxygen, 1.43 lakh tonnes of nitric aicd, 150 cubic metres per hour of nitrogen, 1,400 tonnes of aminoacid powder, 84 tonnes of L-cystine, 24 tonnes of L-tyrosins, 20,000 tonnes of monoethylene glycol, 6,000 tonnes of chlorosulphonic acid, 22 tonnes of methyldopa,

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					320 lakh nos. of slurry detonators, 25 tonnes of Oxyphenbutazone, 24 tonnes of metronidazole, 30 tonnes of mebenedezole, 7,500 tonnes of mixed slurry explosives, 1,800 tonnes of coil enamel insulation varnishes, 13,860 tonnes of high fructose corn syrup, 600 tonnes of ibuprofen, 36 tonnes of ranitidile, 10,000 tonnes of AOS, 57,000 tonnes of fatty acids, 1,200 tonnes of glyserine, refining of 9,000 tonnes of lubricating oil and 10,000 tonnes of non-edible oils.
Automobile tyres and tubes.	3	331·25	3,396	416·11	154·66	17.80 lakh nos. of automobile tyres, 17 lakh nos. of automobile tubes and 9 lakh nos. of flaps.
Synthetic Fibres	8	758·19	1,930	387·00	180·56	12,160 tonnes of polyester filament yarn, 24,000 tonnes of acrylic fibre, 1,000 tonnes of multifilament polypropelene yarn, 50,000 tonnes of caprolactum, 2,900 tonnes of nylon filament yarn, 5,100 tonnes of nylon tyre cord yarn and 2,700 tonnes of nylon tyre cord fabric.
Synthetic Resins and plastic products	24	190·61	2,910	244·48	96·77	6,590 tonnes of BOPP, 400 tonnes of multilayer coextruded sheets, 4 million square metres of PVC resin floor wall coverings, 4,176 tonnes of redmud PVC pipes, 6,500 tonnes of ABS, 3,000 tonnes of biwall and polytubes, 4,030 tonnes of coextruded multilayer blown film, 1,000 tonnes of PVC door window profiles, 1,150 tonnes of GRP plastic vessels, tanks and silos, 2 million square metres of vinyl floor coverings, 64 million nos. of disposable syringes 60 million nos. of disposable needles, 6,600 tonnes of redmud plastic corrugated roofing sheets, 2,550 tonnes of thermoplastic items, 3,600 tonnes of insulating polymer compounds.
Cement and cement products	9	373·62	1,986	191·79	105·97	35.51 lakh tonnes of cement, 1·66 lakh tonnes of oilwell cement, 2·44 lakh tonnes of sulphate resistant cement and 12,000 tonnes of Asbestos cement sheets.
Glass and Glass products.	3	299·41	1,210	114·88	89·94	25 million square feet of sheet glass.
Miscellaneous non-metallic mineral products.	10	201·13	1,975	105·34	62·66	46,000 tonnes of ceramic wall and floor tiles, 83 million tonnes of agglomerated marble, tiles, 7,000 tonnes of sanitaryware, 12,500 tonnes of rockwool, 30,000 tonnes of high quality sinter magnesia, 43,200 nos. of wash basins and bath tubs and 12000 square metres of polished granite slabs and 36,000 square metres of polished granite tiles.
Iron and Steel	15	533·31	4,123	548·84	227·24	8·8 lakh tonnes of hot briquettes sponge iron, 12,000 tonnes of carbon steel and alloys steel, 25,000 tonnes of precision steel tubes and pipes, one lakh tonne of cold rolled steel/Coils, 25,000 tonnes of high/medium structurals and rolled products, 1.17 lakh tonnes of mild, carbon and alloy steel billets, 15,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
						tonnes of steel in spring steel billets, 57,[redacted] flats, 10,000 tonnes of [redacted] tonnes of steel forgings, [redacted] steel alloy and Iron castings, 15,[redacted] of steel/cast iron gates and sluice valves and 35,000 tonnes of special steel, spring steel and file steel flats/profiles.
Machinery and Accessories	7	138.21	2,992	259.62	105.21	500 nos. of mobile brick plant, 15000 nos. of industrial valves, 700 nos. of franking machines 1,500 nos. of stamp cancelling machines, 1,500 nos. of plain paper copiers, 1,25,000 nos. of refrigerators, 1,50,000 nos. of compressors and 50 nos. of higher capacity diesel generating sets and 1.25 lakh nos. of tool and work holders etc. for computer numerical and conventional machine tools.
Electrical and Electronic equipment	38	773.77	7,917	734.31	312.79	4 lakh nos. of electronic push button telephone instruments, 1.55 lakh lines of electronic private automatic branch exchange, 15,000 nos. of personal computers, 5,000 nos. of electronic teleprinters, 100 systems of multichannel digital radio equipment, 31,800 nos. of dot matrix printers, 8.2 million nos. of video cassettes, 900.42 mrm of video magnetic tapes, 310 million nos. of multilayer ceramic chip capacitors, 3 lakh nos. of electronic tunners/focus reisstors, 250 mrm of computer tapes, 2.5 million nos. of integrated circuits, 5 lakh nos. of microphone receiver capsules 3.6 million nos. of D.C. micro motors, 7 lakh nos. of black and white T.V. Picture tubes, 100,000 nos. of public pay phones, 4 million nos. of assembly and packaging of floppy discs, 10 million amperes of NICAD pocket plate batteries 30.9 lakh nos. of low tension electrical devices, 20,000 nos. of key boards, 25,000 nos. of switch mode power suppliers, 1.5 lakh nos. of electronic connectors, 5 lakh conductor kilometers of polyethelene insulated jelly filled telephone cables, 1,200 systems of optoelectrical systems, 20,000 kilometre length of fibre optic communication equipment, 120 million nos. of zinc chloride dry cells, 1,032 tonnes of soft ferrites fo T.V.s., 45,000 square metres of printed circuit boards, 5,000 nos. of micro-processor based process control instruments and 25 nos. of distributed control systems.
Transport equipment	9	108.22	2,165	117.65	47.13	10 million nos. of automotive spark plugs, 1,44,000 sets of constant velocity joints and shafts for the automoble industry, 10 lakh nos. of wheel rims for cars and jeeps, 1.5 lakh sets of cars seats, 2lakh nos. of steering linkages assemblies, 3 lakh nos. of tie rod ends, 0.5 lakh nos. of suspension joints, 10,000 tonnes of parabolic lead spring, 7,500 tonnes of sheet metal components and 24,000 tonnes of steering assemblies for auto-tractor and heavy vehicles.
Metal products	8	54.54	1,067	193.80	82.61	90,000 tonnes of GP/GC sheets, 50,000 tonnes of PVC coated galvanised sheets, 2,400 tonnes of machining/fettling of steel castins, 12,000 tonnes of general fabrications, 12 nos. of special fabrications, 2,000 tonnes of steel cords, 5,100 tonnes of steel wires, 8,000 metres of wire

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						processing and annealing facilities coating of 75,000 kg. of chemical vapour deposit and coating of 1,600 cycles per day of physical vapour deposit.
Hotels	6	35.70	1,147	17.49	11.79	628 rooms
Hospitals	7	62.23	2,190	35.42	25.70	1,215 beds
Others	49	459.02	5,762	545.45	224.89	
Total	262	5,329.47	54,970	4,843.42	2,120.96	

ANNUAL ACCOUNTS

1987-88

Report of the Auditors

To the Shareholders of the

Industrial Finance Corporation of India

We, the undersigned, Auditors of the Industrial Finance Corporation of India, have audited the attached Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at the 30th June, 1988, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.
2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.
3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet, together with the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948, and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

N. M. Raiji & Co. T. R. Chadha & Co.
Chartered Accountants

Place : New Delhi
Dated : 17th August, 1988

BALANCE SHEET AS AT THE 30TH JUNE, 1988

Description	Schedule	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
ASSETS			
Cash and Bank Balances	1	19,337·83	13,700·00
Investments in Assisted Concerns	2	9,653·38	7,283·36
Investments in other Institutions	—	650·00	281·00
Loans to Assisted Concerns	3	2,73,320·77	2,11,709·56
Fixed Assets	4	3,902·88	2,245·75
Other Assets	5	13,298·98	11,027·48
Customers' Liability for Acceptances	—	2,292·01	2,193·35
Total		3,22,455·85	2,48,440·50
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUND			
Share Capital	6	7,000·00	5,750·00
Reserves and Reserve Fund	7	22,561·85	18,216·74
Long Term Borrowings	8	2,76,568·24	2,09,448·78
Current Liabilities and Provisions	9	13,044·10	12,028·81
Liability on Acceptances	—	2,292·01	2,193·35
Earmarked Funds	10	989·65	802·82
Total		3,22,455·85	2,48,440·50

H.C. Sharma	R. Viswanathan	D. N. Davar	A. V. Ganesan	J. S. Varshneya	P. L. Karihaloo
General Manager	Executive Director	Chairman	M. C. Satyawadi	N. K. Shinkar	D. M. Patel

Directors

As per our Report of even date
N. M. Raiji & Co.
T. R. Chadha & Co.
Chartered Accountants

New Delhi : 17 August, 1988

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 30TH JUNE, 1988

Description	Schedule	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
Interest from Loans, Advances, Deposits and Lease rentals (less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	28,529·67	22,548·04
Cost of Borrowings	12	21,209·70	16,077·89
Net Interest Revenue		7,319·97	6,470·15
Income from other operations	13	936·38	799·86
Total		8,256·35	7,270·01

Description	Schedule	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
Personnel Expenses	14	612·33	654·88
Directors' and Committee Members' Fees	—	3·30	2·55
Rental, Maintenance and Depreciation (Fixed Assets)	15	533·49	278·60
Other Expenses	16	214·26	167·27
Grant to Management Development Institute	—	5·00	5·00
Provision for Taxation	—	1,621·85	8,813·59
Total		2,990·13	2,921·89
Net profit carried over		5,266·22	4,348·12
Appropriated to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industiral Finance Corporation Act, 1948		1,792·52	8,082·19
Special Reserve Fund under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961		2,500·83	2,548·52
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		200·00	150·00
Staff Welfare Fund		25·00	15·00
Dividend		747·87	552·41
		5,266·22	4,348·12
Accounting Policies and Notes forming part of Accounts	17		

H. C. Sharma, General Manager | R. Viswanathan, Executive Director | D. N. Davar, Chairman | A. V. Ganesan, M. C. Satyawadi, J. S. Varshneya, N. K. Shinkar, P. L. Karihaloo, D. M. Patel, Directors

N. M. Raiji & Co.

As per our Report of even date
T. R. Chadha & Co.
Chartered Accountants

New Delhi : 17 August, 1988

Schedule 1

Cash and Bank Balances

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
Cash and Bank Balances		
Cash in Hand	1·14	1·33
Cheques/Drafts in Hand and lodged for collection	1,142·31	792·28
Balances with Banks in India		
In Current Accounts (See Note No. 7)	7,992·65	5,609·39
In Short Term Deposits	9,848·00	6,695·00
Balances with Banks outside India		
In current Accounts	283·70	481·60
In short Term Deposits	70·03	120·80
Total	19,337·83	13,700·00

Schedule 2

Investments in Assisted Concerns (At costs)

Annexed to and forming part of Balance Sheet as at the 30th June, 1

Description	Under Section*			This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
	23(d)	23(f)	23(i)		
Equity Shares	4,861·15	2,139·23	1,806·77	8,807·15	6,191·80
Preference Shares	309·75	75·00	0·01	384·76	395·76
Debentures	32·92	182·65	270·11	425·68	659·58
Application money on Shares and Debentures	22·29	13·50	--	35·79	36·22
	5,226·11	2,410·38	2,016·89	9,653·38	7,283·36
Total as at the 30th June, 1987	4,119·40	1,470·26	1,693·70		
Quoted					
Book value				5,069·05	3,941·08
Market Value				10,288·39	7,735·44
Investments for which quotations are not available					
Book Value				4,548·54	3,306·07
Break-up Value				3,328·64	1,965·14

*Relates to Industrial Finance Corporation Act, 1948.

Schedule 3

Loans to Assisted Concerns (Less : Provision for bad & doubtful debts)

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
In Indian Rupees	2,25,840·72	1,78,597·91
In Foreign Currencies	47,480·05	33,111·65
Total	2,73,320·77	2,11,709·56

Notes :

Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	91·34	204·42
Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors.	—	—
Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	—	—

Schedule 4

Fixed Assets

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	Original Cost	Depreciation to date	Net Value	
	Rs. Lakhs	Rs. Lakhs	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Freehold land and Buildings	685·51	99·53	585·98	400.42
Leasehold land and Buildings	487·70	98·90	388·80	406·61
Furniture and Fixtures	96·99	38·79	58·20	57·05
Office Equipment	185·15	117·04	68·11	95·12
Electrical Installations	17·91	12·91	5·00	6·55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Vehicles	18·27	11·10	7·17	8·89
Leased Assets - Plant & machinery	1,506·75	195·77	1,310·98	—
Sub-Total	2,998·28	574·04	2,424·24	974.64
Advances against capital expenditure	1,478·64	—	1,478·64	1271·11
Total	4,476·92	574·04	3,902·88	2245.75
As at the 30th June, 1987	2,522·53	276·78		

Schedule 5

Other Assets

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest accrued but not due	6,746·83	6,619·90
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd.	587·69	627·29
Advances to Employees	179·63	152·11
Deposits	100·65	101·57
Difference in Exchange Suspense Account	2,465·90	177·25
Net Assets of Staff Welfare Fund	14·00	12·50
Other Assets	3,204·28	3,336·86
Total	13,298·98	11,027·48

Schedule 6

Share Capital

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Authorised		
2,00,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 2,00,000)	10,000·00	1,000·00
Issued & Subscribed		
1,50,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 1,25,000)	7,500·00	6,250·00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948)		
Paid-up		
10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	200·00	200·00
2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134·60	134·60
3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165·40	165·40
10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500.00
20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000·00	10,00·00
20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000·00	1,000.00
25,000 (Twelfth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250·00	750·00
25,000 (Thirteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each (Rs. 3000/- per share called and paid-up)	750·00	Partly Paid-up —
	7,000·00	5,750·00

Schedule 7

Reserves & Reserve Fund

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	2,868·77	6,076·25
Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100·00	100·00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act. 1948	292·93	278·00
Special Reserve Fund under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961	14,000·00	11,499·17
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	300·15	263·32
Total	22,561·85	18,216·74

Schedule 8

Long Term Borrowings

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 guaranteed by the Government of India)		
(a) 6% Bonds	-	2,539·46
(b) 6 1/4% Bonds	3,501·54	6,801·54
(c) 6 1/2% Bonds	7,500·00	7,500·00
(d) 6 1/4% Bonds	2.810·00	7,810·00
(e) 7 1/4% Bonds	10,050·22	10,050·22
(f) 7 1/2% Bonds	10,995 00	10,995·00
(g) 8 1/4% Bonds	7,975·00	7,975 00
(h) 8 1/4% Bonds	8,004·80	8,004·80
(i) 9% Bonds	19,701·00	19,701·00
(j) 9·75% Bonds	32,269·13	32,269·13
(k) 11% Bonds	69,548·00	46,020·00
(l) 11·5% Bonds	15,000·00	-
(m) 7·6% Bonds	5,341·88	4,424·78
(n) 6·9% Bond (Yen Currency)	5,341·88	4,424·78
(o) 6·3% Bonds (Yen Currency)	5,341·88	4,424·78
	2,08,380·33	1,72,940·49
Borrowings		
(a) From Industrial Development Bank of India under Section 21 (4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	6,185·00	7,025·00
(b) From Government of India under Section 21 (4) of the Industrial Finance Corporation Act. 1948	140·40	208·12
(c) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	747·67	697·34
(d) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue	1,1589·87	1,1055·97
(e) From Foreign Credit Institutions in Foreign Currencies (including short term bridging loan of Rs. 14,194·46 lakhs)	59,955·33	27,521·86
Total	2 76,568·24	2,09,448·78

Schedule 9

Current Liabilities and Provisions

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description			This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
(A) Current Liabilities				
Sundry Creditors			5,884·81	6,348·52
Interest accured but not due				
(a) On Bonds			1,802·85	1,369·11
(b) On Borrowings from Government			17·75	16·06
(c) On Borrowing from Foreign Credit Institutions			764·06	293·20
(d) On Borrowing from Industrial Development Bank of India and others			262·36	176·23
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948			500·00	500·00
Advance receipts			24,58	12·38
Unclaimed Dividend			0·39	0·28
Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government of India out of interest on borrowings in Foreign Currency			1,154·28	919·98
Total (A) Carried over			10,411·08	9,635·76
Total (A) Brought forward			10,411·08	9,635·76
(B) Provisions				
Amounts held in suspense				
(a) Interest			305·79	398·37
(b) Commitment Charges			0·05	0·05
(c) Incidental charges			2·38	2·38
Provision for taxation		6,520·37		
Less : Tax deducted at Source	291·62			
Advance Tax paid	4,651·82	4,943·44		
Net amount of provision			1,576·93	1,439·84
Provision for dividend			747·87	552·41
Total (B) :			2,633·02	2,393·05
Total (A) +(B)			13,044·10	12,028·81

Schedule 10

Earmarked Funds

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund	904·48	744·01
Staff Welfare Fund	85·17	58·81
Total	989·65	802·82

Schedule 11

Interest from Loans, Advances, Deposits & Lease Rentals

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. Lakhs	Previous year Rs. Lakhs
Interest Income	26,830·25	20,656·98
Interest on Short term deposits etc.,	1,250·40	1,566·61
Commitment Charges	429·84	324·45
Lease Rentals	19·18	—
Total	28,529·67	22,548·04

Schedule 12

Cost of Borrowings

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest on Loans and Borrowings	20,943·87	15,872·37
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed	3·76	6·46
Cost of issue of Bonds	262·07	199·06
Total	21,209·70	16,077·89

Schedule 13

Income from other Sources

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30 June, 1988

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Business Service Fee	192·46	136·74
Dividend	289·23	326·11
Profit on Sale of Investment	333·26	214·11
Other Miscellaneous Income	121.43	122·90
Total	936·38	799·86

Schedule 14

Personnel Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. lakns	Previous year Rs. lakhs
Salary and Allowances	572·45	621·46
Staff Welfare Fund Expenses	4·08	3·55
Other Personnel Expenses	35·70	29·87
Total	612·23	654·88

Schedule 15

Fixed Assets-Rental, Maintenance and Depreciation

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Rent, Taxes Insurance and Lighting	193·65	127·85
Repairs & Maintenance	39·83	32·82
Depreciation	300·01	117·93
Total	533·49	278·60

Schedule 16

Other Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Audit Fees	1·25	1 25
Travelling and Halting Expenses	33·30	26·57
Communication Expenses	44·37	31·71
Printing, Stationery & Advertisement	46·94	37·09
Loss on Investment	2·22	17·85
Other Expenses (including contribution to Prime Minister's Relief Fund Rs. 25·00 lakhs)	86·18	52 80
Total	214·26	167·27

SCHEDULE 17

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1988

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES

(A) Significant Accounting Policies

1. *Revenue Recognition*

(a) The Corporation does not account for Income by way of Interest, Commitment Charges, Commission, etc., in cases where the possibility of recovery is considered remote. Commitment Charges are accounted for as income only on conclusion of the loan agreements.

(b) Interest on those loans and advances where Court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amount is received.

2. *Investments*

2.1 Valuation :

Aggregate market value/break-up value of investments is compared to Book Value thereof on a global valuation basis.

2.2 Transactions :

(a) Gains or losses on sale of investments are measured against the average cost of investments sold.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies in liquidation or sick companies which are proposed to be merged with other healthy companies is accounted for when the final payment is received or the merger is complete.

3. *Exchange Transactions*

(a) The balances of—

(i) foreign currency loans availed of by the Corporation,

(ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency account with banks, and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantees undertaken in foreign currency.

are all expressed in Indian Currency at TT selling rates prevailing as on the 30th June, 1988.

(b) Profit, if any, arising on account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowing are fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange difference relating to :

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans

(ii) conversion of year-end foreign currency balances, and

(iii) operations in the foreign currency accounts with Banks.

are accounted for in Difference in Exchange Suspense Account. The contribution received from Central Government, in part reimbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

4. *Fixed Assets* :

(a) Leased assets are depreciated on the Straight Line Method over the primary period of lease of assets or the number of complete years determined with reference to the income tax depreciation rates relating to these assets, whichever is shorter.

(b) Other assets are depreciated by the Reducing Balance Method at the following principal rates :

(i) Buildings and improvements thereto at 5%, 10% and 20% as applicable.

(ii) Furniture and equipment at 10% and 33 1/3% respectively.

(c) The assets are stated at cost less depreciation.

(B) Notes forming part of Accounts

(Figures in brackets relate to the previous year)

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of the following, in addition to such liabilities appearing in the Balance Sheet :

(a) Outstanding underwriting contracts (under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948) Rs. 739.00 lakhs (Rs. 751.50 lakhs), and

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as Investment (under Section 20, Section 23(d) and Section 23(i) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948), Rs. 13.73 lakhs (Rs. 263.65 lakhs).

(c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account, Approx. Rs. 1,117.50 lakhs (net of advances paid).

2. The Income Tax Department/the Corporation have gone in appeal/reference on certain matters in which the arlier orders have gone in favour of/against the Corporation. The disputed liability in this regard amounts to Rs. 55.39 lakhs (Rs. 55.39 lakhs). The provision for taxation for the year has been made on the basis of the stand taken by the Corporation.

3. Sundry Creditors include Rs. 2,505.56 lakhs (Rs. 1,445.62 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

4. Investments under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, include a sum of Rs. 131.69 lakhs (Rs. 163.58 lakhs) in the share capital of some companies which have either gone into liquidation or which are 'sick' and are proposed to be merged with healthy companies.

5. Up to the 30th June, 1988, a sum of Rs. 50.36 lakhs (Rs. 43.86 lakhs) has been utilised partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy Organisations as part of the promotional activities of the Corporation. Hence, these investments have not been included in the 'Investments' of the Corporation.

6. An aggregate amount of Rs. 1,849.55 lakhs (Rs. 1,705.88 lakhs) was due on the date of the Balance sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. Besides, a sum Rs. 35.11 lakhs (Rs. 171.84 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

7. Balances with banks in India in Current Accounts include Rs. 7,900.00 lakhs invested by bankers in Central and/or State Government securities with the concurrence of the Corporation.

8. In respect of some of the premises acquired by the Corporation, formalities regarding conveyancing are in the process of completion.

9. Provision for taxation for the year has been made taking into account the entitlement to the deduction under Section 32AB of the Income Tax Act, 1961 on the basis of the due compliance with the requisite conditions for such entitlements, namely, utilising amounts for acquiring assets stipulated in the said section and/or making the requisite deposit in terms of the said Section 32 AB.

10. Previous year figures have been recast, wherever necessary, to make these comparable to those of the current year.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1988